संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट
ABRIDGED ANNUAL REPORT 2018-19

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA | देना DENA

POWER OF

अब साथ हैं तीन, बेहतर से बेहतरीन.
AB SAATH HAIN TEEN, BEHTAR SE BEHTAREEN.

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

डॉ. हसमुख अढिया
अध्यक्ष
Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

श्री पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

श्रीमती पापिया सेनगुप्ता
कार्यपालक निदेशक
Smt. Papia Sengupta
Executive Director

श्री शांति लाल जैन
कार्यपालक निदेशक
Shri Shanti Lal Jain
Executive Director

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची
कार्यपालक निदेशक
Shri Vikramaditya Singh Khichi
Executive Director

श्री देबाशीष पांडा
निदेशक
Shri Debasish Panda
Director

श्री अजय कुमार
निदेशक
Shri Ajay Kumar
Director

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
निदेशक
Shri Gopal Krishan Agarwal
Director

प्रो. बिजू वर्क्की
निदेशक
Prof. Biju Varkkey
Director

श्री भरतकुमार डी. डांगर
निदेशक
Shri Bharatkumar D. Dangar
Director

श्रीमती सौंदरा कुमार
निदेशक
Smt. Soundara Kumar
Director

श्री श्रीनिवासन श्रीधर
निदेशक
Shri Srinivasan Sridhar
Director

सीवीओ	CVO
श्री नायक नरसिम्हा के	MR. NAYAK NARSIMHA K
महाप्रबंधक	**General Managers**
श्री कक्केरा वेंकटेश्वरलू	MR. KAKKERA VENKATESWARLU
श्री अरोरा सतीश कुमार	MR. ARORA SATISH KUMAR
श्री माथुर राधाकांत	MR. MATHUR RADHAKANT
श्री गुप्ता कुल भूषण	MR. GUPTA KUL BHUSHAN
श्री कुमार बीरेंद्र	MR. KUMAR BIRENDRA
श्री कौल कृष्ण ओपिंदर	MR. KAUL KRISHEN OPINDER
श्री पंडा गोलक बिहारी	MR. PANDA GOLAK BIHARI
श्री कुमार राजेंद्र	MR. KUMAR RAJENDRA
श्री डुडेजा विनीत कुमार	MR. DUDEJA VINEET KUMAR
श्री मेहरोत्रा प्रकाश नारायण	MR. MEHROTRA PRAKASH NARAYAN
श्री शर्मा रजनीश	MR. SHARMA RAJNEESH
श्री भाटिया राकेश कुमार	MR. BHATIA RAKESH KUMAR
श्री सिंह नवतेज	MR. SINGH NAVTEJ
श्री कनोजिया कुकु राम	MR. KANOJIA KUKU RAM
श्री कुमार संजय	MR. KUMAR SANJAY
श्री मेहता जयेशकुमार वसंतराय	MR. MEHTA JAYESHKUMAR VASANTRAY
श्री नामदेव दिनेश कुमार	MR. NAMDEO DINESH KUMAR
श्री श्रीवास्तव प्रदीप	MR. SRIVASTAVA PRADEEP
श्री पंडा असीम कुमार	MR. PANDA ASHIM KUMAR
श्री सिंह किरन पाल	MR. SINGH KIRAN PAL
श्री पटेल भूपिनकुमार रतिलाल	MR. PATEL BHUPINKUMAR RATILAL
श्री देवराकोण्डा आनंद कुमार	MR. DEVARAKONDA ANANDA KUMAR
श्री गोयल कृष्ण गोपाल	MR. GOYAL KRISHAN GOPAL
श्री शर्मा मुकेश	MR. SHARMA MUKESH
श्री कुमार राजेश	MR. KUMAR RAJESH
श्री पी राजशेखरन	MR. P RAJSHEKHARAN
श्री रमेश गोपालरत्नम	MR. RAMESH GOPALARATNAM
श्री तुलसीबागवाले कोटेश्वर विश्वेश्वर	MR. TULSHIBAGWALE KOTESHWAR VISHWESHWAR
डॉ. यादव रामजस	DR. YADAV RAMJASS
श्री गुप्ता सर्वेश कुमार	MR. GUPTA SARVESH KUMAR
श्री ग्रोवर संजय कुमार	MR. GROVER SANJAY KUMAR
श्रीमती पांडे अर्चना	MRS. PANDEY ARCHANA
श्री मल्होत्रा राजेश	MR. MALHOTRA RAJESH
श्री श्रीवास्तव सुनील कुमार	MR. SRIVASTAVA SUNIL KUMAR
डॉ. कर्नावट जवाहर	DR. KARNAVAT JAWAHAR
श्री राठी प्रकाश वीर	MR. RATHI PRAKASH VIR
श्री दास तपन कुमार	MR. DAS TAPAN KUMAR
श्री राय जयदीप दत्ता	MR. ROY JOYDEEP DUTTA
श्री वेणुगोपाल एन	MR. VENUGOPAL N
उप महाप्रबंधक एवं प्रमुख	**Dy. General Mangers & Head**
श्री सेठी वीरेंद्र कुमार	MR. SETHI VIRENDRA KUMAR
श्री मेनन वेणुगोपाल	MR. MENON VENUGOPAL

विषय	पृष्ठ
अध्यक्ष का संदेश	04
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	08
निदेशकों की रिपोर्ट	16
कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	61
कार्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ	63
एमडी व सीईओ द्वारा घोषणा	94
सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	95
संक्षिप्त तुलन पत्र	101
संक्षिप्त लाभ व हानि खाता	103
संक्षिप्त नकदी-प्रवाह विवरण	104
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	106
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	174
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	176
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	177
संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां	178
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा - समेकित	214
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	215
लाभांश संवितरण नीति	216
नोटिस /हरित पहल - शेयरधारकों से अपील / इलेक्ट्रॉनिक मैन्डेट फार्म	218

Contents	Page
Chairman's Statement	06
MD & CEO's Statement	12
Directors' Report	39
Auditors' Certificate on Corproate Goveranance	61
Highlights of Corporate Governance Report	63
Declaration by MD & CEO	94
Secretarial Audit Report	95
Abridged Balance Sheet	101
Abridged Profit & Loss Account	103
Abridged Cash Flow Statement	104
Significant Accounting Policies	106
Auditors' Report	174
Declaration of Unmodififed Opinion	176
CEO / CFO Certification	177
Consolidated Financial Statement	178
Declaration of Unmodififed Opinion - Consolidated	214
CEO / CFO Certification	215
Dividend Distribution Policy	216
Notice / Green Initiative Appeal / Electronic Mandate Form	218

लेखा परीक्षक / AUDITORS

कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री एल एल पी
सनदी लेखाकार
Kalyaniwalla & Mistry LLP.
Chartered Accountants

जी एम कपाड़िया व कं.
सनदी लेखाकार
G M Kapadia & Co.
Chartered Accountants

सिंघी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
Singhi & Co.
Chartered Accountants

एस आर डिनोडिया व कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
S R Dinodia & Co. LLP.
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा भवन, अलकापुरी, वडोदरा 390 007.

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर
सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग
7वां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट
मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लि.
यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट क्र. 31 व 32, गचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

हमारे बैंक के डिबेंचर न्यासी
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू-तल,17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001

Head Office
Baroda Bhavan, Alkapuri, Vadodara 390 007.

Baroda Corporate Centre
C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Investor Services Department
7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Registrars & Transfer Agent
M/s. Karvy Fintech Pvt. Ltd.
Unit - Bank of Baroda
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Debenture Trustees of our Bank
IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor, 17,R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001

नोट: शेयरधारक "व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट" तथा "बासेल-III प्रकटीकरण" को बैंक की वेबसाईट www.bankofbaroda.com पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं.

Note: The Shareholders can view/download "Business Responsibility Report" and "Basel-III Disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.com

बैंक ऑफ बड़ौदा में हम मानते हैं कि समामेलन हमारे हितधारकों के लिए मूल्यवर्धक है और ''पूर्णांक कुछ अंशों के योग से बड़ा होता है''

विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन दिनांक 01 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है.

यह समामेलन बैंक और उसके ग्राहकों को महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा. बैंक ऑफ बड़ौदा की अब भारत में 9,500+ शाखाओं और 13,400+ एटीएम के संयुक्त नेटवर्क के साथ एक व्यापक भौगोलिक पहुंच बन गई है. इस समामेलन ने बैंक को देश का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बना दिया है और व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समामेलन हमें परिचालनगत, राजस्व और लागत संबंधी सहक्रियता में सहयोग करेगा. बैंक के पास अब रू 9.15 लाख करोड़ की जमाराशियों और रू 6.51 लाख करोड़ के अग्रिमों के साथ 120+ मिलियन ग्राहकों का एक बड़ा समूह है. हमारी बाजार साझेदारी अब जमाराशियों और अग्रिमों में क्रमशः 6.32% और 6.07% हो गई है जो समामेलन पूर्व क्रमशः 4.12% और 4.06% थी.

हमारे बड़े ग्राहक आधार के लिए नकदी प्रबंधन सेवाओं, सप्लाई चेन फायनेंस, आस्ति प्रबंधन, बीमा और निवेश बैंकिंग सहित हमारी व्यापक बैंकिंग उत्पाद श्रेणियों के क्रॉस-बिक्री अवसरों में बढ़ोतरी होने से राजस्व में वृद्धि होगी. बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति हमें अपने ग्राहकों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के निधियन और उनकी मल्टी-करेंसी निधियन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगी.

इसके तत्काल लाभ हमें प्रशासनिक कार्यालयों को युक्तिसंगत बनाने के अलावा कॉमन ट्रेजरी परिचालन और कॉर्पोरेट बैंकिंग से प्राप्त होंगे. बीच के समय के लिए लागत सहक्रिया का प्रवाह वितरण नेटवर्क से लेकर आईटी संबंधी आधारभूत संरचना, डेटा सेंटर, डिजास्टर वसूली सेंटर तथा परिचालनों के केन्द्रीकरण के साथ भी होगा.

इसके अलावा, इस समामेलन ने बैंक के शीर्ष नेतृत्व को बहुत गंभीर और उदार बनाया है. बैंक की नई संगठनात्मक संरचना में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अलग-अलग व्यावसायिक पहलों और वर्टिकलों की कमान अनुभवी लोगों को सौंपी जाए. इन परिवर्तनों के लाभ कुछ ही समय में हमारे परिचालनों में दिखाई देंगें.

बैंक ऑफ बड़ौदा में हम मानते हैं कि समामेलन हमारे हितधारकों के लिए मूल्यवर्धक है और ''पूर्णांक कुछ अंशों के योग से बड़ा होता है''

At Bank of Baroda, we believe that the amalgamation is value accretive for our stakeholders and 'the whole is greater than the sum of its parts'.

Vijaya Bank and Dena Bank amalgamated into Bank of Baroda with effect from April 1, 2019.

The amalgamation provides significant long-term benefits to the Bank and its customers. Bank of Baroda now has a much wider geographical reach with a combined distribution network of 9,500+ branches and 13,400+ ATMs in India. It has catapulted the Bank to the position of the third largest lender in the country and will enable us to leverage operational, revenue and cost synergies from a business perspective. The Bank has now access to a larger pool of 120 million+ customers with Deposits of ₹ 9.15 lakh crore and Advances of ₹ 6.51 lakh crore. Our market share now stands at 6.32% and 6.07% in Deposits and Advances respectively, as against a market share of 4.12% and 4.06% before the amalgamation.

The revenue synergies accrue from increased cross-sell opportunities of our comprehensive suite of offerings including cash management services, supply chain financing, asset management, insurance and investment banking to our large customer base. The international presence of the Bank enables us to fund our clients' foreign exchange requirements and meet their multi-currency funding needs.

Immediate benefits accrue from common treasury operations and corporate banking and the rationalisation of administrative offices. In the medium term, cost synergies will flow in from optimisation of the distribution network, integration of IT infrastructure, data centres amd disaster recovery centres and centralisation of operations.

In addition, the amalgamation has provided depth and width to the top leadership team of the Bank. The Bank's new organisation structure ensures that different business initiatives and verticals are spearheaded by seasoned leaders. The benefits of these changes will reflect in our operations in the medium term.

At Bank of Baroda, we believe that the amalgamation is value accretive for our stakeholders and 'the whole is greater than the sum of its parts'.

अध्यक्ष का संदेश

डॉ. हसमुख अढ़िया
अध्यक्ष

प्रिय हितधारक,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्यग्रहण कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है और आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करते हुए बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है. पिछले 112 वर्षों से अधिक की अवधि में, जबसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा की स्थापना हुई, यह बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी रहा है और इसने समाज एवं देश की सेवा करने की समृद्ध विरासत कायम की है. बैंक के अध्यक्ष के रूप में, मैं इस विरासत को पल्लवित एवं पुष्पित करने हेतु प्रतिबद्ध हूं.

बैंकिंग फलक

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र अनिवार्य है. हमें 8-9% की वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ना है ताकि हम चीन और अन्य विकसित अर्थव्यवस्था की बराबरी कर सकें. इसे हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है जो सुधारात्मक गतिशीलता को बनाए रखे और बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं के स्थायी समाधान को निर्धारित करने के लिए इसके क्षेत्र को व्यापक बनाए.

सरकार ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुआयामी रणनीतियां अपनायी हैं. इसने अक्टूबर 2017 में रु 2.11 लाख करोड़ की पुनर्पूंजीयन योजना की घोषणा की. इस योजना के तहत, सरकार ने वित्त वर्ष 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रु. 1.06 लाख करोड़ की दूसरी खेप के रूप में पुनर्पूंजीयन प्रदान किया. सरकार द्वारा पूंजीयन के फलस्वरूप भारतीय बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्रेडिट वृद्धि में सुधार हुआ है जो गत तीन वर्षों के 10% के औसत स्तर से सुधरकर वित्त वर्ष 2019 में 13.2% हो गया.

भारतीय बैंकों ने पिछले वर्षों में गैर-निष्पादक अग्रिमों में अत्यधिक वृद्धि देखी थी. गैर-निष्पादक अग्रिमों के यथाशीघ्र समाधान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नया दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) लागू किया. इस व्यवस्था के तहत, अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में रु 98,493 करोड़ की उल्लेखनीय नकद वसूली हुई है जो एक प्रभावी सुधार के रूप में दिखाई देती है. आईबीसी प्रक्रिया से तीव्रतर समाधान, उच्चतर वसूली एवं ऋण-संस्कृति में सुधार जैसे संरचनात्मक बदलाव आए हैं जो आगे चलकर बैंकिंग व्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम साबित होंगें.

गैर-निष्पादक आस्तियों की पहचान, प्रावधान, समाधान और वसूली के लिए सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई गई रणनीति ने दबावग्रस्त आस्तियों के अनुपात में गिरावट तथा नकदी वसूली में सुधार के रूप में अनुकूल परिणाम दर्शाने आरंभ कर दिए हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के सकल एनपीए में अब गिरावट शुरू हो गई है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2018 के 11.5% के स्तर से घटकर मार्च 2019 में लगभग 10.3% होगा. स्लिपेज अनुपात मार्च 2018 के 7.6% से घटकर सितंबर 2018 में 4.1% हो गया. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में भी मार्च 2018 के स्तर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

भारतीय बैंकिंग उद्योग में समेकन

विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत के वित्तीय संस्थान वैश्विक स्तर पर व्यवसाय और आकार के मामले में काफी पीछे हैं. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए हमें और बड़े तथा मजबूत बैंक की आवश्यकता है. बड़े वित्तीय संस्थान वित्तीय संकटों का सामना करने में सक्षम होते हैं तथा बड़े आकार के कारण वे बैंकिंग सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध करा लेते हैं. पिछले वर्षों के दौरान, नरसिंहम समिति (1998), लीलाधर समिति (2008) तथा नायक समिति (2014) जैसी वित्तीय क्षेत्र की विभिन्न समितियों ने बैंकिंग क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकन और समामेलन की सिफ़ारिश की है.

वर्ष के दौरान सरकार ने इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु एक कदम आगे बढ़ाते हुए पहले तीन-तरफा समामेलन की घोषणा की जिसके अंतर्गत विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलन हुआ. व्यवसायिक दृष्टि से संयुक्त बैंक, जो 01 अप्रैल 2019 से परिचालन में आया, अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन चुका है. समेकित बैंक के पास 9500+ शाखाओं, 13,400+ एटीएम के नेटवर्क तथा 84,000+ कर्मचारियों के माध्यम से 120 मिलियन+ ग्राहक आधार है. हमारा समेकित व्यवसाय 6.4% के मार्केट शेयर के साथ रु. 15+ लाख करोड़ हो चुका है. समामेलन ने हमें अपने हितधारकों के लिए विश्व स्तरीय बैंकिंग संस्थान विकसित करने हेतु अवसर प्रदान किया है और हम इसका पूरा लाभ उठाने के लिए तत्पर हैं.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा - रूपांतरण यात्रा जारी है

बैंक ने एक व्यापक रूपांतरण प्रक्रिया अपनायी है जो प्रक्रिया, उत्पाद, प्लेटाफार्म,

कर्मचारी क्षमता के विकास और बेहतर अनुपालन पर केन्द्रित है. इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है. यह मानते हुए कि तकनीक का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, रूपांतरण को भी एक सतत यात्रा के रूप में जारी रखना होगा ताकि बैंक बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहे.

बैंक ने अपने आईटी क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए उल्लेखनीय निवेश जारी रखा है ताकि अपनी आईटी सुविधाओं को मजबूत बना सके तथा प्रतिस्पर्धी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा सके. बैंक ने -दो- अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर आईटी एवं एनेलिटिक्स तथा आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस स्थापित की है. भविष्य की बैंकिंग एनेलिटिक्स की शक्ति, डिजिटाइजेशन और तकनीक का लाभ उठाने पर निर्भर होगी ताकि ग्राहकों को विश्व स्तरीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सके. जहां हम ग्राहकों के लिए एक सर्वाधिक पसंदीदा बैंक का निर्माण कर रहे हैं, वहीं हम एक ज्ञानार्जन संस्थान का भी निर्माण कर रहे हैं तथा अपने कर्मचारियों के कौशल विकास पर हमारा निवेश जारी है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ईज ऑफ एक्सेस एण्ड सर्विस एक्सिलेंस (ईज) की सरकार की सुधारवादी नीति भी इसी दृष्टिकोण के अनुरूप है. मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक को सरकार की ईज (EASE) योजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है.

उपरोक्त रणनीतियों के परिणाम बैंक के परिचालनगत कार्यनिष्पादन में परिलक्षित हो रहे हैं. घरेलू क्रेडिट में हमारी वृद्धि दर 14.2 % है जो बैंकिंग उद्योग की औसत दर से उच्चतर है. यह उपलब्धि, परिचालनगत दक्षता और मार्जिन में सुधार को सुनिश्चित करते हुए हासिल की गयी है. तकनीकी रूप से बट्टे कृत (टीडब्ल्यूआ) खातो के साथ और उसके बिना प्रावधान कवरेज अनुपात क्रमशः 78.68% तथा 67.64% रहा जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक है. पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.42% है जो नियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर है.

भविष्य की संभावनाएं

भविष्य के लिए एक सुदृढ़ बैंक बनाने की दिशा में वर्षों से बैंक द्वारा आरंभ की गई रूपान्तरण प्रक्रिया की स्थिति में, यह समामेलन यह सुनिश्चित करेगा कि इसके व्यवसाय और आकार का लाभ सभी प्रकार के ग्राहकों एवं हितधारकों को प्राप्त हो सके. समामलेन के प्रभावी होने के साथ ही एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है जिसके तहत ग्राहक, कर्मचारी, आईटी और प्रक्रिया एकीकरण पर विस्तृत योजना तैयार की गई है. हम इस प्रक्रिया को अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक विश्व स्तरीय संस्थान के निर्माण करने हेतु एक अवसर के रूप में देख रहे हैं. बैंक के अध्यक्ष के रूप में, मैं इन प्रयासों को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी के प्रति बेहद खुश हूँ.

जय हिंद

हसमुख अढ़िया
अध्यक्ष

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

Dear Stakeholder,

I am delighted to join Bank of Baroda as Chairman of the Board of Directors and it gives me pleasure to put my thoughts before you. In the last 112 years, from the time the Bank of Baroda was set up, it has been pioneer in the banking field and has a rich legacy of serving the society and the nation. As Chairman of the Bank, I remain committed to nurturing and furthering this legacy.

The Banking Landscape

A robust financial sector is essential for the growth of economy. We need to grow at 8-9% consistently over years to catch up with China and other developed economies. Achieving this requires a concerted effort that maintains the reform momentum and widens its scope for arriving at a durable solution to banking sector issues.

The Government has adopted a multi-pronged strategy to improve the health of the Indian banking system. It announced a recapitalization plan of ₹ 2.11 lakh crore in October 2017. As part of the above program, the government infused the second tranche of ₹ 1.06 lakh crore in Public Sector Banks (PSBs) in FY 2019. Capital infusion by the government has helped in improving the health of the Indian banking system and has led to an improvement in credit growth of SCBs to 13.2% in FY 2019 from an average of 10% over the three previous years.

Indian banks had seen a large increase in non-performing loans over the years. In order to ensure a faster resolution of non-performing loans, the government implemented a new Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). Under this mechanism, there have been a marked improvement in cash recoveries of the banking system at ₹ 98,493 crore in the period April to December 2018. The IBC process has resulted in structural changes such as faster resolutions; higher recoveries and improving credit culture which is positive for the banking system in the long-run.

The strategy adopted by the Government, RBI and PSBs for recognition, provisioning, resolution and recovery of non-performing assets has commenced to yield results in the form of declining stressed asset ratios and improvement in cash recovery. The gross NPAs for PSBs are now beginning to see a decline. RBI has projected that the gross NPA ratio for the SCBs would fall to around 10.3% in March 2019 from 11.5% in March 2018. The slippage ratio has declined from 7.6% in March 2018 to 4.1% in September 2018. The Provision Coverage Ratio (PCR) has also increased significantly from the levels in March 2018.

Consolidation in Indian Banking Industry

Despite being the sixth largest economy in the world, India's financial institutions lack scale and size on global scale. To be globally competitive, we need banks that are bigger and stronger. Large financial institutions have the ability to weather economic shocks and benefits of scale help them to provide banking services at a relatively lower cost. Over the years, various committees on the financial sector such as the Narasimham Committee (1998), the Leeladhar Committee (2008) and the Nayak Committee (2014) have recommended consolidation among banking sector and that of PSBs.

During the year, the government announced first three-way amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda as a step towards achieving the above objectives. In terms of scale, the combined bank which came into operations from April 1, 2019, is now the second largest PSB in India. The consolidated bank has over 120 million+ customers across the globe through its network of 9,500+ branches and 13,400+ ATMs and 84,000+ employees. Our combined business mix now stands at ₹ 15+ lakh crore with market share of 6.4%. The amalgamation has provided an opportunity to build a world class banking institution for our stakeholders and we are determined to seize it.

Bank of Baroda – The Continuing Transformation

The Bank has undertaken a comprehensive transformation journey centered around processes, products, platforms, building people capabilities and improving compliance. The details of the actions taken have been detailed out in last years' annual report. Given that the technology evolution is an ongoing process, the transformation has to be a continuing journey to ensure that the Bank remains competitive in the market place.

The Bank therefore continues to make significant investments in enhancing its IT backbone and creating cutting-edge digital platforms. The Bank has set-up twin state-of-the-art Centers of Excellence for IT and Analytics & Artificial Intelligence. The future of banking lies in leveraging power of analytics, digitization and technology to provide world class banking services to clients. As we build a Bank of first choice for the customers, we are also creating a learning organization and our investment in enhancing the skills of our workforce continues.

The government's reform agenda for PSBs – Ease of Access and Service Excellence (EASE) program is also in-line with this approach. I am happy to state that the Bank has been ranked 2nd in the implementation of the EASE reforms agenda of the Government.

The result of above strategy are reflected in the operating performance of the Bank. Our domestic credit growth at 14.2% is higher than the industry average. This has been achieved while ensuring improvement in operating efficiency and the margins. The provision coverage ratio with and without Technically Written Off (TWOs) accounts at 78.68% and 67.64% respectively continues to be the highest amongst public sector banks. The capital adequacy ratio at 13.42% is above the regulatory requirements.

Looking Ahead

Given the transformation undertaken by the Bank over the years to build a Bank that is future ready, the amalgamation ensures that the benefits of scale and size are available to wider set of customers and stakeholders. With amalgamation becoming operative, the integration process is underway with a detailed plan on customer, employee, IT and process integration. We foresee this as an opportunity to build a world class institution for our customers, employees and other stakeholders. As the Chairman of the Bank, I am happy to be a partner in driving these efforts.

Jai Hind,

Hasmukh Adhia
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

पी एस जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय हितधारक,

वित्तीय वर्ष 2018-19 (वित्त 2019) के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के प्रमुख बिन्दुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ. उपलब्धियों और विभिन्न पहलों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं.

समष्टिगत आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य

वर्ष 2017 और 2018 के आरंभ में उछाल आने के बाद वर्ष 2018 की दूसरी छमाही से वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में मंदी आ गयी. इसके बाद, संयुक्त राज्य अमरीका में वित्तीय प्रोत्साहन में आयी गिरावट और कमजोर यूरोपीय अर्थव्यवस्था के कारण 2019 में भी वैश्विक मंदी जारी रहने की संभावना है. यूएस -चीन के बीच लंबा व्यापारिक संघर्ष, ब्रेक्जिट की अनिश्चितता तथा तेल की बढ़ती कीमतें वैश्विक विकास के लिए प्रमुख चिंता के कारण बनी हुई हैं. इस पृष्ठभूमि में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का केन्द्र बनी हुई है. यह अर्थव्यवस्था सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है और भविष्य में यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. जीएसटी, आधार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) आदि अनेक संरचनात्मक सुधार किए गए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलने की संभावना है. वहनीय लागत पर मकान उपलब्ध कराने को बढ़ावा देने की सरकार की योजना, मेक इन इंडिया अभियान और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार के प्रभावी प्रयासों के फलस्वरूप निवेश में बढोतरी की संभावना है. भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के विकास का स्तर 7.2% रहने का अनुमान है.

विश्व बैंक के "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक - 2018" के अनुसार, वर्ष के दौरान 23 स्थानों की बढ़त के साथ भारत 77वें स्थान पर पहुँच गया है. वर्ष के दौरान सर्वोच्च 50 की सूची में शामिल होना काफी आसान लग रहा है.

बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रुप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उच्च एनपीए, पूंजी की अपर्याप्तता और निम्नतर क्रेडिट वृद्धि की समस्याओं से जूझ रहें हैं. आईबीसी के तहत बैंकों को बड़े एनपीए खातों के समाधान निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध होने की संभावना थी. यद्यपि आईबीसी व्यवस्था के तहत वसूली की राशि काफी बड़ी रही है, किन्तु लगभग अधिकांश मामलों में समाधान में लगने वाला समय उक्त अधिनियम में निर्धारित 270 दिनों से अधिक रहा है. निम्नतर चूक और बेहतर वसूली के संदर्भ में आईबीसी का वास्तविक लाभ लंबे समय में परिलक्षित होगा. यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आईबीसी का क्रियान्वयन तथा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क का ऐतिहासिक महत्व है जिसके कारण कार्पोरेट गवर्नेंस मानकों में वांछित सुधार आएगा तथा उधारकर्ताओं में वित्तीय अनुशासन की प्रवृति विकसित होगी. विभिन्न एजेंसियों से उधारकर्ताओं की सूचनाओं को एक जगह एकत्रित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावित पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एक अन्य महत्वपूर्ण कदम होगा जिससे चूकों में उल्लेखनीय गिरावट आएगी.

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए मार्च 2018 के 11.5% की तुलना में मार्च 2019 में 10.3% के स्तर तक गिरने की संभावना है. स्लिपेज अनुपात पहले ही मार्च 2018 के 7.6% के स्तर से गिरकर सितंबर 2018 में 4.1% के स्तर पर रहा और प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

पूंजी के फ्रंट पर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीयन हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पहले से अधिक पूंजीकृत है. बढ़ती आस्ति गुणवत्ता और पूंजी के अन्तः प्रवाह के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट वृद्धि जो वित्त वर्ष 2015-18 के दौरान लगभग 10% रही, अब वित्त वर्ष 2019 के दौरान सुधरकर 13.2% हो गई है.

बैंकिंग उद्योग में समेकनः

संख्या में कम तथा मजबूत बैंक बनाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन सरकार की सूची में काफी पहले से रहा है. व्यावसायिक आकार का लाभ उठाने हेतु इस वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पहला तीन--तरफा समामेलन सम्पन्न हुआ. 01 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ. समामेलित संस्थान 9,500+ शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क, 13,400+ एटीएम तथा 84,000+ कर्मचारियों एवं 120 मिलियन+ ग्राहकों तथा रु. 15 लाख+ करोड़ के कुल व्यवसाय के साथ अब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है.

यह समेकन ग्राहकों के साथ-साथ बैंक के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा. ग्राहक व्यापक उत्पाद श्रृंखला से लाभान्वित होंगे जिसमें विस्तृत भौगोलिक पहुंच के साथ नकदी प्रबंधन समाधान, सप्लाई चेन फाइनेंस, आस्ति प्रबंधन, बीमा और निवेश बैंकिंग की सुविधाएं आदि शामिल हैं. बैंक के लिए, समामेलन न केवल हमारे बाजार की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करेगा बल्कि इससे राजस्व एवं लागत की वसूली तथा लोक सहक्रियता के दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे.

बैंक की रूपान्तरण यात्रा- नवोदय परियोजना

तीन वर्ष पूर्व बैंक की रूपान्तरण यात्रा 'नवोदय परियोजना' की शुरूआत होने के बारे में आप अवगत ही हैं. पिछले वर्ष के अपने वक्तव्य में, मैंने विभिन्न वर्गों में शुरू की गई नीतिपरक पहलों की विस्तृत चर्चा की थी. ये पहलें प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं के केन्द्रीकरण एवं उन्हें बेहतर बनाने, उत्पादों को आकर्षक बनाने, प्लेटफार्म और क्षमता संवर्धन पर केन्द्रित थीं. वर्ष के दौरान हमने उक्त पहलों से काफी लाभ अर्जित किया.

बैंकिंग उद्योग तेजी से प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से गुजर रहा है. डिजिटल रूपान्तरण एवं पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों का डिजिटाइज़ेशन समस्त बैंकिंग परिदृश्य को बदल रहा है. रूपान्तरण, प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु एक निरंतर चलने वाली यात्रा है. हमने 'भविष्य के लिए सुदृढ़ बैंक' को बनाने हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी है जिसके केंद्र बिन्दु निम्नानुसार है:

1. कर्मचारियों को उनके खाली समय को ग्राहकों के साथ बिताने हेतु सक्षम बनाना: हम बैक ऑफिस परिचालनों को शेयर सेवा केंद्र (एसएससी) में केंद्रीकृत कर, टैबलेट के माध्यम से सहायक एवं डिजिटाइज्ड तरीके से बहुसेवाएं एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक सरल सेवाएं सुलभ बनाना आदि के द्वारा शाखा की संरचना में पुनः सुधार लाने की दिशा में कार्यरत हैं.

हमारे शेयर्ड सर्विस सेंटर (एसएससी) के बैक ऑफिस फंक्शन में बढ़ोतरी होती जा रही है जिसके कारण शाखाओं को प्रोसेसिंग में लगने वाले समय से निजात मिल रही है और फलस्वरूप हमारे स्टाफ सदस्यों की उत्पादकता बढ़ रही है और वे ग्राहकों को अधिक समय और बेहतर सेवा दे पा रहे हैं. केंद्रीकृत बैक ऑफिस परिचालन में अब जमा खातों के लिए खाता खोलना, खाता प्रबंधन सेवा, बंधक आधारित रिटेल लोन की प्रोसेसिंग, फॉरेक्स एवं ट्रेड फाइनेंस परिचालन, कॉल सेंटर, क्रेडिट कार्ड परिचालन तथा डिजिटल बैंकिंग परिचालन शामिल किए गए हैं.

2. वित्तीय योजना: हम अपने ग्राहकों के अर्जन का अधिकांश हिस्सा संचित करने तथा शुल्क आय में वृद्धि करने हेतु उन्हें वित्तीय योजना एवं धन प्रबंधन सेवाओं के प्रस्ताव करने पर लगातार अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं जिससे वे अपनी धन सुरक्षा, लेन-देन संबंधी जरूरतों, बैंकिंग उत्पाद जैसे बचत, बीमा, आस्ति खरीद आदि सभी जरूरतों को एक छत के नीचे पूरा कर सकें.

3. इको सिस्टम बैंकिंग : यह मानते हुए कि डिजिटल व्यवधान, प्लेटफ़ॉर्म आधारित इको सिस्टम का जनक है, हम बैंक के ग्राहकों के लिए उत्पाद खोज और लेन-देन सक्षमता के आशय से वन स्टॉप शॉप बनाने की दिशा में उद्यम आधारित बाजार स्थलों की व्यवस्था हेतु प्रयास कर रहे हैं. कृषि संबंधी सभी प्रकार की जरूरतों का समाधान उपलब्ध कराने हेतु 'बड़ौदा किसान' नामक डिजिटल-कृषि प्लेटफॉर्म का विकास एवं बैंक द्वारा अधिक संख्या में फिनटेक करार की इकाइयों का प्रवेश इको सिस्टम को सक्षम बनाने के उदाहरण हैं.

4. गतिशीलता मंच : बैंक मोबाइल के माध्यम से स्वतः सेवा एवं टेबलेट के माध्यम से सहायक मोड पर कई सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्य कर रहा है. ''बैंक इन-ए-बॉक्स'' की यह रणनीति डिजिटल के जानकार ग्राहकों को आराम से अपने घरों से प्रभावी ढंग से लेन-देन करने में सक्षम बनाएगी जबकि टेबलेट बैंकिंग सेवाओं की घर तक पहुँच सुनिश्चित करेगी.

5. एनेलिटिक्स एवं आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस (एआई)

डेटा विज्ञान और मशीनी शिक्षण का व्यवसाय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और ये तेजी से महत्वपूर्ण विभेदक के रूप में स्थापित हो रहे हैं. इस क्षेत्र में उभरती हुई तकनीक का लाभ उठाने हेतु हमने एनेलिटिक्स एवं आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स (ए एवं एआईसीओई) स्थापित किए हैं जिससे बिग डेटा तकनीक और आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस आधारित रियल-टाइम एनेलिटिक्स का लाभ उठाते हुए डेटा आधारित निर्णय लेने की दिशा में हमें सहयोग प्राप्त होगा.

इस दौरान हमारे आईटी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का परिचालन शुरूहुआ है. इससे आधुनिक डिजिटल तकनीक, विविध प्रकार के आईटी एवं डिजिटल कौशल के साथ विभिन्न तकनीकी संसाधनों तथा परिवर्तनों को सहयोग प्रदान करने वाली फिनटेक इको सिस्टम के माध्यम से डिजिटल रूपान्तरण को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है. इससे ब्लॉक चेन, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ओपन एपीआई बैंकिंग तथा व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन जैसी विविध प्रमुख तकनीकी घटक, तकनीकी संरचना तथा उभरती तकनीक में विविध प्रकार के कौशल विकास की सुविधाएं प्राप्त होंगी जिससे हमारी तकनीकी क्षमता तथा मार्केट में तेजी से हमारे नए उत्पादों को पहुंचाने में मदद मिलेगी.

वर्ष के दौरान हमने आईआईटी, मुंबई के सहयोग से एक इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है जो बैंकिंग उद्योग द्वारा महसूस की जा रही चुनौतियों और सीमाओं के समाधान के लिए अनूठा समाधान उपलब्ध कराता है. यह केंद्र वित्तीय संस्थानों के सम्बद्ध इको सिस्टम, विद्वानों, उप कुलपतियों, नियामकों, तकनीकी कंपनियों, कार्पोरेट एवं सरकारी संगठनों के समर्थन से चल रहा है.

सरकार ने जनवरी 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ईज ऑफ एक्सेस एण्ड सर्विस एक्सिलेंस (EASE) नामक सुधारात्मक कदम की घोषणा की थी जिसमें 6 विषय-वस्तुओं के अंतर्गत 140 उद्देश्यों और बेंचमार्क मैट्रिक्स को शामिल किया गया है. बैंक के रूपान्तरण कार्यक्रम में इस कार्यसूची की अधिकांश मदें शामिल हैं. ईज़ (ईएएसई) रैंकिंग के बारे में सरकार द्वारा घोषित अंतिम रैंकिंग में आपका बैंक द्वितीय स्थान पर रहा.

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2019 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन की एक झलक निम्नानुसार है:-

जमाराशियों में वृद्धि

कुल जमाराशियों में 8.0% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू जमाराशियों में यह वृद्धि 10.9% रही. 31 मार्च, 2019 को कुल जमाराशियां तथा कुल घरेलू जमाराशियां क्रमशः रु. 6,38,690 करोड़ एवं रु. 5,17,966 करोड़ रहीं. वर्ष के दौरान वैश्विक कासा जमाराशियों में संवृद्धि रु. 12,051 करोड़ रही जबकि घरेलू कासा जमाराशियों में रु. 16,081 करोड़ की वृद्धि हुई जो प्रतिशत में क्रमशः 5.7% एवं 8.4% रही. कासा जमाराशियों का प्रतिशत 40.23% था. इन जमाराशियों में निरंतर वृद्धि के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं. हमने अपने उत्पादों को व्यापक बनाया है और अपनी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाया है. हमने नकदी प्रबंधन और विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए विविध प्रकार की धनसंपदा प्रबंधन सेवाएं जैसे नए उत्पाद शुरू किए हैं. टैबलेट के माध्यम से खाता खोलने की प्रक्रिया को डिजिटाइज किया है, डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं, थ्री-इन-वन ट्रेडिंग खाते खोलना, मोबाइल बैंकिंग ऐप को बेहतर बनाना, एम--पासबुक का प्रारंभ, धनसंपदा प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप का प्रारंभ, हमारे ई-उत्पादों (आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई) को अधिक सुदृढ़ बनाना, पीओएस एवं भारत क्यूआर कोड को बढ़ावा देना, मल्टिपल पेमेंट एग्रिगेटर के साथ टाई-अप, वैविध्यपूर्ण डेबिट कार्ड प्रारंभ करना, हमारे क्रेडिट कार्ड की

रि-ब्रांडिंग जैसी सेवाओं के डिजिटलीकरण करने के माध्यम से अपने उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं.

ऋण में वृद्धि

रूपांतरण पहलों के क्रियान्वयन के बाद बेहतर प्रक्रियाओं के साथ बैंक ने लगातार दूसरे वर्ष में घरेलू ऋणों में दोहरे अंकों में वृद्धि हासिल की. वित्त वर्ष 2019 के दौरान घरेलू ऋण वृद्धि 14.2% रही जो उद्योग में हुई वृद्धि से एक प्रतिशत प्वाइंट अधिक है. ऋण की इस वृद्धि में खुदरा ऋण का 24.2% एवं कार्पोरेट ऋण का 15.5% का योगदान रहा. खुदरा ऋण की वृद्धि में आवास ऋण एवं ऑटो ऋण का क्रमशः 22.1% तथा 49.4% का योगदान रहा. खुदरा एवं कार्पोरेट ऋण में दीर्घावधि वृद्धि के लिए नींव को मजबूत बनाया गया है. बैंक एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के सरकार के उद्देश्यों के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है. एमएसएमई के तहत ऋण 31 मार्च, 2019 को गत वर्ष के रु. 51,730 करोड़ से बढ़कर रु. 55,455 करोड़ हुए वहीं कृषि ऋण गत वर्ष के रु. 49,583 करोड़ की तुलना में सामने 31 मार्च, 2019 में रु. 56,623 करोड़ हो गए.

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

अपने परिचालन मार्जिन को बढ़ाने हेतु हमने दोहरी कार्यनीति अपनाई. प्रथम थी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति की स्ट्रैटेजिक समीक्षा, जिससे विदेशी शाखाओं की संख्या 106 से घटकर 100 हो गई. प्रक्रियाओं को और युक्तिसंगत बनाने की दिशा में कार्रवाई जारी है. कार्यनीति का दूसरा भाग था क्रेता की साख पोर्टफोलियो को घटाकर अधिक प्रतिफल वाले ऋणों के माध्यम से प्रतिफल बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय बहियों को पुनः संतुलित करना. परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2018 के 1.10% से सुधर कर वित्त वर्ष 2019 में 1.71% हुआ.

यूके परिचालनों का रु. 12,395 करोड़ का खुदरा व्यवसाय 17 दिसंबर, 2018 को पूर्णतया स्वामित्व की अनुषंगी के परिचालन शुरुहोने के बाद अंतरित हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की मात्रा में भी गिरावट आई, वहीं कुछ शाखाओं को बंद करने के युक्तिसंगत उपायों से व्यवसाय में रु. 10, 960 करोड़ की गिरावट आई तथा क्रेता की साख पोर्टफोलियो भी रु 34,964 करोड़ से कम हुआ. इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियां रु. 3618 करोड़ से कम हुई एवं ऋण बहियों में भी रु. 4,560 करोड़ की गिरावट आई, वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में 21.92% वृद्धि हुई.

आस्ति गुणवत्ता

हम मानते हैं कि निवल एनपीए स्तर बैंक के वास्तविक जोखिम को दर्शाता है. हमने निवल एनपीए स्तर में राशि वार तथा प्रतिशत वार दोनों को कम करने के हमारे लक्ष्यों पर कार्य करना जारी रखा. वर्ष के दौरान सकल एनपीए एवं निवल एनपीए अनुपात तथा राशि दोनों कम हुए. जीएनपीए एवं एनएनपीए अनुपात गत वर्ष के दौरान के 12.26% तथा 5.49% की तुलना में सुधर कर क्रमशः 9.61% एवं 3.33% हुआ. राशि में शुद्ध एनपीए रु 15,609 करोड़ रहे जो पिछले तीन वर्षों में सब से कम है. इस वर्ष 2019 में बैंक के रु. 15, 519 करोड़ के समेकित परिचालन लाभ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए.

वर्ष के दौरान वसूलियां तथा उन्नयन गत वर्ष के रु. 5,443 करोड़ से बढ़कर रु. 8,759 करोड़ रहे. तकनीकी रूप से बट्टाकृत खातों में वसूलियां भी गत वर्ष के रु. 621 करोड़ की तुलना में रु. 832 करोड़ रही.

विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के अनुसरण के साथ हमने इन आस्तियों के पेटे उच्च प्रावधान कवरेज जारी रखा जिसने आपके बैंक के तुलनपत्र को मजबूती प्रदान की. दिनांक 31 मार्च, 2019 को तकनीकी रूप से बट्टाकृत (टीडब्लूओ) सहित प्रावधान कवरेज रेशियो (पीसीआर) 31 मार्च, 2018 के 67.21% से बढ़ कर 78.68% हुआ. टीडब्लूओ के बिना पीसीआर भी गत वर्ष के 58.42% से बढ़ कर 67.64% हुआ. ये अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक है.

अपेक्षित वसूलियां बेहतर होने के साथ कुछ बड़े एनपीए खातों में एनसीएलटी प्रक्रिया के साथ समाधान होने की उम्मीद है और आस्ति गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में उच्च प्रावधान कवरेज अनुपात क साथ वित्त वर्ष 2020 सकारात्मक रहने की आशा है.

परिचालनगत कार्यनिष्पादन

प्रक्रियाओं एवं उत्पादों में रूपांतरण की दिशा में उठाए गए विभिन्न कदम से बैंक के परिचालनगत कार्यनिष्पादन में निरंतर सुधार हुआ है. समेकित आधार पर परिचालन लाभ 14.4% की वृद्धि के साथ रु. 15,519 करोड़ रहा. निवल लाभ रु. 1,100 करोड़ रहा. स्टैंडअलोन आधार पर, शुद्ध ब्याज आय (एनआईएम) एवं कोर शुल्क आय दोनों में वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2018 में 12,005.6 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में 12.3% की वृद्धि के साथ परिचालन लाभ रु. 13,486.8 करोड़ रहा. निवल ब्याज आय 20.4% की वृद्धि के साथ रु. 18,684 करोड़ पर पहुंची तो औसत आधार पर घरेलू ऋणों में 18% की वृद्धि (वर्षांत क आंकड़ों पर 14.2%) के साथ अग्रिमों पर ब्याज आय में 18.3% की वृद्धि हुई. प्रतिकूल ब्याज दर के परिदृश्य के कारण ट्रेजरी लाभों में रु. 888.1 करोड़ की गिरावट के बावजूद कुल गैर ब्याज आय गत वर्ष के रु. 6,657.2 करोड़ की तुलना में रु. 6,090.8 रही. कोर शुल्क आय में 10.0% की वृद्धि हुई. परिचालनगत व्यय में 11% की वृद्धि हुई जबकि लागत-आय अनुपात गत वर्ष के 45.87% की तुलना में सामान्य सुधार के साथ 45.56% रहा.

परिचालनगत कार्यनिष्पादन में सुधार बढ़े हुए मार्जिन में परिलक्षित हो रहा है. वैश्विक शुद्ध ब्याज आय (एनआईएम) वित्त वर्ष 2018 के 2.43% से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 2.72% रही. घरेलू परिचालनों से एनआईएम भी गत वर्ष के 2.88% से बढ़ कर 2.93% रहा.

वर्ष के दौरान बैंक ने वित्त वर्ष 2018 के रु. 14,211.7 करोड़ की तुलना में 12,192.4 करोड़ का प्रावधान किया और वित्त वर्ष 2018 के रु. 2,431.8 करोड़ की हानि की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में 433.5 करोड़ का लाभ दर्ज किया.

पूंजी

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक का पंजीगत अनुपात पहले की तरह नियामक अपेक्षाओं से भी अधिक स्तर पर 13.42% पर है. भारत सरकार द्वारा रु. 5042 करोड़ के पूंजीयन और रु. 1956 करोड़ के टियर-2 बांड जारी करने के परिणामस्वरूप इसे और बल मिला है. टियर-1 पूंजी 11.55% थी और सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) 10.38% रहा. समेकित समूह पूंजीगत पर्याप्तता 14.52% के उच्चतर स्तर पर रही. आने वाले समय में बैंक वर्ष के दौरान अपने ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संघटनात्मक पूंजी-सृजन के लिए आश्वस्त है.

अगला कदम

हाल ही में संपन्न आम चुनावों के परिणामों से केंद्र में एक स्थिर सरकार बनी है. सरकार द्वारा अपने सुधार कार्य को और आगे बढ़ाने की आशा है. सरकार मूलभूत संरचना को विकसित करने पर अपना कार्य और आगे बढ़ाएगी. सड़क निर्माण, रेलवे, हवाई अड्डे, जलमार्ग और आवास पर और अधिक व्यय किया जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ेगी और लोगों को अपनी आय बढ़ाने के लिए आर्थिक वृद्धि के और अवसर मिलेंगे. यूएस व चीन के बीच चल रहे व्यापार संबंधी विवाद के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के निष्क्रिय रहने की संभावना है परंतु सरकार द्वारा निवेशों में तीव्रता लाने के प्रयासों से घरेलू अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा. साथ ही, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में ग्रामीण भारत को गति प्रदान होने पर उपभोक्ता गतिविधियां भी बढ़ेंगी.

हमारा मानना है कि निवेश व उपभोक्ता मांग का पूरा लाभ उठाने के लिए बैंक पूर्णतः तैयार है. समामेलन के परिणामस्वरूप व्यापक भौगोलिक व ग्राहक पहुंच, नए उत्पादों का प्रारंभ, कुल समय अवधि को कम करने और डिजिटलाइज़ेशन पर ध्यान केंद्रित करने, बैंक विकास और बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थिति में है. हम बैंक को भविष्य की एक विश्व स्तरीय बैंकिंग संस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं, जो उसके सभी हितधारकों के लिए मूल्य संवर्धन करेगा.

मैं निदेशक मंडल के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढ़िया और साथ ही बैंक के निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त हो रहे अध्यक्ष श्री रवि वेंकटेसन तथा बोर्ड के सभी सदस्यों का उनके अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और प्रबंधन के सभी प्रयासों में उनके सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं. मैं समय-समय पर सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को धन्यवाद देता हूं. मैं अपने सभी कर्मचारियों को भी उनके अथक परिश्रम, समर्पण और कटिबद्धता के लिए उनका आभार मानते हुए उनका धन्यवाद करता हूं. बैंक ऑफ बड़ौदा में हम उत्कृष्टता की अपनी इस यात्रा में आपके संरक्षण, समर्थन और सद्भाव की आशा करते हैं.

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MD & CEO'S STATEMENT

P S Jayakumar
Managing Director and CEO

Dear Stakeholder,

It is my pleasure to present before you the highlights of the Bank's performance during the Financial Year 2018-19 (FY 2019). The details of the achievements and the various initiatives are provided in the Annual Report.

Macro-Economic and Banking Overview

After gaining momentum in 2017 and early 2018, global economic growth slowed down from the second half of 2018. Going forward, with waning fiscal stimulus in US and a weaker European economy, the global slowdown is expected to continue in 2019. A prolonged US-China trade war, a no-deal Brexit and rise in oil prices remain key risks to global growth. In this backdrop, the Indian economy continues to be an island of growth. It is one of the fastest growing economies and is well poised to emerge as the world's 5th largest economy in the world in the near future. Structural reforms like GST, Aadhar, Direct Benefit Transfers, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), etc. are expected to provide impetus to the economy. A spurt in investments is expected with the government's sustained efforts towards promoting affordable housing, the 'Make in India' campaign and the focus on building infrastructure. The GDP growth for FY 2020 is projected at 7.2% by RBI.

India further moved up 23 places reaching a rank of 77 on the World Bank's 'Ease of Doing Business Index', 2018. Breaking into the top 50 during the year appears to be within reach now.

The banking sector, especially public sector banks, have been facing multiple challenges including high NPAs, capital crunch and low credit growth. The IBC was expected to provide resolution to stressed assets within a defined time frame. Though the recoveries through IBC mechanism have been large, the resolution has taken longer time than the stipulated limit of a maximum of 270 days in most cases. The real benefits of IBC in terms of lower delinquency and better recovery will be reflected over a longer period. It is critical to note that the implementation of IBC and the revised regulatory framework of resolution of stressed assets is of historic importance and will substantially improve corporate governance standards and inculcate financial discipline in borrowers. RBI's proposed public credit registry for aggregating information about borrowers from multiple agencies at one place will be another major step which is expected to bring down delinquencies significantly.

According to RBI, gross NPAs of SCBs are likely to fall to 10.3% in March 2019 from 11.5% in March 2018. The slippage ratio has already declined from 7.6% as of March 2018 to 4.1% as of September 2018 and provision coverage ratio (PCR) has increased significantly.

On the capital front, the Government has taken a major step in recapitalising the public sector banks. PSBs are far more capitalised today than earlier. With improving asset quality and capital infusion, the credit growth of SCBs which was at around 10% during FY 2015-18 has improved to 13.2% in FY 2019.

Consolidation in the Banking Industry

Consolidation of the public sector banks (PSBs) leading to fewer and stronger banks has been on government's agenda. To reap the benefits of scale and size, this year the government announced the first three-way amalgamation of public sector banks. Vijaya Bank and Dena Bank have amalgamated with Bank of Baroda w.e.f April 1, 2019. The amalgamated entity is now India's second largest public sector bank with a wider geographical reach, 9,500+ branches, 13,400+ ATMs and 84,000+ employees, 120 million+ customers and a business mix of ₹ 15 lakh+ crore.

The consolidation will be beneficial to both the customers and the Bank. The customers will benefit from a wider product range which includes cash management solutions, supply chain financing, asset management, insurance and investment banking supplemented by an enhanced geographical reach. For the Bank, the amalgamation not only increases our market share but also offers long term benefits from realisation of revenue and cost and people synergies.

The Bank's Transformation Journey- Project Navoday

As you are aware, the Bank embarked on a transformational journey – 'Project Navoday' three years ago. Last year, I had detailed the strategic initiatives taken under various streams of functions focused on optimising and centralising processes, building products, platforms and people's capability to gain the competitive edge. During the year, we consolidated the

gains from the above initiatives.

The banking industry is undergoing a rapid technological change. Digital transformation and digitization of traditional banking activities is changing the banking landscape. The transformation is a continuing journey to sustain competitiveness. We, at Bank of Baroda, have adopted a multi-pronged strategy to build the 'Bank of the Future' which is centred around:

1. **Enabling employees to spend their disproportionate time with the customers:** We are working towards this by revamping the branch organization by centralizing the back office processes to a Share Service Centre (SSC); enabling multiple services on an assisted and digitized mode through tablets and introducing more straight through processes (STP). This would ensure that employees spend disproportionate part of their quality time with the customers on sales rather than spending it on delivery processes.

   Our Shared Services Centre continues to add more and more back-office functions under its fold. The centralized functions now include opening of deposit accounts, account management services, processing of mortgage-based retail loans, forex and trade finance operations, call centre, credit card operations and digital banking operations.

2. **Financial planning:** We continue our focus on offering of financial planning and wealth management services to our customer enabling them to meet all their needs towards wealth protection, transaction and leveraging requirements, banking product requirements like for savings, insurance, asset purchase, etc. under one stop to garner a higher share of valet of customers and increasing the fee income.

3. **Banking the eco system:** Recognizing that the digital disruption is leading to platform based eco systems, we are working towards provision of enterprise scale marketplaces for customers to make the Bank as one-stop shop for product discovery and transaction enablement. The development of agri-digital platform named 'Baroda Kisan' to provide solutions for all types of agriculture requirements and number of Fintech alliances entered by the Bank are examples towards enabling the eco system.

4. **Mobility platforms:** The Bank is working towards enablement of multiple services on mobile in self-service mode and on an assisted mode through tablets. This strategy of "Bank-in-a-Box" would enable digitally savvy customers to effectively transact from the comfort of their homes whereas the tablets ensure door-step delivery of banking services.

5. **Analytics and Artificial Intelligence (AI):** Data science and machine learning have profound impacts on businesses and are rapidly becoming critical for differentiation. To benefit from the emerging technologies in this field, we have set up an Analytics and Artificial Intelligence Centre of Excellence (A & AI CoE) which enables us to move towards data-driven decision making by leveraging big data technology and artificial intelligence based real-time analytics.

   We have also set up an IT Centre of Excellence (ITCoE) which became operational during the year. It drives digital transformation through new age digital technologies, a pool of technology resources with varied IT and digital skills and works in collaboration with the Fintech ecosystem to drive disruption. The ITCoE brings together a wide gamut of skill sets across core technology components, technology architecture and emerging technologies like block chain, robotics process automation, open API banking and business process management to improve our technology efficiency and to take new use cases to market at speed.

   During the year, we have set up an Innovation Centre in collaboration with IIT Bombay which provides avenues for developing novel solutions to the challenges and limitations faced by the banking industry today. The Centre is powered by a cohesive ecosystem of financial institutions, academia, VCs, regulators, technology companies, corporates and government organizations.

In January 2018, the Government had announced a reforms agenda for PSBs – Ease of Access and Service Excellence (EASE) which comprised of 140 objectives and benchmarked metrics across 6 themes. The Bank's transformation programme encompassed most of the action points of the agenda. In the final rankings announced by the government, your Bank was placed 2nd in the EASE Index ranking.

Financial Performance

A snapshot of the Bank's performance during FY 2019 is as under:

Deposits Growth

Total deposits grew by 8.0% while growth in domestic deposits was 10.9%. Total deposits and total domestic deposits as on March 31, 2019 were ₹ 6,38,690 crore and ₹ 5,17,966 crore respectively. Accretion to global CASA deposits during the year was ₹ 12,051 crore while domestic CASA deposits increased by ₹ 16,081 crore registering a growth of 5.7% and 8.4% respectively. Percentage of domestic CASA deposits was 40.23%. The Bank has taken a number of steps to ensure sustained growth of these deposits. We have enhanced the gamut of our offerings and optimised our processes. We launched new products like cash management and differentiated wealth management services for various customer segments. We have digitised processes like opening of accounts through tablets and taken multiple steps including provision of door-step banking services, opening of three-in-one trading accounts, revamping of our mobile banking app, launch of m-passbook, launch of mobile app for wealth management, strengthening our e-payments products (RTGS,IMPS,UPI), promoting POS and Bharat QR codes, tie-up with multiple payment aggregators, introducing differentiated debit cards and rebranding our credit cards among others.

Credit Growth

The Bank registered double digit domestic credit growth for the second consecutive year on the back of improved processes after execution of the transformation initiatives. Domestic loan growth was 14.2% during FY 2019, one percentage point higher than the industry growth. The growth momentum was driven by retail loan growth of 24.2% and corporate loan growth of 15.5%. Expansion in the retail loan book was led by home loan and auto loan growth of 22.1% and 49.4% respectively. The building blocks for long-term growth of both retail and corporate loans have been laid down. The Bank is committed to playing a meaningful role in supporting the government's objective of lending to priority sectors led by MSME and agriculture. While loans under MSME grew to ₹ 55,455 crore as on March 31, 2019 from a level of ₹ 51,730 crore last year, the agriculture loan book stood at ₹ 56,623 crore as on March 31, 2019 as against ₹ 49,583 crore last year.

International Business

To improve our operating margins, we adopted a two-pronged strategy for our international business. The first step was a strategic review of our international presence which led to a reduction in the number of overseas branches from 106 to 100. The rationalisation exercise continues. The second part of the strategy was rebalancing of the international book by a reduction in the buyers' credit portfolio to higher yielding loans. As a result, the net interest margin (NIM) of the international operations improved to 1.71% in FY 2019 from 1.10% in FY 2018.

The volume of international business declined on account of transfer of retail business of UK operations aggregating ₹ 12,395 crore to the wholly owned subsidiary which became operational from December 17, 2018; rationalisation leading to closure of some of the branches reducing business by ₹ 10,960 crore and reduction in buyer's credit portfolio by ₹ 34,964 crore. Thus international deposits during the year de-grew by ₹ 3,618 crore and the loan book declined by ₹ 4,560 crore. However, on like-on-like basis, the international business grew by 21.92%.

Asset Quality

We believe that the net NPA level represents the real risk to the Bank. We continue to work towards our goal of reducing the net NPA levels both amount wise and percentage wise. During the year, the ratio of gross NPA and net NPA as well as their absolute amount declined. The gross NPA and net NPA ratio improved to 9.61% and 3.33% as on March 31, 2019 from 12.26% and 5.49% during last year. The absolute amount of net NPA at ₹ 15,609 crore was the lowest in the last over three years. This should be viewed in the context of consolidated operating profit of the Bank at ₹ 15,519 crore for FY 2019.

Recoveries and upgrades during the year were higher at ` 8,759 crore from ₹ 5,443 crore last year. Recoveries from technically written off accounts were also higher at ₹ 832 crore compared to ₹ 621 crore last year.

Following a prudent approach, we continue to maintain a high provision coverage against these assets which provide strength to your Bank's balance sheet. Provision coverage ratio (PCR) including technical write offs (TWO) as of March 31, 2019 increased to 78.68% from 67.21% as of March 31, 2018. PCR without TWO also improved to 67.64 % as of March 31, 2019 from 58.42% last year. These ratios are the highest amongst the public sector banks.

With an expectation of improved recoveries; resolutions of some large NPA accounts anticipated to materialise through the NCLT process and with a high provision coverage ratio, the outlook for FY 2020 appears to be positive on asset quality.

Operating Performance

The various steps taken towards transformation of processes and augmentation of products has led to a consistent improvement in the operating performance of the Bank. On consolidated basis, the operating profit increased by 14.4% to ₹ 15,519 crore. The net profit was ₹ 1,100 crore. On standalone basis, the operating profit increased by 12.3% to ₹ 13,486.8 crore in FY 2019 against ₹ 12,005.6 crore in FY 2018 driven by growth in both the net interest income (NII) and core fee income. The NII grew by 20.4% to ₹ 18,684.0 crore with interest income on advances growing by 18.3%. This was on the back of domestic credit growth of over 18% on an average (14.2% on year-end figures). Total non-interest income was ₹ 6,090.8 crore against last year's level of ₹ 6,657.2 crore, despite a reduction of ₹ 888.1 crore in treasury gains on account of adverse interest rate scenario. Core fee income increased by 10.0%. The operating expenses increased by 11% while cost-to-income ratio marginally improved to 45.56% for FY 2019 as against 45.87% last year.

The improvement in operating performance is reflected in increased margins. Global net interest margin (NIM) improved to 2.72% in FY 2019 from 2.43% in FY 2018. NIM from domestic operations also improved to 2.93% from 2.88% last year.

During the year, the Bank provided ₹12,192.4 crore towards NPAs as against ₹ 14,211.7 crore in FY 2018 and posted a net profit of ₹ 433.5 crore in FY 2019 against a net loss of ₹ 2,431.8 crore in FY 2018

Capital

The capital adequacy ratio of the Bank at 13.42%, as of March 31, 2019, continues to be above regulatory requirements. It was strengthened by a capital infusion of ₹ 5,042 crore by the Government of India and the raising of ₹ 1,956 crore as Tier-2 bonds. The Tier-1 capital was 11.55% and Common Equity Tier-1 (CET-1) was 10.38%. The consolidated group capital adequacy ratio was higher at 14.52%. Going forward, Bank is confident about generation of organic capital to meet the credit requirements of its customers during the year.

The Way Forward

The recent elections have led to the formation of a stable government at the centre. The government is expected to

carry forward the reforms agenda. It will continue to focus on building infrastructure. Higher spending on roads, railways, airports, waterways and housing will boost the economy and provide economic opportunities for citizens to grow and improve their income levels. While the global economy is likely to remain muted on the back of the ongoing trade dispute between US and China, the domestic economy should benefit from the government's investment momentum. In addition, the government's boost to rural India in the form of direct benefit transfer will give an impetus to consumption.

We believe that the Bank is well poised to take advantage of the investment and consumption demand. With a wider geographical and customer reach following the amalgamation, introduction of new products, reduction in turn-around time and focus on digitisation, the Bank is uniquely positioned to grow and gain market share. Our endeavour is to build a future-ready, world-class banking institution that creates value for all its stakeholders.

I would like to acknowledge and thank the Chairman of the Board Dr. Hasmukh Adhia as well as the outgoing Chairman Shri Ravi Venkatesan and all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the management in all our endeavours. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time. I acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment. At Bank of Baroda, we look forward to your continued patronage, support and goodwill as we march ahead on our quest for excellence.

P S Jayakumar
Managing Director and CEO

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

आपके निदेशकगण बैंक की 111वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019) के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा और व्यवसाय तथा परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं.

वित्तीय कार्यनिष्पादन

हमारे बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.18	31.03.19	वृद्धि (%)
जमाराशियां	**5,91,314.8**	**6,38,689.7**	8.0%
जिसमें से - घरेलू जमाराशियां	4,66,973.8	5,17,966.6	10.9%
अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियां	1,24,341.0	1,20,723.2	(2.9%)
घरेलू जमाराशियां	4,66,973.8	5,17,966.6	10.9%
जिसमें से - चालू खाता जमाराशियां	31,193.1	34,327.6	10.1%
बचत बैंक जमाराशियां	1,61,130.0	1,74,076.2	8.0%
कासा जमाराशियां	1,92,323.1	2,08,403.8	8.4%
घरेलू जमाराशियों में घरेलू कासा (%)	41.2	40.2	
अग्रिम (निवल)	**4,27,431.8**	**4,68,818.7**	**9.7%**
जिसमें से - घरेलू अग्रिम	3,24,238.5	3,70,185.0	14.2%
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	1,03,193.3	98,633.8	(4.4%)
कुल आस्तियाँ	**7,19,999.8**	**7,80,987.4**	**8.5%**
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**15,521.8**	**18,683.8**	**20.4%**
अन्य आय	6,657.2	6,090.9	(8.5%)
जिसमें से - शुल्क आय	3,249.7	3,576.1	10.0%
विदेशी आय	909.2	693.2	(23.8%)
व्यापारिक अभिलाभ	1,877.6	989.5	(47.3%)
पीडब्ल्यूओ से वसूली	620.7	832.0	34.0%
एनआईआई + अन्य आय	**22,179.0**	**24,774.7**	**11.7%**
परिचालनगत व्यय	**10,173.4**	**11,288.0**	**11.0%**
परिचालनगत लाभ	**12,005.6**	**13,486.8**	**12.3%**
प्रावधान	**14,796.4**	**12,788.7**	**(13.6%)**
जिसमें से - एनपीए व बट्टाकृत अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	14,211.7	12,192.4	(14.2%)
कर पूर्व लाभ	(2,790.7)	698.2	
कर हेतु प्रावधान	(358.9)	264.6	
निवल लाभ	**(2,431.8)**	**433.5**	
विनियोजन / अंतरण			
सांविधिक प्रारक्षित निधि	0	108.4	
पूंजी प्रारक्षित निधि	0	210.4	
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि			
i) सामान्य प्रारक्षित निधि	(2431.8)	0	
ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (I) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि	0	182.1	
प्रस्तावित लाभांश	0	0	

(रुपये करोड़ में)

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	31.03.18	31.03.19
निधियों की औसत लागत (%)	4.56	4.83
औसत अर्जन (%)	6.84	7.28
औसत ब्याज अर्जन आस्तियाँ	6,37,987.0	6,86,743.0
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं	6,16,243.9	6,48,495.6
निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.43	2.72
लागत-आय अनुपात (%)	45.87	45.56
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%)	(0.34)	0.06
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	(7.64)	1.18
प्रति शेयर बही मूल्य (रूपये)	120.28	138.42
ईपीएस (रूपये)	(10.53)	1.64

सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए संरचनात्मक परिवर्तन का फल अंततः वित्तीय वर्ष 2019 में देखने को मिला. दिवाला और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के लागू होने से बैंकिंग प्रणाली में नकदी वसूली की प्रक्रिया में सुधार आया है. इसके अतिरिक्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के अग्रिमों में गैरनिष्पादित आस्तियों का अनुपात कम होना शुरू हो कर मार्च 2018 के 11.5% की तुलना में सितंबर 2018 में 10.8% हो गया है. वर्ष के दौरान गैर निष्पादक आस्ति ऋणों में गिरावट के साथ ऋण में स्थिर आंशिक वृद्धि से बैंकिंग प्रणाली के परिचालनगत कार्यनिष्पादन में अन्तर्निहित सुधार के संकेत दिख रहे हैं. तथापि, जमाराशियों में वृद्धि एक चुनौती रही है. बैंक ने जमाराशियों में बढ़ोतरी हेतु ब्याज दर भी बढ़ाए हैं और इससे बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों का अधिक प्रवाह सुनिश्चित होगा.

वित्तीय वर्ष 2019 में बैंक की घरेलू जमाराशियों में वित्तीय वर्ष 2018 के 6.1% की तुलना में 10.9% की वृद्धि हुई है. घेरलू अग्रिम वृद्धि 14.2% रही जो बैंकिंग उद्योग की वृद्धि स्तर से अधिक है तथा इससे निवल ब्याज आय (एनआईआई) में 20.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस प्रकार घेरलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्जिन दोनों में बढ़ोतरी दर्ज हुई. वित्तीय वर्ष 2019 में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.43% से सुधरकर 2.72% हुई. लागत-आय अनुपात आंशिक कमी के साथ 45.56% रहा.

बैंक ने 12.3% की वृद्धि के साथ रू 13,486.8 करोड़ का परिचालनगत लाभ दर्ज किया. कुल प्रावधान (कर के अलावा) एवं आकस्मिकताएं में 13.6% और एनपीए के लिए प्रावधान में 14.2% की कमी दर्ज की गई. बैंक ने रू 433.5 करोड़ का निवल लाभ पोस्ट किया.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

% में अनुपात

	31.03.18	31.03.19
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III	12.13	13.42
सीईटी-I	9.23	10.38
टीयर-I	10.46	11.55
टीयर-II	1.67	1.87

दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) और सीईटी-1 के अनुसार क्रमशः 13.42% और 10.38% रहा. समेकित समूह पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.52% रहा.

दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक की निवल मालियत रू 36,620 करोड़ रही जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी रू 530 करोड़ रही, प्रारक्षित निधि रू 31,047 करोड़ रही (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षित निधियां और अन्य अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) और आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि रू 5,042 करोड़ रही. शेयर (अंकित मूल्य रू 2) की बुक वैल्यू रू 138.42 रही.

लाभांश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश प्रदान करने हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड पर खरा नहीं उतर पाने के कारण बैंक वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश भुगतान करने हेतु पात्र नहीं है.

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

चालू वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है और यह कैलेंडर वर्ष 2017 में 3.8 % तक बढ़कर और अब पुनः घटकर कैलेंडर वर्ष 2018 में 3.6 रही. इस कैलेण्डर वर्ष की दूसरी छमाही में इसमें आई गिरावट स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2020 में 3.6% बढ़ने से पहले चालू वर्ष 2019 में वैश्विक वृद्धि की यह दर और भी घटकर 3.3% के स्तर पर आ जायगी. वैश्विक वृद्धि में आई यह गिरावट मुख्य रूप से यूरोप और चीन में आई मंदी के चलते हुई है. यहां तक कि यू.एस हाउसिंग सेक्टर में भी यू. एस. फेडरल रिजर्व की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय वृद्धि के बाद कुछ मंदी नजर आई. वैश्विक मंदी के अन्य प्रमुख कारणों में ब्रेक्जिट, यू. एस और चीन द्वारा आरोपित टैरिफ एवं यू एस राजकोषीय प्रोत्साहन में आई तेजी भी शामिल हैं.

आईएमएफ के अनुसार चालू कैलेण्डर वर्ष 2019 की दूसरी छमाही के दौरान इसमें बड़े केंद्रीय बैंकों की सशक्त वित्तीय नीतियों, अमरीका व चीन के सकारात्मक कारोबारी सम्बन्धों की संभावनाओं और चीन के राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण कैलेण्डर वर्ष 2020 के दौरान इसमें दुबारा तेजी आयेगी. उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण इसकी दर जो कि वर्ष 2018 के दौरान 4.5 %, वर्ष 2019 में 4.4% तक थी, अब वह वर्ष 2020 के दौरान बढ़ाकर फिर से 4.8 % हो जाएगी. समुन्नत अर्थव्यवस्था से यह मामूली वृद्धि जारी रहेगी एवं कैलेण्डर वर्ष 2018 में 2.2 और कैलेण्डर वर्ष 2019 में 1.8% की तुलना में कैलेण्डर वर्ष 2020 में 1.7% रहने की संभावना है. वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम अमेरिका और अन्य देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव का समाधान न होना और भू-राजनैतिक जोखिम के परिणामतः तेल की कीमतों में वृद्धि से पुनः उभर सकता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2019 में मंद वृद्धि देखने को मिली जो वि.व. 2018 के 7.2% से घट कर 7% पर आ गयी. यह इन पांच वर्षों में सबसे धीमी गति की वृद्धि रही. यह गिरावट मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में चल रही मंदी के कारण हुई जोकि वि.व. 2018 में 5% की वृद्धि दर से काफी कम होकर वि.व 2019 में केवल 2.7% अपेक्षित है. खरीफ व रबी की बोई गई फसलों में कहीं-कहीं पर और समान्य से कम वर्षा के कारण हानि हुई. आंतरिक एवं बाहरी मांगों में कमी आ जाने से वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान विनिर्माण के क्षेत्र में मंदी का दौर रहा. राज्य सरकारों द्वारा भवन निर्माण पर अधिक व्यय करना ही रोशनी की एकमात्र किरण थी.

वित्तीय वर्ष 2019 विकास के साथ रिटेल मुद्रास्फीति की दर में वित्तीय वर्ष 2018 के 3.6% की तुलना में 3.4% गिरावट आई. ऐसा वित्त वर्ष 2019 के दौरान 0.2 % की खाद्य मुद्रास्फीति के कारण हुआ जो कि वित्त वर्ष 2018 में 1.8 % थी. दूसरी ओर कोर मुद्रास्फीति विगत वर्ष के 4.6 % के स्तर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 5.8% हो गई. वित्त वर्ष 2019 की पहली छमाही के दौरान तेल की कीमतों में वृद्धि एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी व्यय में शिथिलता आ जाने से ग्राहक मूल सूचकांक में भी वृद्धि हुई. हालांकि वर्ष के अंत में कोर मुद्रास्फीति में तेजी से सामान्य हुई.

घरेलू खपत में चक्रीय मंदी देखने को मिली जहां ऑटो बिक्री में गिरावट हुई और तेल, सोना को छोड़कर अन्य वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक आयातों में कमी आई. तथापि (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) जैसे उपायों की घोषणा और आगामी तिमाहियों में सरकारी खर्च में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को अपेक्षित ऊर्जा प्राप्त हो सकती है. इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वहनीय लागत पर आवास प्रदान करने और मूलभूत संरचना के विकास के लिए सरकार के प्रयासों से निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग पूरी हो सकेगी.

भारतीय बैंकिंग में विकास

विकास और महंगाई बढ़ने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉलिसी दर में कटौती की है. स्थिति में परिवर्तन तथा पॉलिसी दर में कटौती के पूर्वानुमान की वजह से सरकार के 10-वर्ष के बॉन्ड के प्रतिफल में कमी आई है जो वित्तीय वर्ष 2019 की पहली छमाही में बढ़ कर 8.18% प्रतिशत रहा था. यह एफपीआई बहिर्प्रवाह की पृष्ठभूमि में चलनिधि कमी के कारण हुआ. तेल की अधिक कीमतें तथा एनबीएफसी नकदी संकट भी प्रतिफल पर दबाव के कारण बने. इसके चलते भारतीय रिज़र्व बैंक रू 2.99 लाख करोड़ के ऑपेन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) तथा यूएसए स्वैप के रूप में ड्यूरेबल नकदी इन्फ्यूजन का कार्य किया. वित्तीय वर्ष 2019 के उत्तरार्ध में वैश्विक विकास में मंदी के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक सेंट्रल बैंकों के शांतिपूर्ण आउटलुक के कारण प्रतिफल में गिरावट आई.

वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली में क्रेडिट की वृद्धि जारी रही. बैंकिंग प्रणाली का क्रेडिट विकास दिनांक 31 मार्च, 2018 के 10.0% से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2019 को 13.2% हो गया. जमाराशियों में वृद्धि जो कम थी उनमें भी सुधार देखने को मिला और मार्च 2018 के 5.8% की तुलना में यह मार्च 2019 को 10.0% रही. यह बैंकों द्वारा अधिक ब्याज दर दिए जाने के कारण संभव हो सका.

वित्तीय वर्ष 2019 में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में रू 1.06 लाख करोड़ तक के पुनःपूंजीकरण के कारण बैंकों में क्रेडिट वृद्धि हुई. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधार बैंकिंग प्रणाली की दबावग्रस्त आस्तियों में अंतर्निहित सुधार के रूप में भी देखे जा सकते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि मार्च 2019 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल एनपीए अनुपात मार्च 2018 के 11.5% की तुलना में घट कर 10.3% हो जाएगा. स्लिपेज अनुपात मार्च 2018 के 7.6% की तुलना में सितंबर 2018 में 4.1% रहा. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में भी मार्च 2018 के स्तर से महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है. ये सारे सूचक आने वाले वर्षों में बैंकिंग उद्योग जगत में एक जोरदार सुधारात्मक उछाल की ओर संकेत देते हैं.

वर्ष के दौरान दूसरा महत्वपूर्ण सुधार था बैंकों का समामेलन जिसकी अनुशंसा पहले की कई समितियों जैसे कि नरसिम्हन समिति से लेकर नायक समिति ने अपनी सिफ़ारिशों में की थी. भारत सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए तीन बैंकों, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और देना बैंक और विजया बैंक का आपस में विलय किया जिसके बाद बैंक ऑफ़ बड़ौदा देश का सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर अनर्जक आस्तियों के निपटान और वसूली तथा डिजिटल रूप से उधार एवं समेकन की दिशा में उठाए गए सुधारों को देखते हुए बैंकिंग उद्योग जगत में मध्यम अवधि में लाभप्रदता में जबर्दस्त वृद्धि देखी जा सकती है.

व्यवसाय - कार्यनिष्पादन

हमारे बैंक के व्यवसाय - कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

संसाधन संग्रहण एवं ऋण विस्तार:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.18	31.03.19	वृद्धि (%)
जमा राशियां	**5,91,314.8**	**6,38,689.7**	**8.0%**
जिसमें से - घरेलू जमा राशियां	4,66,973.8	5,17,966.6	10.9%
अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां	1,24,341.0	1,20,723.2	(2.9%)
घरेलू जमा राशियां	**4,66,973.8**	**5,17,966.6**	**10.9%**
जिसमें से - चालू खाता जमा राशियां	31,193.1	34,327.6	10.1%
बचत बैंक जमा राशियां	1,61,130.0	1,74,076.2	8.0%
कासा जमा राशियां	1,92,323.1	2,08,403.8	8.4%
घरेलू कासा जमा राशियां (%)	**41.2**	**40.2**	
अग्रिम	**4,27,431.8**	**4,68,818.7**	**9.7%**
जिसमें से - घरेलू अग्रिम	3,24,238.5	3,70,185.0	14.2%
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	1,03,193.3	98,633.8	(4.4%)
कुल आस्तियां	**7,19,999.8**	**7,80,987.4**	**8.5%**

पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू कासा में 8.4% की वृद्धि दर्ज हुई. वित्तीय वर्ष के लिए कासा अनुपात 40.0% से अधिक के स्तर पर बना रहा. सावधि जमाराशि में 12.7% की वृद्धि दर्ज की गई जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगुनी है.

कासा पोर्टफोलियो में वृद्धि करने के लिए, बैंक ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान 94,52,510 नये खाता खोले हैं. बैंक ने अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करने और ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं. बचत खाते के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को टैबलेट्स के माध्यम से डिजिटाइज्ड किया गया है, जिसमें केवल कुछ मिनटों का टर्न अराउंड टाइम है. 70% से अधिक खाते (नॉन एफआई), टैब बैंकिंग के माध्यम से खोले गए हैं. बैंक ने गैर-वैयक्तिक डेबिट कार्ड जारी करने की भी पहल की है. बैंक डिजिटल माध्यम से चालू खाते खोलने की प्रक्रिया भी शुरू करने की योजना बना रहा है.

बैंक ने कासा व सावधि जमा में वृद्धि लाने हेतु इसके अंतर्गत महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, अप्रवासियों एवं वेतनभोगियों को छूट देते हुए अलग-अलग प्रकार की नई योजनाएँ भी आरंभ की हैं. बैंक को अपने ग्राहकों से इन योजनाओं के कारण काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है. बैंक ने अपने रिटेल ग्राहकों के लिए पाइलट आधार पर **बैंकिंग सेवा - आपके द्वार** (**डोर स्टेप बैंकिंग**) की भी शुरूआत की है.

हमारे बैंक द्वारा इस वर्ष ऑनलाइन मैट और ट्रेडिंग खाते खोलने की शुरूआत की गई है और इस क्षेत्र में बैंक अन्य अनुसूचित बैंकों के मुक़ाबले ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने में अग्रणी बन गया है. एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) में बैंक को वित्त वर्ष 2018 हेतु बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (बीएसई) द्वारा आईपीओ/ एफ़पीओ के सेगमेंट के प्राइमरी मार्केट में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कार मिला है.

ऋण विस्तार

वित्त वर्ष 2019 के दौरान बैंक ने विविधतापूर्ण क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ मार्केट शेयर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज करना जारी रखा. वर्ष के दौरान बैंकिंग उद्योग जगत के 13.2% वृद्धि की तुलना में बैंक के घरेलू अग्रिमों में 14.2% की वृद्धि हुई. यह वृद्धि बैंक के खुदरा कारोबार सहित सभी वर्टिकलों में वृद्धि के कारण हुई. यह वृद्धि रिटेल ऋण में 24.2% रही जबकि आवास ऋण और वाहन ऋण में क्रमशः 22.2% और 49.4% रही तथा कॉर्पोरेट ऋण में वृद्धि 15.6% रही. वर्ष के दौरान रिटेल ऋण के तुलन में घरेलू ऋण अनुपात भी 19.6% से बढ़कर 21.5% हो गया. बैंक के अंतरराष्ट्रीय ऋण बही में भी 4.4% की गिरावट दर्ज की गई जो कि पुनः-संतुलन और क्रेता की साख पर उधार में गिरावट के कारण दर्ज की गई.

बैंक की कुल आस्तियां 31 मार्च, 2018 को रु 7,19,999.8 करोड़ से 8.5% की दर से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 7,80,987.4 हो गईं.

परिचालनगत कार्यनिष्पादन

बैंक की परिचालनगत कार्यनिष्पादन संबंधी महत्वपूर्ण बातें निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.18	31.03.19	वृद्धि (%)
अर्जित ब्याज	43,648.5	49,974.1	14.5%
दिया गया ब्याज	28,126.8	31,290.3	11.2%
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**15,521.8**	**18,683.8**	**20.4%**
अन्य आय	6,657.2	6,090.9	(8.5%)
जिसमें से - शुल्क आय	3249.7	3,576.1	10.0%
फॉरेक्स आय	909.2	693.2	(23.8%)
ट्रेडिंग लाभ	1,877.6	989.5	(47.3%)
पीडब्ल्यूओ से वसूली	620.7	832.1	34.0%
परिचालनगत आय एनआईआई + अन्य आय	**22,179.0**	**24,774.7**	**11.7%**
परिचालनगत व्यय	10,173.4	11,287.9	11.0%
कर्मचारी व्यय	**4,606.9**	**5,039.1**	**9.4%**
अन्य परिचालनगत व्यय	5,566.5	6,248.9	12.3%
परिचालनगत लाभ	**12,005.6**	**13,486.8**	12.3%
प्रावधान	**14,796.4**	**12,788.7**	**(13.6%)**
जिसमें से - एनपीए और बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	14,211.7	12,192.4	(14.2%)
मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	(369.0)	(35.49)	
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	768.2	138.5	(82.0%)
अन्य प्रावधान	185.5	493.3	166.1%
कर पूर्व लाभ	(2,790.7)	698.2	
कर हेतु प्रावधान	(358.9)	264.6	
निवल लाभ	(2,431.8)	433.5	

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	31.03.18	31.03.19
जमाराशियों की लागत -वैश्विक- (%)	4.50	4.68
जमाराशियों की लागत - घरेलू - (%)	5.48	5.33
जमाराशियों की लागत - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	1.33	1.89
अग्रिम पर प्रतिफल - वैश्विक - (%)	7.13	7.65
अग्रिम पर प्रतिफल - घरेलू - (%)	8.87	8.67
अग्रिम पर प्रतिफल - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	2.70	4.12
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक - (%)	2.43	2.72
निवल ब्याज मार्जिन -घरेलू - (%)	2.88	2.93
निवल ब्याज मार्जिन -अंतर्राष्ट्रीय - (%)	1.10	1.71
लागत-आय अनुपात (%)	45.87	45.56
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%)	(0.34)	0.06
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	(7.64)	1.18

बैंक की ब्याज आय 14.5% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2018 में रु 43,648.5 करोड़ से वित्त वर्ष 2019 में रु 49,974.1 करोड़ हुई. अग्रिमों पर आय 7.13% से बढ़कर 7.65% हुई. घरेलू अग्रिमों पर प्रतिफल वित्त वर्ष 2018 के 8.87% की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में 8.67% रहा. यह गिरावट उच्च गुणवत्ता वाले उधारकर्ताओं को क्रेडिट मिक्स में निहित परिवर्तन के कारण हुई. अंतर्राष्ट्रीय ऋण बही में क्रेता की साख पर उधार जैसी कम मार्जिन वाले उत्पादों के महत्व को कम दर्शाते हुए आय में वृद्धि हुई. कुल ब्याज खर्च वित्त वर्ष 2018 में रु 28,126.8 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में रु 31,290.3 करोड़ रहा. घरेलू जमा राशियों की लागत जो वित्त वर्ष 2018 में 5.48% थी वह वित्त वर्ष 2019 में घटकर 5.33% हुई. वैश्विक स्तर पर प्रचलित ब्याज दर के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय बहियों में जमा राशियों की लागत 1.33% से बढ़कर 1.89% हुई. बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) वित्त वर्ष 2018 के रु15,521.8 करोड़ के स्तर में 20.4% वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2019 में 18,683.8 करोड़ के स्तर पर पहुंची. शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2019 के दौरान 2.43% से बढ़कर 2.72% हुई. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एनआईएम क्रमशः 2.88% से बढ़कर 2.93% तथा 1.10% से बढ़कर 1.71% हो गया. बैंक का ट्रेजरी अभिलाभ 47.3% की गिरावट के साथ रु 989.5 करोड़ हो जाने के कारण अन्य आय भी 8.5% की गिरावट के साथ रु 6,090.8 करोड़ रही. बट्टाकृत खातों में वसूली 34% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु 832 करोड़ के उच्च स्तर पर रही.

वित्त वर्ष 2019 में परिचालन व्यय 11.0% की वृद्धि के साथ रु 11,287.8 करोड़ रहा. कर्मचारी लागत वर्ष के दौरान 9.4% की वृद्धि के साथ रु 5,039.1 करोड़ रही एवं अन्य परिचालन व्यय 12.3% की वृद्धि के साथ रु 6,248.9 करोड़ रहा. बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2019 के दौरान 12.3% की वृद्धि दर्शाते हुए रु 13,486.8 करोड़ रहा. वित्त वर्ष 2019 में कुल प्रावधान (कर के अलावा) एवं आकस्मिकताएं 13.6% की गिरावट के साथ रु 12,788.7 करोड़ तथा एनपीए पर प्रावधान 14.2% की गिरावट के साथ रु 12,192.4 करोड़ रहा. परिणामस्वरूप बैंक ने वित्त वर्ष 2018 में हुई रु 2,431.8 करोड़ की हानि के सापेक्ष वित्त वर्ष 2019 में रु 433.5 करोड़ का लाभ दर्ज किया.

बैंक की मध्यम व दीर्घावधि कार्यनीति

बैंक ने भविष्य में विश्वस्तरीय बैंक होने के लिए अनेक कार्यनीतियां तैयार की हैं. बैंक आंकड़ों (डाटा) के सामर्थ्य, डिजिटाइजेशन एवं तकनीक के माध्यम से बैंकिंग के रूपांतरण में विश्वास रखता है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा न सिर्फ अपने आईटी के आधार को मजबूत करने बल्कि आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म सृजित करने हेतु महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है और तकनीक क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों और/ अथवा फिनटेक जैसे स्टार्टअप से साझेदारी कर रहा है, ताकि अगली पीढ़ी के ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सके. बैंक ने एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता हेतु दो अत्याधुनिक व विशिष्ट केंद्रों की स्थापना की है जिनसे इन क्षेत्रों में हम और भी सक्षम हो सकें. बैंक ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जिससे ग्राहक विभिन्न तरह के ऑनलाइन लेन-देन कर सके और सरलतम बैंकिंग सुविधाएं और जानकारियां प्राप्त कर सके. बैंक ऑफ़ बड़ौदा एक ज्ञानार्जन संगठन के रूप में भी विकसित होने हेतु अपने कार्मिकों के ज्ञानवर्द्धन के लिए भी पर्याप्त निवेश कर रहा है. बैंक परिचालन के विकेंद्रीकरण एवं डिजिटाइजेशन पर बल दे रहा है जिससे कर्मचारी ग्राहकों के प्रति अपनी भूमिका पर अधिक ध्यान दे सके.

प्रोजेक्ट नवोदय - बैंक के रूपांतरण की यात्रा

मध्यम और दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए नवोदय परियोजना का परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) कारोबार इकाइयों और सहयोगी कार्यों जैसे कि आईटी, एचआर, परिचालन व सेवाएं में बहुआयामी पहलों पर नजर रखता है.

रुपांतरण की यात्रा के एक भाग के रुप में विभिन्न कारोबारों में किए गए रणनीतिक पहल के साथ-साथ शेयर्ड सेवाएं केन्द्र भी केन्द्रीकरण और डिजिटाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिससे ग्राहकों के लिए लगने वाले समय में कमी आती है और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्राप्त होती है. बैंक 'ब्रिकी और सेवा' की तर्ज पर अपने परिचालनात्मक इकाइयों में बड़ा परिवर्तन ला रहा है. जमा खाते अब डिजिटल मोड में टैबलेट पर खोले जा रहे हैं और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र में ऋण प्रस्तावों की प्रोसेसिंग की जा रही है. बैक ऑफिस कार्य शाखाओं से हटाए गए हैं जिससे शाखाएं अपना समय अधिक उत्पादक ढंग से ब्रिकी और विपणन प्रतिनिधियों पर लगा सकेंगी. बैंक इससे उच्चतर उत्पादकता और बेहतर नियंत्रण वातावरण के बनने से लाभान्वित होता है.

कृषि, ई-कॉमर्स व फिनटेक के क्षेत्र में बाजार में नामी संस्थाओं के साथ रणनीतिक गठबंधन किए जा रहे हैं जिससे बाजार में बैंक का कारोबार और मार्केट शेयर बढ़ रहा है. अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के सरलीकरण की रणनीति व उसके साथ फंजीबल क्रेडिट लिमिट से विदेशों में अधिक लाभदायी परिचालनों का मार्ग खुला है.

एक पुनर्संरचित पुरस्कार, पहचान और कर्मचारी नियोजन फ्रेमवर्क से बैंक के कर्मचारी के साथ बैंक के विकास का सिद्धांत भी अधिक प्रभावी हुआ है. बैंक ने ग्राहक वर्ग पर अत्यधिक विशिष्ट सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्पादों के क्रॉस सेलिंग की व्यवस्था की है. आईटी और एनालिटिक्स के उत्कृष्टता केंद्र, अत्याधुनिक तकनीक और उन्नत आधुनिक उपकरण अपनाते हुए व्यापार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं.

बैंक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी समामेलन के आलोक में इन पहलों की परिधि को व्यापक करते हुए इससे और अधिक लाभ उठाने के लिए कार्यरत है.

कॉर्पोरेट क्रेडिट

बैंक में कॉर्पोरेट ऋण सेवाएं, 10 कॉर्पोरेट वित्त सेवा शाखाओं (सीएफएस) और 4 इमर्जिंग कॉर्पोरेट शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं जो बैंक के कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो के लगभग 80% हिस्से का प्रबंधन करती हैं. वित्त वर्ष 2019 के दौरान कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो 15.6% की वृद्धि के साथ रु 185,943 करोड़ रहा है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट क्रेडिट ने पूर्व में शुरू किए गए परिवर्तन के लाभों को फिर से प्राप्त किया. कॉर्पोरेट क्रेडिट संवितरण की दिशा में पुनर्सुधार के साथ वित्त वर्ष 2019 के दौरान पोर्टफोलियो के तहत ऋण गुणवत्ता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो कि घरेलू ऋण पोर्टफोलियो में निम्नानुसार रेटिंग डिस्ट्रिब्यूशन के निर्धारण से प्रतीत होता है :

क्रेडिट रेटिंग डिस्ट्रिब्यूशन*	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
ए एवं उससे ऊपर	39.27%	52.37%	60.21%
बीबीबी	15.77%	14.90%	13.82%
बीबीबी से नीचे	21.80%	19.72%	15.86%
अनरेटेड	23.16%	13.01%	10.11%

* रु 5 करोड़ से अधिक के अग्रिम की बाह्य रेटिंग डिस्ट्रिब्यूशन

लक्ष्य बाजार दृष्टिकोण : वित्त वर्ष 2020

वर्ष के दौरान, क्रेडिट प्रदर्शन में सुधार करने, पूंजी का लाभदायक नियोजन सुनिश्चित करने, समग्र आय और लाभप्रदता का अनुकूलन करने एवं कार्यनिष्पादन तथा बढ़ते क्षेत्रों में बैंक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्यों के आधार पर लक्ष्य बाजार दृष्टिकोण को और तीव्र बनाया गया.

इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित संरचनात्मक ढांचा अपनाया गया : -

- उद्योग आउटलुक अर्थात् बाजार के आकार, विकास सूचकांकों, मांग-आपूर्ति दृष्टिकोण, लागत संरचना, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय कार्यनिष्पादन, सरकार की नीतियों और निवेश की रूपरेखा सहित विभिन्न उद्योग मापदंडों का संयुक्त उत्पादन के आधार पर उद्योगों / क्षेत्रों की पहचान.
- एक्सपोज़र कैप, मौजूदा एक्सपोज़र तथा चालू वित्त वर्ष के लिए नए अर्जन हेतु क्षमता पर आधारित लक्ष्य बाजार ऋण देने हेतु क्षेत्रवार व्यवसाय योजना.
- परिभाषित पूर्व-चयन मानदंडों के साथ, अर्थात् रेटिंग, वित्तीय पैरामीटर जैसे कि राजस्व, कर पश्चात लाभ (पीएटी), निवल मूल्य, सकल पूंजी, वित्तीय अनुपात, अर्थात् उत्तोलन अनुपात (ऋण इक्विटी अनुपात डी / ई, नेट ऋण / ईबीआईटीडीए, लाभप्रदता अनुपात (निवल लाभ/बिक्री, सकल लाभ/ बिक्री), परिचालनगत लाभ मार्जिन, नकदी उपचय / ऋण आदि के साथ कॉर्पोरेट का निर्धारण एवं समुचित सावधानी
- व्यवसाय के अवसरों के निर्धारण, अनुमोदन एवं क्लोज़र हेतु सुव्यवस्थित कॉलिंग योजना के साथ सटीक लेखा आयोजन.
- बैंक भर में समर्पित रिलेशनशिप प्रबंधकों के माध्यम से टार्गेट मार्केट अप्रोच के तहत व्यवसाय योजना का निष्पादन.

बैंक द्वारा अपनाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के तहत -9- सेक्टरों के साथ -476- कॉरपोरेट्स की पहचान की गई, -121- लीड जनरेट हुई जिनमें से -87- लीड्स रु 33,127 करोड़ तक की राशि के व्यवसाय में परिवर्तित हुई. इस कार्यनीति के साथ आगे बढ़ते हुए, -809 - कॉर्पोरेट (मिड-कॉर्पोरेट ग्राहकों सहित) को वित्त वर्ष 2020 में लक्षित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु ग्राहकों के लिए उन्नत ग्राहक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एवं निर्बाध लेनदेन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने पूरी तरह से डिजिटलीकृत और एकीकृत व्यापार प्रणाली, बड़ौदा इंस्टा (बड़ौदा एकीकृत समाधान कारोबार वित्त पहुंच के लिए), की शुरूआत की है जो स्विफ्ट सुविधायुक्त है और पूरी तरह से डिजीटल लेनदेन एवं प्रोसेसिंग क्षमता रखती है. वर्तमान में सभी आयात और निर्यात संबंधित लेनदेन बड़ौदा इंस्टा के माध्यम से किए जाते हैं. बड़ौदा इन्स्टा कार्पोरेट्स को मोर्चा एवं पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन का अनुरोध करना कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए सुविधाजनक होता है और इससे परिचालन सुरक्षा और बेहतर निरंतरता एवं गवर्नेंस के साथ बेहतर प्रशासन होता है. यह आकर्षक और सुविधाजनक डैशबोर्ड के साथ एक उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुप्रयोग है, जो ग्राहकों के लिए व्यापक एमआईएस, रिपोर्ट, कूरियर ट्रैकिंग, कैलेंडर (नियत तारीख रखरखाव के लिए), आदि जैसी कई विशेषताओं के साथ लेनदेन का वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रदान करता है.

एमएसएमई ऋण

बैंक 'एसएमई लोन फैक्टरी' नामक 42 समर्पित एसएमई शाखाओं के माध्यम से एमएसएमई खंड पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और शाखाओं के व्यापक नेटवर्क द्वारा बाजार दृष्टिकोण को साधते हुए सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है.

रोजगार सृजन के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत सरकार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने रु 6,023 करोड़ का ऋण प्रदान किया है. स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ से अब तक बैंक ने योजना के अंतर्गत अजा, अजजा एवं महिला उद्यमियों को रु 1,154 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है. बैंक का एमएसएमई क्रेडिट पोर्टफोलियो 31 मार्च 2018 को रु 51,730 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को बढ़कर रु 55,455 करोड़ हो गया. बैंक ने वित्त वर्ष 2019 में 93,994 नए एमएसएमई ग्राहक जोड़े ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम (टीआरईडीएस) पर एमएसएमई को प्रतिस्पर्द्धी दरों पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए बैंक ने शुरूकिए गए तीनों टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर स्वयं को ऑनबोर्ड किया है. 31 मार्च 2019 को टीआरईडीएस व्यवसाय रु 223 करोड़ लेखांकित किया गया.

''पीएसबीलोंसइन59मिनट्स' पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई ऋण की त्वरित मंजूरी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की पहल के समर्थन में कार्य करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने 31 मार्च 2019 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त किया. जीएसटी क्रियान्वयन के कारण एमएसएमई की कार्यशील पूंजी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए जीएसटी रिसीवेबल्स के पेटे वित्तपोषण करने हेतु एक विशेष उत्पाद तैयार किया है. 31 मार्च 2019 को सप्लाई चेन फायनांस के आंकड़े रु 452 करोड़ हैं जो पूर्ण डिजिटलीकृत सप्लाई चेन फायनांस उत्पाद द्वारा समर्थित हैं और जिसने एमएसएमई ग्राहकों, विशेष तौर पर वेंडरों और ऐंकर कॉर्पोरेटों के आपूर्तिकर्ताओं को ऋण स्रोत के लिए एक नया माध्यम उपलब्ध कराया है.

इसके अतिरिक्त, बैंक के पास एसएमई क्लस्टरों को वित्तपोषित करने के लिए 6 क्षेत्र विशेष योजनाएं हैं. इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक में एमएसएमई इकाइयों को सुविधा उपलब्ध करवाने वाले उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 26 हो गई जिसमें विशेष उत्पाद भी शामिल हैं. हमने रु 25 लाख से अधिक और रु 5 करोड़ तक के ऋण जोखिमों वाले एमएसएमई उद्यमों के लिए सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर) आधारित मूल्य निर्धारण नामक नई मूल्य निर्धारण नीति को अपनाया है जिससे एमएसएमई व्यवसाय को एमसीएलआर + 0.05% जैसी कम प्रतिस्पर्द्धी दरों पर बैंक वित्तपोषण प्राप्त होना संभव हो पाया है. नई व्यवसाय संभावनाओं तक पहुंचने और एनबीएफसी की तुलना में कम ब्याज दरों का लाभ प्रदान करने के लिए बैंक विभिन्न एनबीएफसी के साथ सह प्रवर्तन कर रहा है.

एमएसएमई खंड के लिए वाणिज्यिक वाहनों एवं निर्माण एवं खनन उपकरणों को वित्तपोषित करने के लिए बैंक ने एमएसएमई ऋण फैक्ट्री में पदस्थ एक समर्पित टीम तैयार की है. इस उद्देश्य से, वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में नया व्यवसाय प्राप्त करने के लिए बैंक ने टाटा मोटर फायनांस लिमिटेड के साथ नीतिगत गठबंधन किया है. इसके अलावा बैंक ने एक नई योजना 'वैल्यू चैन फायनांस' जो विशेष रूप से अधिकतम रु 2000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बनाई गई है, के अंतर्गत क्लाइंट्स के साथ करार किया है.

एमएसएमई बाजार खंड तक अपनी बेहतर पहुंच बनाने के लिए बैंक ने एसएमई लोन फैक्ट्रियों, अंचलों, क्षेत्रों एवं कार्पोरेट कार्यालय में बिक्री एवं ऋण प्रोसेसिंग के लिए एक अलग विशेष समर्पित टीम का गठन किया है. अंडरराइटिंग, त्वरित टर्नअराउंड टाइम और समय पर संग्रहण में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने दो केंद्रों पर यथा मुंबई और दिल्ली में इंटीग्रेटेड एसएमई लोन फैक्ट्री (आईएसएमईएलएफ) के माध्यम से एमएसएमई लोन प्रोसेसिंग के केंद्रीकरण का क्रियान्वयन किया है. बैंक अधिक प्रभाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं जैसे 'एक जिला एक उत्पाद' में भी सक्रिय भागीदारी कर रहा है. सरकार प्रायोजित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, एनयूएलएम और राज्य विशेष सरकारी प्रायोजित योजनाओं की बाधा रहित प्रोसेसिंग के लिए बैंक ने पूरे भारत में 13 अंचलों में सरकारी योजनाओं हेतु प्रोसेसिंग सेल (जीएसपीसी) की स्थापना की है. नवंबर 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरूकिए गए एमएसएमई हेतु सहयोग एवं पहुंच अभियान के अंतर्गत सरल एवं सहज ऋण, नकदी प्रवाह एवं बाजार तक पहुंच की सरलता तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा

जैसे महत्वपूर्ण प्रदेय कारकों के साथ बैंक को **100** जिले एवं **100** दिन समनुदेशित किए गए थे.

रिटेल ऋण

रिटेल खंड में अपनी बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए बैंक ने कई स्त्रांतरण पहलों की शुरूआत की है. अर्थव्यवस्था में रिटेल ऋण के महत्व का पूर्वानुमान करते हुए बैंक ने अप्रैल 2016 से रिटेल ऋण पर ध्यान केंद्रित किया है और रिटेल बुक मार्च 2018 के रु 68,765 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को रु 85,390 करोड़ हो गई जो उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी है.

इन पहलों में उच्च पात्रता की अनुमति, कमतर मूल्य एवं मानकीकृत प्रोसेसिंग के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को पुनः तैयार करना शामिल है. बैंक द्वारा शुरूकी गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

- जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण
- गांधीनगर एवं हैदराबाद में केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेल की स्थापना
- डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों (डीएसए) को सूचीबद्ध करना
- संपर्क बिंदु सत्यापन एजेंसियों (सी पी वी) को सूचीबद्ध करना
- लोन लाइफसाइकिल प्रोसेसिंग सिस्टम का क्रियान्वयन
- टेकओवर पर केंद्रित एवं नीतिगत दृष्टिकोण
- पूर्व-अनुमोदित ऋण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
- वसूली हेतु एक समर्पित कॉल सेंटर की स्थापना

आवास ऋण बही में 31 मार्च, 2019 तक 22.2% की वृद्धि हुई जो रु 54,612 करोड़ के स्तर पर पहुँच गए. ऑटो ऋण के क्षेत्र में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए 49.4% की वृद्धि के फलस्वरूप पूर्व में 1% से कम की बाजार हिस्सेदारी अब बढ़कर लगभग 3% हो गयी है. ऑटो ऋण के संवितरण में भी 169.2% की वृद्धि हुई. शिक्षा ऋण के अंतर्गत नई मंजूरियों में 106.8% की वृद्धि हुई. शिक्षा ऋण के लिए मंत्रालय द्वारा आबंटित किए गए लक्ष्यों की तुलना में 48% अधिक लक्ष्य प्राप्त किया गया. बंधक ऋण बही में 74.3% की वृद्धि हुई.

ग्रामीण और कृषि ऋण

बैंक के पास ग्रामीण क्षेत्रों में 1,845 और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 1,546 शाखाओं का नेटवर्क है जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के लिए लाभप्रद है. वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान बैंक ने 22 नई ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाएं खोली हैं. बैंक का कृषि अग्रिम 14.2% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2018 के रु 49,583 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को रु 56,623 करोड़ हो गया. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान कृषि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, छोटे एवं सीमांत किसान (एस एंड एमएफ), सूक्ष्म उद्यम, छोटे किसानों और समाज के कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करने के सभी अनिवार्य लक्ष्यों को पूरा किया है तथा रु 7,700 करोड़ के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण संबंधी सर्टिफिकेट (पीएसएलसी) की बिक्री पर रु 33.0 करोड़ का शुद्ध कमीशन अर्जित किया है.

बैंक उत्तर प्रदेश और राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है और पूरे देश के 48 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है.

बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में अग्रणी बना हुआ है जिसे वित्तीय वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य से और गति मिली है. छोटे किसानों और समुदायों के लिए बैंक सामान्य कृषि ऋण प्रदान करने से आगे बढ़कर व्यापक ऋण की नीति पर कार्य करते हुए सभी ग्रामीण ग्राहक वर्ग के लिए कृषि यांत्रिकीकरण, बागवानी ऋण, गोदाम रसीद के पेटे वित्त पोषण, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण और समुदाय आधारित ऋण मॉडल अपना रहा है.

वर्ष के दौरान बैंक ने 2.29 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं. बड़ौदा किसान स्त्र कार्ड जोकि एटीएम समर्थित स्मार्ट कार्ड है, 13.46 लाख किसानों को जारी किए गए. अपनी सूक्ष्मवित्त पहल के स्त्र में बैंक ने रु 482.69 करोड़ की ऋण स्वीकृति द्वारा 26,630 स्वयं सहायता समूहों को लिंक किया. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को क्रेडिट लिंकेज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने सम्पार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराने तथा महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख बैंक बनने के लिए लघु किसान कृषि व्यवसाय संगठन (एसएफएसी) के साथ करार किया है. 31 मार्च, 2019 तक कुल कृषि अग्रिम विनियामक अपेक्षाओं से अधिक था.

बैंक की कृषि और ग्रामीण कार्यनीति में विभिन्न कंपनियों के साथ साझेदारियों और गठजोड़ों का एक ईकोसिस्टम विकसित करने पर लगातार ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना; किसानों की आय में वृद्धि करना; और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सेवा प्रदान करना है.

बैंक एक कृषि-डिजिटल प्लेटफॉर्म - 'बड़ौदा किसान' विकसित कर रहा है. स्ट्रेटजिक कंपनियों के साथ साझेदारी कर तैयार किए जा रहे इस प्लेटफार्म का उद्देश्य अधिसूचनाओं, मौसम के पूर्वानुमानों की जानकारी, रोगमुक्त फसल, मिट्टी की नमी, कीट संक्रमण की जानकारी, मंडी की कीमतों, फसल विशिष्ट के बारे में सलाह, इनपुट खरीद (जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक), किराए पर उपकरण लेने संबंधी परामर्शी सेवाएं और कृषि उपज की बिक्री के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराने से लेकर किसानों की सभी प्रमुख जरूरतों को पूरा करने के लिए वन-स्टॉप शॉप बनना है.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा 01 अक्टूबर, 2018 से 16 अक्टूबर, 2018 तक ''किसान पखवाड़ा'' मनाया गया और इस पखवाड़े के अंतिम दिन को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस के स्त्र में मनाने के साथ-साथ बड़ौदा किसान दिवस के स्त्र में मनाया गया. वित्तीय वर्ष 2019 में कुल 8018 चौपालें लगाई गईं जिनमें 1,621 किसान मेलों, 339 स्वास्थ्य शिविरों (मृदा/ पशु/ किसान), 4,884 किसान सभाओं और 310 वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से 2,38,974 किसानों ने सहभागिता की.

2018 के दौरान बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में नवोन्मेषिता और समावेशीकरण के लिए एक्सेस असिस्ट द्वारा बैंक को 'इंक्लूशिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड' से सम्मानित किया गया. बैंक को 14वें एसोचैम वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन -सह- सोशल बैंकिंग एक्सीलेंस अवाड्र्स- 2018 के दौरान बड़े बैंकों की श्रेणी में ''ओवरऑल बेस्ट सोशल बैंक'' में उप-विजेता सहित 4 पुरस्कार प्राप्त हुए.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण 31 मार्च, 2019 को 1,47,109 करोड़ रहा. बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण और इसके अन्य उप-घटकों के अनिवार्य स्तर से काफी ऊपर है.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों को ऋण

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को बकाया ऋण का स्तर 31 मार्च, 2018 के रु 5,765 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को 7,212 करोड़ हो गया. बैंक द्वारा कमजोर वर्गों को मंजूर किए गए अग्रिम का 18.31% शेयर अनु.जाति/ अनु. जनजातियों को प्रदान किया गया.

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया जैसी विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों के वित्त पोषण के लिए बैंक द्वारा विशेष ट्रस्ट की स्थापना की गई. इस वर्ष के दौरान, बैंक ने महिला सशक्तिकरण मिशन को आगे बढ़ाने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए तामिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब एवं उत्तरप्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ करार किया है.

वित्तीय समावेशन (एफआई)

हमारे बैंक ने 21,895 गांवों तथा अन्य अर्द्ध शहरी एवं शहरी क्षेत्रों में 15,356 बीसी एजेंटों की नियुक्ति तथा पूरे भारत में बैंक रहित क्षेत्रों में 583 शाखाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन कवरेज को बढ़ाया है. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बेसिक बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की कुल संख्या 372.6 लाख है जिसमें 31 मार्च, 2019 तक कुल रु 12,690 करोड़ की शेषराशि थी. शून्य शेषराशि वाले खातों की संख्या में कमी आई है जो पिछले वर्ष के 11.53% की तुलना में 9.21% हो गई है.

बैंक ने इस वर्ष डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग करते हुए वित्तीय समावेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए कई पहले की हैं.

- टैबलेट, खाता खोलने के कियॉस्क एवं व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेट के माध्यम से ईकेवाईसी प्रमाणीकरण के द्वारा तत्काल डिजिटलीकृत खाता खोलना तथा पिन जनरेशन के साथ आधार प्रविष्टि और साथ ही माइक्रो बीमा और डेबिट कार्ड जारी करने के अंतर्गत तत्काल नामांकन;
- बीसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो और टेबल-टॉप एटीएम की स्थापना एवं वर्ष के दौरान 700 एजेंटों को जोड़ते हुए सूचना एवं संप्रेषण (बीसी-आईसीटी) मॉडल का उपयोग कर व्यवसाय प्रतिनिधियों का विस्तार;
- 15,356 बीसी जो 8,823 पिनपैड और 1,882 पोर्टेबल माइक्रो एटीएम डिवाइस का प्रयोग करते हैं, को शामिल करते हुए बैंक खातों का बेहतर उपयोग, कैश-इन कैश-आउट नेटवर्क का विस्तार;
- देश में दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत बीसी एजेंटों को 185 वीसैट की सुविधा का प्रावधान;

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019 के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन

- कुल बीसी आउटलेट के संदर्भ में 101.02% लक्ष्य प्राप्त किया गया.
- शाखाओं के माध्यम से बीएसबीडी खाता खोलने और उसमें राशि जमा करने के लिए आबंटित लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 91.3% और 132. 4% की उपलब्धि हासिल की.
- बीसी पॉइंट के माध्यम से बीएसबीडी खाते खोलने और उसमें राशि जमा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019 हेतु आबंटित लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 233.9% और 284.6% की उपलब्धि हासिल की.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की महत्त्वपूर्ण बातें

31 मार्च 2019 को पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बैंक के पास 300.83 लाख खाते हैं जो कि पिछले वर्ष 239.29 लाख खातों की तुलना में 25.7% अधिक हैं. बढ़ते हुए पीएमजेडीवाई खातों और बकाया जमा राशियों में बैंक का बाजार हिस्सा क्रमशः 10.7% और 11.9% है. पिछले वर्ष की समाप्ति पर रु 6,595 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को पीएमजेडीवाई खातों में बकाया शेष रु 9,312 करोड़ रहा जिसमें 41.2% की वृद्धि दर्ज की गई. पीएमजेडीवाई खातों के अंतर्गत 221.5 लाख की तुलना में 276.62 लाख रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए. वर्ष के दौरान पीएमजेडीवाई खातों में आधार प्रविष्टि 83.9% से बढ़कर 88.0% हो गई.

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से कवरेज

31 मार्च 2019 को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है:

	31.03.2018	31.03.2019
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (लाख में)	59.52	90.37
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (लाख में)	18.14	25.30

आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना

भारत सरकार के दिनांक 14 जुलाई 2017 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार बैंकों को प्रत्येक 10 शाखाओं पर किसी एक शाखा परिसर में न्यूनतम एक आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए. तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2019 तक 608 आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना की.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रायोजित किया है: बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक तथा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक. तीनों आरआरबी का समग्र व्यवसाय 31 मार्च, 2018 के रु 55,063 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को 13.1% की वृद्धि के साथ रु 62,298 करोड़ रहा. तीनों आरआरबी ने समेकित रूप से गत वर्ष के रु 208.55 करोड़ के लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में रु 208.61 करोड़ का लाभ दर्ज किया. तीनों आरआरबी की समेकित निवल संपत्ति में सुधार हुआ है जो 31 मार्च, 2018 के रु 2,401.78 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को रु 2,620.57 करोड़ हो गई है.

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

हमारे बैंक की 21 देशों में 100 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय हैं जिनमें 13 देशों में 45 विदेशी शाखाएं, बैंक की 8 विदेशी अनुषंगियों की 54 शाखाएं और गिफ्ट सिटी (एसईजेड), गांधीनगर, गुजरात, भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) है जो विशेष रूप से विदेशी मुद्रा का कारोबार करते हैं. इसके अलावा, बैंक का एक संयुक्त उद्यम मलेशिया में इंडिया इंटरनेशल बैंक (मलेशिया) बीएचडी है और एक सहयोगी बैंक जांबिया में इंडो जांबिया बैंक लि. है जिसकी 30 शाखाएं हैं.

वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 के दौरान बैंक ने व्यापक मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर रणनीतिक दृष्टि से अपनी विदेशी उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाया है. चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी ऑफसोर बैंकिंग यूनिट बहामास, होलसेल बैंकिंग यूनिट बहरीन और घाना में अपनी अनुषंगी को बंद कर दिया जहां तीन शाखाएं थी. इसके अलावा, ओमान की मुत्राह शाखा को ग्रेटर मुत्राह शाखा के साथ विलय कर दिया गया है और दक्षिण अफ्रीका की डरबन शाखा को जोहानसबर्ग शाखा में विलय कर दिया गया. रणनीतिक समीक्षा के आधार पर परिचालनों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया जारी है.

बैंक की न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, ब्रसेल्स और दुबई में विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों पर उपस्थिति है. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा बैंक भारतीय कॉर्पोरेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करके, भारतीय और स्थानीय रूप से निगमित कंपनियों/ फर्मों के लिए इंडिया- लिंक्ड क्रॉस बार्डर व्यापार प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करके और एनआरआई/ भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पसंदीदा बैंक बनकर संवृद्धि और मूल्यवर्धन की नीति अपना रहा है. बैंक अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को नए वैश्विक परिवेश के अनुरूप निरंतर समेकित और पुनर्गठित कर रहा है और जोखिम प्रबंधन, कम अर्जन वाली आस्तियों पर ध्यान कम देने और लाभप्रदाता में वृद्धि के उद्देश्य से पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

31 मार्च, 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं से बैंक का कुल व्यवसाय रु 2,19,356 करोड़ रहा जो वैश्विक व्यवसाय का 19.8% रहा. कुल जमाराशियां रु 1,20,723 करोड़ रहीं जबकि निवल अग्रिम रु 98,633 करोड़ रहा. अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए यह समेकन का वर्ष रहा.

कुल जमा राशियों में 2.9% की कमी हुई है जबकि कुल अग्रिमों में 4.4% की कमी आयी. व्यवसाय में कमी मुख्य रूप से बैंक के विदेशी केंद्रों को युक्तिसंगत बनाने, यूके में अनुषंगी का सृजन और क्रेता की साख पर उधार बंद करने के कारण हुई है.

यूके में अनुषंगी का निगमन

यूके में बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली नई रिटेल अनुषंगी - बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड को 17 दिसंबर, 2018 से शुरू किया गया है. यूके परिचालन के खुदरा व्यवसाय को नई अनुषंगी में शिफ्ट किया गया है तथा होलसेल व्यवसाय को शाखा के पास ही रखा गया है. अब यूके परिचालन में बैंक की 1 शाखा एवं इस अनुषंगी की 10 शाखाएं शामिल हैं.

ट्रेजरी परिचालन

हमारा बैंक मुंबई में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित अत्याधुनिक डीलिंग रूम से ट्रेजरी परिचालनों का संचालन करता है. ट्रेजरी विभिन्न बाजारों जैसे विदेशी

विनिमय, ब्याज आय, स्थायी आय, मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, मुद्रा एवं ब्याज दर फ्यूचर्स एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है. बैंक आधुनिक डीलिंग पद्धतियों और पूरे देश में विदेशी मुद्रा में डीलिंग करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा स्वैप, मुद्रा विकल्प और वायदा संविदा जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है.

ट्रेजरी बैंक की निधि के प्रबंधन और इनकी सुरक्षा, तरलता और इनका इष्टतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है. यह सांविधिक प्रारक्षित निधि की आवश्यकताओं की देखरेख करता है और निधि प्रबंधन कार्यों के एक भाग के रूप में कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, इक्विटी, उद्यम पूंजी, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करता है.

31 मार्च, 2019 को बैंक की घरेलू निवेश बही रु 1,72,412 करोड़ रही. कुल निवेश में एसएलआर प्रतिभूतियों का शेयर 85.89% रहा. 31 मार्च, 2019 को एनडीटीएल के सापेक्ष एसएलआर प्रतिभूतियां (भारमुक्त) 27.98% रहीं.

बैंक ने बाजार में अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावी रूप से निपटने में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है. बैंक लाभ गतिविधियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसर को भुनाने में सक्षम रहा है. बैंक ने अपने पोर्टफोलियो को कुशलता से प्रबंधित किया है और 31 मार्च, 2019 तक ब्याज-युक्त निवेश पर 8.13% (बिक्री पर लाभ सहित) औसत लाभ बनाए रखा है. वित्त वर्ष 2019 के दौरान बैंक द्वारा निवेश की बिक्री पर लाभ और विदेशी मुद्रा आय क्रमशः रु 994 करोड़ और रु 445 करोड़ रही है.

सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार बैंक की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह पूरे भारत में केंद्र/राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है. बैंक अपनी नामित शाखाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का यह एक मान्य सहयोगी बैंकर है.

बैंक भारत सरकार की डिजिटल पहल के अनुरूप केंद्र और राज्य स्तर पर कई विभागों के साथ ई-समाधान उपलब्ध कराने के लिए साझेदारी कर रहा है जिससे पारदर्शिता एवं कार्यक्षमता में तेजी आई है. नए व्यवसायिक अवसर बढ़ाने के लिए ईपीएफओ, कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी, राष्ट्रीय कृषि बाजार, सरकारी ई-मार्केटप्लेस और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है.

वर्ष के दौरान बैंक ने रक्षा मंत्रालय के लिए ई-एलसी समाधान हेतु आवश्यकतानुरूप सॉफ्टवेयर विकसित किया है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र ऐसा बैंक है जिसने बैंकों के माध्यम से ई-केवीपी सुविधा की शुरूआत की है. देशभर के सभी प्रमुख -3- पोर्ट के लिए भारतीय पोर्ट एसोसिएशन के ई-पीसीएस पोर्टल पर हमारे बैंक ने इंटीग्रेशन किया है. कांडला पोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

एपीवाई के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैंक को पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया गया है.

धन संपदा प्रबंधन

वर्ष के दौरान धन संपदा-प्रबंधन विभाग निम्नलिखित पहलों के माध्यम से अपने ग्राहकों को निवेश अवसर प्रदान करने में सबसे आगे रहा है. बैंक का विशेष प्रोगाम 'बड़ौदा रेडियन्स' रिलेशनशीप मैनेजरो की समर्पित टीम के माध्यम से 'उच्च मूल्य ग्राहकों' कि आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है. बैंक का लक्ष्य अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट समाधान एवं सेवा देना है जिसके बैंक डिजिटल समाधान कर रहा है. वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- सभी ग्राहकों को सुलभ निवेश अवसर और बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए "बड़ौदा वेल्थ सॉल्यूशन" डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कि गई है. यह प्लेटफॉर्म बैंक के ग्राहकों के लिए मोबाईल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में भी उपलब्ध होगा.
- बैंक ने किसी घटना (मृत्यु और गंभीर बीमारी) की स्थिति में ऋण जोखिम को कवर करने के लिए अपने रिटेल उधारकर्ताओं को "ग्रुप क्रेडिट लाईफ" एवं "ग्रुप सिटी केअर" उत्पाद प्रदान किया है.
- बैंक ने पोर्टेबिलिटी और निरंतर लाभ के साथ 5 हैल्थ बीमा उत्पादों की शुरुआत की है. इससे ग्राहकों को अपनी हैल्थ बीमा पॉलिसी को अपनी पसंद की बीमा कंपनी में ले जाने का लाभ मिलेगा.

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

पिछले कुछ वर्षों से अनर्जक ऋणों में बढ़ोतरी के साथ बैंक ने वसूली बढ़ाने और स्लिपेज घटाने की अपनी नीति में सुधार किया है. इसके लिए बैंक ने "दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल" का गठन किया है, जहां रु 10 लाख और उससे अधिक के सभी बड़े और मध्यम आकार वाले एनपीए खाते और सभी सरफेसी पात्र खातों को अंचल और क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी) नामक विशेषीकृत इकाइयों द्वारा संभाला जाता है. शेष खातों अर्थात् रु 10 लाख से कम के खातों को व्यवसाय प्रतिनिधियों और आउटसोर्स किए गए कॉल सेंटरों की मदद से संबंधित शाखाओं द्वारा संभाला जाता है.

बैंक के अनर्जक आस्तियों में लगातार गिरावट हुई जिसमें सकल एनपीए अनुपात 31 मार्च, 2018 के 12.26% की तुलना में गिर कर 9.61% रहा. इसी तरह, निवल एनपीए अनुपात मार्च 2018 के 5.49% की तुलना में बढ़कर 3.33% रहा.

पिछले दो वर्षों के दौरान एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2019
सकल एनपीए	56,480	48,233
सकल एनपीए (%)	12.26	9.61
निवल एनपीए	23,483	15,609
निवल एनपीए (%)	5.49	3.33
एनपीए में जोड़	24,239	13,614
वसूली/ उन्नयन	5,530	8,759
टीडबल्यूओ सहित बट्टे खाते	4,984	13,102
बट्टे खातों में वसूली	621	832
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित) (%)	67.21%	78.68
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ को छोड़कर) (%)	58.42%	67.64

आस्ति वर्गीकरण के अनुसार, ऋण बही का विभाजन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आस्ति की श्रेणी	31.03.2018	31.03.2019
मानक अग्रिम	4,04,264	4,53,473
सकल एनपीए	56,480	48,233
कुल सकल अग्रिम	**4,60,744**	**5,01,706**
सकल एनपीए जिसमें सम्मिलित है		
अवमानक	13,131	9,014
संदिग्ध	35,447	32,398
हानि	7,903	6,821
कुल सकल एनपीए	56,480	48,233

बड़ी संख्या में लघु एनपीए खातों के निपटान के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान ओटीएस योजनाएं यथा लक्ष्य I एवं II (लक्ष्य कृषि, खुदरा एवं एसएमई) की

शुरूआत की है. बैंक ने इन योजनाओं के अंतर्गत कुल रु 639 करोड़ की समझौता राशि और रु 543 करोड़ की वसूली एवं अपग्रेडेशन राशि के साथ 109327 खातों को सेटल किया. वन टाइम सेटलमेंट ट्रेकिंग सिस्टम के नाम से एक एप्लिकेशन आरंभ किया गया है जिसमें ग्राहक निपटान संबंधी कार्रवाइयों को ऑनलाइन आरंभ कर सकता है. वसूली कार्रवाइयों और त्वरित निर्णय में सहायता (378 हाई वैल्यू वाद-दावा वाले खातों की निगरानी वॉर-रूम द्वारा की जाती है) हेतु रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए लीगल वॉर-रूम स्थापित किया गया.

बैंक ने रु 30 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोजर वाले बड़े एनपीए खातों के लिए रेज़ल्यूशन कार्यनीति उपलब्ध कराने के लिए समाधान प्रदाता सेल की स्थापना की है. बहुभाषी सपोर्ट के साथ खुदरा और एसएमई क्षेत्र के ग्राहकों से समय पर वसूली के लिए 350 सदस्यों वाला कॉल सेंटर स्थापित किया गया. यह ऑन-ग्राउंड कलेक्शन के लिए फ्लीट-ऑन-स्ट्रीट स्टाफ द्वारा समर्थित है. लघु खातों में एनपीए और संभावित एनपीए वसूली के लिए बैंक के लगभग 800 अधिकारियों का एक विशेष कार्यदल गठित किया गया है. फसल ऋण में वसूली के लिए व्यवसाय प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है.

बैंक ने स्लिपेज को कम करने और वसूली में वृद्धि के लिए डेज़ पास्ट ड्यू (डीपीडी) रिपोर्ट, एनपीए मूवमेंट चार्ट, फॉरकास्टिंग डिग्रेडेशन के लिए मोक रन जैसे दैनिक डैशबोर्ड के साथ एनपीए प्रबंधन को मजबूत बनाया है. साथ ही हम एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित कर रहे हैं जो सिस्टम में दर्ज डेटा के आधार पर वसूली एजेन्टों को फील्ड में वसूली करने के लिए सक्षम बनाएगा और वसूली विवरण भी अद्यतन करेगा.

बैंक एकीकृत लिटिगेशन प्रबंधन प्रणाली (आईएलएमएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसकी प्रायोगिक जांच पूरी हो गयी है. इस सिस्टम के माध्यम से शाखाएं डीआरटी में दायर वादों, अन्य अदालतों में दायर वादों, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरूकी गई कार्रवाई की स्थिति की निगरानी वास्तविक समय में की जा सकती है.

इसके अतिरिक्त, बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों की वसूली को आसान बनाने के लिए निरंतर आधार पर निम्नलिखित उपायों को अपनाया है:

- दैनिक आधार पर कानूनी मामलों के फॉलो-अप के लिए प्रत्येक डीआरटी में नोडल अधिकारी नियुक्त करना ताकि न्यायिक आदेश प्राप्त करने और आदेश पर कार्रवाई करने में कम से कम देरी और अधिकतम वसूली हो सके.
- ऑफिसियल लिक्विडेटर (ओएल) के साथ चर्चा करने करने के लिए अधिवक्ताओं/ परामर्शदाताओं से सहायता लेना, ताकि ओएल द्वारा वसूली प्रक्रिया को प्रभावी रूप में पूरा किया जा सके.
- ओफिसियल लिक्विडेटर के साथ विचार-विमर्श, शाखाओं में वसूली कैंपों का आयोजन, सभी स्तरों पर दबावग्रस्त खातों एवं वसूली एजेन्टों की कड़ी निगरानी और विशेषकर डीआरटी दावा-दायर एनपीए खातों में मासिक ई-नीलामी.
- वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान घोषित इरादतन चूककर्ताओं की संख्या 399 रही जिसने वस्तुतः इसकी कुल संख्या को बढ़ाकर 750 कर दिया. यह संख्या 31 मार्च, 2018 को 303 थी.

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

बैंक ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों, प्रणालियों और संरचना में लगातार सुधार कर रहा है. बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण ने आईटी संबंधी आधारभूत सुविधाओं को लगातार अपग्रेड किया है. वर्ष के दौरान शुरूकी गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने अपने पूर्ववर्ती ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) को नए लोन लाइफसाइकल प्रोसेसिंग सिस्टम में अपग्रेड किया है. यह नई प्रणाली त्वरित ऋण संवितरण हेतु ऋण व्युत्पत्ति और ट्रैकिंग प्रक्रिया को सक्षम बनाती है तथा टर्न अराउंड टाइम में सुधार के लिए इमेज आधारित वर्कफ़्लो और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (बीपीएम) टूल का उपयोग करके ऋण प्रस्तावों की एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग को सक्षम बनाती है.
- बैंक निर्णय प्रबंधन प्रणाली लागू कर रहा है जो व्यवसाय पॉलिसी निर्माताओं को पॉलिसी बनाने, जांचने, निष्पादित करने और ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के साथ एकीकृत स्कोर मॉडल, कार्यनीतियों, नियमों को बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है. इससे निर्णय लेने और परिचालनों की दक्षता की गुणवत्ता और निरंतरता में काफी सुधार होगा.
- बैंक उन्नत वर्जन, उन्नत यूजर इंटरफेस और नई सुविधाओं के साथ मौजूदा इंटरनेट बैंकिंग (बड़ौदा कनेक्ट) को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है.
- बैंक अपनी शाखाओं, संपर्क केंद्रों (सीसी), रिटेल लोन फेक्ट्रियों (आरएलएफ़), स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ लोन फेक्ट्रियों (एसएमईएलएफ़), सिटी सेल्स ऑफिस (सीएसओ) और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ओरेकल सीआरएम को लागू करने की प्रक्रिया में है.
- बहुत बड़ी राशियों के संचालन के लिए, बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) वर्जन 2.0 को अपग्रेड किया. इसका उद्देश्य है सभी NPCI प्रणालियों में सरलता लाकर उनके लिए एक ही इंटरफ़ेस प्रदान करना तथा पारस्परिकता और उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव सृजित करना .
- बैंक ने सेंट्रलाज्ड कम्यूनिकेशन मैनेजमेंट (सीसीएम) सोल्यूशन लागू किया है जो ग्राहक को मासिक आधार पर विभिन्न मासिक संचार/ ई-संचार आवश्यकताओं के ऑटोमेशन को सरल बनाएगा.
- बैंक डिजिटल स्थान्तरण में तेजी लाने और आपकी डिजिटल परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य को जानने की क्षमता, व्यवसाय दक्षता सृजित करने और नवोन्मेषिता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एपीआई बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लागू करने की प्रक्रिया में है.
- बैंक ने एक स्वचालित रिकंसिलीएशन प्लेटफ़ॉर्म लागू किया है जिसे यूनिवर्सल ट्रांजेक्शन रिकंसिलीएशन सिस्टम (यूटीआरएस) कहा जाता है. यह प्लेटफॉर्म द्वि-मार्गी या बहु-मार्गी रिकंसिलीएशन को शीघ्रता से समरूप बनाने की क्षमता प्रदान करता है जिससे जोखिम कम होता है और अनुपालन का स्तर बढ़ता है.
- बैंक ने क्लाउड को अपनाने की शुरूआत की है. इस दिशा में बैंक ने पब्लिक/ कम्यूनिटी क्लाउड पर ई-मेल, ई-लर्निंग मैनेजमेंट सर्विसेज़ एंड कॉलेबरेशन टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन लागू किया है. बैंक ने अनुपालन को मजबूत करने के लिए ईमेल संचार के लिए आर्कयवल सोल्यूशन भी लागू किया है.
- बैंक मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉल्यूशन (एमडीएम) को लागू करने की प्रक्रिया में है, जो कर्मचारियों को दूरदराज के स्थानों से कार्पोरेट के स्वामित्व वाले और कर्मचारियों के स्वामित्व वाले (बीवायओडी) मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न बैंकिंग एप्लिकेशन्स को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने में सक्षम बनाएगा जिससे उत्पादकता एवं दक्षता में बढ़ोतरी होगी. इससे बैंक को परिचालन लागत और व्यावसायिक जोखिमों को कम करने में भी मदद मिलेगी.
- बैंक ने डाटा सेंटर के लिए अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी संरचना स्थापित की है जो अपटाइम इंस्टिट्यूट टियर -3 मानक के अनुरूप है. बैंक ने हमारे ग्राहकों को बाधारिहत सेवाएं अविरत उपलब्ध कराते रहने के लिए रुकावट के प्रत्येक बिंदु पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के साथ अलग-अलग भूकंपीय क्षेत्र में डिजास्टर रिकवरी साइट भी स्थापित किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके अलावा अपनी व्यावसायिक निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी रणनीति के अंतर्गत किसी भी हानि से संपूर्ण बचाव सुनिश्चित करने के लिए कोर बैंकिंग सिस्टम (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) और ट्रेजरी सिस्टम हेतु नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्थापित किए हैं.

बैंक ने अपने डाटा केंद्र और शाखा/कार्यालयों में नेटवर्क प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डाटा केन्द्र उपकरण स्थापित किया है. इसके अतिरिक्त बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग की कृत्रिम निगरानी और कोर बैंकिंग एप्लिकेशन के लिए एप्लिकेशन निष्पादन प्रबंधन भी लागू किया है. बैंक ने भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार दो उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए हैं.

आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सलेन्स (एआईसीओई)

बैंक ने एआईसीओई स्थापित किए हैं जो व्यवसायिक इकाईयों के साथ निकट संपर्क में रहकर राजस्व को गति देने और कार्यक्षमता को और अधिक कारगर करने की तकनीकी की पहचान कर उसे लागू करेगा. एआईसीओई पृथक, बाज़ार में अग्रणी तकनीकी का उपयोग व्यवसायिक लाभ के उद्देश्य से स्थापित किया गया है. एआईसीओई, कई अत्याधुनिक नवोन्मेषी कौशल जैसे कि डिज़ाइन संकल्पना, गतिशीलता, डेवओपीएस पर कार्य कर रहा है और कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन के साथ उभरती तकनीकी में विकसित करता है. इससे रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, एपीआई व प्लेटफॉर्म बैंकिंग की कारोबारी दक्षता में सुधार और नए उपयोग बाजार में लाने के द्वि-प्रादेश एक साथ क्रियान्वित होते है.

एनालेटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एएवंएआईसीओई)

एसीओई के अंतर्गत बैंक के उद्यम भर में डाटा तथा एनालेटिक्स तकनीकी प्लेटफॉर्म पेटाबाइट स्केल पर स्थापित किए है - दि बिग डाटा लेक- जोकि डाटा लेक जैसे अग्रणी डाटा तकनीकी व तकनीकों तथा मशीन लर्निंग व आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से ऊर्जित है. एसीओई बैंक डाटा से इनसाइट और कार्रवाई से परिणाम तक की यात्रा करने के लिए सेवारत है. एसीओई कई व्यवसायों से मिलकर कम कर रहा है और नए मूल्य निर्माण के अवसर ढूंढते हुए बैंक की क्षमता को और अधिक बढ़ते हुए एनालेटिक्स का सहारा लेकर राजस्व बढ़ाने, लागत घटाने और जोखिम के अनुमान में सुधार करने के कार्य में जुटा है.

साइबर सुरक्षा

कई वर्षों के दौरान बैंक ने साइबर हमले से बचने के लिए सूचना सुरक्षा उपायों के साथ व्यापक साइबर सुरक्षा तंत्र के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है. बैंक के पास पूर्ण परिभाषित साइबर सुरक्षा कार्यनीति फ्रेमवर्क है जो प्रबंधन संरचना, नीतिगत फ्रेमवर्क और परिचालन नियंत्रण के समन्वयन में परिचालित होता है.

साइबर हमलों की पहचान एवं निवारण करने के लिए बैंक ने कैपटिव सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) को साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (सी -एसओसी) में अपग्रेड किया है जो चौबीसों घंटे कार्य करता है. वर्ष के दौरान बैंक ने प्रभावी तरीके से साइबर सुरक्षा हमलों की पहचान, प्रबंधन, कार्रवाई और उसके समाधान के लिए साइबर एसओसी में नई तकनीकों को जोड़ा है.

इसके आलवा, बैंक ने साइबर सुरक्षा को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित नियंत्रणों को जोड़ा है:

- डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी परिचालन आईएसओ 27001:2013 मानक से प्रमाणित है जो सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का एक समूह है.
- आईटी आस्तियों के संरक्षण के लिए लागू बहु स्तरीय सुरक्षा संरचना.
- मौजूदा प्रणाली में कमियों का पता लगाने एवं त्रुटियों को सुधारने हेतु कार्रवाई करने के लिए एप्लिकेशनों एवं संरचना की आवधिक लेखापरीक्षा.
- फिशिंग साइट, अविश्वसनीय मोबाइल ऐप एवं सोशल मीडिया साइटों की संदिग्ध गतिविधियों/विषय वस्तुओं की नियमित निगरानी करना तथा एंटी फिशिंग और ब्रांड सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से इनकी पहचान कर इन पर उपयुक्त कार्रवाई करना.
- बैंक की महत्वपूर्ण संरचना को लगातार खतरों तथा ज़ीरो-डे हमले का पता लगाने तथा इनसे सुरक्षित रखने के लिए विकसित सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है.
- व्यवसाय संबंधी संवेदनशील जानकारियों के अनधिकृत प्रयोग / दुरूपयोग की पहचान तथा रोकथाम के लिए डेटा लिकेज प्रिवेंशन साल्यूशन.
- नेटवर्क स्तर पर हमले की पहचान हेतु नेटवर्क ट्रैफिक में अनियमितता और बर्ताव का पता लगाने की प्रौद्योगिकी
- बैंक ने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) से सिस्टम के बचाव के लिए तकनीक को लागू किया है तथा निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्लीप पाइप को प्राप्त किया है.

बैंक ने साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में ग्राहकों को विभिन्न माध्यमों जैसे कि एसएमएस, एटीएम पर्चियाँ, एटीएम स्क्रीन, डिजिटल प्रदर्शन, वेबसाइट आदि से शिक्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं. साथ ही कर्मचारियों को भी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में परिपत्रों, अनिवार्य ई- लर्निंग पाठ्यक्रमों, तिमाही आईएस जागरूकता पत्रिका 'साइबर चंक्स' और ऑडियो विजुअल फिल्म तथा कई माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है. बैंक ने साइबर हमलों से बचाव के लिए सुरक्षा प्रणाली को और सशक्त करने तथा अपनी क्षमताओं की जांच के लिए आईडीआरबीटी, सीईआरटी-इन जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली सुरक्षा ड्रिल में भाग लिया है. बैंक के पास आपात स्थिति में कार्य करने वाली टीम एवं साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना है तथा ड्रिल के माध्यम से इन योजनाओं की प्रभावशीलता की आवधिक जांच की जाती है.

डिजिटल रूपांतरण

बैंक डिजिटल बैंकिंग के प्रति कटिबद्ध है और और लेन-देनों को डिजिटल माध्यम पर अंतरित करने में लगातार प्रयासरत है जो ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक रहता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाय) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बैंक को 50 करोड़ डिजिटल लेन-देन का लक्ष्य दिया है, जिसकी तुलना में बैंक ने फरवरी 2019 तक 107.6% (यथानुपात के आधार पर) की उपलब्धि हासिल है.

डिजिटल बैंकिंग का अधिक जोर हमारे ग्राहकों को डिजिटल एवं मोबाइल चैनलों जैसे मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम आधार, मल्टीफंक्शन कियोस्क, स्वयं सेवा पासबुक प्रिन्टर आदि के माध्यम से उनके अनुकूल उत्पाद उपलब्ध कराना है. डिजिटल पहल में हमारी प्रगति निम्नानुसार है:

- **मोबाइल बैंकिंग:** बैंक ने नई एक बेहतरीन मोबाइल बैंकिंग सुविधा अर्थात् एमकनेक्ट प्लस की शुरूआत की है जो 13 भाषाओं में उपलब्ध है. यह मोबाइल सुविधा अब एनआरआई ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है. मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता की संख्या में 116% और लेनदेनों में 108% की वृद्धि हुई है. समग्र रूप से लेनदेन की राशि 120% बढ़ाकर रु 42,162 करोड़ तक पहुंची.
- **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (यूपीआई):** बैंक ने अपने सभी आरआरबी को अपनी यूपीआई एप्लीकेशन की सुविधा प्रधान की है. बैंक ने सितंबर 2018 में यूपीआई सुविधा प्रदान करने के लिए टू कॉलर ऐप के साथ करार किया है. ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए, बैंक 20.03.2019 को जारीकर्ता के रूप में यूपीआई 2.0 पर लाइव हो गया है और समग्र रूप से इनमें रु 1,22,408 करोड़ के लेनदेन हुए.
- **बड़ौदा पे प्वाइंट:** बैंक ने वर्ष के दौरान बड़ौदा पे प्वाइंट लॉन्च किया है, जोकि शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के सभी भुगतान और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए एक मोबाइल / वेब-आधारित फीस संग्रहण का पोर्टल है जो अतिरिक्त कासा व्यवसाय और राजस्व आय को बढ़ाने में सहायक होगा.

- **डेबिट कार्ड:** बैंक ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों और जीवनशैली के अनुरूप चिप आधारित विशेषीकृत डेबिट कार्ड की सुविधा देता है. बैंक ने ग्राहकों को 72 मिलियन से अधिक डेबिट कार्ड (44 मिलियन रूपे कार्ड सहित) जारी किए हैं. बैंक ने रूपे क्यूस्पार्क (क्यूएसपीएआरसी) कार्ड लॉन्च किया है जिसे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के रूप में भी माना जाएगा ताकि ग्राहकों को अलग से डेबिट और प्रीपेड कार्ड रखने की जरूरत न हो.
- **भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस):** बैंक के बीबीपीएस सिस्टम को ग्राहक परिचालन इकाई (सीओयू) और बीपीसीआई द्वारा बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू) दोनों के रूप में प्रमाणित किया गया है. बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और उमंग एप्लिकेशन में बीबीपीएस सेवाएं प्रदान कर रहा है. वर्ष के दौरान बीबीपीएस के अंतर्गत लेनदेनों की मात्रा व मूल्य में क्रमशः 296% व 261% की वृद्धि हुई.
- **बड़ौदा फास्ट टैग (राष्ट्रीय ई-टोल संग्रहणन - एनईटीसी):** बैंक ने 12 जुलाई 2018 को एनईटीसी सुविधा लॉंच की और उसे बड़ौदा फास्टटैग के नाम से ब्रांड किया गया है.
- **एटीएम** : बैंक द्वारा पूरे भारत में 1406 कैश रिसाइकलर सहित 8166 एटीएम लगाए गए हैं जिनमें 95% की उपलब्धता के साथ हमारे मल्टीफंक्शन एटीएम बैंकिंग का एक सुगम सुविधायुक्त अनुभव प्रदान करते है.
- **हाईटेक डिजिटल शाखाएं :** हमारे बैंक ने हाईटेक डिजिटल शाखा को अत्याधुनिक गैजेट जैसे आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस रोबोट जिसे बड़ौदा ब्रेनी का नाम दिया गया है, हाई स्पीड और निःशुल्क वाई-फाई सेवाओं के साथ डिजिटल लैब स्थापित करके नवोन्मेषी अवधारणा विकसित की है. ग्राहकों को एक विशिष्ट स्थान भी उपलब्ध कराया जाता है जहां निवेश विशेषज्ञों द्वारा विशेषीकृत निवेश परामर्श एवं वित्तीय परामर्श दिया जाता है. ग्राहकों को संवाद करने में सहायता देने के लिए इस स्थान पर एक रिमोट टेलर (वीडियो सहायक) लगाया गया है.
- **एनएसीएच ई अधिदेश:** बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग में 21 मार्च 2018 से ई-अधिदेश के लिए लाइव हो गया है. बैंक, 06 फरवरी 2019 को एपीआई अधिदेश (इंटरनेट बैंकिंग) के लिए गंतव्य बैंक के रूप में लाइव हो गया.
- **बड़ौदा प्री-पेड कार्ड**

बैंक तीन प्रकार के प्री-पेड कार्ड ग्राहकों को उपलब्ध कराता है .

ए. बड़ौदा गिफ्ट कार्ड: उपहार देने के लिए बेहतरीन विकल्प है जिसका प्रयोग देशभर में कुछ भी खरीदने के लिए किया जा सकता है.

बी. बड़ौदा ट्रेवल-ईजी कार्ड: यह एक प्रीपेड इंटेरनेशनल करेंसी कार्ड है जो तीन विदेशी मुद्राओं अर्थात् अमरीकी डॉलर (यूएसडी), यूरो और स्टर्लिंग पाउंड (जीबीपी) में उपलब्ध है. यह एक रिलोडेबल किफ़ायती कार्ड है जो विदेश यात्रा पर जा रहे निवासी ग्राहकों को जारी किया जा सकता है.

सी. बड़ौदा रिलोडेबल कार्ड : यह एक पूर्व प्रदत्त कार्ड है जो आवर्ती खर्चों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि जेब खर्च, यात्रा भत्ता, दैनिक/ मासिक वेतन, भोजन भत्ता आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है.

- कैशलेस गाँव: बैंक ने विभिन्न डिजिटल उत्पादों जैसे डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई , भीम क्यूआर, भीम आधार और पॉस मशीन आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से 281 गाँव को कैशलेस गाँवों में बदल दिया है.
- अभिलेखों का डिजिटाइजेशन : पेपरलैस बैंकिंग और शाखाओं में स्थान को ग्राहकोन्मुख बनाने की दृष्टि से अभिलेखों का डिजिटाइजेशन करने के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) स्थापित की गई है. यह बैंक द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके अंतर्गत 3200 शाखाओं से संबन्धित लगभग 22 करोड़ दस्तावेज़ स्कैन किए जा चुके हैं और चुनी गई शाखाओं में अब तक 2 लाख से अधिक स्क्वायरफीट की जगह खाली हुई है.

फिनटेक

बैंक वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में फिनटेक कंपनियों के जबर्दस्त प्रभाव को समझता है. बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ष 2016 में एक समर्पित फिनटेक वर्टिकल की स्थापना करने वाला पहला बैंक बना जिसने इन कंपनियों के साथ गठजोड़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मार्च 2019 तक बैंक के पास 40 से अधिक साझेदार थे जो ऋण, भुगतान और नवोन्मेषी सेवाओं के क्षेत्र में विविध फिनटेक स्टार्ट अप के साथ कार्य कर रहे थे.

वर्ष के दौरान हमारी कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार रहीः

1. भुगतान - टू कॉलर पे. बैंक भीम बड़ौदा पे यूपीआई सेवाओं के उपयोग से डिजिटल भुगतान के लिए 'टू कॉलर-पे' पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है. इस गठजोड़ से हमें पूरे देश से 60 मिलियन टेक-सेवी ग्राहकों तक पहुँच प्राप्त हो गई है. बैंक ने लाइव होने के 6 माह के भीतर ही 166 करोड़ रूपये के लेनदेन जेनरेट किए हैं.
2. बॉब नवोन्मेषी केंद्र - बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ उनके कैंपस में बॉब नवोन्मेषी केंद्र (बॉबआईसी) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. बॉबआईसी अपनी तरह का पहला बीएफ़एसआई -एकेडेमियां साझेदार है जो कि एक सशक्त परिवेश में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराता है और जिसका लक्ष्य भारत में नवोन्मेषिता और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है. बैंक का यह विश्वास है कि बॉबआईसी न केवल रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करेगा, बल्कि यह बीएफ़एसआई उद्योग द्वारा अग्रणी तकनीकी सोल्यूशन को अपनाने पर भी ज़ोर देगा.

शेयर्ड सेवाएं

बैंक ने 4 प्रमुख कोर क्षेत्रों - ग्राहक सेवा, कार्य दक्षता, गति और जोखिम प्रबंधन- को केन्द्र में रखते हुए एक पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लि. (बीजीएसएस) स्थापित की है. बैंक के डीजीटाइजेशन और केन्द्रीयकरण रणनीति में यह अंतर्निहित है. कई प्रक्रियाओं को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर और हैदराबाद स्थित अत्याधुनिक शेयर्ड सेवाएं (एसएससी) बैक-ऑफिस परिचालन केंद्रों में अंतरित कर दिया गया है. केन्द्रीयकरण से न केवल लेनदेन लागत में कमी आई है बल्कि जोखिम प्रबंधन नियंत्रण और अनुपालन में भी सुधार हुआ है.

वर्ष के दौरान एसएससी ने, शेयर्ड सर्विसेस सेंटर बैंक के बैक-ऑफिस प्रक्रियों के केन्द्रीयकरण और जोखिम प्रबंधन रूपरेखा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है. एसएससी में निम्न कार्यों का केन्द्रीयकरण किया गया है:

1. सभी जमा खाता खोलने, व्यापार व विदेशी मुद्रा कारोबार (विदेशी) और खुदरा बंधक ऋण प्रोसेसिंग का माइग्रेशन
2. पेंशन परिचालन
3. डिजिटल बैंकिंग व क्रेडिट कार्ड परिचालन
4. ग्राहकों के लिए कॉल सेंटर

कुछ चुनिन्दा शाखाओं और कार्यालयों से संबन्धित कृषि परिचालन, घरेलू व्यापार, अन्य शाखा लेनदेन (एफ़डी, खाता रखरखाव आदि) और एमएसएमई परिचालन प्रायोगिक तौर पर माइग्रेट किए जा रहे हैं. एसएससी में 800 से अधिक पूर्णकालिक कर्मचारी नॉन-वॉइस (लेनदेन प्रक्रिया) में और गिफ्ट सिटी के कॉल सेंटर में लगभग 750 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं जिससे मुंबई और हैदराबाद में व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) के अंतर्गत चिन्हित प्रक्रियाओं और गतिविधियों का 65% से अधिक का केन्द्रीयकरण कार्य पूरा हो गया है.

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान एसएससी ने डिजिटल प्रोसेसिंग की दृष्टि से ग्राहकों को 24x7 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधा आरंभ की है. इससे कुल समय अवधि और हो रही त्रुटियों में भी में काफी कमी आई है जो कि विशिष्ट भूमिका और ''पहली बार सही'' की अवधारणा पर कार्य करने की वजह से है. प्रत्येक लेनदेन/उत्पाद के लिए समय और गति का अध्ययन किया गया है जिससे उपयोगिता और उत्पादकता में निरंतर सुधार हुआ है.

परिचालनगत विशिष्टताएं:

1. बीजीएसएस 24 घंटे कार्य करता है और आईएसओ प्रमाणित है.
2. सभी वर्गों में बेहतर उत्पादकता के लिए बारंबार किए जा रहे कार्यों का ऑटोमेशन और प्राथमिकता प्रोसेसिंग के लिए त्वरित माध्यमों की स्थापना पर ज़ोर. एसएससी आईटी टीम के साथ मिलकर रोबोटिक्स, एआई व मशीन लर्निंग आधारित एप्लीकेशन पर कार्य कर रहा है
3. 650 से अधिक स्टाफ को शाखाओं में बिक्री और अन्य सेवाओं के लिए भेज दिया गया है.
4. व्यापार व विदेशी मुद्रा ग्राहकों के लिए चेकबुक, स्वागत किट, ईमेल/एसएमएस अलर्ट का ऑटोमेशन

एसएससी बैंक के जोखिम प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए लेनदेन/प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर पुरजोर नियंत्रण स्थापित करता है.

विपणन

बैंक ने उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग के लिए एक एकीकृत रणनीति अपनाई है जिसकी पहुंच बहु- ग्राहक संपर्क बिंदुओं तक फैली हुई है. हम नए कथनों का सृजन करते हैं जो हमारी ग्राहक सेवा को विशिष्टता देते हैं और ग्राहकों को हमारे ब्रांड के साथ जुड़े रहने में सहायक होते हैं.

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान बैंक, सभी संचार माध्यमों में बना रहा जैसे कि प्रिंट, डिजिटल, आउट-ऑफ-होम (OOH), टेलीविज़न और रेडियो जिसमें ब्रांड के लिए एडेड और अनएडेड रिकॉल को बढ़ाने हेतु ब्रांड और उत्पाद दोनों के लिए अभियान चलाया गया था. बैंक ने डीडी नेशनल पर दो प्रायोजित शो - ''हुनरबाज़'' और ''हम हैं हुनरबाज़'', सीएनबीसी आवाज पर - ''कोशिश हमारी सफलता आपकी'' जैसे कार्यक्रमों पर अपने लाभार्थियों के वास्तविक जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानियों को प्रदर्शित करके जागरूकता पैदा करना आरंभ किया है. हमारे ब्रांड एंबेसडर पी. वी. सिंधु और के. श्रीकांत ने विभिन्न दर्शकों तक पहुंचने में हमारी मदद की.

वर्ष के दौरान, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के त्रिपक्षीय विलय की प्रक्रिया के संबंध में बैंक द्वारा एक सफल अभियान चलाया गया और इस ऐतिहासिक समामेलन की घोषणा ''बेहतर से बेहतरीन'' तथा पावर ऑफ थ्री'' थीम के साथ हुई जिसे काफी सराहा गया. बच्चों को मुख्य भूमिका में रखते हुए इस अभियान ने न केवल दिलों को जीता बल्कि तीनों ब्रांडों के सम्मिलित विरासतों को भी उजागर किया जिससे ब्रांड रिकॉल बढ़ी है.

डिजिटाइजेशन और नई युवा पीढ़ी के विस्तृत ग्राहक-आधार को ध्यान में रखते हुए, हम डेटा-लेड और मैट्रिक-संचालित डिजिटल मार्केटिंग के लिए बिल्डिंग ब्लॉक लगाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम का लाभ उठा रहे हैं. बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एक अभिलाषापूर्ण ब्रांड के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से बैंक ने पूरे वर्ष के दौरान 50 से अधिक डिजिटल अभियान चलाए, जो उपयुक्त सामग्री प्रदान करके डिजिटल ऑडियंस को शामिल करते हुए उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाता है और उनके अनुभवों, रिसपोन्स और क्षमताओं का लगातार विश्लेषण कर, समझ कर और सुधार कर उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है. बैंक ने नेटीजेंस को शामिल करने और उनसे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया चैनलों पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन और ऑर्गेनिक ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित किया है. बैंक की सोशल मीडिया उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सोशल मीडिया चैनल्स	31.03.2019 के आंकड़े (लाइक्स / फॉलोअर्स की संख्या)
फेसबुक लाइक्स	10,52,000+
ट्विटर फॉलोअर्स	68,000+
यूट्यूब सब्स्क्राइबर्स	24,300+
लिंक्डइन फॉलोअर्स	48,000+
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स	49,200+

बैंक का शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2019 को, बैंक का शाखा नेटवर्क निम्नानुसार था:

	31.03.2018		31.03.2019	
	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा
घरेलू शाखाएं				
महानगरीय	1167	21.35%	1203	21.66%
शहरी	930	17.01%	959	17.27%
अर्ध - शहरी	1537	28.11%	1546	27.84%
ग्रामीण	1833	33.53%	1845	33.23%
कुल	**5467**	**100.00**	**5553**	**100.00**
विदेशी शाखाएं/ कार्यालय (अनुषंगियों की संख्या एवं प्रतिनिधि कार्यालय सहित)	106		100	

बैंक ने 92 नई घरेलू शाखाएं खोली और उनमें से 6 को मौजूदा शाखाओं के साथ मिला दिया.

करेंसी चेस्ट

वर्ष के दौरान वाडकरा (केरला) और कनेडी एवेन्यू (अमृतसर) में दो करेंसी चेस्ट के खुलने से बैंक की करेंसी चेस्ट की संख्या 98 से बढ़कर 100 हो गई. ये करेंसी चेस्ट भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक को प्रभावी नकदी प्रबंधन और सुरक्षा में सहायता करती हैं. सभी करेंसी चेस्ट व शाखाओं में नोट सॉर्टिंग मशीन दिए गए हैं. ये करेंसी चेस्ट शाखाओं में प्रभावी नकदी प्रबंधन में भी सहायता करती हैं.

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

बैंक की विरासत में, सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु अपने विभिन्न विकास कार्यों के जरिए समाज सेवा का एक लंबा इतिहास है. एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के तौर पर बैंक समाज कल्याण में, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देने और उनके जीवन में एक प्रभावी और सतत परिवर्तन लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है. लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, मानव कल्याण और महिला एवं किसानों के उत्थान के लिए सामाजिक गतिविधियां बैंक के प्रमुख केंद्र बिन्दु है. बैंक कई संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है जो कमजोर वर्ग और ग्रामीण नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण व सामुदायिक विकास कार्यों में सेवारत हैं.

बैंक ने देश में 7 राज्यों में 49 बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान (बीएसवीएस) और आरएसईटीआई केंद्र स्थापित किए हैं. ये केंद्र स्वरोजगार पाने के लिए ग्रामीण एवं अर्धशहरी केन्द्रों के युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाते हैं. अब तक इन संस्थाओं ने 12,990 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 3,64,995 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 2,37,507 को रोजगार मिल गया है या उन्होंने खुद के उद्यम स्थापित किए हैं. इसमें सफलता का अनुपात 65% है. वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान आरएसईटीआई के समग्र निष्पादन/कार्यों के आधार पर हमारी 25 बीएसवीएस केन्द्रों को ''ए/ए'' (अतिउत्कृष्ट) श्रेणी प्राप्त हुई. 20 बड़ौदा आरएसईटीआई बैंक के अपने परिसर में ही कार्यरत हैं.

बैंक ने 8 राज्यों में 51 वित्तीय साक्षरता व ऋण परामर्श केंद्र (एफ़एलसीसी) स्थापित किए हैं जो ग्रामीण व शहरी जनता को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों और सेवाओं से संबन्धित सूचना और सलाह देते हैं ये केंद्र ऐसी गतिविधियां आयोजित करते हैं जिनसे वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूकता, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय योजना और किसी व्यक्ति को ऋण जाल में फंसने से बचने से संबन्धित जागरूकता बढ़े.

जोखिम गवर्नेंस एवं आंतरिक नियंत्रण

जोखिम पर अधिक ध्यान देना और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का समर्थन करने में जोखिम से निपटने और उसका प्रबंध करने हेतु बैंक के स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्धारण करना शामिल है. प्रायः जिसका ''बचाव की तीन पंक्तियां'' के रूप में उल्लेख किया जाता है, उन तीनों पंक्तियों में से प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका है. ये निम्नानुसार हैं:

i. बचाव की प्रथम पंक्तिः इसमें सभी कर्मचारियों का समावेश है, क्योंकि उन्हें जोखिम का प्रभावी प्रबंधन एवं विनियमों, बैंक की पालिसियों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है.

ii. बचाव की दूसरी पंक्तिः इसमें जोखिम नियंत्रण के ऑनर, जोखिम प्रबंधन कार्यालय एवं अनुपालन कार्यों का समावेश है. यह बचाव की प्रथम पंक्ति से स्वतंत्र रूप से इंटरप्राइज़ आधार पर जोखिम की पहचान, आकलन, मानिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है.

iii. बचाव की तीसरी पंक्तिः यह आंतरिक जोखिम आधारित और अन्य लेखापरीक्षा करके आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य द्वारा उपलब्ध कराया गया स्वतंत्र आश्वासन है. इसकी समीक्षा निदेशक मंडल को यह आश्वासन उपलब्ध कराती है कि समग्र गवर्नेन्स फ्रेमवर्क तथा जोखिम गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रभावी है और पालिसियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया जाता है. लेखापरीक्षा कार्य की भूमिका सुव्याख्यायित है और उनका निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अवलोकन किया जाता है.

जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन

जोखिम बैंकिंग कारोबार का एक अविभाज्य अंग है और बैंक जोखिम एवं रिटर्न के बीच उचित संबंध स्थापित करना चाहता है. सतत एवं निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सक्षम जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क विकसित किया है, जिससे कि बैंक द्वारा स्वीकृत जोखिमों का ठीक से मूल्यांकन और निगरानी हो सके. बैंक अपनी कारोबार गतिविधियों को निर्धारित जोखिम की सीमा के भीतर और बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार संचालित करता है. विभिन्न प्रकार के जोखिमों पर निगरानी रखने के कार्य को सरल बनाने के लिए निदेशक मण्डल की विनिर्दिष्ट समितियों का गठन किया गया है. बैंक ने निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति का भी गठन किया है, जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के मध्य अंतर संबंधों का निरीक्षण करती है तथा जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समर्थित है. प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए गवर्निंग फ्रेमवर्क से बैंक के निदेशक मंडल या निदेशक मण्डल की समितियों द्वारा समय-समय पर नीतियां अनुमोदित की गई हैं.

बैंक के पास व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन की प्रक्रिया और दबाव परीक्षण की नीति है. सामान्य और दबाव दोनों स्थितियों के तहत पिल्लर 2 जोखिम जैसे कि तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, एकाग्रता जोखिम तथा पूंजी पर्याप्तता को मौजूदा नीतियों के अनुसार उसका मूल्यांकन करते हैं. हमारे बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों का मूल्यांकन और प्रबंधन करने के लिए प्रक्रिया की एक संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है :

उद्यम जोखिम प्रबंधन एवं जोखिम-वहन क्षमता विवरण

व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के लिए समग्र बैंक में सशक्त जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने, सभी जोखिमों की जल्द पहचान, मूल्यांकन, मापन, एकत्रीकरण और प्रबंधन में मदद करने और पूंजी आबंटन की सुविधा के लिए एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है. सभी जोखिम ओवरआर्चिंग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क द्वारा स्वीकृत हैं और पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए गए हैं.

बैंक सभी स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके और विभिन्न स्थानीय कार्यशालाओं का आयोजन करके एक मजबूत जोखिम जागरूकता संस्कृति विकसित करने का प्रयास कर रहा है.

ऋण जोखिम

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के माध्यम से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरुप नीतियां, प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग पद्धती को निर्धारित करते हैं. बेहतर ऋण संस्कृति और एक सुगठित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की स्थापना के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है. स्वतंत्र मॉडल सत्यापनकर्ताओं द्वारा उनके विवेकाधीन शक्ति, सटीकता और स्थिरता के साथ क्रेडिट जोखिम मापन मॉडल को सत्यापित किया जाता है.

बैंक को इन कुछ वर्षों में आंतरिक रेटिंग में अच्छा अनुभव रहा है, जिससे 31 मार्च, 2013 से बेसल II दिशानिर्देशों के तहत क्रेडिट जोखिम के फाउंडेशन

में आंतरिक रेटिंग (एफआईआरबी) को चलाने के लिए नियामक की स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम बना है. आईआरबी दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक ने ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए अपना अनुभव सिद्ध मॉडल विकसित किया है.

बैंक ने क्रेडिट संकेन्द्रण प्रबंधन करने हेतु उद्योगों, क्षेत्रों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेकशील उच्च सीमाएं तय कर रखी हैं. पोर्टफोलियो समीक्षा कक्ष, क्षेत्रवार एक्सपोजर, ऋण संकेन्द्रण, रेटिंग विभाजन तथा माइग्रेशन की समीक्षा करता है.

शेयरधारकों के लिए 'आर्थिक मूल्यवर्धन' की दृष्टि से क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के मूल्यांकन हेतु कॉर्पोरेट क्रेडिट एक्सपोजर के लिए रिस्क अडजेस्टेड रिटर्न ऑन असेट (आरएआरओसी) फ्रेमवर्क को भी लागू किया है.

बाजार ज़ोखिम

बाज़ार जोखिम का अर्थ बाजार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण अर्जन या आर्थिक मूल्य के नुकसान का जोखिम है. विभिन्न बाजार उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव मुख्य कारकों जैसे ब्याज दरों, विनिमय दरों, आर्थिक विकास तथा कारोबार विश्वास में परिवर्तन के कारण है. बैंक ने अपने ट्रेजरी-कार्यों को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए पूर्णतः निर्धारित नीतियां बनाई हैं जो बाजार जोखिम स्थितियों को सम्हालती है.

बैंक दैनिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर के जोखिम का आकलन करता है और निगरानी करता है. विदेशी मुद्रा जोखिम का दैनिक आधार पर निवल एक रात की प्रारंभिक सीमा (एनओओपीएल), वीएआर सीमा, कुल गैप सीमाएं (एजीएल), व्यक्तिगत गैप सीमाएं (आईजीएल) के संदर्भ में आकलन किया जाता है और निगरानी की जाती है. इक्विटी मूल्य जोखिम का वीएआर सीमाओं और पोर्टफोलियो आकार सीमाओं के माध्यम से आकलन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है. लेनदेन स्तर पर, स्टॉप हानि सीमा और डीलर-वार सीमा निर्धारित और कार्यान्वित की गई है. अपने दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के तहत, बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी व्यापारिक बही-पोर्टफोलियो का व्यापक दबाव परीक्षण करता है.

आस्ति देयता प्रबंधन

तरलता जोखिम, अपेक्षित तथा अनपेक्षित नकदी तथा संपार्श्विक दायित्व को उचित लागत पर पूरा करने की असमर्थता है. बैंक में तरलता जोखिम का, प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विवेकपूर्ण निर्धारणों से आकलन किया जाता है तथा मॉनीटर किया जाता है. बैंक ने तरलता मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क, तरलता कवरेज अनुपात, तरलता जोखिम मॉनीटरिंग टूल्स और एलसीआर घोषणा मानकों को कार्यान्वित कर दिया है. एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके जो पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण गंभीर तरलता दबाव परिवेश 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा कर सकें. बैंक हमेशा एकल के साथ-साथ समेकित आधार पर भी एलसीआर के निर्धारित स्तर से ऊपर रहा है.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील आस्तियों और देयता के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होता है जो कि बाजार में ब्याज दरों में परिवर्तन के साथ बैंक की आय/इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की निगरानी और उसके आकलन के लिए बैंक पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिमपूर्ण आय और इक्विटी की संशोधित अवधि जैसे जोखिम प्रबंधन टूल्स का प्रयोग करता है. [एनआईआई] निवल ब्याज आय की गतिविधियों के लघु अवधि प्रभाव का निर्धारण ''जोखिम पर आय'' एप्रोच के माध्यम से किया जाता है, इसमें वक्र जोखिम में समान हस्तांतरण, आय वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा अंतःस्थापित विकल्प जोखिम भी शामिल हैं. ब्याज दर बदलाव का दीर्घावधि प्रभाव इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) में परिवर्तन के माध्यम से आकलन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है.

परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम के व्यवस्थित, सम्पूर्ण और एकीकृत प्रबंधन के लिए हमारे बैंक ने वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम एसएएस एंटरप्राइज संहिता, जोखिम और अनुपालन (ईजीआरसी) का क्रियान्वयन किया है. संव्यवहार स्तर पर परिचालनगत जोखिम को कम और नियंत्रित करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने केवायसी/एएमएल/सीएफटी दृष्टिकोण से सभी घरेलू संव्यवहारों की निगरानी करने के लिए केंद्रीकृत संव्यवहार निगरानी इकाई की स्थापना की है. बैंक ने कई बैक ऑफिस गतिविधियों को केंद्रीकृत करने के माध्यम से संव्यहारों (बैक ऑफिस) को कार्यान्वित करते हुए ग्राहक इंटरफेस (फ्रंट ऑफिस) को अलग किया है. फोरेक्स लेनदेन में परिचालनगत जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने फोरेक्स लेनदेन के लिए केंद्रीकृत ट्रेड फ़ाइनेंस बैक ऑफिस (टीएफ़बीओ) की स्थापना की है.

प्रमुख जोखिम संकेतक कार्यक्रम (केआरआई), जोखिम नियंत्रण और स्व मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएसए) और मूल कारण विश्लेषण की शुरूआत ने नियंत्रण के परिवेश को और मजबूत किया है.

बेहतर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक, इंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन (ईएफआरएमएस) के प्रथम चरण का क्रियान्वयन कर चुका है एवं द्वितीय चरण को लागू करने की प्रक्रिया में है.

बासल III कार्यान्वयन

भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2013 से बासेल III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन किया गया है. इस कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की व्यापक गुणवत्ता एवं मात्रा की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर परिष्कृत प्रकटीकरण की भी आवश्यकता है. बैंक की कोर पूंजी में सुधार करने तथा वृद्धि करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2016 में एफ़सीटीआर, डीटीए तथा पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को शामिल करने के लिए नए उपाय किये हैं. बैंक ने मार्च 2016 से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) रखना शुरू किया है और वित्त वर्ष 2020 तक 2.5% के निर्धारित न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर लेगा .

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रांजिशनल व्यवस्था के अनुसार नियामक अनिवार्य तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को भी बनाए रखा है.

अनुपालन

अनुपालन कार्यकलाप बैंक के कार्पोरेट गवर्नेंस संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक है. बैंक ने अच्छी तरह से प्रलेखित अनुपालन नीति के साथ साथ एक सुदृढ़ अनुपालन प्रक्रिया को स्थापित किया है जो बैंक के अनुपालन का दर्शन, भूमिका और अनुपालन विभाग का गठन, उसके स्टाफ की संरचना और उनकी विशेष जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है.

अनुपालन प्रणाली बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धन और निदेशक मंडल को लागू कानूनों, नियमों और वैश्विक मानकों पर सलाह देती है और इस क्षेत्र में हो रही प्रगति से उनको अवगत कराती है. यह बैंक के व्यवसाय स्टाफ और नामित अनुपालन अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के द्वारा अनुपालन के मामलों पर उन्हे शिक्षित करती है. इस उद्देश्य के लिए बैंक की साइट पर नॉलेज मैनेजमेंट टूल को भी अपलोड किया गया है. बैंक ने अनुपालन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक में प्रत्येक स्तर पर प्रमाणीकरण और विभिन्न नियामक, सांविधिक और आंतरिक दिशानिर्देशों की निगरानी के लिए एक वेब आधारित अनुपालन प्रबन्धन समाधान को कार्यान्वित किया है.

केवायसी / एएमएल अनुपालन

बैंक के पास एक सुपरिभाषित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति है. इस नीति के आधार पर, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक के केवायसी मानदंडों, एएमएल मानकों एवं सीएफटी उपायों तथा बैंक के दायित्वों को कार्यान्वित किया जाता है. बैंक के पास वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू - आईएनडी) को प्रस्तुत करने के लिए नकद लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर) को इलेक्ट्रानिक रूप से जनरेट करने हेतु विस्तृत प्रणाली है. बैंक इलेक्ट्रानिक रूप से जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), गैर लाभकारी संगठनों की लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांस्फर (ईएफटी) रिपोर्ट को एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली के पोर्टल पर प्रत्येक माह निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करता है.

बैंक ने केन्द्रीय लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) की स्थापना की है और ग्राहकों के खातों में संदिग्ध लेन-देन पैटर्न की निगरानी और पहचान तथा सिस्टम में पूर्व परिभाषित अलर्ट मानदंड के आधार पर सिस्टम आधारित लेन-देन अलर्ट जनरेट करने के लिए एक एएमएल सॉल्यूशन स्थापित किया है.

ग्राहकों के खातों का अर्धवार्षिक आधार पर सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप धन शोधन जोखिम वर्गीकरण करने के पश्चात उच्च जोखिम वाले ग्राहकों का अर्धवार्षिक आधार पर पुनः केवाईसी किया जाता है. इस उद्देश्य से, बैंक ने ऐसे ग्राहकों की पहचान एवं उनके लिए सूचना जनरेट करने तथा उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज़ जमा करने संबंधी सूचना प्रेषित करने हेतु स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है.

बैंक ने ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के लिए ग्राहकों की स्वैच्छिक घोषणा पर यूआईडीएआई के साथ मिलकर आधार आधारित ई-केवाईसी भी लागू किया है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक अपने सभी मौजूदा ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित करने की प्रक्रिया में है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वैयक्तिक ग्राहकों को सीकेवायसी नंबरों के आवंटन के लिए सेंट्रल केवायसी रजिस्ट्री को लागू किया है. लाभार्थी स्वामित्व के संबंध में दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन हो रहा है.

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक का केन्द्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग (सीआईएडी) आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है. सीआईएडी शाखाओं और कार्यालयों की जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के अलावा विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करता है. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति समग्र आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों की निगरानी करता है और बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा और अन्य सभी लेखापरीक्षा कार्यकलापों को प्रभावी बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है. समिति बैंक में कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के कार्यकलापों की निगरानी करती है.

सीआईएडी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति द्वारा लिए गए निर्णय की आवधिकता के अनुसार तेरह अंचल आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के माध्यम से शाखाओं / कार्यालयों के आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य करता है. बैंक की सभी शाखाएं जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर हैं. वित्त वर्ष 2019 के दौरान लेखापरीक्षित 4,881 शाखाओं में से 4,151 शाखाएं (85.0%) न्यूनतम जोखिम में थी, 627 शाखाएं (12.9%) मध्यम जोखिम में थी,101 शाखाएं (2.1%) उच्च जोखिम में थी और 2 शाखाएं (0.04%) अत्यधिक उच्च जोखिम वर्ग में थी.

बैंक ने प्रौद्योगिकी, इमेजिंग समाधान और डिज़ीटलीकरण के उपयोग के द्वारा गतिविधियों के केन्द्रीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने वाली प्रक्रियाओं के साथ लेखापरीक्षा की व्यापक समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र फर्म की सेवाएं ली है. लेखापरीक्षा रूपांतरण प्रक्रिया पूरी हो गई है और वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधन के अंतर्गत संशोधित लेखापरीक्षा पद्धति की शुरूआत हो गई है.

ग्राहक सेवाएं

बैंक ने एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान करने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया है. हमारा निरंतर यह प्रयास रहा है कि हम इस उद्योग में बेंचमार्क स्थापित करें तथा उत्पादों की उन्नति/नवोन्मेषिता, प्रक्रिया एवं सेवाप्रदाता के रूप में अग्रणी रहें जो कि हमारे ग्राहकों को निर्बाद्ध सेवा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है. हम ग्राहक सेवा में उतरोत्तर सुधार हेतु वॉइस ऑफ कस्टमर्स एवं एम्प्लोई, ग्राहक अनुभव में संगठन के लक्ष्य से जुड़े ग्राहक अनुभव लक्ष्य, ''ग्राहक प्रथम की संस्कृति'' का निर्माण करने तथा अनुभव (उत्पाद डिजाइन, प्रणाली एवं प्रक्रियाओं) को नया स्वरूप देते हुए उनकी आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के बीच के अंतर को समझने एवं उसकी पहचान की दिशा में लगातार सक्रिय रहे हैं.

इस वर्ष हर संपर्क स्थल से सेवा में सुधार हेतु ''ईज़ ऑफ बैंकिंग'' केंद्र में रहा. ''ईज़ ऑफ बैंकिंग'' (पहुँच विस्तार एवं सेवा उत्कृष्टता) को सुनिश्चित करने के लिए पूरे वर्ष कई पहलें की गईं. बैंक ऑफ बड़ौदा को 'ईज़ ऑफ बैंकिंग' जो कि भारत सरकार द्वारा शुरूकी गई एक महत्वपूर्ण पहल है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक उत्तम प्रथा को आत्मसात करने व श्रेष्ठ ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है.

बैंक द्वारा इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

- बैंक के पास बीमा और निवेश सहित वित्तीय सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला है जो ग्राहकों को 'वन स्टॉप शॉप एक्सेस' उपलब्ध कराते हैं. बैंक ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में चुनिन्दा ग्राहक सेगमेंट हेतु सेवा एवं विपणन कार्यनीति को अनुकूलित किया है. सभी बड़े शहरों में ''बड़ौदा रेडियन्स'' की शुरूआत की गई है. हमारे सभी ग्राहकों को अब निवेश एवं धन प्रबंधन सेवाएँ उपलब्ध हैं. बैंक के पास सर्वश्रेष्ठ निवेश सलाहकार और रिलेशनशिप मैनेजर हैं. ''बड़ौदा रेडियन्स'' ग्राहकों की सहायता हेतु अब एक समर्पित फोन बैंकिंग टीम उपलब्ध है.

- बैंक के लोकप्रिय मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के साथ घर से और मोबाइल से बैंकिंग में कई बार प्रयोग किए जाने वाले विकल्पों तथा फंक्शन (नामांकन पंजीकरण, खाता अंतरण हेतु अनुरोध, मीयादी जमा बंद करना, संपर्क स्थलों पर खाता विवरण एक नजर में) को जोड़ते हुए मोबाइल बैंकिंग को और अधिक आसान बना दिया गया है. बेहतर प्रयोक्ता अनुभव प्रदान करने हेतु इंटरनेट और अन्य विभिन्न डिजिटल एप्लिकेशन के नए फंक्शन के साथ इसे उन्नत बनाया जा रहा है.
- बैंक ऑफ बड़ौदा का संपर्क केंद्र अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त 6 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उपलब्ध है. यह आपातकालीन स्थिति (कार्ड ब्लॉकिंग, पुनः जारी, भुगतान पर रोक), पूछ-ताछ अथवा शिकायतों को हैंडल करने के लिए 24 x 7 उपलब्ध है. यह हमारे 4 विदेशी स्थानों- मॉरीशस, बोत्सवाना, ओमान एवं युगांडा को भी सहायता प्रदान करता है.
- बैंक ने ग्राहकों को और अधिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए शिकायत मशीनरी में 'एंड टु एंड सुधार' का कार्य आरंभ किया है. इन सुविधाओं में एक व्यापक एवं सुस्थापित नीति, वास्तविक समय के आधार पर शिकायत की स्थिति की ट्रैकिंग, समय सीमा में स्वतः एस्केलेशन, दस्तावेज़ संलग्न करने हेतु विकल्प, समाधान की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया का विकल्प एवं शिकायत की पुनः सुनवाई के विकल्प भी शामिल हैं.
- सर्वोच्च स्तर पर, बैंक ने ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है, जो बोर्ड की एक उप-समिति है जो ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के उद्देश्य से नीतियों के निर्माण और उनके अनुपालन के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है. बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थायी समिति भी बनाई है. इसके सदस्यों में दो प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तित्व, सभी कार्यपालक निदेशक और बैंक के सात विभाग प्रमुख शामिल हैं. यह समिति विद्यमान पद्धतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है और ग्राहक सेवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का समय पर और प्रभावी अनुपालन देखती है. इसके अलावा, शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समितियाँ हैं जो ग्राहकों से सीधे बातचीत करती हैं.
- जबकि बैंक का ध्यान घर से बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने पर है, तथापि आपका बैंक मिस्ट्री शॉपिंग/सेवा लेखा परीक्षा के माध्यम से शाखाओं के व्यापक नेटवर्क द्वारा प्रदान की जा रही सेवा स्तर की निगरानी भी कर रहा है. बैंक वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों हेतु ''ईएएसई'' पर विशेष फोकस करते हुए सभी ग्राहकों को बेहतर माहौल, बैठने की अधिक जगह तथा बेहतर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कर रहा है. कुछ प्रमुख शाखाओं का फेसलिफ्ट किया जा रहा है तथा ग्राहक अनुभव को उन्नत करते हुए एक प्रतिस्पर्धात्मक दिशा प्रदान करने के आशय से इन्हें एक नया स्वरूप दिया जा रहा है.
- बैंक वैकल्पिक वितरण प्रणाली (एटीएम तथा कैश रिसाइक्लर के अतिरिक्त)-सेल्फ सर्विस पास बुक, मल्टी फंक्शन कियोस्क, टैब बैंकिंग, बड़ौदा पे पॉइंट, भीम आधार के साथ टाई-अप, उन्नत यूपीआई एप्लिकेशन तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य पहलों जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से कठिनाई रहित बैंकिंग का परिचालन कर रहा है.
- बैंक ने विविध डिजिटल उत्पादों जैसे डेबिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम क्यूआर, भीम आधार तथा पीओएस मशीन उपलब्ध कराते हुए 281 गावों को नकदी रहित गावों में परिवर्तित कर दिया है.
- जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है, बैंक लगातार अपनी आईटी संरचना को उन्नत कर रहा है और अपनी इस प्रक्रिया में डिज़ीटलीकरण को गति प्रदान कर रहा है. बैंक ने एक नई ऋण प्रोसेसिंग प्रणाली की शुरूआत की है जो आवेदन-पत्रों की अंतिम प्रक्रिया तक की ट्रैकिंग और ऋण संवितरण शीघ्र करता है. प्रत्येक संपर्क केन्द्र पर संपर्क और अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही एक व्यापक सीआरएम उद्यम की शुरूआत की जाएगी.
- बैंक ने 'ग्राहक प्रथम' अभियान चलाया हुआ है और विभिन्न संपर्क केन्द्रों पर ग्राहकों तथा कर्मचारियों के अनुभवों पर उनसे निरंतर सुझाव मांगे जा रहे हैं. बैंक ऑफ़ बड़ौदा एक क्लाइंट फर्स्ट न्यूजलेटर ''प्रथम'' का भी प्रकाशन करता है जो सेवा उद्योग के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कार्यपद्धतियों की चर्चा करता है और बड़ौदियन्स के ''क्लाइंट फर्स्ट'' से हुए अनुभवों को साझा किया जाता है.

एक बैंक के साथ ग्राहक की यात्रा में बैंक द्वारा प्रस्तावित उत्पादों एवं सेवाओं संबंधी पूछताछ से लेकर डिलिवरी तक कई स्तर आते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग के हर स्तर पर ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने एवं ''ग्राहक की सराहना'' सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है.

आपके बैंक ने फॉरेस्टर्स इंडिया सीएक्स सूचकांक, 2018 में भारतीय बैंकों की रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया है. फॉरेस्टर्स सीएक्स सूचकांक गणना करता है कि कंपनी ग्राहकों को किस प्रकार सफलता के अनुभव प्रदान कर रही है जिससे उनकी निष्ठा का सृजन होता है और वह बनी रहती है.

सतर्कता

बैंक में सतर्कता कार्यकलाप का लक्ष्य व्यवहार्यतः ईमानदारी से लिए गए निर्णयों का समर्थन करना तथा साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल पर कोई गलत कार्य न हो. संगठन के भीतर मौजूद ऐसी कमियों को, जिसके कारण संभाव्य वित्तीय हानि हो सकती है, पहचान कर उन्हें दूर करने के सुधारात्मक एवं निवारक उपाय पर जोर दिया जाता है.

संवेदनशील शाखाओं के लिए नियमित सतर्कता लेखापरीक्षा की जाती है और कर्मचारियों को सतर्कता न्यूज लेटर, परिपत्रों, बैठकों आदि के माध्यम से निवारक सतर्कता के पहलुओं पर जागरूक किया जाता है. सतर्कता मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करके कर्मचारियों की जवाबदेही के मामलों की संख्या में कमी लाई गई है. ऑनलाइन सतर्कता मंजूरी, अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति तथा शिकायत प्रबंधन सिस्टम को शामिल करते हुए एक विशेष पोर्टल 'बॉब ई-विजिल' को संचालित किया गया है.

मानव संसाधन

बैंक के पास 55000 से अधिक कर्मचारियों का समृद्ध पूल है. बैंक अपने मानव संसाधन को मजबूत बनाने और विकसित करने के लिए लगातार पहल करता है जैसे भर्ती, कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना, कर्मचारी नियोजन और क्षमता निर्माण.

दूसरे वॉयस ऑफ़ बड़ौदियन सर्वे में 87% कर्मचारियों की भागीदारी रही, जिसमें बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें प्रभावित करने वाले विविध पहलुओं पर अपने विचारों, सुझावों एवं अभिमत को व्यक्त किया है. बैंक द्वारा शुरूकी गई विभिन्न मानव संसाधन पहलों के परिणामस्वरूप, पिछले सर्वेक्षण में समग्र

कर्मचारी नियोजन स्तर 55% से बढ़कर 63% हो गया. बैंक को जोम्बे द्वारा सर्वश्रेष्ठ 50 पीसीआई (पीपल कैपिटल इंडेक्स) कंपनियों में सम्मानित किया गया है.

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें की गई जिनका हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन और लाभ में प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है.

श्रम शक्ति योजना और भर्ती:

बैंक ने विभिन्न स्तरों पर कौशल-आधारित श्रम शक्ति आवश्यकताओं के आकलन के लिए एक नया वैज्ञानिक श्रमशक्ति नियोजन मॉडल तैयार किया है. इससे बैंक को भर्ती, तैनाती, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसले लेने में मदद मिलेगी.

बैंक ने वित्त वर्ष 2019 में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से 1,281 अधिकारियों और व्यवसाय सहयोगी के रूप में 1,617 लिपिकीय संवर्ग की भर्ती की है. बैंक ने अपनी क्षमता सुदृढ़ करने और योग्य कर्मचारी में वृद्धि के लिए मुख्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेष स्टाफ की भर्ती भी की है.

बड़ौदा जेम्स विकास और सशक्तिकरण प्रबंधन प्रणाली

बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी अधिकारियों के लिए कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) वैज्ञानिक रूप से मापने के लिए - बड़ौदा जेम्स (GEMS) (ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम) की शुरूआत की है जो पारदर्शी और कार्यनिष्पादन संचालित संस्कृति को स्थापित करने के लिए है. शाखा प्रमुखों की भूमिका के लिए परिलब्धि को भी बड़ौदा जेम्स के साथ लिंक किया गया है, क्योंकि यह केआरए की प्राप्ति का सटीक स्तर बताता है.

जॉब फैमिली:

वर्ष के दौरान बैंक में कर्मचारियों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को जॉब फैमिली में आवंटित करने की अवधारणा की शुरूआत की गई है ताकि उन्हें विभिन्न भूमिकाओं में रखते हुए बेहतर अवसर प्रदान किए जा सके जिसे प्रत्येक जॉब फैमिली के लिए मैप किया गया है. यह ढांचागत और समय पर नियोजन, एकस्पोज़र एवं विकास सुनिश्चित करता है.

वैयक्तिक एवं टीम उत्कृष्टता के लिए बड़ौदा रिवार्ड्स - ब्राइट (बीआरआईटीई)

बैंक हमेशा कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करने में अग्रणी रहा है और यह मानता है कि हमारी उत्कृष्टता की खोज में कर्मचारी नीतिगत भागीदार हैं. बुनियादी मूल्यों की भावना को स्थापित करने और कर्मचारी कार्यनिष्पादन और प्रेरणा के विभिन्न आयामों को कवर करने के लिए वर्ष के दौरान एक व्यापक पुरस्कार एवं सम्मान योजना 'वैयक्तिक एवं टीम उत्कृष्टता के लिए बड़ौदा रिवार्ड्स - ब्राइट' (बीआरआईटीई) को स्थापित किया गया है, जो व्यक्तिगत एवं टीम दोनों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए है.

बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम

यह एक कर्मचारी इंगेजमेंट कार्यक्रम है, जिसे टीम एकजुटता की भावना और सहयोग तथा कार्यस्थल को खुशनुमा बनाने के लिए तैयार किया गया है. समग्र रूप से कर्मचारी जुड़ाव के स्तरों को उच्च बनाने हेतु विभिन्न पहलें जैसे सभी शाखाओं कार्यालयों में माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, तुरंत पहचान - खुशनुमा पल, मनोरंजन का समय, कर्मचारियों द्वारा स्थानीय सामुदायिक सेवा / सामाजिक गतिविधियां आदि प्रारम्भ की गईं. सभी शाखाओं/ कार्यालय के माध्यम से छह महीनों में अनिवार्य रूप से सामुदायिक सेवा कार्यक्रम चलाया जाता है जिससे स्थानीय स्तर पर समाज से संबंध बनाने में सहायता मिलती है. बैंक भी एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपना दायित्व निभाता है.

बड़ौदा अनुभूति के बैनर तले बैंक नवंबर माह के चौथे शनिवार को वार्षिक खेल दिवस मनाता रहा है और देश भर में विभिन्न खेलों से जुड़े छः अंतर आंचलिक खेल एवं सांस्कृतिक टूर्नामेंट करता रहा है.

स्वास्थ्य एवं फिटनेस अभियान

बैंक ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के लिए कई पहल की है जिसमें कर्मचारीगण और उनके पति/ पत्नी के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य जांच योजना शामिल है. वर्ष के दौरान बैंक ने सभी स्थायी कर्मचारियों को रु 20 लाख के ग्रुप टर्म लाइफ इन्शुरेंस कवर दिए हैं. ग्रुप मेडिकल इन्श्युरेंश पॉलिसी के माध्यम से कर्मचारियों की मेडिकल चिकित्सा आवश्यकता पूरी की जाती है. बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्यवर्धन और कुशलक्षेम के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर, फिटनेस अभियान, योग सत्र आदि आयोजित करता है.

क्रेश सुविधा

वर्ष के दौरान, बैंक ने कर्मचारी हितैषी कल्याणकारी उपाय के रुप में कर्मचारियों के छोटे बच्चों के लिए डे केयर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में एक अत्याधुनिक क्रेश स्थापित किया है. बैंक के प्रधान कार्यालय, बड़ौदा व अन्य चयनित केन्द्रों पर इस सुविधा को आरंभ करने की योजना है.

ज्ञानार्जन और विकास

बैंक ज्ञानार्जन का दृष्टिकोण रखते हुए कर्मचारियों के कैरियर में अलग-अलग पड़ाव में आवश्यकताओं के अनुरूप उनके विभागीय कार्य संबंधी प्रशिक्षण, अनिवार्य और व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण की सभी अपेक्षाओं को प्रक्रियाबद्ध तरीके से पूरा करता है. अनिवार्य प्रशिक्षण की पद्धति को विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन भूमिकाओं के निर्वहन के अनुरूप किया गया है. अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए तैनाती से पहले अनिवार्य प्रमाणित कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं. बैंक, कर्मचारियों के सॉफ्ट स्किल्स को प्रखर करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है.

बैंक ने ज्ञानार्जन का परिवेश बनाने की दृष्टि से विभिन्न नवोन्मेषी और डिजिटल चैनल जैसी पहल की है, जैसे कि बड़ौदा गुरुकुल, बड़ौदा मगदर्शक, बड़ौदा रेडियो, बड़ौदा पीडिया, बड़ौदा यू ट्यूब, डिजिटल पुस्तकालय और ज्ञान अद्यतन के लिए साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी.

हमारे ई-लर्निंग प्लेटफार्म पर 280 से अधिक मॉड्यूल उपलब्ध हैं और वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान कर्मचारियों द्वारा 8 लाख से अधिक पाठ्यक्रम पूरे किये गए.

''वी लीड'' एक व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम

बैंक ने भविष्य में नेतृत्व के पद संभालने के लिए निम्नलिखित चार विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से 2700 से ज्यादा कुशल प्रबधकों का चयन किया है.

- बड़ौदा वरिष्ठ नेतृत्व कार्यक्रम - वेतनमान VI व VII के अधिकारियों के लिए
- बड़ौदा इमर्जिंग लीडर्स कार्यक्रम - वेतनमान V के अधिकारियों के लिए
- बड़ौदा राइजिंग स्टार कार्यक्रम - वेतनमान IV के अधिकारियों के लिए
- सयाजीराव गायकवाड स्कॉलर कार्यक्रम - वेतनमान I, II व III के अधिकारियों के लिए

हमने नेतृत्व विकास कार्यक्रम 'वी लीड' का पहला चरण पूरा कर लिया है और इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए अगला चरण भी आरंभ कर दिया है.

बड़ौदा आलोक चन्द्र वीरता पुरस्कार

वर्ष के दौरान स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों की परिधि से भी आगे बढ़ कर बैंक के हितों की रक्षा व संरक्षण हेतु साहस पूर्ण कार्य करने के लिए बैंक ने 'बड़ौदा आलोक चन्द्र वीरता पुरस्कार' की स्थापना की. यह पुरस्कार स्वर्गीय श्री आलोक चन्द्र की स्मृति में स्थापित किया गया है जिन्होंने वर्ष के दौरान अरवल शाखा, पटना क्षेत्र में कार्य करते समय बैंक के हितों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी.

कॅरियर विकास

आपके बैंक ने कर्मचारियों को कॅरियर विकास के लिए प्रोत्साहित करने, उनके निष्पादन को पुरस्कृत करने और कॅरियर में अग्रसर होते हुए उनके संगठन और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रेरणा देते हुए कई प्रयास किए हैं. आपका बैंक न केवल इन्हें ऊपर अग्रसर होने के लिए ही, बल्कि अधिकारियों को सम स्तर पर विभिन्न तैनातियों के जरिए विविध कार्य सौंपता है जिससे उन्हें व्यापक रूप से सर्वांगीण कुशलता की प्राप्ति होती है और वे एक स्पष्ट कॅरियर पथ पर अग्रसर होते हैं. वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान पदोन्नति की प्रक्रिया के तहत सभी वेतनमान व संवर्गों में 3,564 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया.

मानव संसाधन नीतियों और प्रणाली विकास में निरंतर अद्यतन

बैंक निरंतर अपनी नीतियों और प्रणालियों को अद्यतन करता रहता है जिससे कि वे ''अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हों''. वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान विभिन्न नीतियों - स्थानांतरण, पदोन्नति, समान अवसर पर नीतियों को समयानुकूल बनाते हुए अद्यतन किया गया. स्टाफ कल्याण निधि के तत्वावधान में बैंक ने बैंक के हॉलिडे होम में सुविधाओं को एक समान कर दिया और साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कर्मचारियों के लाभार्थ मुन्नार, पंचमढ़ी, शिलोंग, धर्मशाला और बड़ौदा में 5 और हॉलिडे होम खोले जिससे हॉलिडे होम की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई.

बैंक का केंद्रीकृत एचआरसीपीसी विभाग सभी स्टाफ ऋण आवेदनों और ऑनलाइन टीए/ डीए दावों को आवेदन प्राप्त होने के दिन ही निपटा देता है जिससे कुल समय अवधि कम रहती है और कर्मचारियों को संतोष होता है.

बैंक अपने मानव संसाधन तकनीकी प्लैटफ़ार्म ''कर्मचारी सेवाओं के लिए मानव संसाधन नेटवर्क एचआरएनईएस'' में वर्ष भर निरंतर सुधार करता रहा है. कर्मचारियों के लिए चिंताजनक मुद्दों का निवारण करने की दृष्टि से ''बड़ौदा समाधान'' नामक एक ऑनलाइन कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है.

विविधता पर जोर

बैंक अपने सभी कर्मचारियों हेतु भेदभाव रहित और समान अवसर नीतियों का अनुपालन करता है. यह सभी मामलों में पारदर्शी है यथा, पदोन्नति, करियर-पाथ, स्थानांतरण नीति एवं कर्मचारी लाभ/कल्याण योजनाएं. बैंक ने दृष्टिहीन दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ''जॉब रोल'' आरंभ किया है. साथ ही, बैंक नियुक्ति में महिला कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है. संपूर्ण स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2017 में 22.70% से वित्तीय वर्ष 2018 में 23.00% और वित्तीय वर्ष 2019 में 23.7% हो गया है.

सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों को बनाये रखने हेतु एवं महिलाओं की सहगामी जिम्मेदारियों को मान्यता देने हेतु बैंक ने महिला कर्मचारियों के समर्थन के लिये विभिन्न सुविधाएं प्रदान की है जैसे कि, महिला कर्मचारियों के लिए सबेटिकल छुट्टी, स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम और अन्य पहल. इसके अलावा डे-केयर क्रेश सुविधा भी शुरू की गई है जिसका उल्लेख पहले किया गया है.

आरक्षण कक्ष

एससी/एसटी/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक और ओबीसी कर्मचारियों के लिए आरक्षण व अन्य क्षमतादायी प्रावधानों को लागू करने के लिए हमारे बैंक ने एक विशिष्ट आरक्षण कक्ष की स्थापना की है. इसके मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक को क्रमशः एससी/एसटी/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक और ओबीसी कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है जो कि इन सभी कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं. 1 फरवरी, 2019 से बैंक में सभी कार्यों के लिए भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है.

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक सभी संवर्गों में अर्थात् अधिकारी (निर्धारित पद), लिपिक व अधीनस्थ कर्मचारी के लिए वर्ष में कुल रिक्तियों में से 4 प्रतिशत के अनुपात में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान कर रहा है.

31.03.2019 तक जाति, वर्गवार संख्या				
संवर्ग	एससी	एसटी	ओबीसी	भू.सै.
अधिकारी	4,975	2,292	7,831	377
लिपिक	3,116	1,780	4,844	1,742
अधीनस्थ कर्मचारी	2,303	831	2,133	577
सकल कुल	10,394	4,903	14,808	2,696
कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	18.9	8.9	27.0	4.9

आवधिक बैठकें

बैंक, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में हर तिमाही में अखिल भारतीय बैंक ऑफ़ बड़ौदा एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें और अखिल भारतीय बैंक ऑफ़ बड़ौदा ओबीसी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ छमाही बैठकें आयोजित करता है.

कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम:

बैंक अखिल भारतीय बैंक ऑफ़ बड़ौदा एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ और अखिल भारतीय बैंक ऑफ़ बड़ौदा ओबीसी कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्यों और एससी/एसटी और ओबीसी के संपर्क अधिकारियों के लिए एपेक्स अकादमी, गांधीनगर में प्रति वर्ष निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है:

- एसएसी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण
- आरक्षण नीति पर कार्यशाला
- अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण पर स्थायी समिति ने एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में हमारे बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 15 जनवरी, 2019 को जामनगर में बैठक की.

परिसर पुर्नसंरचना

ग्राहक संपर्क बिन्दुओं के परिसर को सुधारने और सभी शाखाओं में परिवेशगत समानता लाने की दृष्टि से देश भर में 360 शाखाओं की पुनर्सजावट की जा रही है. बैंकिंग परिचालन, नई तकनीक के प्रयोग व ग्राहक सुविधा की दृष्टि से शाखाओं में एक समान परिवेश के मानकीकरण हेतु एंबियंस मैनुअल जारी किया जा रहा है. बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई हरित पहल की हैं और उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के नए परिसर और हैदराबाद में आपदा राहत केंद्र परिसर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है.

बैंक ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने प्रयासों के तहत अपनी शाखाओं में ऊर्जा दक्ष उपकरणों, सौर ऊर्जा और एलईडी रोशनी का उपयोग किया है. बैंक के प्रमुख व्यावसायिक भवनों में उपयोग में लाये गए जल को पुनः उपयोग में लाने योग्य बनाने और सॉलिड वेस्ट से बायोगैस के उत्पादन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है.

राजभाषा (रा.भा.) नीति का कार्यान्वयन

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में लगातार अनुकरणीय प्रगति जारी रखी है और संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए सभी आश्वासनों को पूरा किया है. हमारे बैंक में भाषा नीति को एक नया आयाम दिया गया है. हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का कारोबार वृद्धि के लिए प्रयोग एवं ग्राहकों को विभिन्न भाषाओं में डिजिटल उत्पाद उपलब्ध कराना बैंक द्वारा अपनाई गई राजभाषा नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है. इसकी सराहना नियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई है.

हमारी पहलों में, बैंकिंग संकाय सदस्यों के लिए ''कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह की संभावनाएं'' विषय पर अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन, विभिन्न विषयों जैसे कृषि संबंधी श्रेष्ठ आचरण, बड़ौदा किसान दिवस से संबंधित सामाग्री पर ई-पुस्तकें/ पुस्तकें प्रकाशित करने के साथ-साथ मॉरीशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी शामिल है इस वर्ष, बैंक ने "महाराजा सयाजीराव लोक भाषा सम्मान" नामक एक और नई योजना हिंदी/क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषाओं के प्रचार और संरक्षण में योगदान देने के लिए गैर हिन्दी भाषी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए आरंभ की है जो कि बैंक की वर्तमान "महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान" पुरस्कार से अलग है.

वर्ष के दौरान बैंक को भाषाई क्षेत्र 'ख' के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कीर्ति पुरस्कार योजना के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. इसी प्रकार नराकास, वाराणसी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. साथ ही, हमारे फ़ैज़ाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय, लखनऊ, नराकास जयपुर, नराकास, बड़ौदा और नराकास, राजकोट को भी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुए.

बैंक की गृह पत्रिका 'बॉबमैत्री' और हिंदी पत्रिका 'अक्षय्यम्' को भी वर्ष के दौरान एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) से तीन अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए.

घरेलू अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

बॉब फायनेंसियल सोल्यूशन्स लि.

बॉब फायनेंशियल सोल्यूशन्स लिमिटेड (बीएफ़एसएल), पूर्ववर्ती बॉब कार्ड लिमिटेड, बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और इसके प्रमुख व्यावसायिक कार्यों में क्रेडिट कार्ड एवं वैयक्तिक ऋण जारी करना तथा मर्चेन्टों का अर्जन करना शामिल है. वर्ष के दौरान इसने अपनी व्यावसायिक रणनीति में सुधारात्मक बदलाव किया है. बीएफएसएल के क्रेडिट कार्ड आधार में वर्ष दर वर्ष 84% की वृद्धि हुई है जिसमें बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 1700 से अधिक शाखाओं में फैले 1200 मजबूत फील्ड कर्मियों का बहुत योगदान रहा. बीएफएसएल ने कई नामी उपभोक्ता ब्राडों से विपणन साझेदारी करके विभिन्न रिवार्ड प्वाइंट व योजनाओं के रूप में कई नए मूल्यवर्धित फीचर आरंभ किए जिससे वित्तीय वर्ष 2019 में प्रथम छमाही की तुलना में द्वितीय छमाही में क्रेडिट कार्ड का उपयोग 37% बढ़ गया है.

बीएफएसएल ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा और ट्रांस यूनियन- सीबील के साथ, 'प्रोजेक्ट निर्माण' प्रारंभ करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है- इस पहल से क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्राहकों को पूर्व अनुमोदन प्राप्त होगा. इस कार्यक्रम के अंतर्गत 66000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी किए गए और साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बीएफएसएल स्टाफ और चुनिंदा पूर्व अनुमोदित क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए वैयक्तिक ऋण उत्पाद प्रायोगिक तौर पर आरंभ किया गया है.

बीएफएसएल द्वारा कई तकनीकी पहलें आरंभ की गई हैं ताकि ग्राहक अनुभव बेहतर हो (जैसे कि कार्ड पर ईएमआई, ग्रीन पिन, चैटबोट, उधार सुविधा, पुनर्निर्मित वेबसाइट एवं ग्राहक सेवा पोर्टल) ग्राहक सेवा में कुल लागत समय अवधि कम हो (रोबोटिक्स आधारित सुविधा, ग्राहक ऑरिजिनेशन प्लैटफॉर्म) और ग्राहक अनुभव व्यापक बने (एचआर प्लैटफॉर्म, केन्द्रीयकृत हेल्प डेस्क).

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बॉबकैप्स) बैंक की एक पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी है जो बैंक की एक निवेश बैंकिंग इकाई है. यह सेबी द्वारा पंजीकृत श्रेणी-1 का मर्चेन्ट बैंकर है. बॉबकैप्स प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव, ऋण का निजी नियोजन, कॉर्पोरेट पुनर्संरचना, व्यवसाय मूल्यांकन, विलय और अधिग्रहण, परियोजना मूल्यांकन और ऋण समूहन सहित सम्पूर्ण वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है. बॉबकैप्स प्रतिभूतिकरण और ऋणों की संरचना के लिए परामर्शी सेवाएं भी देता है. यह 5 व्यवसायों से जुड़ा है, जैसे निवेश बैंकिंग- इक्विटी, निवेश बैंकिंग-ऋण, संस्थागत ब्रोकिंग, खुदरा ब्रोकिंग और धन संपदा प्रबंधन.

वित्त वर्ष 2019 में रु 4,196 करोड़ के 5 डेट सिंडिकेशन लेनदेन किए गए और दबावग्रस्त आस्ति समाधान दल द्वारा 5 लेनदेन किए गए. कंपनी ने आईपीओ/एफपीओ/ओएफएस, पीई निधि संग्रहण और एम एवं ए के लिए 10 अध्यादेश प्राप्त किए जिससे इक्विटी में भरपूर संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं. वर्ष के दौरान संस्थागत ब्रोकिंग में नए ग्राहकों को सूची में शामिल करते हुए राजस्व दर में बढ़ोत्तरी की और हाल ही में भारत से बाहर विदेशी संस्थागत निवेशकों को लेना आरंभ किया है. खुदरा ब्रोकिंग में, उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाते हुए नए ग्राहकों को समाहित कर कारोबार में वृद्धि की जा रही है जैसे कि एक में तीन डिमैट, ट्रेडिंग व बैंक खाता, पूर्व प्रदत ब्रोकरेज, ऑनलाइन खाता खोलने का प्लैटफॉर्म और गुणवत्ता अनुसंधान. कंपनी की

निवेश परामर्शदाता टीम बैंक के धन संपदा प्रबंधन विभाग को सहायता प्रदान करती है.

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत और अन्य के द्वारा 1922 में मूलतः प्रवर्तित नैनीताल बैंक लिमिटेड वर्ष 1973 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा का अनुषंगी बैंक बन गया. आज नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयर 98.57% है. नैनीताल बैंक लिमिटेड का कुल व्यवसाय 31 मार्च 2018 को रु 10,772.10 करोड़ था जो 31 मार्च 2019 को रु 10,931 करोड़ तक बढ़ गया. वित्त वर्ष 2019 में बैंक का निवल लाभ रु 26.89 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष का लाभ रु 48.90 करोड़ था. वर्ष के दौरान बैंक ने 2 नई शाखाएं खोली. वर्ष के दौरान आधार उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 में यूआईडीएआई द्वारा औसत आधार जनरेशन एवं अद्यतन में योगदान के लिए निजी बैंकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया.

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड (बीजीएसएस)

वित्त वर्ष 2017 में स्थापित बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विस लिमिटेड (बीजीएसएस) बैंक की एक पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी है जिसने पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपना परिचालन आरंभ किया है. बीजीएसएस की रणनीति चार मुख्य कोर स्ट्रेंथ- 'ग्राहक सेवा, कार्यदक्षता, गति व जोखिम प्रबंधन' पर ध्यान केंद्रित करने की है. यह गिफ्ट सिटी, गांधीनगर स्थित अपने अत्याधुनिक शेयर्ड सर्विस सेंटर (एसएससी) और हैदराबाद स्थित दूसरे केंद्र के माध्यम से बैक ऑफिस परिचालन के डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण करने में सहायता प्रदान करता है. केंद्रीकरण ने न केवल लेनदेन की लागत को कम किया है बल्कि जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और अनुपालन पद्धतियों को भी बेहतर बनाया है.

बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड

बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड (बड़ौदा एएमसी) 28 सितंबर 2018 से बैंक की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है जिसकी स्थापना बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम पार्टनर यूनिक्रेडिट एसपीए (पायोनियर ग्लोबल असेट मैनेजमेंट एसपीए की पैरेंट कंपनी) से 51% हिस्सेदारी खरीद कर की है. बड़ौदा एएमसी, बड़ौदा म्युचुअल फंड (बड़ौदा एमएफ) के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जोकि सेबी में एक पंजीकृत म्युचुअल फंड है. वित्त वर्ष 2019 के लिए बड़ौदा एमएफ के प्रबंधन के अधीन औसत आस्तियां 7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु 12,345 करोड़ थी. इक्विटी योजनाओं में औसत एयूएम में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई. बैंक के अलावा बड़ौदा एएमसी अपना तृतीय पक्ष वितरण नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है जिसका मुख्य बिन्दु आईएफए है. इस फंड से एयूएम निरंतर बढ़ता जा रहा है. रेशनलाइजेशन, योजना वर्गीकरण कार्य और कुल व्यय अनुपात में नियामक परिवर्तन संपन्न होने के बाद बड़ौदा एएमसी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर स्थिति में होगा.

इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड देश की सबसे नवीनतम बीमा कंपनियों में से है जो रु 625 करोड़ की प्रदत्त पूंजी से स्थापित की गई जिसका मुख्यालय मुंबई में है. इस कंपनी के प्रवर्तक भारत के दो सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं- बैंक ऑफ़ बड़ौदा और आंध्रा बैंक जिनका इस कंपनी में क्रमशः 44% और 30% शेयर है. इंडिया फर्स्ट लाइफ के पूर्ववर्ती संस्थापक साझेदार लीगल एण्ड जनरल, यूके ने हाल ही में इस संगठन में अपना 26 प्रतिशत स्टेक निकाल लिया. यह स्टेक कार्मेल प्वाइंट इनवेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा निगमित कार्मेल प्वाइंट इनवेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जोकि मॉरीशस के कानून के अंतर्गत एक निगमित निकाय है और जिसके मालिक वारबर्ग पीनकस एलएलसी द्वारा संचालित प्राइवेट इक्विटी फंड है. उद्योग स्तर पर इस कंपनी का वर्तमान स्थान इंडिविज्युल न्यू बिजनेस (वार्षिक प्रीमियम समतुल्य) में निजी कंपनियों में 12वां है, जिसके प्रबंधन के अधीन 31 मार्च 2019 तक आस्ति रु 15,039 करोड़ थी.

इंडिया फर्स्ट लाइफ को लाइफ इंश्योरेंस इंटरनेशनल, यूके द्वारा जोकि ग्लोबल जीवन बीमा समुदाय पर विशिष्ट रूप से मानक निर्धारक सूचना देने के कार्य में समर्पित संस्था है, उनके द्वारा ' मोस्ट इनोवेटिव लाइफ इंश्योरर ऑफ़ दि इयर (2018)-इंटरनेशनल' करार दिया गया है. इसके अलावा इसे इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा 'बेस्ट ब्रांड 2018' का कीर्तिमान प्राप्त हुआ और इसे 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में प्रमाणित किया गया.

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

इंडिया इंफ्राडेब्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरधारकों के रूप में प्रायोजित है और पहला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फ़ंड (आईडीएफ)-एनबीएफसी है. अपनी स्थापना के समय से ही इसे क्रिसील, इक्रा तथा इंडिया रेटिंग द्वारा एएए का रेटिंग प्राप्त होता रहा है. यह, तुलनात्मक रूप से सुरक्षित, पूर्ण आधारभूत संसाधन परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है जिन्होंने कम से कम 1 वर्ष के वाणिज्यिक परिचालन किए हैं. इसे 100 प्रतिशत आयकर छूट प्राप्त है. बैंक के साथ इसकी सहक्रिया का मुख्य बिन्दु है सशक्त, स्थायी आधारभूत संरचनात्मक परियोजना- मुख्यतः एनएचएआई रोड परियोजना और नवीकरणीय उर्जा परियोजनाएं. कंपनी ने अपने परिचालन के पहले 5 वर्षों में सतत् वृद्धि की है. यथा 31 मार्च 2019 तक इसकी ऋण बही रु 9,809.5 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2019 में निवल लाभ रु 223.7 करोड़ था.

बड़ौदा सन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड.

बड़ौदा सन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड 05.07.2017 से बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली आईटी क्षेत्र की अनुषंगी है. बैंक ने नए उभरते रुझानों की पहचान करने और प्रौद्योगिकी विभाजन के लिए उत्कृष्ट केंद्र (सीओई) की स्थापना की है. उत्कृष्ट केंद्र (सीओई) व्यवसाय से आय को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद से वर्तमान और भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए डिजाइन थिंकिंग स्किल, प्रक्रिया डिजाइन, आर्किटेक्चरल स्किल और कोर डेवलपमेंट सामर्थता उपलब्ध कराएगा.

घरेलू अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है.

(₹ करोड़ में)

इकाई (पंजीकरण की तारीख सहित)	स्वाधिकृत निधियाँ	कुल आस्तियां	निवल लाभ	कार्यालय	स्टाफ
बॉब फाइनेंसियल सोलुशन्स लिमिटेड	247.7	441.6	4.1	38	446
बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड	153.8	161.3	(2.9)	1	114
दि नैनीताल बैंक लिमिटेड	624.0	8101.8	26.9	4	916
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विस लिमिटेड	12.0	14.1	1.5	3 स्थानों पर (गिफ्ट सिटी, गांधीनगर /हैदराबाद /मुंबई)	424
बड़ौदा असेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड	64.2	76.4	4.9	5	70
बडौदा ट्रस्टी इंडिया प्रायवेट लिमिटेड	0.1	0.2	0	1	0
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	663.5	15626.3	61.6	29	2101
इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड	1636.6	10403.4	189.9	1	21

पुरस्कार और सम्मान

दिनांक	पुरस्कार 2018-19
17.03.2019	8वें वार्षिक इंडियन लिगल एरा पुरस्कार 2018-19 में 'वर्ष की उत्कृष्ट बैंकिंग एवं फाइनेंस लिगल टीम' का पुरस्कार
08.03.2019	उत्कृष्ट फिनटेक एंगेजमेंट के लिए बिजनेस टुडे ज्युरी पुरस्कार
20.02.2019	आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी 2019 पुरस्कारों में कई सम्मान प्राप्त हुए: • विजेता- मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक बैंक यूजिंग टेक्नोलॉजी • उप विजेता विजेता - बेस्ट पेमेंट इनिसिएटिव • बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण-बैंक 'बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ़ दि इयर' घोषित
18.02.2019	सीएसआर एक्सिलेंस अवार्ड- टीवी 9
30.01.2019	सुश्री निकिता राउत, मुख्य प्रबंधक, एचआर एवं प्रमुख मुंबई अकादमी ने एचआर प्रोफशनल हेतु अवॉर्ड 'जॉम्बे टॉप 40 अंडर 40' के अंतर्गत शीर्ष स्थान हासिल किया
25.01.2019	बैंकिंग फ्रंटियर्स 'फिनोवेटी कॉन्फ्रेंस 2019 में' फिनटेक इनिशिएटिव्स' के लिए फिनोवेटी अवार्ड
28.01.2019	अटल पेंशन योजना 2018-19 में लीडरशिप कैपिटल और आउट परफॉर्मर्स अवाड्र्स
18.01.2019	58वें एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ़ इंडिया (एबीसीआई) अवार्ड में निम्नलिखित श्रेणियों में 5 सम्मान प्राप्त - भारतीय भाषा प्रकाशन, फीचर्स (अंग्रेजी), फीचर्स (हिंदी), हेडलाइन्स और कॉर्पोरेट फिल्म
11.01.2019	एफई सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2018 में 'बेस्ट होम लोन उत्पाद 2018'
11.12.2018	समावेशी वित्त शिखर सम्मेलन, 2018 में 'समावेशी वित्त भारत पुरस्कार- नवोन्मेषी एवं समावेशन के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में सर्वश्रेष्ठ बैंक' के अंतर्गत पीएसबी श्रेणी में पुरस्कृत
08.12.2018	इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित एशियन सप्लाई चेन थॉट लीडरशिप समिट एंड अवाड्र्स -2018 के चौथे संस्करण में सप्लाई चेन फाइनेंस में सर्वश्रेष्ठ बैंक
10.11.2018	एमएसएमई के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पीएसयू बैंक एवं दिव्य भाष्कर एमिनेंस अवार्ड 2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ कृषि वित्त बैंक
19.11.2018	फिजी के राष्ट्रपति द्वारा फिजी टेरीटरी को बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड 2018 प्राप्त
16.11.2018	"मेकर ऑफ़ एक्सीलेंस" -पीएफआरडीए, भारत सरकार अभियान के लिए एपीवाई "राइज़ एबव रेस्ट कैंपेन" अवार्ड और एपीवाई "बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड"
04.10.2018	यूआईडीएआई के आधार उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक
14.09.2018	कीर्ति पुरस्कार - वर्ष 2017-18 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार
28.06.2018	श्री पी.एस.जयकुमार, एमडी और सीईओ, को "सीईओ ऑफ द ईयर" से सम्मानित किया गया और बैंक ने इंडिया बैंकिंग समिट एंड अवाड्र्स 2018 में "रिटेल बैंक ऑफ द ईयर" पुरस्कार प्राप्त किया
27.06.2018	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गृह पत्रिका प्रतियोगिता के अंतर्गत गृह पत्रिका 'बॉबमैत्री' और हिंदी पत्रिका 'अक्षय्यम्' को क्रमशः प्रथम और विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
29.05.2018	बीएसवीएस (आर-सेटी) परियोजनाओं के लिए सीएस आर गतिविधियों हेतु एपेक्स इंडिया सीएसआर एक्सेलेंस अवार्ड 2017
11.05.2018	दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण निर्वाह मिशन द्वारा एसएचजी - बैंक लिंकेज 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रीय अवार्ड की प्राप्ति
14.05.2018	7वें ग्लोबल इकॉनोमिक्स सम्मीट, 2018 में डिजिटल सप्लाय चेन फाइनेंस के प्रारंभ हेतु वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर से सराहना एवं सम्मान
13.04.2018	आईडेक्स विधि अवार्ड के 7वें संस्करण में " लिटिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ दि इयर -2018" का विजेता तथा 'इनहाउस डिपार्टमेंट ऑफ दि इयर' में प्रथम उप विजेता.

लाभांश वितरण नीति

सीबी (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 के विनियम 43ए के अंतर्गत यथा अपेक्षित, बैंक के पास लाभांश संवितरण की नीति है, जिसमें उन पैरामीटरों एवं परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा बैंक के शेयरधारकों को लाभांश के संवितरण का निर्धारण करने हेतु ध्यान में लिया जाता है. यह पालिसी इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है तथा यह बैंक की वेब साइट https://www.bankofbaroda.com/policy/-documents.htm पर भी उपलब्ध है.

निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/ उनके कार्यकाल की समाप्ति)

नियुक्तियां:

श्री देवाशीष पांडा को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत् केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नामिती निदेशक के रुप में दि. 5 अप्रैल, 2018 से अगले आदेश तक पदभार हेतु नामित किया गया.

श्री शांतिलाल जैन को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत् ? दि. 20 सितम्बर, 2018 से -3- वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् दि. 19 सितम्बर, 2021 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत् दि. 1 अक्तूबर, 2018 से -3- वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् दि. 30 सितम्बर, 2021 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

श्री पी एस जयकुमार दिनांक 13 अक्तूबर, 2018 से 12 अक्तूबर, 2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने के कारण प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर आसीन हैं.

श्री श्रीनिवासन श्रीधर को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत् दि. 12 दिसम्बर, 2018 से -3- वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् दि. 11 दिसम्बर, 2021 तक शेयरधारक निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया.

डॉ. हसमुख अढ़िया को केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत् दि. 1 मार्च 2019 से -3- वर्षों की अवधि के लिए गैरकार्यपालक अध्यक्ष के रुप में नियुक्त किया गया.

कार्यकाल समाप्ति:

श्री लोकरंजन दिनांक 5 अप्रैल, 2018 से श्री देबाशीष पांडा की नियुक्ति होने पर सरकार के नामिती निदेशक नहीं रहे.

श्री अशोक कुमार गर्ग अधिवर्षिता प्राप्त करने के फलस्वरूप दि. 30 जून, 2018 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहे.

श्री रवि वेंकटेसन, अपने -3- वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात् दिनांक 14 अगस्त, 2018 से गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं रहे.

श्री मयंक के मेहता, अधिवर्षिता प्राप्त करने के फलस्वरूप दिनांक 30 सितम्बर, 2018 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहे.

श्रीमती उषा ए. नारायणन, अपने 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दिनांक 12 दिसम्बर 2018 से शेयरधारक निदेशक नहीं रहीं.

बोर्ड का मूल्यांकन

बोर्ड के गवर्नेंस को लगातार बेहतर बनाने के उद्देश्य से बोर्ड के कार्यनिष्पादन, इसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बाह्य कंसल्टिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है. मूल्यांकन के विस्तृत मानदण्डों को सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम अधिनियम, 2015 के प्रावधानों और दिनांक 5 जनवरी 2017 के बोर्ड के मूल्यांकन पर सेबी द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया गया है.

कार्पोरेट गवर्नेंस पर लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची V के भाग 'ई' के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2018-19 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है.

व्यवसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट

सेबी द्वारा आवश्यक, व्यवसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.co.in) पर उपलब्ध है. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशक गण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को तैयार करते समयः

ए) तथ्यात्मक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है;

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सत्य एवं वास्तविक स्थिति तथा उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके;

सी) निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने तथा उनका पता लगाने हेतु बैंक के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

डी) निदेशकों ने, लेखों को उत्तरोत्तर प्रगति के आधार पर तैयार किया है; और

ई) निदेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनायी जा रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अनुसरण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया एवं इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहा है.

स्पष्टीकरणः इस खंड के उद्देश्यों के अनुरूप ''आंतरिक वित्तीय नियंत्रण'' शब्दावली का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है. इसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता और संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना शामिल है;

एफ़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनाई थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही हैं.

आभार

निदेशक मण्डल पूर्ववर्ती अध्यक्ष एवं गैर कार्यपालक निदेशक श्री रवि वेंकटेसन और अन्य पूर्ववर्ती निदेशकों श्री आलोक रंजन, श्री अशोक कुमार गर्ग, श्री मयंक के मेहता और श्रीमती उषा ए नारायणन के योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मण्डल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकारणों और विदेशी विनियामकों के प्रति उनके सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है.

निदेशक मण्डल अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति बैंक के साथ उनके विश्वसनीय नियमित बैंकिंग संबंधों के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है.

निदेशक मण्डल सभी शेयरधारकों, बैंक और वित्तीय संस्थाओं, रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक एक्सचेंजों और भारत और विदेश स्थित अपने हितैषियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता एवं समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता है.

निदेशक मण्डल बैंक के कर्मचारियों के प्रति उनके कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्वक समर्पण के लिए तहे दिल से उनकी प्रशंसा करता है.

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

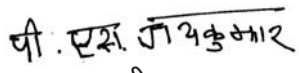

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Eleventh Annual Report of your Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2019 (FY 2019).

Financial Performance

A snapshot of the Bank's financial performance is as below:

₹ in crore

Particulars	31.03.18	31.03.19	Growth (%)
Deposits	**5,91,314.8**	**6,38,689.7**	8.0%
of which- Domestic Deposits	4,66,973.8	5,17,966.6	10.9%
International Deposits	1,24,341.0	1,20,723.2	(2.9%)
Domestic Deposits	4,66,973.8	5,17,966.6	10.9%
of which- Current Account Deposits	31,193.1	34,327.6	10.1%
Savings Bank Deposits	1,61,130.0	1,74,076.2	8.0%
CASA Deposits	1,92,323.1	2,08,403.8	8.4%
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	***41.2***	***40.2***	
Advances	**4,27,431.8**	**4,68,818.7**	**9.7%**
of which- Domestic Advances	3,24,238.5	3,70,185.0	14.2%
International Advances	1,03,193.3	98,633.8	(4.4%)
Total Assets	**7,19,999.8**	**7,80,987.4**	**8.5%**
Net Interest Income (NII)	**15,521.8**	**18,683.8**	**20.4%**
Other Income	6,657.2	6,090.9	(8.5%)
of which-Fee Income	3,249.7	3,576.1	10.0%
Forex Income	909.2	693.2	(23.8%)
Trading Gains	1,877.6	989.5	(47.3%)
Recovery from PWO	620.7	832.0	34.0%
NII + Other Income	**22,179.0**	**24,774.7**	**11.7%**
Operating Expenses	**10,173.4**	**11,288.0**	**11.0%**
Operating Profit	**12,005.6**	**13,486.8**	**12.3%**
Provisions	**14,796.4**	**12,788.7**	**(13.6%)**
of which- Provisions for NPAs & Bad debts written off	14,211.7	12,192.4	(14.2%)
Profit Before Tax	(2,790.7)	698.2	
Provision for Tax	(358.9)	264.6	
Net Profit	**(2,431.8)**	**433.5**	
Appropriations/ Transfers			
Statutory Reserve	0	108.4	
Capital Reserve	0	210.4	
Revenue and Other Reserves			
I) General Reserve	(2431.8)	0	
II) Special Reserve u/s 36 (I) (viii) of the Income Tax Act 1961	0	182.1	
Proposed Dividend	0	0	

₹ in crore

Key Performance Indicators	31.03.18	31.03.19
Average Cost of Funds (%)	4.56	4.83
Average Yield (%)	6.84	7.28
Average Interest Earning Assets	6,37,987.0	6,86,743.0
Average Interest Bearing Liabilities	6,16,243.9	6,48,495.6
Net Interest Margin (%)	2.43	2.72
Cost-Income Ratio (%)	45.87	45.56
Return on Average Assets (ROAA) (%)	(0.34)	0.06
Return on Equity (%)	(7.64)	1.18
Book Value per Share (₹)	120.28	138.42
Basic EPS (₹)	(10.53)	1.64

The benefit of structural changes undertaken by the Government and Reserve Bank of India (RBI) finally bore fruit in FY 2019. The implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has led to improvement in cash recovery in the banking system. In addition, the ratio of non-performing loans to advances for Scheduled Commercial banks (SCBs) has also started to come down and now stands at 10.8% as on September 2018 from 11.5% as on March 2018. The steady uptick in credit growth during the year in conjunction with decline in non-performing loans implies underlying improvement in the operating performance of the banking system. However, deposit growth continues to remain a challenge. Banks have raised interest rates on deposits to mobilise them and this will lead to higher inflow of resources to the banking system.

Domestic deposits of the Bank increased by 10.9% in FY 2019 compared with an increase of 6.1% in FY 2018. Domestic credit growth was above industry growth at 14.2% which led to a 20.4% increase in net interest income (NII). Both domestic as well as international margins expanded. The net interest margin (NIM) improved from 2.43% to 2.72% in FY 2019. The cost to income ratio decreased marginally to 45.56%.

The Bank posted an operating profit of ₹ 13,486.8 crore registering an increase of 12.3%. Total provisions (other than tax) and contingencies decreased by 13.6% and provisions for NPAs reduced by 14.2%. The Bank posted a net profit of

₹ 433.5 crore.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Ratios in %

	31.03.18	31.03.19
Capital Adequacy Ratio – Basel III	12.13	13.42
CET-I	9.23	10.38
Tier – I	10.46	11.55
Tier – II	1.67	1.87

The Capital Adequacy Ratio (CAR) and CET-1 of the Bank stood at 13.42% and 10.38% respectively as on March 31, 2019. The consolidated group capital adequacy ratio was higher at 14.52%.

The Bank's net worth as of March 31, 2019 was ₹ 36,620 crore comprising of paid-up equity capital of ₹ 530 crore, reserves of ₹ 31,047 crore (excluding revaluation reserves, foreign currency translation reserves and other intangible assets) and share application money pending allotment worth ₹ 5,042 crore. The book value of the share (FV ₹ 2) was ₹ 138.42.

Dividend

Bank is not eligible to pay dividend for the financial year 2018-19 on account of not meeting the eligibility criteria stipulated by RBI for this purpose.

Management Discussion and Analysis

Global Economy

The global economy slowed down to 3.6% in Calendar Year (CY) 2018 after growing at 3.8% in CY17. The slowdown was markedly visible in the second half of the calendar year. According to IMF, global growth is likely to slip further to 3.3% in CY19, before picking up to 3.6% in CY20. The dip in global growth was largely on account of a slowdown in growth in Europe and China. The US housing sector has also seen some deceleration after yields increased as a result of successive rate hikes by US Federal Reserve. Other factors that have contributed to the global slowdown are Brexit, imposition of tariffs by US and China and run-off of US fiscal stimulus.

According to IMF, growth is likely to pick-up in H2CY19 on the back of accommodative monetary policies by major central banks, prospects of a positive US-China trade deal and China's fiscal stimulus to boost domestic consumption. Growth in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) is expected to rebound to 4.8% in CY20 from 4.5% in CY18 and 4.4% in CY19. Advanced Economies (AEs) will continue to witness modest growth which is expected to level at 1.7% in CY20 versus 2.2% in CY18 and 1.8% in CY19. Downside risks to global growth may emerge from escalating trade tension between US and other countries, a no-deal Brexit and geo-political risks driving oil prices higher.

Indian Economy

The Indian economy witnessed a growth of 7% in FY 2019, down from 7.2% in FY 2018. This is the slowest pace of growth in over 5 years. The drop is primarily on the back of a slowdown in the agriculture sector which is expected to clock only 2.7% growth in FY 2019, much lower than the 5% growth in FY 2018. The area sown under both Kharif and Rabi declined due to spatially distributed and below normal rainfall. Manufacturing which was hitherto driving growth in the larger part of the year is also seeing a slowdown now as both external and domestic demand seems to have slowed down. Construction is the only bright spot on the back of higher spending by state governments.

With growth coming off, retail inflation has also fallen to 3.4% in FY 2019 as compared to 3.6% in FY 2018. This was led by benign food inflation at around 0.2% in FY 2019 compared to 1.8% in FY 2018. Core inflation on the other hand remained elevated at 5.8% in FY 2019 as against 4.6% in the previous year. Higher oil prices in H1FY 2019 and stickiness in the health and education components drove the core CPI higher. However, core inflation has been steadily coming off towards the end of the year.

Domestic consumption has seen a cyclical slowdown with drop in auto sales and non-oil-non-gold and electronic imports. However, the announcement of measures such as "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) and expected upturn in government spending in the next quarters may provide the requisite boost to the economy. In addition, the government's effort towards providing affordable housing and building infrastructure are also likely to support investment demand in the economy in the near term.

Developments in Indian Banking

With growth and inflation coming-off, RBI has reduced policy rates. The anticipation of change in stance and reduction in policy rates did lead to decline in 10-year government bond yields which had increased substantially in H1FY 2019 and had peaked at 8.18%. This was driven by increasing liquidity deficit on the back of FPI outflows. Higher oil prices and NBFC liquidity woes also contributed to upward pressure on yields. As a result, the RBI undertook durable liquidity infusion in the form of Open Market Operation (OMO) purchases of ₹ 2.99 lakh crore and US$ swap. These measures coupled with the slowdown in global growth and the dovish outlook by major global central banks led to decline in yields in the latter half of FY 2019.

Credit growth of the banking system continued to improve in the year, from 10.0% as on March 31, 2018 to 13.2% as on March 31, 2019. Deposit growth that was lagging behind also showed an improvement to 10.0% as in March 2019 compared with 5.8% as in March 2018. This has been possible due to higher interest rates offered by banks.

The increase in credit growth is driven by government's recapitalisation to the extent of ₹ 1.06 lakh crore in Public Sector Banks (PSBs) in FY 2019. The structural reforms undertaken by the government and RBI are also visible in underlying improvement in stressed assets of the banking system. RBI has projected that the gross NPA ratio for the SCBs would fall to around 10.3% in March 2019 from 11.5% in March 2018. The slippage ratio has declined from 7.6% in March 2018 to 4.1% in September 2018. The Provision Coverage Ratio (PCR) has also increased significantly from the levels in March 2018. All these indicators point to a much stronger recovery in the banking system in the coming years.

Another significant reform in the year was further consolidation of the banking system which a number of Committees have recommended in the past from Narsimham Committee to Nayak Committee. The Government moved in this direction by way of a three-way merger between Bank of Baroda and Dena Bank and Vijaya Bank. With this amalgamation, Bank of Baroda has now become the second largest PSB in the country.

In view of the reforms undertaken by the government and RBI

not only for resolution and recovery of non-performing assets but also a digital driven lending push and consolidation, the banking system is likely to see underlying improvement in profitability in the medium-term.

Business Performance

The highlights of business performance of the Bank are as below:

Resource Mobilisation and Credit Expansion

₹ in crore

Particulars	31.03.18	31.03.19	Growth (%)
Deposits	**5,91,314.8**	**6,38,689.7**	**8.0%**
of which- Domestic Deposits	4,66,973.8	5,17,966.6	10.9%
International Deposits	1,24,341.0	1,20,723.2	(2.9%)
Domestic Deposits	**4,66,973.8**	**5,17,966.6**	**10.9%**
of which- Current Account Deposits	31,193.1	34,327.6	10.1%
Savings Bank Deposits	1,61,130.0	1,74,076.2	8.0%
CASA Deposits	1,92,323.1	2,08,403.8	8.4%
Domestic CASA Deposits (%)	**41.2**	**40.2**	
Advances	**4,27,431.8**	**4,68,818.7**	**9.7%**
of which- Domestic Advances	3,24,238.5	3,70,185.0	14.2%
International Advances	1,03,193.3	98,633.8	(4.4%)
Total Assets	**7,19,999.8**	**7,80,987.4**	**8.5%**

Domestic CASA balances registered a growth of 8.4% over the previous year. The CASA Ratio was maintained well above 40.0% for the financial year. Term Deposits posted a growth of 12.7% which is almost twice as much as the previous year.

In order to augment the CASA portfolio, the Bank has opened 94,52,510 new CASA accounts during FY 2019. The Bank has taken several steps to improve its processes and strengthen the product proposition to meet the increasing requirements of customers. The account opening process for savings account has been digitised through tablets leading to a turnaround time of a few minutes. More than 70% accounts (Non FI) are opened digitally through tablets. The Bank has also initiated issuance of non-personalised debit cards. The Bank is planning to commence opening of current accounts through tablets.

The Bank also introduced new segmented offerings for women, senior citizens, expats and the salaried class to augment deposits. These schemes have received a encouraging response from our customers. Bank of Baroda has also rolled out Doorstep Banking Service for retail customers on a pilot basis.

The Bank has launched online opening of Demat and Trading Account this year and has become a pioneer among other scheduled Banks to extend such facility to the customers. In Application Supported by Blocked Amount (ASBA), the Bank was awarded by the Bombay Stock Exchange (BSE) for being a top performer in the primary market segment of IPO/FPO bids for FY 2018 .

Credit Expansion:

During FY 2019, the Bank continued to gain market share with a well-diversified credit portfolio. Domestic advances of the Bank increased by 14.2% during the year compared with an industry growth of 13.2%. The growth was led by retail and was well spread across other business verticals. Retail loan growth was 24.2%, led by home and auto loans at 22.2% and 49.4% respectively while corporate loan growth was 15.6%. The ratio of retail loans to total domestic loans increased from 19.6% to 21.5% during the year. The international loan book declined by 4.4% on account of continued focus of the Bank on re-balancing of assets and decline of Buyers' Credit book.

The total assets of the Bank increased by 8.5% from ₹ 7,19,999.8 crore on March 31, 2018 to ₹ 7,80,987.4 crore as on March 31, 2019.

Operating Performance:

The highlights of operating performance of the Bank are as below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.18	31.03.19	Growth (%)
Interest Earned	43,648.5	49,974.1	14.5%
Interest Expended	28,126.8	31,290.3	11.2%
Net Interest Income (NII)	**15,521.8**	**18,683.8**	**20.4%**
Other Income	6,657.2	6,090.9	(8.5%)
of which- Fee Income	3,249.7	3,576.1	10.0%
Forex Income	909.2	693.2	(23.8%)
Trading Gains	1,877.6	989.5	(47.3%)
Recovery from PWO	620.7	832.0	34.0%
Operating Income (NII + Other Income)	**22,179.0**	**24,774.7**	**11.7%**
Operating Expenses	10,173.4	11,287.9	11.0%
Employee Expenses	**4,606.9**	**5,039.1**	**9.4%**
Other Operating Expenses	5,566.5	6,248.9	12.3%
Operating Profit	**12,005.6**	**13,486.8**	12.3%
Provisions	**14,796.4**	**12,788.7**	**(13.6%)**
of which- Provisions for NPAs & Bad debts written off	14,211.7	12,192.4	(14.2%)
Provision for Standard Advances	(369.0)	(35.49)	
Provision for Depreciation on Investment	768.2	138.5	(82.0%)
Other Provisions	185.5	493.3	166.1%
Profit Before Tax	(2,790.7)	698.2	
Provision for Tax	(358.9)	264.6	
Net Profit	(2,431.8)	433.5	

Key Performance Indicators	31.03.18	31.03.19
Cost of Deposits - Global (%)	4.50	4.68
Cost of Deposits - Domestic (%)	5.48	5.33
Cost of Deposits - International (%)	1.33	1.89
Yield on Advances – Global (%)	7.13	7.65
Yield on Advances (Domestic) (%)	8.87	8.67
Yield on Advances (International) (%)	2.70	4.12
Net Interest Margin – Global (%)	2.43	2.72
Net Interest Margin – Domestic (%)	2.88	2.93
Net Interest Margin – International (%)	1.10	1.71
Cost-Income Ratio (%)	45.87	45.56
Return on Average Assets (ROAA) (%)	(0.34)	0.06
Return on Equity (%)	(7.64)	1.18

The interest income of the Bank increased by 14.5% from ₹ 43,648.5 crore in FY 2018 to ₹ 49,974.1 crore in FY 2019. The yield on advances increased to 7.65% from 7.13%. The yield on domestic advances was 8.67% during FY 2019 against 8.87% during FY 2018. The reduction was on account of underlying change in credit mix to high quality borrowers. The yield on international loan book increased reflecting the run-off of low margin products such as Buyers' Credit.

Total interest expenses stood at ₹ 31,290.3 crore in FY 2019 as against ₹ 28,126.8 crore in FY 2018. The domestic cost of deposits decreased to 5.33% in FY 2019 from 5.48% in FY 2018. The cost of deposits in the international book increased from 1.33% to 1.89% in line with the global interest rate environment. NII of the Bank increased by 20.4% from ₹ 15,521.8 crore during FY 2018 to a level of ₹ 18,683.8 crore during FY 2019. The NIM improved from 2.43% to 2.72% during FY 2019. The domestic and international NIM improved from 2.88% to 2.93% and 1.10% to 1.71% respectively. Other income of the Bank decreased by 8.5% to ₹ 6,090.8 crore on account of decline in treasury gains by 47.3% to ₹ 989.5 crore. Recovery from written-off accounts was higher at ₹ 832 crore registering an increase of 34%.

Operating expenses increased by 11.0% to ₹ 11,287.8 crore in FY 2019. Employee cost increased by 9.4% during the year to ₹ 5,039.1 crore and other operating expenses increased by 12.3% to ₹ 6,248.9 crore. The operating profit of the Bank grew by 12.3% to ₹ 13,486.8 crore during FY 2019. Total provisions (other than tax) and contingencies decreased by 13.6% to ₹ 12,788.7 crore while provision for NPAs decreased by 14.2% to ₹ 12,192.4 crore in FY 2019. As a result, the Bank posted a net profit of ₹ 433.5 crore in FY 2019 against a net loss of ₹ 2,431.8 crore in FY 2018.

Medium and Long-Term Strategy of the Bank

The Bank continues to pursue a multi-pronged strategy to build a future-ready, world class banking institution. The Bank believes in the power of data, digitisation and technology to transform banking. Bank of Baroda continues to invest in not only enhancing its IT backbone but also in creating cutting-edge digital platforms and partnering with leading technology players and/or fintech startups to provide the next generation of products and experience to customers. The Bank has established two state-of-the-art Centres of Excellence for Analytics and IT to help in rapidly scaling its capabilities in these areas. The Bank aims to build platforms wherein customers can do a range of transactions online and have access to information at their fingertips. Bank of Baroda is creating a learning organisation and investing in enhancing the skills of its workforce. The Bank also emphasises on centralisation and digitisation of operations to ensure that employees become more focused on customer facing roles.

Project Navoday – The Bank's Transformation Journey Thus Far

For achieving medium and long-term strategic goals, the Project Management Office (PMO) of Project Navoday tracks all multi-dimensional initiatives undertaken across Business Units and Support Functions such as IT, HR, Operations & Services.

As part of the transformation journey, in addition to the strategic initiatives taken under various businesses, a pivotal role is being played out by Shared Services Centre in terms of centralisation and digitisation which eventually leads to better customer experience in the form of lower turnaround time for customers. The Bank is making a paradigm shift in facilitating the operating units to shift focus towards a 'Sales and Service' model. Deposit accounts are opened with Tablets in digital mode and processing of loans is being done in Centralised Processing Centres. Back-office work has moved away from branches which opens up time for branches to focus on more productive activities such as sales and marketing. The Bank benefits in the form of higher productivity and a better control environment.

Strategic tie-ups with market players in the field of agriculture, E-commerce and Fintech are enabling the Bank to augment its business besides improving market share. Strategic rationalisation of International Operations along with fungible credit limits have paved the way for more profitable operations across overseas territories.

A revamped Rewards, Recognition and Employee engagement framework reinforces the philosophy of ensuring that employees grow with the Bank. The Bank has put in place customer segmentation with a focus on hyper personalisation to cross-sell products. Centres of Excellence in IT and Analytics are driving technological adoption and cutting-edge tools to improve business performance.

The Bank is leveraging the impetus gained to widen the spectrum of these initiatives in the backdrop of the amalgamation w.e.f. 1st April 2019.

Corporate Credit

Corporate credit in the bank is serviced through 10 Corporate Financial Services (CFS) branches and 4 Emerging Corporate Branches which manage about 80% of the total corporate credit portfolio of the bank. The corporate credit portfolio of the Bank increased by 15.6% during FY 2019 to ₹ 185,943 crore.

During the year under review, the corporate credit portfolio reaped the benefits of transformation initiated in preceding years. With this revamp in approach towards corporate credit delivery, the risk profile of the portfolio further improved during the FY 2019 as observed in the rating distribution of domestic

credit portfolio as below:

Credit Rating Distribution*	31.03.2017	31.03.2018	31.12.2018
A & above	39.27%	52.37%	60.21%
BBB	15.77%	14.90%	13.82%
Below BBB	21.80%	19.72%	15.86%
Unrated	23.16%	13.01%	10.11%

*External rating distribution of advances above ₹ 5 crore.

Target Market approach: FY 2020

During the year, the target market approach has been further sharpened based on the objectives of improving credit performance, ensuring profitable deployment of capital, optimising overall yield and profitability and increasing bank's market share in the performing and growing sectors. The structural framework adopted for the same is as follows:

- Identification of industries / sectors based on industry outlook i.e. the combined output of various industry parameters including market size, growth indices, demand-supply outlook, cost structure, competition, financial performance, govt. policies and investment outlays.
- Sector-wise business plan for target market lending based on exposure caps, existing exposures, and further appetite for fresh acquisitions for the current financial year.
- Identification of corporates with defined pre-selection criteria such as ratings, financial parameters i.e. revenue, profit after tax (PAT), net worth, gross capital, financial ratios, viz. leverage ratio (debt-equity ratio, Net Debt / EBITDA, profitability ratio (Net profit/Sales, gross profit/Sales), operating profit margin, cash accrual / debt etc. and due diligence.
- Precise Account Planning with structured calling plans for meetings, identifying business opportunities, approval and closure.
- Execution of the business plan under target market approach through dedicated relationship managers across the Bank.

Under the above approach adopted by the Bank, nine sectors with 476 corporates were identified and 121 leads were generated out of which 87 leads amounting to ₹ 33,127 crore were converted into business. Moving ahead with this strategy, 809 corporates (including mid-corporate clients) have been listed as target in FY 2020.

With a view to provide enhanced customer experience for International Trade Customers, and also to ensure seamless transactions management from initiation of requests to successful execution, the Bank launched a fully digitised and integrated trade system - BarodaINSTA (Baroda Integrated Solution for Trade Finance Access) which is compliant with SWIFT. BarodaINSTA provides secure online access via a front-end portal to clients for initiating transaction requests resulting in operational consistency and better governance with enhanced security and validations. It is a user-friendly application with attractive and convenient dashboards, providing real time tracking of transactions for customers with multiple features like comprehensive MIS, reports, courier tracking, calendar (for due date maintenance), etc.

MSME Credit

The Bank targets the MSME sector through 42 dedicated SME Processing Cells named 'SME loan factories', and a wide network of branches servicing the MSME segment with a target market approach.

Supporting the Government's efforts under MUDRA scheme on employment generation, the Bank lent ₹ 6,023 crore to the sector. The Bank has also extended credit of ₹ 1,154 crore to SC, ST and women entrepreneurs under the Stand-up India programme since the launch of the scheme. The MSME credit portfolio of the Bank increased to ₹ 55,455 crore as on March 31, 2019, from ₹ 51,730 crore as on March 31, 2018. The Bank has added 93,994 new MSME customers to its base in FY 2019. To provide access to working capital to MSMEs at competitive rates on Trade Receivables electronic Discount System (TReDS), the Bank has onboarded itself on all the three TReDS platforms. As on March 31, 2019, the TReDS business accounted for ₹ 223 crore.

In support of the Government's initiative to augment MSME units by speedy sanction of MSME loans through the 'PSBloansin59minutes' portal, the Bank was ranked first, out of all PSBs, as on March 31, 2019. To ease working capital constraints of MSME, arising out of GST implementation, the Bank has devised a special product for financing against GST receivables for the MSME segment. The supply chain business has an outstanding book of ₹ 452 crore as on March 31, 2019 and is backed by a fully digitised supply chain financing product which has provided a new vehicle for sourcing of MSME customers, specifically vendors and suppliers of anchor corporates.

In addition, the Bank has 6 Area Specific Schemes for financing SME clusters. The total number of products increased to 26 including specialised products to cater to MSME units during the last financial year, denoting the thrust of the Bank on this segment. We have also adopted a new pricing strategy named CIBIL MSME Rank (CMR) based pricing for MSME enterprises with credit exposure above ₹ 25 lakh and up to ₹ 5 crore, which enables MSME businesses to have access to bank finance at competitive rates starting from as low as MCLR plus 0.05%. To reach out to newer business segments and to deliver the benefit of lower interest rates in comparison to NBFCs, the Bank is co-originating with different NBFCs and entered into co-origination arrangements with certain NBFCs.

The Bank has commissioned a dedicated team for financing commercial vehicles and construction and mining equipment for the MSME segment. For this purpose, Bank has entered into a strategic alliance with Tata Motor Finance Ltd. for capturing new business in the commercial vehicles segment. Further, the Bank has on-boarded clients under a new scheme 'Value Chain Finance' which is specifically designed for customers with maximum turnover of up to ₹ 2,000 crore.

To ensure better reach to MSME market segments, the Bank has established a separate specialised team dedicated to sales and loan processing, deployed at SME Loan Factories. To ensure consistency in underwriting, faster turnaround time and timely collections, the Bank has implemented centralisation of MSME loan processing through Integrated SME Loan Factory (ISMELF) at 2 centres viz. Mumbai and New Delhi. The Bank is also participating in MSME schemes such as 'One District One Product' promoted by the Uttar Pradesh Government to

ensure higher penetration. Government Schemes Processing Cells (GSPC) have been set up across India to enable seamless processing of Pradhan Mantri Mudra Yojana, Standup India, Pradhan Mantri Employment Generation Programme, National Urban Livelihoods Mission and State-specific Government sponsored schemes. Under the Support & Outreach Campaign for MSMEs, a GoI initiative, launched on November 2018, the Bank was assigned 100 districts and 100 days with key deliverables.

Retail Credit

The Bank has been undertaking a number of transformational initiatives to improve its market share in retail segment. Foreseeing the importance of retail lending in the economy, the Bank adopted a focused approach in the retail lending space since April 2016 and considerably increased the retail book from ₹ 68,765 crore in March 2018 to ₹ 85,390 crore as on March 31, 2019.

The initiatives include redesigning of products and processes to enhance the customer satisfaction by allowing higher eligibilities, lower pricing and standardised processing. Some of the steps undertaken by the Bank are as mentioned below.

- Risk Based Pricing
- Setting up of Centralised Processing Cell at Gandhinagar and Hyderabad
- Empanelment of Direct Selling Agents (DSAs)
- Empanelment of Contact Point Verification (CPV) agencies
- Implementation of Loan Lifecycle Processing Systems
- Focused and strategic approach on takeovers
- Implementation of a pre-approved credit programme
- Setting up of a dedicated call centre for collections

The Home Loan book has grown by 22.2% to ₹ 54,612 crore as on March 31, 2019. The continued efforts on increasing Auto Loans has resulted in a growth of 49.4% with an increase in market share from less than 1% to approximately 3%. The disbursement of Auto Loans has also grown by 169.2%. Fresh sanctions for Education Loans have grown by 106.8%. The target given by the Ministry for Education Loans has been surpassed by 48%. In case of mortgage loans, the book has grown by 74.3%.

Rural and Agricultural Lending

The Bank has a network of 1845 branches in rural and 1546 branches in semi-urban areas which are leveraged for priority sector and agriculture lending. During FY 2019, the Bank opened 22 new rural and semi-urban branches. The Bank's agriculture advances grew by 14.2% from ₹ 49,583 crore as on March 31, 2018 to ₹ 56,623 crore as on March 31, 2019. The Bank achieved all mandatory targets under Agriculture, Priority Sector, Small and Marginal Farmers (S&MF), Micro Enterprises, Loans to Non-corporate Farmers and weaker sections of the society during FY 2019 and earned a net commission of ₹ 33.0 crore by selling net Priority Sector Lending Certificates (PSLC) worth ₹ 7,700 crore.

The Bank is the Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in the states of Uttar Pradesh and Rajasthan and shoulders the Lead Bank responsibility in 48 districts across the country.

The Bank continues to be a leader in lending to the agriculture sector which received an impetus with the Government's target of doubling the income of the farmers by FY 2022. The Bank has moved beyond granting simple farm credit, to a more diversified rural lending strategy by focusing on new products across rural customer segments like farm mechanisation, horticulture loans, warehouse receipt financing, food and agro-processing and adopting a community-based lending model for the small farmers and communities.

During the year, Bank issued 2.29 lakh Kisan Credit Cards. Baroda Kisan RuPay Card, an ATM enabled smart card, was issued to 13.46 lakh farmers. As a part of its microfinance initiatives, the Bank linked 26,630 Self Help Groups (SHGs) by granting loans amounting to ₹ 482.69 crore. To facilitate credit linkages of Farmer Producer Organisations (FPOs), the Bank tied up with the Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC) for providing Credit Guarantee for collateral free loans and also as a preferred bank for the state of Maharashtra. The total Agricultural Advances as on March 31, 2019 were well above the regulatory requirements.

The Bank's agriculture and rural strategy continues to focus on developing an ecosystem of alliances and partnerships with multiple players with the objective of increasing farm productivity; enhancing the income of farmers and serving the rural economy.

The Bank is developing an agri-digital platform – 'Baroda Kisan'. The platform in partnership with strategic players aims to become a one-stop shop to cater to all major needs of a farmer ranging from notifications, weather forecast information, crop health, soil moisture, pest infection information, mandi prices crop specific advisory, input buying (like seeds, fertilizers, pesticides), equipment renting advisory services and innovative financing options for sale of agriculture produce.

Bank of Baroda observed a Kisan Pakhawada' from October 1, 2018 to October 16, 2018 and celebrated the last day of the fortnight as Baroda Kisan Diwas to coincide with the International Food Day. In FY 2019, a total of 8,018 choupals were covered with participation of 2,38,974 farmers through 1,621 Kisan Melas, 339 Health Camps (soil / animal / farmer), 4,884 farmer meetings and 310 financial literacy camps.

The Bank has been awarded the Inclusive Finance India Award for Innovation and Inclusiveness in Priority Sector Lending by Bank (Public Sector) for 2018 by Access Assist. The Bank also received 4 awards including the Runner up in Overall Best Social Bank under the Large Banks category during the 14th ASSOCHAM Annual Banking Summit cum Social Banking Excellence Awards - 2018.

Priority Sector Lending

Priority sector advances of the Bank stood at Rs.1,47,109 crore as of March 31, 2019. The Bank was well above the mandated levels of priority sector advances and its other sub-components.

Advances to SC/ST Communities

The outstanding advances to SC/ST communities went up from ₹ 5,765 crore as of March 31, 2018 to ₹ 7,212 crore as of March 31, 2019. The SC/ST communities accounted for 18.31% share in total advances granted to weaker sections by the Bank.

Furthermore, special thrust is laid by the Bank in financing SC/ST communities under various Government sponsored schemes

such as National Rural Livelihood Mission (NRLM), MUDRA Loan, Start-up India and Stand-up India. During this year, the Bank entered into various tie-ups with State Rural Livelihood Missions (SRLMs) in Tamil Nadu, Odisha, Chhattisgarh, Punjab and Uttar Pradesh for providing finance to women SHGs to further the mission of women empowerment. The Bank also tied up with SEWA for financing solar units for women salt workers (members of SEWA) in the Rann of Kutch, Gujarat.

Financial Inclusion (FI)

The Bank has increased the FI coverage by deploying 15,356 BC agents catering to 21,895 villages and other semi-urban and urban areas and also through 583 Branches in under-banked areas across the country. Total number of Basic Savings Bank Deposit (BSBD) accounts under financial inclusion stand at 372.6 lakh with an aggregate balance of Rs.12,690 crore as on March 31, 2019. The number of zero balance accounts have reduced from 11.53% in the previous year to 9.21% this year.

The Bank has taken a number of initiatives to harness the power of digitisation to deepen financial inclusion in the year.

- Digitised instant account opening through eKYC authentication and Aadhaar seeding with PIN generation through tablets, account opening kiosks and business correspondent (BC) outlets with instant enrollment under Micro Insurance and debit card issuance.
- Deployed micro and table-top ATMs in rural areas through BCs and expanded the Business Correspondent using Information and Communication (BC-ICT) model by adding 700 agents during the year.
- Enabled increased utilisation of bank accounts, expansive cash-in cash-out network comprising 15,356 BCs who use 8,823 PINPAD and 1,882 portable Micro ATM devices.
- Provision of 185 VSATs to BC agents functioning in grey areas across the country.

FY 2019 Performance Highlights under Financial Inclusion

- 101.2% of target achieved in respect of total BC outlets.
- 91.3% and 132.4% of targets achieved for BSBD account opening and amount under the same through branches respectively
- The Bank achieved 233.9% and 284.6% of the target set for FY 2019 for BSBD account opening and amount under the same through BC points respectively.

Highlights of Performance under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Bank had 300.83 lakh accounts under PMJDY as on March 31, 2019, as against 239.29 lakh at the end of previous year, an increase of 25.7%. The Bank's market share in incremental PMJDY accounts and outstanding deposits was 10.7% and 11.9% respectively. Outstanding balance in PMJDY accounts was ₹ 9,312 crore as of March 31, 2019 as against ₹ 6,595 crore at the end of previous year, an increase of 41.2%. RuPay debit Cards issued under PMJDY accounts increased to 276.62 lakh from 221.50 lakh. Aadhaar seeding in PMJDY accounts increased to 88.0% during the year from 83.9% last year.

Coverage through Social Security Schemes

The position of enrollment under social security schemes of the Government as on March 31, 2019 is as under:

	31.03.2018	31.03.2019
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (in lakh)	59.52	90.37
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (in lakh)	18.14	25.30

Setting up Aadhaar Enrollment Centres

Banks, vide Gazette notification dated July 14, 2017 of Government of India, have been mandated to set up Aadhaar enrollment and update centres inside the branch premises with at least one centre in every 10 branches. Accordingly, the Bank has set up 608 Aadhaar enrollment centres as of March 31, 2019.

Performance of RRBs Sponsored by Bank of Baroda

The Bank has sponsored three Regional Rural Banks (RRBs): Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, and Baroda Gujarat Gramin Bank. The aggregate business of these three RRBs rose to ₹ 62,298 crore as of March 31, 2019 from Rs.55,063 crore as of March 31, 2018, registering a growth of 13.1%. The three RRBs together posted a net profit of ₹ 208.61 crore during FY 2019 against ₹ 208.55 crore in the previous year. The net worth of these RRBs put together improved from ₹ 2,401.78 crore as of March 31, 2018 to ₹ 2,620.57 crore as of March 31, 2019.

International Operations

The Bank has 100 overseas branches/offices across 21 countries comprising of 45 overseas branches in 13 countries, 54 branches of the Bank's eight overseas subsidiaries and one International Banking Unit (IBU) in GIFT City (SEZ), Gandhinagar, Gujarat, India which deals exclusively in foreign currency. In addition, the Bank has one Joint Venture viz. India International Bank (Malaysia) Bhd. in Malaysia and one associate bank viz. Indo Zambia Bank Ltd. in Zambia with 30 branches.

During FY 2018 and FY 2019, the Bank has undertaken strategic rationalisation of its overseas presence based on a comprehensive evaluation framework. During the year, Bank closed down its Offshore Banking Unit at Bahamas, wholesale banking unit in Bahrain, and surrendered banking license of subsidiary at Ghana which had three branches. Further, Muttrah branch at Oman was merged with the Greater Muttrah branch and Durban branch was merged with Johannesburg branch in South Africa. The rationalisation of operations based on the strategic review is continuing.

The Bank has presence in the world's major financial centres of New York, London, Singapore, Brussels and Dubai. In the international arena, our Bank pursues a strategy of driving growth and value by meeting the international banking requirements of Indian corporates; catering to India linked cross-border trade flows for Indian and locally incorporated companies or firms and being the preferred Bank for NRIs/ Persons of Indian Origin. The Bank is continuously consolidating and reorganising its International Operations in line with the new global environment and focused on rebalancing the portfolio with a view to manage risks, shed low-yield assets and increase profitability.

As of March 31, 2019, the Bank's total business from international branches was ₹ 2,19,356 crore and constituted 19.8% of the global business. Total deposits were at ₹ 1,20,723 crore while net advances were ₹ 98,633 crore. It was a year of consolidation for the international operations.

The total deposits were lower by 2.9% whereas total advances fell by 4.4%. The reduction in business is mainly on

account of rationalisation of the Bank's overseas centres, UK subsidiarisation and run-off of Buyers' Credit.

Incorporation of Subsidiary in UK

The Bank's wholly owned new retail subsidiary at UK viz. Bank of Baroda (UK) Ltd. has been operationalised with effect from 17.12.2018. The retail business of the UK operations has shifted to the new subsidiary and wholesale business is retained under branch mode. The UK operations now comprise of 1 branch of the Bank and 10 branches of subsidiary.

Treasury Operations

The Bank operates its Treasury operations from a state-of-the-art dealing room at its Corporate Office in Mumbai. The Treasury is a prominent player in various markets e.g. Foreign Exchange, Interest rates, Fixed Income, Money Market, Derivative, Equity, Currency and Interest rate Futures and other alternate asset classes. The Bank is offering various services like interest rate swaps, currency swaps, and currency options, forward contracts through authorised branches dealing in foreign exchange across India.

The treasury is responsible for managing the funds position of the Bank and ensuring safety, liquidity and optimal yield on these funds. It maintains Statutory Reserve Requirements and invests in corporate bonds, commercial papers, equity, venture capital, mutual funds, etc. as a part of the fund management operations.

The total size of the Bank's Domestic Investment Book as of March 31, 2019 stood at ₹ 1,72,412 crore. The share of SLR securities in total investments was 85.89%. The percentage of SLR securities (unencumbered) to NDTL at March 31, 2019 was at 27.98%.

The Bank demonstrated its capabilities in effectively dealing with extreme adverse circumstances in the market. The Bank has been able to capitalise on the opportunities offered by yield movements. The Bank managed its portfolio efficiently and maintained average yields on interest bearing investment for FY 2019 at 8.13% (including profit on sale). During FY 2019, the profit on Sale of Investment and Foreign exchange earnings are ₹ 994 crore and ₹ 445 crore respectively.

Government Business

The Government Business is an important part of the Bank's strategy. It caters to the banking requirements of Central/ State Government and PSUs across India. The Bank is authorised to collect direct taxes through its designated branches and is an accredited banker to the Ministry of Health and Family Welfare.

The Bank is partnering with various departments at the Central and State levels in developing e-solutions in-line with the digital initiatives of the Government of India, leading to transparency and efficiency. MOUs with EPFO, Employees' State Insurance Corporation, IRCTC, National Agriculture Market, Government e-Marketplace and Inland Waterways Authority of India have been signed to enhance fresh business opportunities.

During the year, Bank has developed customised software for the e-LC solution for Ministry of Defence. Bank of Baroda is the only Public Sector Bank to launch e-KVP utility through banks. The Bank has integrated itself on the e-PCS portal of Indian Port Association for all the 3 major ports across India. An MOU with the Kandla Port has been signed.

The Bank has been recognised by Pension Fund Regulatory Development Authority for the Achievement of the Targets under APY.

Wealth Management

During the year, the Wealth Management Department has been at the forefront in providing investment and insurance services to our customers. The Bank's flagship programme, 'Baroda Radiance' continues to cater to the requirements of High Net Worth Individuals through a dedicated structure of relationship managers. The Bank aims at providing best-in-class solutions and services to its customers for which it is building digital solutions. Some of the initiatives taken during the year are:

- 'Baroda Wealth Solution', a digital platform, is implemented to enable seamless distribution of investment and insurance products to all customers. This platform will also be available to Bank's customers in Mobile Banking and Internet Banking.
- Bank extended the coverage of the product 'Group Credit Life' and 'Group Criti Care' to its retail borrowers, covering the credit risk in case of eventuality (life or critical illness).
- Bank launched five health insurance products with portability and continuity benefits. This enables customers to migrate their health insurance policies to an insurer of their choice.

Stressed Asset Management

With an increase in non-performing loans over the years, the Bank has revamped its strategy to augment recoveries and reduce slippages. For this, the Bank has created a 'Stressed Assets Management Vertical', where all major and medium sized NPA accounts of ₹ 10 lakh and above and all SARFAESI eligible accounts are handled by specialised units called Stressed Assets Recovery Branches (SARB) set up at Zonal and Regional level. The remaining accounts i.e. accounts below ₹ 10 lakh are handled by respective branches with the help of Business Correspondents and outsourced Call Centres.

Non-performing loans continued to decline for the Bank with gross NPA ratio declining to 9.61% as on March 31, 2019 from 12.26% as on March 31, 2018. Similarly, Net NPA ratio improved to 3.33% in March 2019 as compared to 5.49% in March 2018.

The movement of NPAs during the last two years are as under:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2019
Gross NPA	56,480	48,233
Gross NPA (%)	12.26	9.61
Net NPA	23,483	15,609
Net NPA (%)	5.49	3.33
Additions to NPAs	24,239	13,614
Recovery/ Upgradations	5,530	8,759
Write offs including TWOs	4,948	13,102
Recoveries in written off accounts	621	832
Provision Coverage Ratio (including TWO) (%)	67.21	78.68
Provision Coverage Ratio (excluding TWO) (%)	58.42	67.64

As per asset classification, the bifurcation of loan book is as given below:

(₹ in crore)

Asset Category	31.03.2018	31.03.2019
Standard advances	4,04,264	4,53,473
Gross NPA	56,480	48,233
Total Gross Advances	4,60,744	5,01,706
Gross NPAs comprising of		
Sub-standard	13,131	9,014
Doubtful	35,447	32,398
Loss	7,903	6,821
Total Gross NPA	56,480	48,233

In order to address a large number of small NPA accounts, the Bank launched OTS schemes viz. Lakshya I and II (Lakshya Agriculture, Retail & MSME) during FY 2019. The Bank settled 109,327 accounts under these schemes with an aggregate settlement amount of ₹ 639 crore and recovery and upgradation of ₹ 543 crore. An application called One Time Settlement Tracking System has been implemented wherein customers can initiate settlement proceedings online. The Bank has also set up a legal war-room for real-time tracking of recovery proceedings and to aid accelerated decision making (378 high value suit-filed accounts were being monitored by the War Room).

The Bank has set up a solution provider cell to augment recoveries to ensure minimal slippages and to provide resolution strategies for large NPA accounts, with exposure above ₹ 30 crore. For timely collections from retail and SME customers, a 350-member call centre with multi-lingual support has been set up. This is supported by feet-on-street staff to drive on-ground collections. A special taskforce of about 800 officials of the Bank has been deployed for recovery of small NPA and potential NPA accounts. Business Correspondents are incentivised for collections in crop loans.

The Bank has strengthened its NPA management with daily dashboards like Days Past Due (DPD) Report, NPA Movement Chart and Mock Runs for forecasting degradations to ensure reduction in slippages and improvement in collections. Further, the Bank is in the process of developing a mobile application which would enable the collection agents on the field to collect the amount based on data fed from the system and also update recovery details.

The Bank is in the process of implementing an Integrated Litigation Management system (ILMS), a pilot run of which has been completed. With this system, all the cases filed in DRT, suit filed cases with other courts and the status of action initiated by Bank under SARFAESI Act, etc. can be monitored on a real time basis.

In addition, the Bank has put in place the following measures on an ongoing basis to facilitate recovery of non-performing assets:

- Assigning Nodal Officers at each DRT for follow-up of legal cases on a daily basis so as to minimise the delay in obtaining decrees and execution and to maximise recoveries.
- Taking assistance from Advocates/Consultants to liaise with Official Liquidators (OL) to get the recoveries realised by OLs.
- Liasoning with Official Liquidators, organising Recovery Camps across branches, close monitoring of stressed accounts and recovery agents at all levels and monthly e-auctions, especially in DRT suit filed NPA accounts.
- Number of Wilful Defaulters declared during the current FY 2019 is 399, increasing the aggregate numbers substantially to 750. This number stood at 303 as on March 31, 2018.

Information Technology (IT)

The Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitisation of banking services is driving continuous upgradation of the IT infrastructure. Some of the major initiatives during the year include:

- The Bank has upgraded its erstwhile Loan Management System (LMS) with a new Loan Lifecycle Processing System. This new system streamlines loan origination and tracking processes to enable faster loan disbursals and end-to-end processing of loan proposals using image-based workflow and Business Process Management (BPM) tool to improve Turn Around Time (TAT).
- The Bank is implementing a Decision Management System which provides business policy owners with the ability to author, test, execute, and maintain score models, strategies and rules integrated with the LMS. This will substantially improve decision quality, consistency and efficiency of operations.
- The Bank is in the process of upgrading the existing Internet Banking (Baroda Connect) with an advanced version, an enhanced user interface and a basket of new functionalities.
- The Bank is in the process of implementing Oracle CRM for Branches, Contact Centres (CCs), Retail Loan Factories (RLFs), Small Medium Enterprise Loan Factories (SMELFs), City Sales Offices (CSOs) and Regional Offices.
- In order to handle large volumes, the Bank upgraded to Unified Payments Interface (UPI) version 2.0. It aims to simplify and provide a single interface across all NPCI systems besides creating interoperability and providing superior customer experience.
- The Bank has implemented a Centralised Communication Management (CCM) solution which facilitates automation of various communication/e-communication to customers on a monthly basis.
- The Bank is in the process of implementing an API Banking platform to accelerate digital transformation and build capabilities to unlock the true value of digital assets, create business agility and promote innovation and collaboration.
- The Bank has implemented an automated reconciliation platform called Universal Transaction Reconciliation System (UTRS). This platform offers the capability to quickly configure two-way or multi-way reconciliation, thereby reducing risk and increasing compliance.
- The Bank has embarked upon the journey of cloud adoption. The Bank has implemented e-mail, e-learning Management services and collaboration technology solutions on the public/ community cloud. The Bank has also implemented archival solution for email communication to strengthen compliance.

- The Bank is in the process of implementing a Mobile Device Management solution (MDM) which will enable employees to securely access various banking applications using corporate-owned and employee-owned (BYOD) mobile devices from remote locations, thus increasing productivity and efficiency. This will also help the Bank in reducing cost of operations and business risks.
- The Bank has best-in-class technology infrastructure for Data Centre conforming to Uptime Institute Tier-3 standards. The Bank has also built a Disaster Recovery Site in different seismic zones with redundancy built in every single point of failure to ensure uninterrupted service delivery to our customers. Bank of Baroda has additionally built Near Disaster Recovery Centre for Core Banking (Domestic & International) System and Treasury system to ensure zero data loss as part of its Business Continuity Planning and Disaster Recovery strategy.

  The Bank has implemented state-of-the-art Data Centre tools for Network Management at its Data Centre and branches/offices. In addition, the Bank has also implemented application performance management for synthetic monitoring of internet banking and core banking applications. The Bank has set up two centres of excellence to build a future ready organisation.

IT Centre of Excellence (ITCoE)

The Bank has setup an ITCoE which works closely with business units to identify and implement related technologies for driving revenues and gaining efficiencies. The ITCoE aims to develop differentiated, market-leading technology solutions while driving business outcomes. ITCoE is bringing together a wide variety of cutting-edge skills such as design thinking, mobility, DevOps, Business Process Management and emerging technologies like Robotics Process Automation, API & Platform banking to execute on the twin mandates of improving business efficiency and taking new use-cases to market at speed.

Analytics and Artificial Intelligence Centre of Excellence (A&AICoE)

Under the ACoE, the Bank has established an enterprise-wide, data and analytics technology platform with petabyte scale - the Big Data Lake. Powered by leading data technologies and techniques like Data Lake, Machine Learning and IT, the ACoE aims at helping the Bank in traversing the journey from Data to Insights and from Actions to Results. ACoE is working with multiple lines of businesses to identify and realise new value-creation opportunities, and to build the Bank's capability in leveraging analytics to increase revenue, reduce costs and improve risk profiling.

Cyber Security

Over the years, the Bank has built a strong foundation for cyber security comprising of a comprehensive set of information security measures to counter cyber-attacks. The Bank has a well-defined cyber security governance framework in place that is operated through a combination of management structure, policy framework and operational controls.

In order to detect and prevent cyber incidents, the Bank has upgraded its Captive Security Operations Centre to Cyber Security Operations Centre (C-SOC) which operates on a 24x7 basis. During the year, the Bank has further added new technologies to C-SOC to identify, manage, respond and resolve cyber security incidents quickly and more efficiently. Further, the Bank has placed the following controls to enhance cyber security:

- Data Centre and Disaster Recovery operations are ISO 27001:2013 certified - (set of international best practices related to Information Security).
- Implemented multi-layered security architecture to protect IT Assets.
- Periodic audits of applications and infrastructure to identify weaknesses in the existing system and to take steps to rectify deficiencies.
- Phishing sites, rouge mobile apps and social media sites are monitored for malicious activities/contents and the same are taken down on detection through anti-phishing and brand protection services.
- Advanced security solution implemented to detect and prevent Bank's critical infrastructure from persistent threats and zero-day attacks.
- Data Leakage Prevention solution to detect and prevent unauthorised usage or misuse of business sensitive information.
- Technology for detection of anomaly in network traffic and its behaviour to detect network level attacks.
- Implemented technology to protect the systems from Distributed Denial of Service (DDoS) and obtained clean pipe to ensure uninterrupted customer service.

The Bank has also taken various initiatives for educating customers through various channels such as SMS, ATM slips, ATM screens, Digital Displays, Website etc. Employees are sensitised in the field of cyber security through circulars, mandatory E-Learning courses, quarterly IS awareness magazine "Cyber Chunks" and Audio Visual Film among others. The Bank participates in the cyber security drills conducted by agencies such as IDRBT, CERT-In to test its capabilities and further strengthen defence against cyber-attacks. The Bank has an emergency response team and cyber crisis management plan in place and their effectiveness is periodically tested through drills.

Digital Transformation

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which lead to better customer experience. As against a target of 50 crore digital Transactions allotted to the Bank for FY 2019 by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the Bank achieved 107.6% of its target in February 2019.

The major focus of Digital Banking is to make our products available to customers through digital and mobile channels such as Mobile banking, Unified Payment Interface, BHIM Aadhaar, Multi-Function Kiosk, Self Service Passbook Printers, etc. The progress on digital initiatives is as follows:

- Mobile Banking: The Bank's new Mobile banking application MConnectPlus is available in 13 languages and has been extended to NRI customers. The user base has grown by 116% with 108% increase in transactions. Overall transaction amount increased by 120% to ₹ 42,162 crore.
- Unified Payment Interface (UPI): The Bank has extended its UPI application to all its RRBs .The Bank has tied up with

TrueCaller app for providing UPI facility in September 2018. To increase customer convenience, the Bank went live on UPI 2.0 as an issuer on 20.03.2019. Overall transactions increased to ₹ 122,408 crore.

- Baroda Pay Point: During the year, the Bank launched Baroda Pay Point - a mobile/web-based fee collection portal for the payment and administrative needs of educational institutes and to help in canvassing additional CASA business and revenue income.
- Debit Cards: The Bank offers a wide range of chip-based Debit Cards with customised offers to meet the changing lifestyles of the customers. The Bank has issued more than 72 million debit cards (including 44 million Rupay cards). The Bank launched RuPay qSPARC card - the National Common Mobility Card (NCMC) to enable customers to have a single card instead of a Debit and a Prepaid card separately.
- Bharat Bill Payment System (BBPS): The BBPS System of the Bank has been certified both as a Customer Operating Unit (COU) and a Biller Operating Unit (BOU) by NPCI. The Bank is providing BBPS services in Mobile Banking, BHIM UPI, Net Banking and UMANG application through Net banking. The volume and value of transactions under BBPS increased by 296% and 261% during the year respectively.
- Baroda FASTag (National E Toll Collection - NETC): The Bank has implemented and launched NETC on 12.07.2018 and branded it as Baroda FASTag.
- ATMs: The Bank has 8,166 ATMs and 1,406 Cash Recyclers in India and with an availability of 95%. Our multi-function ATMs are focused on making banking a smooth experience.
- Hi-Tech Digital Branch: The Bank has evolved an innovative concept by setting up Hi-tech Digital branches equipped with advanced gadgets like Artificial Intelligence Robot named Baroda Brainy and Digital Lab with free Wi-Fi services. In addition, the digital branches have self-service kiosks and an expert area which is equipped with Remote Tellers (Video Assistants) to assist the customers in a more interactive manner.
- NACH eMandate: Bank of Baroda went live for eMandate Internet Banking on March 21, 2018. The Bank also went live with API Mandate (Internet Banking) as a destination bank on February 6, 2019.
- Baroda Prepaid Card: The Bank offers three types of Prepaid cards to its customers.
    a. Baroda Gift Card: A perfect gifting option which can be used to make purchases or payments across the country.
    b. Baroda TravelEasy Card: A prepaid international currency card, which is available in three currencies i.e. US Dollars (USD), Euro, Sterling Pound (GBP). It is a reloadable and competitively priced card and can be issued to resident customers travelling abroad.
    c. Baroda Reloadable Card: A prefunded card that is ideal for recurring overheads like pocket money, travel allowances, daily/monthly wages, meal allowances, etc.
- Cashless Villages: The Bank has transformed 281 villages into cashless villages by providing various digital products like Debit card, Mobile Banking, Internet Banking, UPI, BHIM QR, BHIM Aadhaar, POS machines, etc.
- Digitisation of Records: As a step towards moving to paperless banking and freeing space at branches to make way for customer friendly lay out, digitisation of records has been undertaken by setting up a Document Management System (DMS). This is an ambitious project of the Bank under which around 22 crore papers have already been scanned covering over 3,200 branches. Over 2 lakh sq. ft. of space has been unlocked in the identified Branches.

FinTech

The Bank is cognisant of the transformational impact of FinTech on financial services industry. The Bank has played a pioneering role in collaborating with these players by becoming the first PSB to establish a dedicated FinTech vertical in 2016. As of March 2019, the Bank had 40+ partnerships with diverse FinTech start-ups working across lending, payments and innovative services.

Some of our major initiatives during the year included:

- Payments: The Bank became the first PSB to go live on Truecaller Pay for enabling digital payments using BHIM Baroda Pay UPI services. This tie-up gives us access to over 60 million, tech-savvy customers across the country. The Bank generated transactions of ₹ 166 crore in first 6 months of going live.
- BoB Innovation Centre: The Bank signed an MOU for setting up the BoB Innovation Centre (BoBIC) in collaboration with IIT, Mumbai at their campus. BoBIC is a first of its kind BFSI– Academia partnership which is powered by a strong ecosystem and aims to promote a culture of innovation and entrepreneurship in India.

Shared Services

The Bank has set-up a wholly owned subsidiary Baroda Global Shared Services Ltd. (BGSS) to focus on four core areas: 'customer service, efficiency, speed & managing risk'. The Bank's digitisation and centralisation strategy is embedded with shared services. A number of processes have moved to back-office operations at the state-of-the-art Shared Services Centre (SSC) in GIFT City, Gandhinagar and Hyderabad. Centralisation has not only reduced the cost of transactions but enhanced risk management, controls and compliance practices.

During the year, the SSC made significant progress on centralisation of back office processes and enhancing risk management framework for the Bank. The centralisation of following functions has been undertaken at SSC:

1. Migration of all deposit account opening, trade and forex transactions (foreign) and retail mortgage loans processing.
2. Pension operations.
3. Digital Banking and Credit Card Operations.
4. Call centre for customers.

A pilot for agriculture operations, domestic trade, other branch transactions (FD, account maintenance etc.) and MSME Operations with selective branches/ region is underway. The SSC has more than 800 full time employees (FTEs) in non-voice (transaction processing) and ~ 750 FTEs in its call centre at GIFT City with Business Continuity Planning (BCP) presence in Mumbai and Hyderabad, centralising more than 65% of identified processes and activities.

During FY 2019, SSC has started a state of the art, 24X7 facility serving customers with focus on digital processing

There has been an improvement in turnaround time (TAT) along with reduction in error rates with specialisation of roles and enforcement of improved 'First Time Right' (FTR).' Time and motion studies have been conducted of each transaction/ product in order to help in continuously improving the utilisation and productivity.

Operational Highlights:

1. BGSS is operational round the clock and ISO Certified.
2. Focus on automation of repeated tasks for better productivity across segments and setting up of express channels for priority processing. SSC is working on Robotics, AI and machine learning based applications in conjunction with the IT team.
3. More than 650 Bank staff were released to the branches for sales and other services.
4. Automation of cheque book, welcome kit, email/ SMS alerts has been activated for trade & forex customers.

SSC also enhances the risk management framework of the Bank by instituting stronger controls at every stage of a transaction/ process.

Marketing

The Bank has adopted an integrated marketing strategy across products and services that spans multiple customer touch points. We create narratives that emphasise on services rendered by us and help in engaging with our customers to strengthen their relationship with the brand.

During FY 2019, Bank was present across all mediums of communication including print, digital, out-of-home (OOH), television and radio with a host of both brand and product led campaigns to increase both aided and unaided recall for the brand. The Bank continues to create awareness by showcasing real life inspirational stories of its beneficiaries on two sponsored shows – 'Hunnarbaaz' on DD National and "Hum Hain Hunnarbaaz – Koshish Hamari Safalta Aapki" on CNBC Awaaz. Our brand ambassadors P. V. Sindhu and K. Srikanth helped us in reaching out to diverse audiences.

During the year, the Bank conceptualised and executed an extremely well received campaign with the themes – ''Behtar Se Behtareen" and "Power of Three" to announce the tripartite amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda. The creative execution with children as protagonists is not only endearing but also stresses on the shared heritage of the three brands which enhance brand recall.

In line with our focus on digitisation and the large base of Gen Y customers, the department continues to leverage the digital marketing ecosystem to put up the building blocks for data-led and metric-driven digital marketing. The Bank ran 50+ digital campaigns through the year with the objective of establishing Bank of Baroda as an aspirational brand which engages, empowers and educates digital audiences by providing relevant content and fulfills banking needs by constantly analysing, measuring and improving experience, response and capabilities. The Bank is focussed on both Search Engine Optimisation and organic growth on social media channels to cover netizens and engage with them. The Bank's Social Media Presence is summarised below:

Social Media Channels	No of likes / Followers as on 31.03.2019
Facebook Likes	10,52,000+
Twitter Followers	68,000+
YouTube Subscribers	24,300+
LinkedIn Followers	48,000+
Instagram Followers	49,200+

Branch Network

As of March 31, 2019, the branch network of the Bank is as under:

	31.03.2018		31.03.2019	
	Number of Branches	% Share in Total	Number of Branches	% Share in Total
Domestic Branches				
Metro	1167	21.35%	1203	21.66%
Urban	930	17.01%	959	17.27%
Semi-urban	1537	28.11%	1546	27.84%
Rural	1833	33.53%	1845	33.23%
Total	5467	100.00	5553	100.00
Overseas Branches/ Offices (including branches of overseas subsidiaries)	106		100	

The Bank opened 92 new domestic branches and merged six of them with existing branches.

Currency Chests

The number of currency chests with the Bank increased from 98 to 100 with the addition of two currency chests at Vadakara (Kerala) and Kennedy Avenue (Amritsar) during the year. These chests support effective cash management in the Bank as well as vaulting cash on behalf of RBI. All the currency chests as well as branches are provided Note Sorting Machines (NSMs). Moreover, these currency chests have also helped the Bank in efficient management of cash at branches.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Bank has a long legacy and tradition of contributing actively to the social and economic development of the communities through various developmental activities. The Bank as a responsible corporate citizen continuously strives to contribute to the welfare of the society, particularly the upliftment of the underprivileged sections of the society to make sustainable social changes in their lives. Skill development through training for gainful employment, human welfare and other social activities for women and farmers continue to remain the Bank's key focus areas. The Bank is helping different organisations engaged in various community development and socio-economic welfare activities for the benefit of weaker sections and rural citizens.

The Bank has established 49 Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS) and RSETI centres in seven states of the country. These centres impart skill development programmes to youth from rural and semi-urban areas for generating self-employment. Till date these centres have conducted 12,990 training programmes and imparted training to 3,64,995 youth, out of which 2,37,507 have already secured employment or setup their own ventures. The settlement ratio is at 65%. Our 25 BSVS centres have been graded as "AA/A" (outstanding) based on the overall performance/functioning of the RSETIs, during FY 2018. 20 Baroda RSETIs operate from the Bank's own premises.

The Bank has set up 51 Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCCs) in eight states which provide financial counseling services and education to the people in rural and urban areas about various financial products and services available from the formal financial sector. These centres also take up activities that promote financial literacy, awareness about banking services, digital banking, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.

Risk Governance and Internal Controls

The increased focus on risk and the supporting governance framework includes identifying the responsibilities of different parts of the Bank for addressing and managing risk. Often referred to as the 'three lines of defence', each of the three lines has an important role to play. These are:

i. First line of defence – This comprises of all the Bank's employees as they are required to own and ensure the effective management of risk and compliance with regulations, the Bank's policies and guidelines.

ii. Second line of defence – This comprises of the risk control owners, the risk management function and the compliance function. It is responsible for identifying, measuring, monitoring and reporting risk on an enterprise-wide basis independently from the first line of defence.

iii. Third line of defence - An independent assurance is provided by the internal audit function by conducting internal risk-based and other audits. The reviews provide assurance to the Board that the overall governance framework including the risk governance framework is effective and that policies and processes are in place and consistently applied. The role of the audit function is defined and overseen by the Audit Committee of the Board.

Risk Management and Compliance

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of Directors of the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focused oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the interlinkages among different type of risks. It is supported by onboarding specialists in the area. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and stress test policy. The Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk and Capital Adequacy under both normal and stressed conditions are assessed as per the extant policies. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is as follows.

Enterprise Risk Management and Risk Appetite Statement

The diversity of our lines of business requires a comprehensive Enterprise Risk Management approach to promote a bank-wide strong risk management culture to help in the early identification, assessment, measurement, aggregation and management of all risks and to facilitate capital allocation among various lines of business. All risks are approved within the overarching Risk Management Framework and are adequately hedged.

The Bank is constantly endeavouring to create a strong risk awareness culture by imparting trainings to the employees at all levels.

Credit Risk

Credit Risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in-line with international best practices. Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process. Credit risk measurement models are validated by independent model validators for their discriminatory power, accuracy and stability.

The Bank's experience in internal ratings over the years has enabled the Bank to obtain the regulator's approval for running the Foundation Internal Rating (F-IRB) approach of credit risk under Basel II guidelines from March 31, 2013. Under the IRB approach, the banks develop their own empirical model to quantify required capital for credit risk.

The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers to manage credit concentration risk. The portfolio review cell carries out detailed reviews on sectoral exposure, credit concentration, rating distributions and migration.

The Bank has also implemented the Risk Adjusted Return on Capital (RARoC) framework for corporate credit exposures for evaluating credit risk exposures from the point of 'economic value addition' to the shareholders.

Market Risk

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertake Market Risk positions.

The Bank measures and monitors interest rate risk in its trading book through duration, modified duration, PV01 and Value at Risk (VaR) on a daily basis. The foreign exchange risk is measured and monitored in terms of net overnight open position limits (NOOPL), VaR limits, Aggregate Gap Limits (AGL), Individual Gap Limits (IGL) on a daily basis. Equity price risk is

measured and monitored through VaR limits and portfolio size limits, etc. At a transaction level, stop loss limits and dealer-wise limits have been prescribed and implemented. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis.

Asset Liability Management

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. At the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow Approach and Stock Approach and other prudential stipulations as per RBI's extant guidelines. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR Standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR on a solo basis as well as on a consolidated basis.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates. The Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity for the measurement and monitoring of Interest rate risk in the banking book. The short-term impact of interest rate movements on Net Interest Income [NII] is calculated through the 'Earnings at Risk' approach by taking into consideration parallel shift in yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity (MVE).

Operational Risk

The Bank has implemented a web-based Operational Risk Management system called SAS Enterprise Governance, Risk and Compliance (EGRC) for systemic and integrated management of Operational Risk. To mitigate and control operational risk at a transaction level, Bank of Baroda has established a Centralised Transaction Monitoring Unit for monitoring of all domestic transactions from the KYC/ AML/ CFT perspective. The Bank has segregated customer interface (front office) from the execution of transactions (back office) by centralising a number of back office functions. The Centralised Trade Finance Back Office (TFBO) for forex transactions has been set up to minimise operational risk in forex transactions.

Roll out of Key Risk Indicators Programme (KRI), Risk Control and Self-Assessment Programme (RCSA) and root-cause analysis has further strengthened the control environment.

For improved fraud risk management, the Bank has completed the implementation of the first phase of Enterprise Fraud Risk Monitoring Solution (EFRMS) and the second phase is under implementation.

Basel III Implementation

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and enhanced disclosures on the other. For augmenting and improving the core capital of Banks, new measures for the inclusion of FCTR, DTA and Revaluation Reserves were introduced by RBI in March 2016. The Bank has started maintaining Capital Conservation Buffer (CCB) from March 2016 onwards and will reach the minimum prescribed level of 2.5% by FY 2020.

The Bank also maintains the regulatory mandated liquidity coverage ratio (LCR) as per the transitional arrangements prescribed by RBI.

Compliance

The compliance function is one of the key elements in the Bank's corporate governance structure. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented Compliance Policy, outlining the compliance philosophy of the bank, role and set up of the Compliance Department, composition of its staff and their specific responsibilities.

The compliance function advises senior management and the Board on the Bank's compliance with applicable laws, rules and global standards and keeps them informed of developments in the area. It also educates employees about compliance issues by conducting periodic trainings and workshops for business staff and designated compliance officers. Knowledge management tools for this purpose have also been uploaded on the Bank's site. The Bank has implemented a web-based compliance management solution for certification and monitoring of various regulatory, statutory and internal guidelines at each level in the Bank for further strengthening the compliance function.

KYC/ AML Compliance

The Bank has a well-defined KYC-AML-CFT Policy. On the basis of this Policy, KYC norms, AML standards and CFT measures and obligations of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, are implemented in the Bank. The Bank has elaborate systems to generate Cash Transaction Reports (CTRs) electronically for submission to Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). The Bank electronically files Counterfeit Currency Reports (CCRs), Non-profit Organisations Transaction Reports (NTRs) and cross border wire transfer (EFT) reports to FIU-IND, New Delhi on its portal every month within prescribed timelines.

The Bank has established a Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) and put in place an AML Solution for monitoring and detection of unusual transaction patterns in customers' accounts and generation of system-based transaction alerts on the basis of predefined alert parameters in the system.

System-based risk categorization of customers' accounts is done on half yearly basis. Re-KYC of High Risk Customers is being done on half yearly basis after carrying out Money Laundering Risk Categorization Exercise, as per extant guidelines of the RBI. For this purpose, Bank has developed automated process flow for identification and generation of Notices for such customers to notify them for submission of requisite KYC Documents.

The Bank has also implemented Aadhar based e-KYC in collaboration with UIDAI on voluntary declaration of customers for e-KYC authentication.

The Bank is in the process of allotting Unique Customer Identification Code (UCIC) to all its existing customers as per the RBI guidelines and has implemented a Central KYC Registry for allotment of CKYC Numbers to individual customers, as

per prescribed RBI guidelines. The guidelines in respect of beneficial owners are scrupulously followed.

Internal Audit

The Bank's Central Internal Audit Division (CIAD) is responsible for internal audit. CIAD administers various streams of audits besides Risk Based Internal Audit (RBIA) of branches and offices. The Audit Committee of the Board oversees overall internal audit function and guides in developing effective internal audit, concurrent audit, IS Audit and all other audit functions of the Bank. The committee monitors the functioning of the Audit Committee of executives and internal audit department in the Bank.

CIAD operates through thirteen Zonal Internal Audit Divisions to carry out internal audit of branches/offices as per the periodicity decided by the Risk Based Internal Audit Policy. All branches of the Bank are covered under Risk Based Internal Audit. Out of the 4,881 branches audited during FY 2019, 4,151 branches (85.0%) were in Low Risk, 627 branches (12.9%) were in Medium Risk, 101 branches (2.1%) were in High Risk and 2 branches (0.04%) were in Very High-Risk category.

The Bank had engaged an independent firm as a knowledge partner for comprehensive review of the Audit function in-line with the processes focusing on centralisation of activities by use of technology, imaging solutions and digitisation. The audit transformation process was completed and audits under the revised approach commenced during the financial year.

Customer Service

The Bank is focused towards providing excellent customer experiences. It has been our constant endeavour to set industry benchmarks and pioneer innovations across products, processes and service delivery that are imperative to providing seamless experiences to our customers. We have been actively engaged in understanding and identifying gaps between customer needs and expectations through the Voice of the customers and employees, embedding customer experience goals in the organisation's goals, building a "Client First Culture" and redesigning experiences (product design, systems and processes) for enhanced customer delight.

This year, the focus has been on "EASE of Banking" to improve experiences across every customer touch point. Several initiatives were undertaken round the year to ensure EASE – Enhanced Access and Service Excellence. The Bank has secured the second place among public sector banks in the 'EASE of Banking Index, a strategic initiative undertaken by Government of India to imbibe best practices and provide superior customer experiences in Public sector Banks.

Some of the steps taken in this direction by the Bank are:

- The Bank has a wide array of financial services including Insurance and Investments and provides one-stop shop access to customers. The Bank has customised the service and marketing strategy for select customer segments, in order to meet their expectations. "Baroda Radiance" has been launched across all major cities and investment and wealth management services are now available to all our customers. Bank has on-boarded best-in-class investment advisors and relationship managers. A dedicated phone banking team also is now available for assisting Baroda Radiance customers.
- Banking from home and mobile has been made more comfortable with the addition of multiple frequently used options and functionalities (nomination registration, request for account transfer, closure of term deposits, new one glance account statement across relationships) to the Bank's popular mobile banking application. The internet and various other digital applications are being enhanced with new functionalities to provide better user experience.
- Bank's Contact Centre supports six regional languages in addition to English & Hindi. It is available 24*7 to handle emergencies (card blocking, reissuance, stop payments), enquiries or grievances. We also support four overseas locations – Mauritius, Botswana, Oman and Uganda.
- The Bank has undertaken an end-to-end revamp of the grievance machinery with more convenience for customers. Some of the features include a comprehensive and well-established policy, real-time complaint status tracking, time bound auto escalation, options to attach documents, option to provide feedback on resolution quality and also an option to reopen a complaint.
- At the apex level, the Bank has formed the Customer Service Committee, a sub-committee of the Board which addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of their compliance with the aim of consistent improvement in the quality of customer service. The Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit of Customer Service. Its members include two eminent public personalities, all Executive Directors and the seven Functional Heads of the Bank. This Committee reviews practices and procedures prevalent and takes timely and effective compliance of the RBI instructions on Customer service. In addition, there are Branch Level Customer Service Committees for directly getting feedback from customers.
- While the Bank is focused on enhancing the convenience of banking from home, the Bank is also monitoring the service levels across the network of branches through mystery shopping/service audits. The Bank is ensuring better ambience, more seating area and better basic amenities to all customers with special focus on "EASE" for senior citizens and the differently abled. Some of the flagship branches are undergoing a facelift and are being deliberately designed to provide a competitive edge while enhancing customer experience.
- The Bank is driving hassle-free banking through alternate delivery channels (apart from ATMs and cash re-cyclers)-self-service pass books, multi-functional kiosks, tab banking, Baroda Pay Point, tie ups with BHIM Aadhar, enhanced UPI app and other initiatives of national importance such as Bharat Bill Payment System.
- The Bank has transformed 281 villages into cashless villages by providing various digital products like Debit Cards, Mobile Banking, Internet Banking, UPI, BHIM QR, BHIM Aadhaar and POS machines.
- As mentioned earlier, the Bank is continuously upgrading its IT infrastructure and driving digitisation in its processes. The Bank has launched a new loan processing system making end-to-end tracking of applications and loan disbursals

faster. An enterprise wide CRM will also be rolled out shortly to improve quality of interactions and experiences at every touch point.

- The Bank has an ongoing 'Client-First' drive and continuous feedback is sought from customers and employees on experiences delivered at various touch points. The Bank publishes a Client-First Newsletter "Pratham", which discusses best practices in the service industry and features stories on Barodians "living the client-first" values.

A customer's journey with a bank involves multiple stages from queries about the Bank's offerings to delivery of products and services. The Bank endeavours to meet the customer's expectations at each stage of the journey and to ensure customer "wow".

The Bank secured the 4th position in Forrester's India CX Index, 2018 Rankings of Indian Banks. The Forrester's CX Index score measures how successfully a company delivers customer experiences that create and sustain loyalty.

Vigilance

The vigilance function in the Bank aims at proactively supporting bona fide decisions and simultaneously acting as a deterrent for ensuring that no wrongdoing takes place. The thrust remains on identifying leakages within the organisation that may lead to financial losses and taking corrective and preventive action to plug them.

Regular vigilance audits are undertaken for sensitive branches and employees are sensitized on preventive aspects of vigilance through newsletters, circulars, meetings, etc. The number of staff accountability cases has been brought down by ensuring speedy disposal of vigilance matters. An exclusive portal 'BoB e-Vigil', incorporating online vigilance clearance, disciplinary proceedings status, and complaint management system has been operationalised.

Human Resources

The Bank has a rich talent pool with over 55,000+ employees on its rolls. The Bank continuously undertakes multiples initiatives for strengthening and developing its human resources viz., recruitment, addressing training needs of employees, employee engagement and capability building.

The second 'Voice of Barodians' Survey witnessed 87% employee participation where the Bank's workforce expressed their perceptions, views and suggestions on a wide range of aspects impacting them. As a result of various HR interventions initiated by the Bank, the overall employee engagement level has increased from 55% in the last survey to 63%. The Bank has been awarded among the Best 50 PCI (People Capital Index) Companies by Jombay.

The following initiatives have been taken during the year which have direct and significant impact on Bank's performance:

Manpower Planning and Recruitment

The Bank has built a new scientific manpower planning model designed to estimate skill-based manpower needs at various levels. This would help the Bank in taking key strategic decisions viz. recruitment, deployment, promotions, trainings, etc.

The Bank recruited 1,281 Officers and 1,617 in Clerical Cadre as Business Associates through direct recruitment during FY 2019. The Bank also hired specialised staff with expertise in niche and key focus areas to strengthen its capabilities and bench strength.

Baroda GEMS Growth and Empowerment Management System

The Bank has introduced a scientifically measurable Performance Management System (PMS) for all officers on a digital platform - Baroda GEMS (Growth and Empowerment Management System) to establish a transparent and performance driven culture. The role perquisites for Branch Heads are also linked with Baroda GEMS, to enable accurate measurement of achievement of KRAs.

Job Family

During the year, the concept of allocating employees to job families has been introduced in the Bank to enable well-rounded grooming of the employees and to provide them with better career opportunities through flexibility of movements across roles which are mapped out for each job family and ensure structured and timely deployment, exposure and development.

Baroda Rewards for Individual & Team Excellence – BRITE

The Bank has always been a front-runner in acknowledging employees' contribution and believes that employees are strategic partners in quest for excellence. To instill the spirit of the core values and cover multiple dimensions of employee performance and motivation, a comprehensive suite of rewards and recognition programmes named as 'Baroda Rewards for Individual & Team Excellence- BRITE' has been institutionalised during the year to recognise both outstanding individual and team performance.

Baroda Anubhuti Programme

It is an employee engagement programme designed to foster the spirit of team bonding and collaboration, and creating a happy and fun workplace. Various initiatives like employee of the month, spot recognition –capturing 'WoW' moments, fun hour at all branches/offices, local community service/ social activities are undertaken to enhance the overall employee engagement levels. Mandatory community service programmes are carried out through all branches/offices once in six months.

Under the banner of Baroda Anubhuti, the Bank has been also conducting Annual Sports Day on the 4th Saturday in November and six Inter Zonal Sports & Cultural Tournaments in various disciplines across the country.

Wellness and Fitness Drives

The Bank has launched many initiatives for managing employee health and well-being, which include a mandatory health checkup scheme for employees and their spouses. During the year, through a Group Term Insurance cover, the Bank offered all permanent employees with the Life Insurance cover of Rs 20 lakh. The medical treatment needs of employees are met through a Group Medical Insurance Policy. The Bank regularly conducts Health checkup camps, fitness drives, yoga sessions, etc. to promote the health and well-being of our employees.

Crèche facility

During the year, as part of its employee friendly welfare measures, the Bank set up a state-of-the-art onsite crèche facility at its Corporate Office in Mumbai in order to provide day care facilities for small children of employees. The Bank

plans to extend this facility at the Head Office, Baroda and other select centres.

Learning and Development

The Bank's approach to training identifies the functional, mandatory and behavioral training needs for employees at different levels of career development and addresses these requirements in a systematic manner. Mandatory training has been aligned to specific and critical job roles. The Bank also runs mandatory certification programs that are necessary before deployment in critical roles. The Bank is also investing in sharpening soft skills of its employees.

The Bank has undertaken various initiatives to build a learning environment through various innovative and digital channels like Baroda Gurukul, Baroda Margdarshak, Baroda Radio, Barodapedia, Baroda YouTube, a digital library, and weekly quizzes for knowledge updation.

Our e-learning platform hosts more than 280 modules and more than 8 lakh courses were completed by employees during FY 2019.

'We Lead' – Comprehensive Leadership Development Programme

The Bank has identified over 2,700 potential leaders to take over leadership positions in future through four distinctive programmes:

- Baroda Senior Leadership Programme- for officers in Scales VI & VII
- Baroda Emerging Leaders Programme- for officers in Scales IV
- Baroda Rising Stars Programme- for officers in Scales IV
- Sayaji Rao Gaekwad Scholars Programme – for Officers in Scales I, II & II

The first phase of the comprehensive leadership development programme – 'We Lead' has been completed and actions have been initiated for the next phase to extend the coverage of the programme.

Baroda Alok Chandra Bravery Award

During the year, the Bank instituted the 'Baroda Alok Chandra Bravery Award' to recognise exemplary acts of bravery beyond the call of duty by displaying courage for furthering, safeguarding and protecting the interests of the Bank. The Award is named in the memory of Late Shri Alok Chandra, who during the year, laid down his life while protecting Bank's interests, while posted in Arwal Branch, Patna Region.

Career Progression

Concerted efforts have been taken by Bank for fostering career progression of employees, for rewarding them for their performance and motivating them. Horizontal movement of Officers across different functions is encouraged to provide them with wider exposure. During the FY 2019, promotion exercises were completed and 3,564 employees promoted in all scales and cadres.

HR policies and systems

The Bank is constantly updating its policies and systems to make them 'Best in Class'. During FY 2019, various policies viz., Transfer, Promotion, policy on Equal Opportunities were put in place / updated to keep up with the changing times. Under the aegis of Staff Welfare Fund, the Bank has standardised the facilities at the Bank's Holiday Homes and also, opened five more Holiday Homes during the year in Munnar, Panchmarhi, Shillong, Dharmshala and Baroda. The total number of Holiday Homes now stand at 50.

The Bank's Human Resource Centralised Processing Cell (HRCPC) department processes all staff loan applications and other online TA/DA claims on the same day of receiving the applications, maintaining the TAT and contributing to employee satisfaction.

The Bank has continuously improved its HR technology platform, "Human Resources Network for Employee Services (HRNes)". In order to address employees' concerns and grievances, Bank has also put in place an online employee grievance redressal mechanism, named as "Baroda Samadhan".

Thrust on Diversity

The Bank follows a non-discriminatory and equal opportunity policy for all its employees. The Bank is transparent in all issues relating to promotion, career path, transfer policy and employee benefit / welfare schemes. The Bank has also introduced 'Job Roles' for visually impaired employees. Further, the Bank has been increasing its recruitment of women employees. The percentage of women in the overall staff composition has increased to 23.7% in FY 2019 from 23.0% in FY 2018 and 22.7% in FY 2017.

In order to retain women employees at all levels and in recognition of the concomitant responsibilities of women, the Bank has also put in place various facilities to support women employees such as sabbatical leave and health check-up programmes for women employees among other initiatives. Besides, a day-care crèche facility has been operationalised as mentioned earlier.

Reservation Cell

An exclusive Reservation Cell has been set up to monitor the reservation and other enabling provisions for SC/ST/PWD/ Ex-Serviceman and OBC employees. Executives in the rank of General Manager are appointed as Chief Liaison Officers for SC/ST/PWD and ex-serviceman employees and OBC employees, respectively, who ensure compliance of various guidelines pertaining to them. With effect from February 1, 2019, reservation of 10% for Economically Weaker Sections (EWSs) in all exercises for direct recruitment in the Bank is implemented.

The Bank provides reservations for Persons with Disabilities (PWDs) at the rate of 4% of the total vacancies arising in Officer, (identified posts) Clerical and Sub-Staff Cadre in a year, as per Government guidelines.

Caste Category wise Count as on 31.03.2019				
Cadres	**SC**	**ST**	**OBC**	**Ex - SM**
Officer	4975	2292	7831	377
Clerk	3116	1780	4844	1742
Sub-staff	2303	831	2133	577
Grand Total	10394	4903	14808	2696
% to Total Employees	18.9	8.9	27.0	4.9

Periodical Meetings: The Bank holds Quarterly Meetings with the representatives of All India Bank of Baroda SC/ST Employees' Welfare Association and half yearly meeting with the representatives of All India Bank of Baroda OBC Employees' Welfare Association, as per the Government Guidelines.

Workshops & Training Programmes: Bank conducts following training programmes every year for members of AIBOBSCST Employees' Welfare Association and AIBOBOBC Employees' Welfare Association and Liaison Officers of SC/ STs and OBCs at Apex Academy, Gandhinagar:

- Pre-Promotion Training for SC/ST candidates
- Workshop on Reservation Policy
- Training programme on Disciplinary proceedings

The Standing Committee on Social Justice and Empowerment met our Bank's representatives on 15th January, 2019 at Jamnagar on priority sector lending to SCs, STs, OBCs, Minorities and Persons with Disabilities.

Premises Re-engineering

In an effort to improve the ambience of customer touch points, 360 identified branches across the country are being refurbished with special emphasis on maintaining a uniform look and feel in all branches. An Ambience Manual has been issued to standardise the ambience of branch premises keeping in view the ease of banking operations, use of new technology and customer convenience. The Bank has also undertaken a number of green initiatives during the year and successfully completed the construction of the new Regional office at Udaipur and a Disaster Recovery centre at Hyderabad.

Bank in an attempt to reduce carbon footprint, uses energy efficient equipment, solar energy, and LED light fixtures in its branches. Use of recycled waste water and production of bio gas from solid waste are also explored in Bank's major commercial buildings.

Implementation of Official Language (OL) Policy

The Bank continued to make exemplary progress in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India and fulfilled all the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language. Use of Hindi and other Indian languages for business growth as well as for providing digital products to the customers is a significant characteristic of the language policy adopted by our Bank. This has been appreciated by regulatory authorities.

Our initiatives included organising an All India seminar for banking faculties on 'Opportunities for Credit Flow to Agriculture Sector', publishing e-books/ books on various topics like Agricultural Best Practices, Baroda Kisan Diwas related literature as well as active participation in the 11th Vishwa Hindi Sammelan held at Mauritius.

This year, the Bank instituted one more award namely "Maharaja Sayajirao Lok Bhasha Samman" for honouring an eminent personality from other than the Hindi speaking community for contributing in the promotion and preservation of Hindi/Regional/Tribal languages, in addition to the "Maharaja Sayajirao Bhasha Samman" scheme of the Bank.

During the year, the Bank was awarded the First Prize by the Government of India under linguistic region 'B'. Similarly, TOLIC, Varanasi was awarded with First Prize. Besides this, our Faizabad Regional Office, Zonal Office, Lucknow, TOLIC Jaipur, TOLIC, Baroda and TOLIC, Rajkot also received awards from Government of India through its Regional Implementation Offices.

The Bank's House Journal 'BoBMaitri' and Hindi Patrika 'Akshayyam' received awards from Association of Business Communicators of India (ABCI) during the year in three different categories.

Domestic Subsidiaries and Joint Ventures

BOB Financial Solutions Ltd.

BOB Financial Solutions Limited (BFSL), formerly known as Bobcards Limited, is a wholly owned subsidiary of the Bank. It is a non-banking financial company and its primary business lines include credit cards, personal loans and merchant acquiring. During the year, it revamped its business strategy. BFSL's credit cards base grew 84% YoY helped largely by a 1,200 strong field force deployed across 1,700+ branches of the Bank. BFSL introduced value added features, in the form of rewards points and various schemes through marketing partnerships with leading consumer brands which resulted in a 37% increase in spends on credit cards in H2 vs H1 (FY 2019).

BFSL entered into a tripartite agreement with the Bank and TransUnion-CIBIL, for launching 'Project Nirmaan' – an initiative to pre-approve Bank's customers for credit cards. More than 66,000 credit cards were issued under this programme. Further, a personal loan product was piloted for the BFSL employees and a select set of pre-approved credit card customers during FY 2019.

A plethora of technology initiatives were taken by the company to improve customer experience (like EMI on Card, Green Pin, Chabot, lending solution, revamped website and customer service portal), to reduce customer service turnaround times (robotics based solution, customer originations platform) and to enhance employee experience (HR Platform, centralised Help Desk).

BOB Capital Markets Ltd.

BOB Capital Markets Ltd. (BOBCAPS), a wholly owned subsidiary, is the investment banking arm of the Bank. It is a SEBI registered Category-I merchant banker. BOBCAPS offers the entire spectrum of financial services that include Initial Public Offerings, Private Placement of Debt, Corporate Restructuring, Business Valuation, Mergers & Acquisitions, Project Appraisal and Loan Syndication. BOBCAPS also undertakes advisory services on Securitisation and Structuring of Debts. It has five lines of businesses viz. Investment Banking – Equity; Investment Banking – Debt; Institutional Broking, Retail Broking and Wealth

Management.

During FY 2019, BOBCAPS completed five debt syndication transactions amounting to Rs.4,196 crore while the Stressed Asset Resolution team executed 5 transactions. The Company has secured 10 mandates for IPOs / FPOs / OFS, PE fund raise and M&A transaction resulting in a robust deal pipeline in equities. Institutional broking has ramped up its new client empanelments and revenue run rate during the year. It has recently commenced coverage of foreign institutional investors based outside India. In retail broking, rise in client acquisitions and business volumes are being driven by enhanced products and services like 3-in-1 Demat, Trading and Bank Account, Prepaid brokerage, online account opening platform and quality research. The Company's investment advisory team supports the Wealth Management vertical of the Bank.

The Nainital Bank Ltd.

The Nainital Bank Limited (NBL), originally promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant and others in 1922, became a subsidiary of Bank of Bank of Baroda in the year 1973.The Bank's holding in Nainital Bank Ltd. is 98.57%. The total business of NBL increased to ₹ 10,931 crore on March 31, 2019 from ₹ 10,772.10 crore as on March 31, 2018. The net profit of the Bank was ₹ 26.89 crore in FY 2019 against a profit of ₹ 48.90 crore during the previous year. The Bank opened 2 new branches during FY 2019. During the year, NBL was ranked 3rd in the category of the Best Performing Private Bank in terms of average Aadhar generation and update by UIDAI for The Aadhaar Excellence Awards, 2018.

Baroda Global Shared Services Ltd.

Established during FY 2017, Baroda Global Shared Services Ltd. (BGSS), a wholly owned subsidiary of the Bank, commenced its operations during last financial year. BGSS's strategy is to focus on four core sectors - customer service, efficiency, speed & managing risk. It is providing services to the Bank by helping it in digitising and centralising its back-office operations at the state-of-the-art Shared Services Centre (SSC) GIFT City, Gandhinagar and at a second centre at Hyderabad. Centralisation has not only reduced the cost of transactions but enhanced risk management, controls and compliance practices.

Baroda Asset Management India Ltd.

Baroda Asset Management India Limited ("Baroda AMC") became a wholly owned subsidiary of the Bank with effect from September 28, 2018 after buying out the 51% stake by the bank from its joint venture partner UniCredit S.p.A. (the parent company of Pioneer Global Asset Management S.p.A.). The Baroda AMC acts as the investment manager to Baroda Mutual Fund ("Baroda MF"), a mutual fund registered with the Securities and Exchange Board of India. The Average Assets under Management (AUM) of Baroda MF for FY 2019 were ₹ 12,345 crore, registering an annual growth of 7%. Growth in average AUM under equity schemes was over 40%. Baroda AMC continues to expand its third-party distribution network, with particular focus on IFAs. The AUM from this segment has been growing steadily. With the completion of rationalisation and the scheme categorisation exercise and the regulatory changes around Total Expense Ratio, Baroda AMC will be better positioned to compete in the market.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.

Headquartered in Mumbai, IndiaFirst Life Insurance, is one of the country's youngest life insurance companies, with a paid-up share capital of ₹ 625 crore. The company is promoted by two of India's largest public-sector banks - Bank of Baroda and Andhra Bank, which hold 44% and 30% stake in the company, respectively. During the year, IndiaFirst Life's erstwhile founding partner Legal and General, UK, divested the 26% stake it held in the company. This stake was acquired by Carmel Point Investments India Private Limited incorporated by Carmel Point Investment Ltd, a body corporate incorporated under the laws of Mauritius and owned by private equity funds managed by Warburg Pincus LLC. The company's is currently ranked 12th in Individual New Business (Annual Premium Equivalent), among the private players with Assets under Management (AUM) at ₹ 15,039 crore as on March 31, 2019.

IndiaFirst Life was named the "Most Innovative Life Insurer of The Year (2018) - International" by Life Insurance International, UK, a body dedicated to offering benchmark intelligence centered exclusively on the global life insurance fraternity, besides being recognised among the "Best Brands 2018", by the Economic Times, and being certified as a "Great Place to Work".

India Infradebt Ltd.

India Infradebt is the first Infrastructure Debt Fund (IDF) - NBFC and was sponsored by Bank of Baroda along with ICICI Bank. Citicorp Finance (India) Limited and LIC of India are other shareholders. It has been rated AAA by CRISIL, ICRA and India Ratings since its inception. It finances the relatively safe, completed infrastructure projects which have achieved one year of commercial operations and enjoys 100% income-tax exemption. The synergy with the Bank arises from its focus on lending to strong, stable infrastructure projects - mainly NHAI road projects and renewable energy projects. The company has delivered healthy growth in its first full five years of operations. Its loan book as on March 31, 2019 was ₹ 9,809.5 crore and net profit for FY 2019 was ₹ 223.7 crore.

Barodasun Technologies Ltd.

Barodasun Technologies Ltd. is a wholly owned IT subsidiary incorporated on 05.07.2017. The Bank has set-up a Centre of Excellence (CoE) to identify new emerging trends and provide technology differentiation. The CoE would provide design thinking skills, process design, architectural skills and core development capacity in current and future technologies to help businesses in leveraging technology for realising business outcomes.

A brief summary of domestic subsidiaries and Joint Ventures is as below: (₹ in crore)

Entity (with date of registration)	Owned funds	Total assets	Net profit	Offices	Staff
BOB Financial Solutions Ltd	247.7	441.6	4.1	38	446
BOB Capital Markets Ltd.	153.8	161.33	(2.92)	1	114
The Nainital Bank Ltd.	624.0	8101.8	26.9	4	916
Baroda Global Shared Services Ltd.	12.0	14.1	1.5	3 locations (Gift City, Gandhi-nagar/ Hyderabad / Mumbai)	424
Baroda Asset Management India Ltd.	64.2	76.4	4.9	5	70
Baroda Trustee India Pvt. Ltd.	0.1	0.2	0.0	1	0
IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	663.5	15626.3	61.6	29	2101
India Infradebt Ltd.	1636.6	10403.4	189.9	1	21

Awards and Accolades

Date	Awards 2018-19
17.03.2019	"Best Banking & Finance Legal Team of the Year" award at the 8th Annual Indian Legal Era Awards 2018-19.
08.03.2019	Business Today Jury award for best Fintech Engagements.
20.02.2019	Multiple honours at the IBA Banking Technology 2019 Awards: • Winner - Most Customer Centric Bank Using Technology" • Runners Up - "Best Payment Initiatives" • Baroda Rajasthan Gramin Bank adjudged 'Best Technology Bank of the Year'
18.02.2019	CSR Excellence Award - TV9.
30.01.2019	Ms. Nikita Raut, Chief Manager, HR and Head, Mumbai Academy, topped Jombay's Top 40 under 40 award for HR Professionals
25.01.2019	Finnoviti Award for 'Fintech Initiatives' at the Banking Frontiers' Finnoviti Conference 2019.
28.01.2019	Leadership Capital and Out Performers awards at Atal Pension Yojana Awards 2018-19.
18.01.2019	5 honours at the 58th Association of Business Communicators of India (ABCI) Awards in the following categories - Indian Language Publications, Features (English), Features (Language), Headlines and Corporate Film.
11.01.2019	'Best Home Loan Products 2018' at FE Best Banks Award 2018.
11.12.2018	'Inclusive Finance India Award-Best Bank in Priory Sector Lending' for innovation & inclusiveness in PSBs category, at Inclusive Finance Summit, 2018.
08.12.2018	'Best Bank in Supply Chain Finance" in the 4th edition of Asian Supply Chain Thought Leadership Summit & Awards -2018 held by the Institute of Supply Chain Management.
10.11.2018	"Best PSU Bank under MSME" & Best Bank Agriculture' finance at Divya Bhaskar Eminence Awards 2018.
19.11.2018	Fiji Territory received the Business Excellence Award 2018 from President of Fiji.
16.11.2018	APY "Rise Above Rest Campaign" Award and APY "Best Performing Bank Award" for the campaign" Maker of Excellence" - PFRDA, Government Of India.
04.10.2018	Best Performing Bank at the UIDAI's Aaadhar Excellence Awards 2018.
14.09.2018	Kirti Award – First Prize for official language implementation for the year 2017-18.
28.06.2018	Shri P. S.Jayakumar, MD & CEO, was conferred with "CEO of the Year" and the Bank bagged the "Retail Bank of the Year" at India Banking Summit & Awards 2018.
27.06.2018	The bilingual in-house journal 'BoBMaitri' and Hindi Magazine 'Akshayyam' were awarded with First and Special prizes respectively under All India House Journal Competition organised by RBI.
29.05.2018	"Apex India CSR Excellence Award 2017" for CSR Activities for BSVS (RSETI) Project.
11.05.2018	Recipient of National Award for Best Performance in SHG- Bank Linkages 2017-18 Public Sector Banks by Deendayal Antodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission.
14.05.2018	Appreciation & Honour from the World Trade Centre for launching" Digitised Supply Chain Finance" at 7th Global Economic Summit 2018.
13.04.2018	Winner of "Litigation Dept of the Year 2018" and First Runners Up - "In House Dept of the Year", at the 7th Edition of IDEX Legal Awards.

Dividend Distribution Policy

As required under Regulation 43A of the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Bank has a dividend distribution policy in place which sets out the parameters and circumstances that will be taken into account by Board in determining distribution of dividend to its shareholders. The policy is given in this Annual Report and is also available on

the Bank's website at https://www.bankofbaroda.com/policy-documents.htm.

Board of Directors (Appointment /Cessation of Directors during the year)

Appointments

Shri Debasish Panda was nominated as Government Nominee Director w.e.f. 5th April, 2018 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.

Shri Shanti Lal Jain was appointed as Executive Director w.e.f. 20th September, 2018 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of -3- years i.e. up to 19th September, 2021.

Shri Vikramaditya Singh Khichi was appointed as Executive Director w.e.f. 1st October, 2018 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of -3- years i.e. upto 30th September, 2021.

Shri P.S. Jayakumar continues to be the Managing Director & CEO on extension of the term of his office w.e.f. 13th October, 2018 for a period of -1- year i.e. till 12th October, 2019.

Shri Srinivasan Sridhar was elected as Shareholder Director under section 9 (3) (i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of -3- years from 12th December, 2018 to 11th December, 2021

Dr. Hasmukh Adhia was appointed as Non-Executive Chairman w.e.f. 1st March, 2019 by the Central Government u/s 9 (3) (h) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of -3- years.

Cessations

Shri Lok Ranjan ceased to be a Government Nominee Director w.e.f. 5th April, 2018 on the appointment of Shri Debasish Panda in his place.

Shri Ashok Kumar Garg ceased to be Executive Director w.e.f. 30th June, 2018 upon attaining the age of superannuation.

Shri Ravi Venkatesan, ceased to be Non-Executive Chairman w.e.f. 14th August, 2018 on completion of his tenure of 3 years.

Shri Mayank K. Mehta ceased to be Executive Director w.e.f. 30th September, 2018 upon attaining the age of superannuation.

Smt. Usha A. Narayanan Director, ceased to be a Shareholders Director w.e.f. 12th December, 2018 on completion of her tenure of 3 years.

Board Evaluation

With the objective to continuously improve Board governance, an evaluation of the Board's performance; performance of its committees and individual directors including independent directors is being conducted by an external consulting firm. The parameters of evaluation have been aligned with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and new SEBI Guidance Note on Board Evaluation dated January 5, 2017.

Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors' Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2018-19 is annexed with this report pursuant to "Part "E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Business Responsibility Report

Business Responsibility Report as required by SEBI has been hosted on the website of the Bank (www.bankofbaroda.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the Bank.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2019:

a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) The directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

   Explanation: For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;

f) The directors had devised proper systems to ensure

compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

The Directors place on record their appreciation for the contributions made by the outgoing Chairman and Non-Executive Director Shri Ravi Venkatesan and other outgoing Directors viz. Shri Lok Ranjan, Shri Ashok Kumar Garg, Shri Mayank K. Mehta and Smt. Usha A. Narayanan.

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, RBI, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities and the overseas regulators for their continued co-operation, guidance and support.

The Directors would like to take this opportunity to express sincere thanks to our valued clients for their continued patronage and support.

The Directors acknowledge with deep appreciation the cooperation extended by all shareholders, banks and financial institutions, rating agencies, stock exchanges and all well-wishers in India and abroad.

The Directors also take this opportunity to place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the employees of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

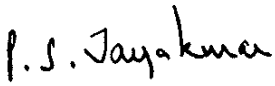

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र- 2018-19 :

सेवा में,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण
मुंबई

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत कार्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणपत्र बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('बैंक') के साथ हमारे करार की शर्तों के अनुरूप जारी किया गया है.
2. इस रिपोर्ट में 31 मार्च, 2019 को बैंक द्वारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीयन विनियम') जैसे कि विनियम 17-27, विनियम 46(2) के उपबंध (बी) से (आई) तक और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी और ई के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के ब्यौरे प्रस्तुत हैं.

प्रबंधन का दायित्व

3. कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करने का दायित्व प्रबंध तंत्र का होगा. कार्पोरेट गवर्नेंस में निर्धारित सूचीयन विनियम की शर्तों का अनुपालन करने के लिए, आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव करना इनकी जिम्मेदारी होगी.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी, कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई प्रक्रियाओं और इनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित होगी. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है न ही उनपर हमारी राय.
5. हमने बैंक द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में आश्वस्त होने के लिए बैंक के बही-खातों और तत्संबंधी अन्य अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.
6. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शी नोट और कार्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणन मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') दोनों के अनुसार जांच की है. मार्गदर्शी नोट में हमसे अपेक्षित है कि हम संस्थान द्वारा नैतिक मूल्य संहिता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें.
7. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, गुणवत्ता नियंत्रण की लेखा परीक्षा और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना की समीक्षा करने वाली संस्थाओं और अन्य आश्वासन और संबंधित करार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लागू अपेक्षाओं का पालन किया है.

राय

8. हमारी राय में और हमारी पूर्ण सूचना और बैंक द्वारा हमे दिए गए स्पष्टीकरण और अभ्यावेदनों के अनुरूप हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सूचीयन विनियम में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पालन किया है.

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance – 2018-19 :

To,
The Members of Bank of Baroda
Mumbai

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

1. This certificate is issued in accordance with our terms of engagement with the Bank of Baroda ("the Bank").
2. This report contains details of compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank for the year ended March 31, 2019, as stipulated in Regulations 17-27, clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

Management Responsibility

3. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. This responsibility includes the design, implementation and maintenance on internal control and procedures to ensure the compliance with conditions of Corporate Governance stipulated in Listing Regulations.

Auditors Responsibility

4. Our responsibility is limited to examining procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
5. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.
6. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes and Guidance Note on Certification of Corporate Governance, ("Guidance Notes") both, issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Notes require that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute.
7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations provided by the Bank, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Listing Regulations.

9. हम स्पष्ट करते हैं कि इस अनुपालन से बैंक की भविष्य में व्यवहार्यता पर और न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्य निर्वाह की दक्षता या प्रभाविकता पर कोई आश्वासन है.

उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बैंक सूचीयन विनियम का पालन कर सके और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को दिखा कर/किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या असावधानी के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते.

9. We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on Use

10. The certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते **कल्याणीवाला व मिस्त्री एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104607डब्ल्यू/डब्ल्यू100166
For **Kalyaniwalla & Mistry LLP.**
Chartered Accountants
FRN:104607W / W100166

(**अनिल ए कुलकर्णी**)
साझेदार
एम नं. 047576
यूडीआईएन: 19047576AAAACG4361
(Anil A. Kulkarni)
Partner
M No. 047576
UDIN:19047576AAAACG4361

कृते **सिंघी व कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049ई
For **Singhi & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 302049E

(**एस चंद्रशेखर**)
साझेदार
एम नं. 007592
यूडीआईएन:19007592AAAAAD2384
(S Chandrasekhar)
Partner
M No. 007592
UDIN:19007592AAAAAD2384

कृते **जी एम कपाड़िया व कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्ल्यू
For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

(**गुरूराज जी**)
साझेदार
एम नं. 219948
यूडीआईएन:19219948AAAABD3511
(Gururaj G)
Partner
M No. 219948
UDIN:19219948AAAABD3511

कृते **एस आर डिनोडिया व कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन/एन500005
For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(**नूतन जैन**)
साझेदार
एम नं. 092332
यूडीआईएन:19092332AAAACF8849
(Nutan Jain)
Partner
M No. 092332
UDIN:19092332AAAACF8849

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 22 मई 2019
Place: Mumbai
Date: 22nd May 2019

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2018-19
Report on Corporate Governance 2018-19

गवर्नेंस संहिता पर बैंक की मान्यता

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालनों का एक अभिन्न अंग है.
- विश्व भर में कार्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है. सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, स्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं.
- बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस मान्यता पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेहिता जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कार्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्कयता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि कारोबार के संगठन, कार्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत को सर्वव्यापी रूप से अपनाया है. बैंक इन आयामों में निरंतर उत्कृष्टता लाने में सदैव प्रयासरत रहता है और अपने सभी हितधारकों, शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के अन्य सदस्यों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में अविरत वृद्धि करता रहता है. बैंक का कार्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होता है:

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना.
- सभी हितधारकों के साथ संव्यवहार में निष्पक्ष, नैतिक एवं पारदर्शिता.
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं बृहद् समाज सहित के सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण.
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना.
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण.
- हमारे बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए व्यवसाय करना.
- उत्कृष्ट स्तर का कार्पोरेट नेतृत्व तैयार करना.

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. सत्यनिष्ठा: हम अपने सभी हितधारकों के साथ वाणी, कार्यों और संव्यवहार में नैतिक और पारदर्शी हैं.
2. ग्राहक केन्द्रीयता हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है.
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों पर विश्वास करते हैं.
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्व: हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और तथा एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं.
5. नवोन्मेषिता: हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं.
6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं.

BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized corporate governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations.
- Corporate Governance is emerged as an essential tool in the organizational management globally. Strong corporate governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- Bank's corporate governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just regulatory requirements as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization

The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. The Bank constantly strives towards betterment of these aspects and thereby perpetuates it into generating long term economic value for all its stakeholders including shareholders, customers, employees and other society members. Bank's corporate governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the shareholders value
- Fair, ethical and transparent in dealings with all the stake holders
- Protection of the interest of all stake holders including customers, employees and society at large
- Ensuring accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank
- Carrying the business adhering to our core values
- Creating corporate leadership of highest standard

The core cardinal values of the Bank are:

1. Integrity: We are ethical and transparent in our words, actions and dealings with all stakeholders.
2. Customer Centricity: Our customers' interests lie at the core of all our actions.
3. Courage: We are resilient in the face of adversity and having faith in our beliefs.
4. Passionate Ownership: We display energy, enthusiasm and commitment towards our Bank and we work together for the Bank.
5. Innovation: We create value with break-through ideas.
6. Excellence: We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.

बैंक यह मानता है कि मजबूत कार्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है. बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः बैंक सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, सिवाय इसके कि ये विनियमन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधान और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ सुसंगत नहीं होते हैं.

बैंक में कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

कार्यदायित्व एवं गठन

निदेशक मंडल का कार्यदायित्व अन्य दायित्वों के साथ निम्नानुसार है:

- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को स्थापित करना,
- सार्थक एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है. 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मण्डल का **स्वरूप अनुबंध-1 एवं 1ए** में प्रस्तुत है.

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, वे आचार संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है तथा जिसे बैंक की बेबसाइट www.bankofbaroda.com पर रखा गया है. निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है.

निदेशक मंडल की बैठकें :

बैंक को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की -17- बैठकें संपन्न हुईं. बैठकों की तारीखें निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 17

बैठकों की तारीखें:	25.05.2018,	07.06.2018,	29.06.2018,
	13.07.2018,	27.07.2018,	08.08.2018 &
	09.08.2018,	10.09.2018,	29.09.2018,
	12.10.2018,	30.10.2018,	29.11.2018,
	10.12.2018,	02.01.2019,	10.01.2019,
	29.01.2019,	20.02.2019,	20.03.2019

Bank believes that sound corporate governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency and effectiveness which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity; not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India.

A report on implementation on provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

BOARD OF DIRECTORS

Role and Composition

The role of the Board includes amongst others:

- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2019 is as per **Annexure-1 and 1A.**

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.com. All the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed the compliance of the Code.

MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times a year. During the Financial Year 2018-19, seventeen meetings were held. The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 17

Dates of Meetings:	25.05.2018,	07.06.2018,	29.06.2018,
	13.07.2018,	27.07.2018,	08.08.2018 &
	09.08.2018,	10.09.2018,	29.09.2018,
	12.10.2018,	30.10.2018,	29.11.2018,
	10.12.2018,	02.01.2019,	10.01.2019,
	29.01.2019,	20,02,2019,	20.03.2019

इसके अतिरिक्त गैर-कार्यपालक निदेशकों की दो अलग बैठकें 2018-19 के दौरान निम्नानुसार हुई:

बैठकों की तारीखें- 29.06.2018, 29.01.2019

निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां/ उपसमितियां

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. महत्त्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)
2. निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन समिति
7. ग्राहक सेवा समिति
8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी सम्बन्धी समिति
9. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. शेयर/ बांड अंतरण समिति
14. पारिश्रमिक समिति
15. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं सीएसआर पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
16. सूचीबद्ध न हो ऐसी अनुषंगियों के लिए गवर्नेंस समिति
17. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत नामित निदेशकों में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से तीन निदेशक होते हैं.

बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 34

बैठकों की तारीखें:	06.04.2018	21.04.2018	03.05.2018
	08.05.2018	15.05.2018	22.05.2018
	05.06.2018	12.06.2018	19.06.2018
	26.06.2018	30.06.2018	17.07.2018
	24.07.2018	31.07.2018	09.08.2018
	14.08.2018	20.08.2018	28.08.2018
	04.09.2018	24.09.2018	29.09.2018
	09.10.2018	19.10.2018	23.10.2018
	13.11.2018	22.11.2018	06.12.2018
	26.12.2018	10.01.2019	22.01.2019
	12.02.2019	05.03.2019	12.03.2019
	28.03.2019		

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति ने -244- नयी मंजूरियां, -83- वृद्धि के साथ समीक्षा, -223- समीक्षा, -129- आशोधन, -24- पुष्टियां एवं -218- रिपोर्टिंग का अनुमोदन किया.

In addition two separate meetings of non-executive directors were also held during 2018-19 as under:

Dates of Meeting: 29.06.2018, 29.01.2019

COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Board has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance. The important Committees are as under:

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination Committee
7. Customer Service Committee
8. Committee on High Value Frauds
9. IT Strategy Committee
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Shares/Bonds Transfer Committee
14. Remuneration Committee
15. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR
16. Governance Committee for Unlisted Subsidiaries
17. Review Committee on Wilful Defaulters

1. Management Committee of the Board (MCB)

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & CEO, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 34

Dates of Meetings: 06.04.2018, 21.04.2018, 03.05.2018, 08.05.2018, 15.05.2018, 22.05.2018, 05.06.2018, 12.06.2018, 19.06.2018, 26.06.2018, 30.06.2018, 17.07.2018, 24.07.2018, 31.07.2018, 09.08.2018, 14.08.2018, 20.08.2018, 28.08.2018, 04.09.2018, 24.09.2018, 29.09.2018, 09.10.2018, 19.10.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 22.11.2018, 06.12.2018, 26.12.2018, 10.01.2019, 22.01.2019, 12.02.2019, 05.03.2019, 12.03.2019, 28.03.2019

The Committee approved -244- Fresh sanctions, -83- Reviews with increase, -223- Reviews, -129- modifications, -24- confirmations and -218- reportings during the FY 2018-19.

2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक व सीईओ को प्रायोजित शक्तियों से अधिक है तथा रु 400/- करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाता है. समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ, सीआरओ एवं संबद्ध वर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है. बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 25

बैठकों की तारीखें:

25.04.2018	07.05.2018	26.05.2018
06.06.2018	15.06.2018	22.06.2018
04.07.2018	21.07.2018	03.08.2018
10.08.2018	24.08.2018	03.09.2018
15.09.2018	27.09.2018	15.10.2018
05.11.2018	11.12.2018	21.12.2018
31.12.2018	07.01.2019	23.01.2019
13.02.2019	01.03.2019	16.03.2019
30.03.2019		

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति ने -113- नयी मंजूरियां, -90- वृद्धि के साथ समीक्षा, -321- समीक्षा, -175- आशोधन, -25- पुष्टियों और -67- रिपोर्टिंग का अनुमोदन किया.

3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

एसीबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं-

- लेखापरीक्षा समिति समग्र बैंक के लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालनों को तथा लेखापरीक्षा आयोजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आंतरिक/समवर्ती/सांविधिक/बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों का अनुवर्तन शामिल है. यह बैंक द्वारा केवायसी-एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है.
- यह, आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है.
- लेखापरीक्षा समिति बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन किया गया है. यह तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है; समीक्षा करती है तथा बोर्ड को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है.
- लेखापरीक्षा समिति बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है. यह लॉंग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है.

समिति में कुल पांच सदस्य हैं (वर्तमान में -4- सदस्य) जिसमें शामिल हैं (i) भारत सरकार के नामित निदेशक (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक (iii) बैंक के कार्यपालक निदेशक- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभारी (iv) सीए निदेशक तथा (v) एक गैर- कार्यपालक निदेशक.

आयोजित बैठकें: 13

बैठकों की तारीखें:

09.05.2018	24.05.2018	25.05.2018
12.07.2018	26.07.2018	27.07.2018
10.09.2018	12.10.2018	29.10.2018
30.10.2018	02.01.2019	28.01.2019
29.01.2019		

2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)

The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and are upto ₹400 crores are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, CFO, CRO and respective heads of verticals. The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 25

Dates of Meetings: 25.04.2018, 07.05.2018, 26.05.2018, 06.06.2018, 15.06.2018, 22.06.2018, 04.07.2018, 21.07.2018, 03.08.2018, 10.08.2018, 24.08.2018, 03.09.2018, 15.09.2018, 27.09.2018, 15.10.2018, 05.11.2018, 11.12.2018, 21.12.2018, 31.12.2018, 07.01.2019, 23.01.2019, 13.02.2019, 01.03.2019, 16.03.2018, 30.03.2019

The Committee approved -113- Fresh sanctions, -90- Reviews with increase, -321- Reviews, -175- modifications, -25- confirmations and-67- reportings during the FY 2018-19.

3. Audit Committee of the Board (ACB)

The functions of ACB, interalia, include

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up of the suggestions of Internal / concurrent/ Statutory/External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It reviews the adequacy of internal control systems and reviews the financial, risk management, IS Audit, and accounting Policies / Systems policies of the Bank.
- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements; reviews them and recommends to the Board for approval.
- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR)

The Committee comprises of -5- members (Presently -4- members) (i) GOI Nominee Director (ii) RBI Nominee Director, (iii) Bank's Executive Director- In charge of Internal Audit Function (iv) CA Director (v) One Non-Executive Director.

No. of Meetings held: 13

Dates of Meetings: 09.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018, 12.07.2018, 26.07.2018, 27.07.2018, 10.09.2018, 12.10.2018, 29.10.2018, 30.10.2018, 02.01.2019, 28.01.2019, 29.01.2019

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, एसीबी ने अन्य के अलावा निम्नलिखित की समीक्षा की:

- आईएस लेखापरीक्षा नीति के संशोधित वर्जन 7.0 का अनुमोदन.
- समवर्ती लेखापरीक्षा नीति की समीक्षा
- विभिन्न विभागों की नीतियों का अनुमोदन
- विदेशी नियामकों द्वारा अनुषंगियों/शाखाओं की नियामक जांच
- जोखिम न्यूनीकरण योजना (आरएमपी-2017) के अंतर्गत आरबीआई की टिप्पणियों की समीक्षा
- धोखाधड़ी के -26- मामलों (रु 1 लाख एवं अधिक के) को बैंक स्तर पर समाप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को संस्तुति करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया तथा -12- (रु 1 लाख से कम के) मामले बंद करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया.
- तीनों बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा समामेलन प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के शेयरधारकों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयर आबंटन के लिए शेयर विनिमय अनुपात के अनुमोदन हेतु बोर्ड को संस्तुत किया.

4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है. बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखा परीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन सभी के लिए संरचना इस दृष्टि से तैयार की है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके.

बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस समिति के संयोजक हैं. जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञों (वर्तमान में 2) को निदेशक मंडल के सलाहकार के रुप में शामिल किया है. इन बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 6

बैठकों की तारीखें:	09.04.2018	26.06.2018	11.09.2018
	21.01.2019	01.03.2019	20.03.2019

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/समीक्षा की:

- कृषि ग्राहकों के लिए लक्ष्य बाजार पद्धति
- एमएसएमई वर्ग के लिए लक्ष्य बाजार पद्धति
- खुदरा ऋण के अंतर्गत आवास ऋण प्रारंभ अंक पत्र/मॉडल व न्यूनतम अंक कार्यनीति
- वैश्विक ऋण एक्सपोज़र प्रबंधन नीति
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों पर विवेकसम्मत वैश्विक सीमा निर्धारण.
- कारोबार निरंतरता योजना नीति, डेटा गोपनीयता व संरक्षण नीति, वैश्विक परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, बैंक के इंटरनेट पेमेंट गेटवे नीति और अन्य जोखिम संबंधी नीतियां.

5. हितधारक संबंधपरक समिति

समिति इस आशय से मॉनिटरिंग करती है कि अंतरण, उपविभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति तारीख से -15- दिनों के भीतर सभी प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (गण) एवं दो गैर कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं. इन बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

During FY 2018-19, ACB *inter-alia* approved/reviewed the following:

- Approval of revised version 7.0 of IS Audit Policy
- Review of Concurrent audit Policy
- Approval of Policies from various verticals.
- Regulatory examination of Subsidiaries / Branches by Overseas Regulator
- Review of observations made by RBI under Risk Mitigation Plan (RMP-2017)
- Authorized Bank to recommend to RBI for closure of -26- fraud cases (Rs 1 lakh & above) & authorized the Bank for closure of -12- cases (below Rs 1 lakh) at Bank end.
- Recommended to the Board for approval of Share Exchange Ratio for allotment of BOB Shares to the shareholders of eVijaya Bank and eDena Bank consequent to amalgamation proposal approved by the Board for three Banks.

4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Chief Risk Officer (CRO) of the Bank is the Convener of the Committee. To strengthen the expertise on Risk Management, Bank has also inducted three (presently two) specialists in the area of risk management as advisors to the Board who are part of this Committee. The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 6

Dates of Meetings: 09.04.2018, 26.06.2018, 11.09.2018, 21.01.2019, 01.03.2019, 20.03.2019

During the year, the Committee *inter-alia* approved/reviewed following:

- Target Market Approach for Agriculture customers
- Target Market Approach for MSME segment
- Home Loan Origination Scorecard/model and cut off strategy under retail advances.
- Global Credit Exposure Management Policy
- Global Prudential caps on various Industries and Sectors for the financial year 2018-19
- Business Continuity Planning Policy, Data Privacy & Protection Policy, Global Operational Risk Management Policy, Bank's Internet Payment Gateway Policy and other Risk related policies

5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors the issuance of share certificates within a period of -15- days of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director (s) and two non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman. The dates of the meetings are as

आयोजित बैठकें: 4
बैठकों की तारीखें: 06.06.2018 27.09.2018 16.01.2019 22.03.2019

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई निम्नलिखित शिकायतों / अनुरोधों को समिति द्वारा नोट किया गया:

श्री पी के अग्रवाल, कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के नियम 6 के तहत बैंक के ''अनुपालन अधिकारी'' के रूप में नामित किया गया है.

6. नामांकन समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचन हेतु व्यक्तियों के लिए तथा इस श्रेणी के अंतर्गत मौजूदा निदेशकों हेतु वार्षिक आधार पर ''फिट एण्ड प्रॉपर'' स्टेटस सुनिश्चित करती है. इन बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 3

बैठकों की तारीखें: 25.05.2018, 27.11.2018, 10.01.2019

7. ग्राहक सेवा समितियां

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने एवं नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करना और संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है . समिति निम्न कार्यों का भी निष्पादन करती है :

i. सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
ii. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
iii. मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से बकाया दावों की संख्या की स्थिति सम्बन्धी समीक्षा करना.

इन बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4
बैठकों की तारीखें: 06.06.2018 11.09.2018 10.12.2018 12.03.2019

8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

समिति बैंक में रू 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी सम्बन्धी मामलों की निगरानी करता है ताकि:

(ए) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें.
(बी) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग.
(सी) सीबीआई / पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की

under:

No. of Meetings held: 4
Dates of Meetings: 06.06.2018, 27.09.2018, 16.01.2019, 22.03.2019

Following requests/complaints received and resolved during the year were noted by the Committee:

दि. 01.04.2018 तक लंबित Pending as on 01.04.2018	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निस्तारित Resolved during the year	दि. 31.03.2019 तक लंबित Pending as on 31.03.2019
8	7266	7274	0

Shri P K Agarwal, Company Secretary is the designated "Compliance Officer" of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

6. Nomination Committee

The Committee ascertains 'Fit and Proper' status of persons to be elected as shareholder director on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for these directors. The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings: 25.05.2018, 27.11.2018, 10.01.2019

7. Customer Service Committee

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times. The Committee has also the following tasks:

I. To oversee the functioning of and compliance with the recommendations of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services.
II. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
III. Review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.

The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 06.06.2018, 11.09.2018, 10.12.2018, 12.03.2019

8. Committee on High Value Frauds

The Committee monitors high value frauds of ₹1.00 crore and above in the Bank so as to:

a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place remedial measures to plug the same.

निगरानी.

(डी) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और जहां स्टाफ पर कार्रवाई अपेक्षित हो, अविलम्ब की जाए.

(ई) धोखाधड़ी की पुनरावृति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना.

इन बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 24.05.2018 11.09.2018 16.01.2019 13.03.2019

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा /अनुमोदन किया है :

- उद्यमवार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन.
- बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों में मुख्य कारणों का विशलेषण.
- सहायता संघ ऋण पर एसओपी.
- धोखाधड़ी पता चलने व उसकी सूचना देने में कुल समय कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर त्वरित अनुक्रिया टीम और अंचल कार्यालय स्तर पर विशेष अन्वेषण टीम के लिए एसओपी.
- एनपीए और उच्च मूल्य के ऋण खातों में फॉरेंसिक लेखापरीक्षा पर एसओपी.

9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं सायबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया. बैंक ने तीन आईटी विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो इस समिति के सदस्य हैं. इन बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 06.06.2018 21.09.2018 29.11.2018 13.03.2019

बैंक, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर अपने उत्पाद, प्रणाली व संरचना में सुधार कर रहा है. बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल होने पर ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं जिससे कि सूचना प्रौद्योगिकी संरचना का निरंतर उन्यन करना पड़ता है. आईटी उत्कृष्टता केन्द्र (आईटी सीओई) और विशेलेषनात्मक उत्कृष्टता केन्द्र (एसीओई) बनाए गए हैं जिसमें उच्चतर स्तर कि डिजिटल व विशलेषनात्मक आयोजन किए जाते रहें. बैंक ने हैदराबाद में एक नया डेटा केन्द्र भी स्थापित किया है. बैंक, पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक के विभिन्न तकनीकी प्लैटफॉर्म को अपनी तकनीकी संरचना के साथ समामेलन की प्रक्रिया में जुटा है.

10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

यह समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/मुद्दों पर चर्चा करती है. बैंक ने मा.सं. के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ को बोर्ड के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो इस समिति के भी सदस्य हैं. इन बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 7

बैठकों की तारीखें: 09.04.2018 12.07.2018 09.08.2018 01.12.2018 12.12.2018 22.03.2019 25.03.2019

b) Identify the reasons for delay in detection, if any, and reporting to the Top Management and RBI.

c) Monitor progress of CBI / Police Investigation, and recovery position.

d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.

e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.

The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 24.05.2018, 11.09.2018, 16.01.2019, 13.03.2019

During FY 2018-19, the Committee *inter-alia* approved/reviewed the following:

- Implementation of Enterprise Wide Fraud Risk Management Policy
- Root Cause Analysis of High Value Fraud Cases
- An SOP on Consortium Lending.
- An SOP on Quick Response Team (QRT) at Regional Office Level and Special Investigation Team (SIT) at Zonal Office Level to reduce TAT for detection and reporting of frauds.
- An SOP on Forensic Audit in NPA and high value advances accounts.

9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee. Bank has inducted three IT specialists as Advisors who are also members of the Committee. The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 06.06.2018, 21.09.2018, 29.11.2018, 13.03.2019

Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitization of banking services has raised the expectations of the customers thus driving continuous upgradation of the IT infrastructure. IT Center of Excellence (IT COE) and Analytical Centre of Excellence (ACoE) are created to create a next-level of digital & analytics organization. Bank has also setup new data center in Hyderabad. Bank is in process of amalgamation of various technological platform of the eDena Bank and eVijaya Bank with own technological infrastructure.

10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR

The Committee discusses various matters/issues related to Human Resources. Bank has inducted two specialists in the area of HR as Advisors to the Board who are also members of the Committee. The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 7

Dates of Meetings: 09.04.2018, 12.07.2018, 09.08.2018, 01.12.2018, 12.12.2018,22.03.2019, 25.03.2019.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने निम्न की समीक्षा की / अनुमोदन किया है :

- उत्तराधिकार योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए अति महत्वपूर्ण पदों की समीक्षा
- पदोन्नति नीति में परिवर्तन
- बीआरआईटीई कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू करना
- विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ समामेलन की योजना की अधिसूचना के बाद स्टाफ कल्याण व स्टाफ ऋणों में सामंजस्य और समीक्षा

11. निदेशकों की समिति

यह समिति वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशा के अनुरुप सतर्कता/गैर-सतर्कता सम्बन्धी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 07.06.2018, 10.09.2018, 29.11.2018, 20.02.2019

12. वसूली निगरानी के लिए समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा करती है; ऋण एवं अग्रिमों की वसूली प्रणाली एवं वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है और बड़ी राशि के एनपीए खातों की निगरानी करती है. इन बैठकों की तारीखें नम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 7

बैठकों की तारीखें: 10.05.2018, 04.07.2018, 13.08.2018, 09.10.2018, 31.01.2019, 20.02.2019, 13.03.2019

समिति ने एनपीए एवं बट्टाकृत खातों में वसूली की समग्र स्थिति, एनपीए खातों में वसूली कार्रवाई की स्थिति, इरादतन चूककर्ता, आईबीसी के अंतर्गत प्रगति एवं वसूली में वृद्धि हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों/पहलों के समग्र कार्यावयन/प्रगति की समीक्षा की.

13. शेयर / बांड अंतरण समिति

समिति शेयरों/ बांडों के अंतरण/ हस्तांतरण तथा अन्य मामलों जैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करना, नाम हटाना, स्टेटस बदलना आदि पर विचार करती है एवं अनुमोदन करती है.

आयोजित बैठकें: 52

14. पारिश्रमिक समिति

समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करती है और निर्णय लेती है तथा 31.03.2019 को समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
1	डॉ. हसमुख अढ़िया	अध्यक्ष
2	श्री अजय कुमार	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई.

15. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर बोर्ड की संचालन समिति :

समिति द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा बैंक द्वारा किये जाने वाले सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा उसके सामाजिक प्रभाव हेतु पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाता है. इन बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

During FY 2018-19, the Committee *inter-alia* approved/reviewed the following:

- Review of identified critical positions under Succession Planning
- Changes in promotion policy
- Implementation of Non-monetary incentives under BRITE Program
- Review and harmonization of Staff Benefits & Staff Loans after notification of scheme of amalgamation of Vijaya Bank & Dena Bank with Bank of Baroda

11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines. The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 07.06.2018, 10.09.2018, 29.11.2018, 20.02.2019

12. Committee for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts. The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 7

Dates of Meetings: 10.05.2018, 04.07.2018, 13.08.2018, 09.10.2018, 31.01.2019, 20.02.2019, 13.03.2019

The Committee reviewed overall position of recovery in NPA and written off accounts, status of recovery actions in NPA accounts, wilful defaulters, progress under IBC and overall implementation/progress of various strategies/initiatives taken by the Bank for maximization of recovery.

13. Shares/Bonds Transfer Committee:

The Committee considers and approves transfer / transmission of Shares / Bonds and other issues like issue of duplicate share certificate, deletion of name, change of status, etc.

No. of Meetings held : 52

14. Remuneration Committee

The Committee evaluates and decides upon the performance of Whole Time Directors of the Bank and has following Members as on 31.03.2019:

Sr. No.	Name of Director/Member	Member/Chairman
1	Dr. Hasmukh Adhia	Chairman
2	Shri Ajay Kumar	Member

During the Financial Year 2018-19, no meeting of the Remuneration Committee was held.

15. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR

The Committee oversees all activities under the Bank's Corporate Social Responsibility Policy and institutes a transparent monitoring mechanism for implementation of CSR projects or programs or activities undertaken by the Bank and social impact of the same. The dates of the meetings are as under:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 06.06.2018 27.09.2018 16.01.2019 13.03.2019

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा की/अनुमोदित किया.

- फैज़ाबाद जिला, उत्तर प्रदेश के 5 ब्लॉक में वित्तीय साक्षरता हेतु केंद्रों की स्थापना.
- विभिन्न आरसेटी और कौशल विकास संबंधी भवन निर्माण के लिए बीएसवीएस नीधि को रु 219.95 लाख का अतिरिक्त बजट अनुमोदित किया.
- कृषि, वित्तीय समावेशन विभाग के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई और हमारे बैंक ने कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सभी अनिवार्य लक्ष्य पार कर लिये हैं. हम वर्ष दर वर्ष वृद्धि में हमारा बैंक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहले स्थान पर है और वायटीडी वृद्धि के अंतर्गत कृषि वित्त में दूसरे स्थान पर है (केनरा बैंक के बाद). लघु बीमा में हम लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहे.

16. सूचीबद्ध न हो, ऐसी अनुषंगियों की गवर्नेंस समिति

सूचीबद्ध न हो, ऐसी अनुषंगियों के गवर्नेंस पर निगरानी रखने के लिए सेबी के मार्ग निर्देशों के अनुरूप यह समिति गठित की गई है. इसकी बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 1 बैठकों की तारीखें: 12.03.2019

17.इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुरूप इरादतन चूककर्ताओं की पहचान संबंधी प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है.

संपन्न बैठकों की संख्या : 12

निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर- कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप वेतन के रूप में किया गया. इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक

नाम	पदनाम	वित्त वर्ष 2018-19 में पारिश्रमिक (₹)
श्री पी. एस. जयकुमार	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	33,45,175/-
श्री मयंक के. मेहता*	कार्यपालक निदेशक	55,24,659/-
श्री अशोक कुमार गर्ग*	कार्यपालक निदेशक	46,38,773/-
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	कार्यपालक निदेशक	29,77,837/-
श्री शांति लाल जैन	कार्यपालक निदेशक	15,15,397/-
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	कार्यपालक निदेशक	14,23,096/-

* वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदत्त कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन- शून्य

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 06.06.2018, 27.09.2018, 16.01.2019, 13.03.2019

During FY 2018-19, the Committee *inter-alia* approved/ reviewed the following:

- Setting up of Centers for Financial Literacy (CFLs) in 5 blocks of Faizabad District, UP.
- Approved additional budget of Rs 219.95 lac to BSVS trust for construction of buildings of various RSETIs and skill development.
- Reviewed the performance of Agriculture, FI department and our Bank has crossed all mandatory targets in Agriculture and Priority sector. Our Bank's YOY growth is the highest among all PSBs and YTD growth under Agriculture finance is 2nd highest (next to Canara bank) amongst all the public sector Banks. Our position in micro-insurance remained number one for the 2nd consecutive year.

16. Governance Committee for Unlisted Subsidiaries

This Committee is constituted as per SEBI guidelines to monitor the governance of unlisted subsidiaries. The dates of the meetings are as under:

No. of Meetings held: 1 Dates of Meetings: 12.03.2019

17. Review Committee on Wilful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Wilful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.

No. of Meetings held : 12

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s are detailed below:

Remuneration paid during the Financial Year 2018-19:

Name	Designation	Remuneration in FY 2018-19 (₹)
Shri P S Jayakumar	MD & CEO	33,45,175/-
Shri Mayank K. Mehta*	Executive Director	55,24,659/-
Shri Ashok Kumar Garg*	Executive Director	46,38,773/-
Smt. Papia Sengupta	Executive Director	29,77,837/-
Shri Shanti Lal Jain	Executive Director	15,15,397/-
Shri Vikramaditya Singh Khichi	Executive Director	14,23,096/-

*retired during the year

Performance Linked Incentives paid during 2018-19: Nil

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क दिया जाता है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:(पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है) :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	राशि (रु)
1.	डॉ. हसमुख अढिया	1,25,000
2.	श्री रवि वेंकटेसन	2,10,000
3.	श्री भरतकुमार डी डांगर	9,35,000
4.	श्रीमती उषा ए. नारायणन	3,70,000
5.	प्रो. बिजू वर्क्की	9,50,000
6.	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	7,40,000
7.	श्रीमती सौंदरा कुमार	7,00,000
8.	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	2,10,000

सामान्य सभा की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक के शेयरधारकों की 22 वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 2018 को बड़ौदा में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1.	श्री रवि वेंकटेसन	अध्यक्ष
2.	श्री पी. एस. जयकुमार	प्रबंध निदेश एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3.	श्री मयंक के मेहता	कार्यपालक निदेशक
4.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता	कार्यपालक निदेशक
5.	श्री अजय कुमार	निदेशक (आरबीआई नामिती)
6.	प्रो. बिजू वर्क्की	निदेशक
7.	श्री भरतकुमार डी डांगर	निदेशक (शेयरधारक)- अध्यक्ष एसआरसी
8.	श्रीमती उषा ए. नारायणन	निदेशक (शेयरधारक)- अध्यक्ष एसीबी

गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य सभा की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसर है:

Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2018-19 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & RBI):

Sr. No.	Name of the Director	Amount (₹)
1	Dr. Hasmukh Adhia	1,25,000
2	Shri Ravi Venkatesan	2,10,000
3	Shri Bharatkumar D. Dangar	9,35,000
4	Ms. Usha A. Narayanan	3,70,000
5	Prof. Biju Varkkey	9,50,000
6	Shri Gopal Krishan Agarwal	7,40,000
7	Smt Soundara Kumar	7,00,000
8	Shri Srinivasan Sridhar	2,10,000

GENERAL BODY MEETINGS

The 22nd Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for FY 2017-18 was held on Friday, 13th July 2018 at Vadodara, in which following directors participated.

1.	Shri Ravi Venkatesan	Chairman
2.	Shri P. S. Jayakumar	Managing Director & CEO
3.	Shri Mayank K. Mehta	Executive Director
4.	Smt. Papia Sengupta	Executive Director
5.	Shri Ajay Kumar	Director (RBI Nominee)
6.	Prof. Biju Varkkey	Director
7.	Shri Bharatkumar D Dangar	Director (Shareholder)-Chairman SRC
8.	Ms. Usha A Narayanan	Director (Shareholder) -Chairperson ACB

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	व्यवसाय प्रदर्शन Business Performed
असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) / Extra Ordinary General Meeting (EGM)	21 जनवरी, 2019 10 बजे पूर्वाह्न/ 21st January 2019 at 10.00 a.m.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा भवन, सर सयाजी सभागार, भू- तल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 / Bank of Baroda, "Baroda Bhavan", Sir Sayaji Hall, Ground Floor, Head Office, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390007	बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीदी योजना (बीओबी-ईपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्ण कालिक निदेशकों को इक्विटी शेयर जारी करना / Issue of Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS")
असाधारण सामान्य बैठक / EGM	10 दिसंबर, 2018 पूर्वाह्न 10.00 बजे / 10th December 2018 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	श्री श्रीनिवासन श्रीधर को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया. / Elected Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank.
22वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)/22nd Annual General Meeting (AGM)	13 जुलाई, 2018 पूर्वाह्न 10.00 बजे / 13th July, 2018 at 10.00 a.m.		• वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन किया गया. • विशेष संकल्प द्वारा कई विधियों से रु 6000 करोड़ तक इक्विटी पूंजी संग्रहीत करने के लिए अनुमोदन दिया गया. • Approved Annual Financial Results for the year 2017-18. • Approved raising of Equity Capital upto ₹ 6,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	व्यवसाय प्रदर्शन Business Performed
असाधारण सामान्य बैठक / EGM	13 मार्च, 2018 पूर्वाह्न 10.00 बजे / 13th March 2018 at 10.00 a.m.		विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक रु 2/- के अंकित मूल्य की दर से रु 157.46 प्रति शेयर पर 34,13,56,534 के इक्विटी शेयर जारी करना अनुमोदित किया गया. / Approved by Special Resolution to issue upto 34,13,56,534 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 157.46 per share to GOI on preferential basis.
असाधारण सामान्य बैठक / EGM	22 दिसंबर, 2017 पूर्वाह्न 10.00 बजे / 22nd December 2017 at 10.00 a.m.		श्री भरत कुमार डांगर तथा श्रीमती सौंदरा कुमार को बैंक के शेयरधारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित किया गया. / Elected Shri Bharatkumar D Dangar and Smt Soundara Kumar as Shareholder Directors of the Bank.
21 वीं वार्षिक सामान्य बैठक / 21st AGM	30 जून, 2017 पूर्वाह्न 10.15 बजे / 30th June, 2017 at 10.15 a.m.		• वर्ष 2016-17 के वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन किया गया तथा लाभांश घोषित किया गया. • विशेष संकल्प द्वारा कई विधियों से रु 6000 करोड़ तक इक्विटी पूंजी संग्रहीत करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया. • Approved Annual Financial Results and declared dividend for the year 2016-17. • Approved raising of Equity Capital upto ₹ 6,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.
20 वीं वार्षिक सामान्य बैठक / 20th AGM	24 जून, 2016 मध्याह्न 12.00 बजे / 24th June, 2016 at 12.00 Noon		वर्ष 2015-16 के वार्षिक वित्तीय परिणाम अनुमोदित किए गए. कोई विशेष संकल्प नहीं था. / Approved Annual Financial Results 2015-16. There was no Special Resolution.

संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा संचार साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारियों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है. निवेशकों एवं हितधारकों को समय पर, पारदर्शी तरीके से एवं व्यापक स्तर पर सूचनाओं का प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाता है. शेयरधारकों की सहभागिता में सुविधा हो इसके लिए बैंक इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है और प्रोक्सी एवं प्रतिनिधियों को शेयरधारकों की अनुपस्थिति में उनकी ओर से मतदान की अनुमति देता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मण्डल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात् गुजरात (गुजराती में), में प्रकाशित करवाए जाते हैं. बैंक वित्तीय परिणामों तथा प्रबंधन के दृष्टिकोण के संबंध में विश्लेषकों की बैठकें, मीडिया मीट, निवेशकों/विश्लेषकों के साथ भी बैठकें आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही / ईयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ विश्लेषकों को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार बैंक की वेबसाइट http://www.bankofbaroda.comपर उपलब्ध रहते हैं. विश्लेषक बैठक मेंकी गई प्रस्तुति के वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication. Timely, transparent and enhanced level of disclosures to investors and stakeholders is ensured. To facilitate shareholders' participation, Bank is using Electronic voting platform and allowing proxies and authorized representatives to vote on behalf of shareholders in absentia.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Gujarat (in Gujarati). The Bank also organizes analyst meets, media meets, meetings with investors/analysts etc. on Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official announcements are posted on the Bank's Website - www.bankofbaroda.com. The live web cast of presentation made to Analysts'

उपलब्ध कराया जाता है और संगृहीत वेबकास्ट भी 30 दिनों तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है.

Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also made available on the website for 30 days.

वित्तीय कैलेण्डर

FINANCIAL CALENDAR

वित्तीय वर्ष Financial Year	1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 1st April, 2018 to 31st March, 2019
खातों (एकल एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	22 मई, 2019 22nd May, 2019
23वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान Date, Time & Venue of the 23rd AGM	**दिनांक :** 27 जून, 2019 **प्रातः** 10.00 बजे **स्थान:** दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चौकडी के पास, वडोदरा – 390 019 Date - 27th June, 2019 Time: 10.00 a.m. Venue: Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara - 390 019.
बहियां बन्द करने की तारीख Book Closure Dates	20 जून, 2019 से 27 जून, 2019 तक From 20th June, 2019 to 27th June, 2019
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last Date for receipt of Proxy Forms	21 जून, 2019 21st June, 2019

शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. ''एक्सचेंज प्लाजा'', बान्द्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई -400 051 एनएसई कोड : BANKBARODA	बीएसई लिमिटेड, फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25 वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001 बीएसई कोड : 532134

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के मूल्य, शेयरों के सौदों की मात्रा और इंडेक्स डाटा

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) (प्रत्येक रू 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)

SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

National Stock Exchange of India Ltd., "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA	B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.

SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

a. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2018 to 31.03.2019) (Equity Share of the Face Value of ₹2/- each)

Period	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बीएसई लि. (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)		
	उच्चतम (रू.) Highest (₹)	न्यूनतम (रू.) Lowest (₹)	व्यापार परिमाण Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (रू.) Highest (₹)	न्यूनतम (रू.) Lowest (₹)	व्यापार परिमाण Volume Traded (Nos.)
अप्रैल/APR 2018	155.30	135.25	25,50,05,866	155.35	135.45	1,70,10,823
मई/MAY 2018	149.45	125.25	28,99,31,354	149.35	125.50	1,93,04,373
जून/JUN 2018	138.50	112.15	33,55,94,591	138.45	112.30	4,08,04,564
जुलाई/JUL 2018	155.70	109.50	39,92,84,180	155.55	109.60	4,83,23,108
अगस्त/AUG 2018	157.50	141.45	31,36,79,725	157.45	141.85	1,98,24,840
सितंबर/SEP 2018	156.50	97.35	62,48,18,606	156.25	97.00	3,85,11,938
अक्तूबर/OCT 2018	114.75	91.00	54,74,84,882	115.05	90.70	3,95,74,360
नवंबर/NOV 2018	118.40	103.45	37,16,59,148	118.30	103.00	2,69,18,616
दिसंबर/DEC 2018	119.95	102.40	27,12,06,464	119.95	102.55	2,43,32,016
जनवरी/JAN 2019	124.60	107.65	34,99,04,832	124.60	107.75	2,31,61,791
फरवरी/FEB 2019	114.00	98.50	23,13,11,102	113.95	98.60	1,56,98,505
मार्च/MAR 2019	133.10	101.60	40,13,22,107	133.10	101.85	2,28,56,383

बी. अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक इंडेक्स डेटा (मासिक अंतिम मूल्य)

b. Index Data from April 2018 to March 2019 (Monthly Closing Values)

दिनांक Date	निफ्टी 50 NIFTY 50	निफ्टी बैंक NIFTY BANK	बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रू पए के अंतिम मूल्य के इक्विटी शेयर) BOB NSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)	एसएंडपी बीएसई सेन्सेक्स S&P BSE SENSEX	एसएंडपी बीएसई बैंकेक्स S&P BSE BANKEX	बीओबी बीएसई (प्रत्येक 2 रू पए के अंतिम मूल्य के इक्विटी शेयर) BOB BSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)
30.04.2018	10739.35	25531.60	148.95	35160.36	28651.87	148.65
31.05.2018	10736.15	26956.20	136.85	35322.38	30007.14	137.05
29.06.2018	10714.30	26364.20	112.65	35423.48	29250.56	112.80
31.07.2018	11356.50	27764.15	153.35	37606.58	31005.96	153.45
31.08.2018	11680.50	28061.75	152.95	38645.07	31741.91	152.90
28.09.2018	10930.45	25119.85	99.50	36227.14	27992.18	99.40
31.10.2018	10386.60	25153.25	110.65	34442.05	28359.59	110.80
30.11.2018	10876.75	26862.95	105.05	36194.30	29948.98	104.70
31.12.2018	10862.55	27160.20	118.80	36068.33	30376.68	118.85
31.01.2019	10830.95	27295.45	112.45	36256.69	30731.37	112.45
28.02.2019	10792.50	26789.90	101.00	35867.44	30027.41	101.05
29.03.2019	11623.90	30426.80	128.65	38672.91	34141.94	128.80

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने कार्वी फिनटेक प्रा.लि. को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं :-

कार्वी फिनटेक प्रा.लि. (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनैंसियाल डिसिट्रक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500008
फोन:- (040) 67162222
ई मेल :- einward.ris@karvy.com

निजी रूप से रखे गए बॉंडों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है , जिसका पता नीचे दिया गया है :-

आईडीबीआई ट्रस्टशीप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू -तल, 17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुंबई - 400001 टेलीफोन :- (022) 40807000
ई मेल :- itsl@idbitrustee.com

बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय,मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग की स्थापना भी की है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं.

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. Karvy Fintech Private Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

M/s. Karvy Fintech Private Limited (Unit: Bank of Baroda)
Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad - 500 008. Phone: (040) 67162222;
E Mail: einward.ris@karvy.com

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,17, R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai – 400 001. Tel: (022) 40807000;
Email: itsl@idbitrustee.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निवेशक सेवाएं विभाग सातवीं मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्पलेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 दूरभाष : (022) 6698 5733/5743 ई-मेल : investerservices@bankofbaroda.com (उपरोक्त ई-मेल विशेष रूप से सेबी सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के नियम 6(2)(डी), विनियम 2015 के आधार पर स्थापित की गई है. जो शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं - shareholderdirectors@bankofbaroda.com	बैंक ऑफ़ बडौदा महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं 7वाँ तल, बड़ौदा भवन, आर.सी.दत्त रोड, अल्कापुरी, वड़ोदरा 390 007 टेलीफोन : (0265) 2316792 ई-मेल : operations.ho@bankofbaroda.com

बैंक सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत किए गये सभी भौतिक शेयरों के अंतरण, अनुरोध किए जाने के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रभावी हो जाए.

Bank of Baroda Investors' Services Department 7th Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Telephone : (022) 6698 5733/5743 E – mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at – shareholedrdirectors@bankofbaroda.com	Bank of Baroda General Manager, Operations and Services, 7th Floor, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 Telephone : (0265) 2316792 E–mail: operations.ho@bankofbaroda.com

The Bank ensures that transfer of all the physical shares tendered are duly effected within a period of -15- days from the date of their lodgment.

शेयरधारिता का वितरण

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

ए. 31 मार्च 2019 तक का शेयरधारिता का पैटर्न:

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2019

क्र.सं. Sr.No.	विवरण	Description	कुल मामलों की संख्या Total Cases	कुल शेयर Total Shares	कुल मामले % Total Cases %
1	भारत सरकार	Government Of India	1	1,67,34,59,020	63.26
2	म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	139	36,77,62,427	13.90
3	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश	Foreign Portfolio - Corp	142	25,88,92,674	9.79
4	निवासी व्यक्ति	Resident Individuals	363584	14,83,38,997	5.61
5	बीमा कम्पनियां	Insurance Companies	39	10,66,31,895	4.03
6	कॉर्पोरेट निकाय	Bodies Corporates	2159	2,91,78,427	1.10
7	ट्रस्ट	Trusts	45	2,45,63,153	0.93
8	समाशोधन सदस्य	Clearing Members	625	1,13,24,488	0.43
9	अनिवासी भारतीय	Non Resident Indians	4554	91,60,680	0.35
10	बैंक	Banks	29	47,46,523	0.18
11	अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ)	H U F	5130	34,64,807	0.13
12	अनिवासी भारतीय-गैर प्रत्यावर्तनयोग्य	Non Resident Indian Non Repatriable	1653	34,46,212	0.13
13	कर्मचारी	Employees	2035	20,46,446	0.08
14	वैकल्पिक निवेश फंड	Alternative Investment Fund	8	16,60,296	0.06
15	भारतीय वित्तीय संस्थाएं	Indian Financial Institutions	4	5,35,855	0.02
16	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	3	1,10,000	0.00
17	विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	27	1,09,275	0.00
18	एनबीएफसी	NBFC	17	82,443	0.00
19	विदेशी नागरिक	Foreign Nationals	4	2,014	0.00
20	यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया	Unit Trust Of India	1	500	0.00
	कुल	**Total**	**380199**	**2,64,55,16,132**	**100.00**

बी. शेयरधारकों का वितरण - 31 मार्च 2019 तक का श्रेणीवार

b. Distribution of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2019

क्रम संख्या Sr. no	श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का प्रतिशत % of Cases	शेयरों की संख्या No of Shares	राशि का प्रतिशत % Amount
1	1 - 5000	204799	53.87	1,21,54,947	0.46
2	5001 - 10000	49883	13.12	1,18,30,181	0.45
3	10001 - 20000	74641	19.63	3,63,18,328	1.37
4	20001 - 30000	27455	7.22	2,51,00,777	0.95
5	30001 - 40000	4323	1.14	50,93,397	0.19
6	40001 - 50000	5774	1.52	88,69,116	0.34
7	50001 - 100000	8190	2.15	1,91,87,589	0.73
8	100001 एवं उससे अधिक 100001 and above	5134	1.35	2,52,69,61,797	95.52
	कुल: / TOTAL:	380199	100.00	2,64,55,16,132	100.00

सी . प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते है एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्यूरिटी लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए करार किया है. शेयरधारक अपने शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से अभौतीकृत करा कर सकते हैं.

निम्नलिखित विवरण के अनुसार 31 मार्च 2019 तक बैंक के पास निम्नलिखित संख्या के इक्विटी शेयर भौतिक एवं अभौतिक रूप से हैं :

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2019 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

क्र. संख्या S.no	धारिता का प्रकार	Nature of holding	मामलों की संख्या No. of Cases	शेयरों की संख्या No. of Shares	प्रतिशत Percentage %
1	सी.डी.एस.एल.	CDSL	137298	1,72,91,75,402	65.36
2	एन.एस.डी.एल.	NSDL	204285	88,66,17,603	33.51
3	भौतिक	PHYSICAL	38616	2,97,23,127	1.12
	कुल	Total:	380199	2,64,55,16,132	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर जब्त किए (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जिनमें से 24000 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2019 तक रद्द कर दिये गए.

31 मार्च 2019 तक एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

ए. उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2019.

STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2019

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2018		वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2018-19		31 मार्च 2019 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2019	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
69	86000	0	0	0	69	86000

बी. एस्क्रो / उचंत खातें में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2018		वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जमा किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2018-19		31 मार्च 2018 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2019	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
157	93800	2	2	1110	155	92690

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी.

लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतानः

बैंक निवेशकों को, जहॉ निवेशकों द्वारा मेंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बॉंडों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से कर रहा है. इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का प्रयोग कर रहा है.

निवेशक अपने मेंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात कार्वी फिनटेक शेयर प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं.

सचिवालीय लेखापरीक्षा

बैंक द्वारा 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए मे. रागिनी चोकशी एंड कंपनी को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. यह कंपनी वार्षिक सचिवालयीय ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवालयीय अनुपालन रिपोर्ट से संबन्धित कार्य करती है. वार्षिक सचिवालयीय ऑडिट रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है.

प्रकटीकरण

1) यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं होता है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो. इस सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी सम्बंधी प्रकटीकरण किया गया है.

2) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है.

3) हम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची V के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते है .

4) सभी निदेशकों द्वारा यह घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2019 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है.

5) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अतः ''कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां'' संबंधी सूचना शून्य है

6) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय- कार्यक्रमः

बैंक के स्वतंत्र निदेशकों के लाभार्थ आयोजित किए गए परिचय-कार्यक्रम का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/Images/pdf/Details-of-Directors-Training.pdf पर उपलब्ध है.

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Fintech Pvt. Ltd., at the address given in this report.

Secretarial Audit

Bank has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co. Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secreterial Compliance Report for the year ended 31.03.2019. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
2. There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
3. We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations
4. All the Directors have disclosed that they have no relationship *inter-se* as on 31st March 2019.
5. The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2018-19 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.
6. Familiarization programme for Independent Directors

   The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/Images/pdf/Details-of-Directors-Training.pdf

7) व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश

भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा संबंधी संकल्प (पीआईडीपीआई) के आधार पर लोगों के लिए व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश संबंधी विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/Images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf पर उपलब्ध है.

इस संबंध में किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति को एक्सेस करने से मना नहीं किया गया है.

8) संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति

संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/Images/pdf/related-party-policy.pdf पर उपलब्ध है.

9) महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारक, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

7. Whistle Blower Guidelines

The details of the Bank's Whistle Blower Guidelines for the public based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) are available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website.pdf

No personnel has been denied access to the audit committee.

8. Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries

The details of the Bank's Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.com/writereaddata/images/pdf/related-party-policy.pdf

9. Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या / Number of Complaints filed during the financial year	वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या / Number of Complaints disposed off during the year	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या / Number of Complaints pending as on end of the financial year
7	3	4

10) संबंधित वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन समेत भी, यदि कोई हो, की सूची जिसमें उस संस्था के सभी नामे लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची:

10. List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2018-19, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad

As of 31.03.2019

लिखत का स्वरूप / Type of Instrument	क्रिसिल / CRISIL	केयर / CARE	इक्रा / ICRA	इंडिया रेटिंग / INDIA Rating	ब्रिकवर्क / Brickwork	मूडी / Moody	फिच / Fitch
बासेल II अपर टियर II बॉण्ड / Basel II Upper Tier II Bonds	एएए / स्थिर / AAA / Stable	एए+ / स्थिर / AA+ / Stable			एएए / स्थिर / AAA/Stable		
बासेल II आईपीडीआई बॉण्ड / Basel II IPDI Bonds	एएए / स्थिर / AAA / Stable	एए+ / स्थिर / AA+ / Stable					
बासेल III टियर II बॉण्ड / Basel III Tier II Bonds	एएए / स्थिर / AAA / Stable	एएए / स्थिर* / AAA / Stable*	एएए / AAA	एएए / स्थिर* / AAA / Stable*			
बासेल III एटी-I बॉण्ड / Basel III AT-I Bonds	एए+ / स्थिर / AA+ / Stable	एए / स्थिर / AA / Stable		एए+ / स्थिर / AA+/Stable			
जमा प्रमाणपत्र / Certificate of Deposit				ए1+* / A1+*			
बैंक ऑफ़ बड़ौदा व बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन) नामे लिखत के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन / Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - debt instruments						बीएए2(सीआर)/ पी-2(सीआर) / Baa2(cr)/P-2(cr)	
व्यवहार्यता रेटिंग- नामे लिखत / Viability Rating - debt instruments							बीबी / bb
बैंक ऑफ़ बड़ौदा व बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन) सावधि जमा कार्यक्रम के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन / Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - fixed deposit programme						बीएए2(सीआर)/ पी-2(सीआर) / Baa2(cr)/P-2(cr)	
व्यवहार्यता रेटिंग- सावधि जमा कार्यक्रम / Viability Rating - fixed deposit programme							बीबी / bb

*वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त नई रेटिंग

* Fresh rating obtained during the FY 2018-19

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रेटिंग में संशोधन:

दिनांक 12 जून 2018 को मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन) के काउंटरपार्टी रिस्क एसेसमेंट को बीएए3(सीआर)/ पी-3(सीआर) से बीएए2(सीआर)/ पी-2(सीआर) मेंअपग्रेड किया. दिनांक 13 जून 2018 को फिच रेटिंग्स ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की व्यवहार्यता रेटिंग को बीबी+से बीबी में डाउनग्रेड किया. दिनांक 26 सितंबर 2018 को फिच रेटिंग्स ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की व्यवहार्यता रेटिंग बीबी को रेटिंग वॉच निगेटिव कर दिया.

Revision in rating during F. Y. 2018-19:

Moody's Investor Service on 12th June 2018 upgraded the Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) from Baa3(cr)/P-3(cr) to Baa2(cr)/P-2(cr). Fitch Ratings on 13th June 2018 downgraded the Viability Rating of Bank of Baroda from bb+ to bb. Fitch Ratings on 26th September 2018 placed the Viability Rating of Bank of Baroda of bb on Rating Watch Negative.

11) इसका पुष्टिकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंध तंत्र पर निर्भर नहीं हैं- हां

12) जहां वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशक मंडल द्वारा अस्वीकृत, अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश -शून्य

13) विनियम 32 (7ए) के अधीन निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए निधियों के उपयोग के ब्यौरे- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसा कुछ अधिमानी आबंटन अथवा अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट नहीं किया गया है.

14) सूचीबद्ध संस्था व उसकी अनुषंगियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और उन सभी नेटवर्क संस्थाओं जिसमें लेखा परीक्षक एक भाग है, सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल शुल्क रु 49.32 करोड.

15) कंपनी सचिव से प्रायः इस आशय का प्रमाण पत्र कि निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तता द्वारा नियुक्त अथवा जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है. - प्रमाण पत्र प्राप्त किया - कोई भी निदेशक बैंकमें नियुक्ति जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है.

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार हैं-

11. Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management. - Yes

12. Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2018-19 – NIL

13. Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – No preferential allotment or qualified institutions placement during FY2018-19

14. Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part. - Rs. 49.32 crores

15. A certificate from a Company Secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authiority - Certificate obtained - None of the director is debarred or disqualified from being appointed as Director in the Bank.

NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्र. स. Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएँ Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	**बोर्ड** सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी ड्यूटी संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है. **The Board** A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	**अनुपालन किया गया.** भारत सरकार ने श्री हसमुख अढ़िया की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 01.03.2019 से की है. भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया. **Complied with.** The Government of India has appointed Dr. Hasmukh Adhia as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f. 01.03.2019. The guidelines issued by GOI are complied with.
2	**लेखापरीक्षा अहर्ता** कम्पनी को अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. Audit Qualifications Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस संबंध में कोई अहर्ता नहीं है. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
3	**अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग - अलग पद** सूचीबद्ध कम्पनी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है. Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	**अनुपालन किया गया.** बैंक के निदेशक मंडल की सरंचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित की जाती है. भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2019 से श्री हसमुख अढ़िया, बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष तथा दिनांक 13.10.2015 से श्री पी.एस. जयकुमार को प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पूर्णकालिक निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है. **Complied with.** The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Government of India has appointed Dr. Hasmukh Adhia as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f.01.03.2019 and Shri P.S. Jayakumar as MD & CEO (Whole-time Director) w.e.f. 13.10.2015.

4	**आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं . Reporting of Internal Auditor The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से अधिशासित की जाती है , जिनका बैंक अनुपालन करता है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
17	निदेशक मंडल Board of Directors	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अधीन है. यहाँ कम्पनी एक्ट 1956/2013 में किया गया संशोधन इस सम्बंध में लागू नहीं होता है. अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) के अधीन केंद्र सरकार के मुताबिक किया जाता है. बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है. बोर्ड का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है. यह सुनिश्चित किया जाता है की बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे. **बोर्ड का मूल्यांकन** बोर्ड के गवर्नेंस को लगातार बेहतर बनाने के उद्देश्य से बोर्ड के कार्यनिष्पादन, इसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बाह्य कंसल्टिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है. मूल्यांकन के विस्तृत मानदण्डों को सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम अधिनियम, 2015 के प्रावधानों और दिनांक 5 जनवरी 2017 के बोर्ड के मूल्यांकन पर सेबी द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया गया है. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970" i.e. the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured. **Board Evaluation** With the objective to continuously improve Board governance, an evaluation of the Board's performance; performance of its committees and individual directors including independent directors is being conducted by an external consulting firm. The parameters of evaluation have been aligned with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and new SEBI Guidance Note on Board Evaluation dated January 5, 2017.
18	लेखा समिति Audit Committee	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के गठन एवं इसके संदर्भ की शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अधिशासित होती है, जिनका अनुपालन किया गया है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board of Bank of Baroda is governed through RBI's directives / guidelines, which are complied with.

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
19	नामांकन एवं पारितोषिक समिति Nomination and remuneration committee	बैंक में दो अलग-अलग समितियाँ, नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति है, जिनकी सरंचना एवं संदर्भ शर्ते क्रमशः भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अधिशासित होती है. The Bank has 2 separate committees namely Nomination Committee and Remuneration Committee, the composition and terms of reference of which are governed through RBI / GOI directives respectively.
20	हितधारक सम्बंध समिति Stakeholders Relationship Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
21	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
22	सतर्कता प्रणाली Vigil Mechanism	अनुपालन किया गया है. Complied with
23	संबंधित पार्टी लेनदेन Related party transactions	अनुपालन किया गया है. Complied with
24	सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	अनुपालन किया गया है. Complied with
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व Obligations with respect to independent directors	विनियम 17 के अनुसार- यथा उपर्युक्त As per Regulation 17, as above.
26	निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में दायित्व Obligations with respect to directors and senior management	अनुपालन किया गया है. Complied with
27	अन्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएं Other corporate governance requirements	अनुपालन किया गया है. Complied with
46	वेबसाइट Website	अनुपालन किया गया है. Complied with

भौतिक शेयरों को अभौतीकृत करना- एक विशेष अनुरोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनाक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि संप्रेषण या पुनर्व्यवस्थापन के मामले छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण करने के लिए अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे

DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not

किसी डिपॉजिटरी के साथ उन्हें डिमैट रूप में धारित न हों जोकि 01.04.2019 से प्रभावी होगा. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें.

डिमैट करवाने के लिए शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें जहां उनका डिमैट खाता है. डिमैट करवाने के निम्न लाभ हैं. 1) बाधारहित अंतरण 2) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का कोई भय नहीं 3) लाभांश/कंपनी से प्राप्य लाभ का सीधे और तत्काल खाते में जमा हो जाना 4) नामांकन सुविधा 5) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से सीधा आवेदन.

भौतिक/डिमैट के रूप में धारित शेयर के शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी दर्ज नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण पहल (गो ग्रीन) के समर्थन में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी/बैंक के आरटीए में अपना ईमेल आईडी दर्ज करवाएं.

पारदर्शिता एवं अनुपालन अधिकारी

साथ ही, निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यकलाप भी बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रणाली के तहत अधिक से अधिक प्रकटीकरण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

- **पारदर्शिता अधिकारी**

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप फरवरी 2011 से बैंक ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है.

पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उत्तरदाई है:

ए) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना.

बी) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में सीआईसी के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना.

सी) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना.

डी) आरटीआई संबंधित सभी विषयों के लिए आम जन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना.

बैंक ने इस अधिनियम के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड किया है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है.

अनुपालन संबंधी कार्य

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कार्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है. बैंक में इस कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारू बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है. निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है. बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को स्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली लागू किया है.

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारक अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. विदेशों में जहां पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और

be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further, the following additional functions also enhance the Bank's commitment to more and more disclosures and compliance under the Corporate Governance mechanism of the Bank.

- **Transparency Officer**

In Compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Officers as Transparency Officer, since February 2011.

The transparency officer is responsible for the following functions:

a) To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.

b) To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.

c) To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIS), deemed CPIOs.

d) To be a contact point for the public in all RTI- related matters.

The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

Compliance Function

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and made sufficiently independent. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank.

The Compliance Function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations

मानक बोर्ड का सदस्य है और बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित मानकों और संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करता है. साथ ही बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है.

of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas Centers. The bank is a member of Banking Codes and Standard Board of India and ensures compliance of Standards and Codes prescribed by BCSBI. It also ensures adherence of various guidelines/instructions issued by IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India).

अनुबंध 1

निदेशक मण्डल का गठन

डॉ. हसमुख अढिया - अध्यक्ष (गैर कार्यपालक)

(जन्म तिथि: 3 नवंबर, 1958)

डॉ. हसमुख अढ़िया को भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत गैर कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 01.03.2019 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है.

डॉ. हसमुख अढ़िया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो भारत सरकार के केन्द्रीय वित्त सचिव एवं राजस्व सचिव के रूप में 30.11.2018 को सेवानिवृत्त हुए. वे गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं. वे इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, बेंगलुरु के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर के सदस्य भी हैं.

डॉ. हसमुख अढ़िया ने एकाउंटैंसी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है. उन्होंने इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, बेंगलुरु से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और साथ ही स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, बेंगलुरु से योग में पीएचडी की उपाधी भी प्राप्त की है.

वित्त सचिव बनने से पहले वे नवंबर, 2014 से अगस्त, 2015 के दौरान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव थे. सचिव, वित्तीय सेवाएं के रूप में इन्हें कई नई कार्यनीतियां लागू करने का श्रेय प्राप्त है जैसे कि बैंकिंग सुधार के लिए ज्ञान संगम व इंद्रधनुष कार्यक्रम और साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और लघु ऋण के लिए मुद्रा योजना.

वित्त/राजस्व सचिव के रूप में उन्हें, आयकर, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कर अनुकूल पहल करने का श्रेय प्राप्त है. साथ ही उन्होंने विधिवत जीएसटी लागू करने का कार्य संचालन भी किया जिससे जीएसटी सुचारू रूप से लागू हो सका. उन्हें, कालाधन के खिलाफ निरंतर प्रयासरत रहने के लिए भी जाना जाता है.

वित्त मंत्रालय में तैनाती से पहले उन्होंने कई अन्य पद संभाले जैसे कि गुजरात के मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव (2003-06), प्रधान सचिव (शिक्षा), गुजरात (2008-13), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) गुजरात (2013-14), उद्योग आयुक्त, गुजरात (2001-02), गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और गुजरात औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक.

श्री पी एस जयकुमार - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक)

(जन्मतिथि - 8 अप्रैल 1962)

श्री पी. एस. जयकुमार की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर 13.10.2015 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गई है. श्री पी.एस. जयकुमार के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल को भारत सरकार ने दिनांक 12.10.2019 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है.

वे शैक्षिक योग्यता में सनदी लेखाकार हैं, साथ ही उन्होंने एक्सएलआरआई जमशेदपुर से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है. उन्हें लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनोमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साईंस के माध्यम से चेवनिंग गुरुकुल स्कॉलर होने का सम्मान भी प्राप्त है.

ANNEXURE 1

COMPOSITION OF THE BOARD

Dr. Hasmukh Adhia - Chairman (Non-Executive)

(DoB: 3rd November, 1958)

Dr. Hasmukh Adhia was appointed as Non-Executive Chairman by the Central Grovernmant u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 01.03.2019, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Dr. Hasmukh Adhia, an officer of Indian Administrative Service, retired on 30.11.2018 as Union Finance Secretary & Revenue Secretary in Government of India. He is also the Chancellor of Central University of Gujarat. He also serves as a member of Board of Governors of Indian Institute of Management, Bangaluru.

Dr. Hasmukh Adhia has Post-Graduate degree in Accountancy. He is a Gold medalist from Indian Institute of Management, Bangalore and holds a Ph.D. in Yoga from Swami Vivekanand Yoga University, Bangalore.

Prior to his posting as Finance Secretary, he was Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for the period from November, 2014 till August, 2015. As Secretary, Financial Services, he was credited with many new strategies for banking reforms such as Gyan Sangam and Indradhanush as well as social security schemes of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna, Jivan Jyoti Bima Yojna and Atal Pension Yojna, as also for the scheme of micro-financing of Mudra.

As Finance/Revenue Secretary, he was credited with bringing in many tax-friendly initiatives in the Income-Tax as well as Excise Duty and Service Tax. Also he pursued the agenda of GST systematically as a result of which GST was implemented smoothly. He is also known for his relentless drive against the black money.

Prior to posting in the Ministry of Finance, some of the other positions held by him include Principal Secretary to Chief Minister of Gujarat (2003-06), Principal Secretary (Education), Gujarat (2008-13), Additional Chief Secretary (Finance), Gujarat (2013-14), Industries Commissioner, Gujarat (2001-02), Managing Director of Gujarat Industrial Investment Corporation and Gujarat Industrial Development Corporation.

Shri P. S. Jayakumar - Managing Director & CEO (Executive)

(DoB: 8th April, 1962)

Shri P. S. Jayakumar was appointed as Whole Time Director designated as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 13.10.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier. Tenure of Shri P. S. Jayakumar as MD & CEO has been further extended by GOI upto 12.10.2019, or until further orders whichever is earlier.

He is a Chartered Accountant by qualification and additionally holds a Post Graduate Diploma in Business Management from XLRI Jamshedpur. He also has the distinction of being a Chevening Gurukool Scholar through the London School of Economics and Political Science.

Prior to his appointment as MD & CEO of Bank of Baroda in

अक्तूबर, 2015 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण करने से पहले आप वीबीएचसी वैल्यू बजट हाउसिंग (वीबीएचसी), जो 2009 से 2015 तक अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के लिए हाउसिंग में अग्रणी रहा है, के सह संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे. आप राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नियंत्रित हाउसिंग फायनांस संस्था होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी (एचएफएफसी) के सह-संस्थापक तथा गैर कार्यपालक प्रवर्तक निदेशक भी थे, यह कंपनी बैंकिंग क्षेत्र से बंधक द्वारा ऋण लेने में असमर्थ रहे ग्राहकों का वित्तपोषण करने पर विशेष ध्यान देती है. आप एक पेशेवर बैंकर हैं और आपने 1986 में कैरियर शुरु करने के बाद भारत और सिंगापुर में सिटी बैंक में 23 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है. आपने भारत में रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में अनेक नवोन्मेषी कार्यों की शुरुआत में योगदान दिया है. इसके अतिरिक्त आप 1991 में भारत में प्रथम आस्ति प्रतिभूतीकरण तथा 2006 में वित्तीय समावेशन से वंचित वर्ग के लिए प्रथम बहु-भाषी बायोमैट्रिक एटीएम स्थापित करने संबंधी प्रयासों से जुड़े रहे हैं. सिटी बैंक में उन्होंने ट्रेज़रर-उपभोक्ता बैंक, जमा एवं अग्रिम व्यवसाय को समावेश करते हुए व्यवसाय विकास प्रमुख, सिटी फायनेंशियल लि. के प्रबंध निदेशक, एशिया पेसीफिक देशों (इंडोनेशिया, फिलिपिंस, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग एवं कोरिया) के लिए सिटी बैंक उपभोक्ता ऋण प्रमुख, प्रमुख- सिटी बैंक उपभोक्ता व्यवसाय तथा तुलनपत्र प्रबंधन प्रमुख-एशिया पेसिफिक जैसे विविध कार्यकलापों को संभाला. उन्होंने भारत में सिटी बैंक की कई अनुषंगियों में निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में भी सेवाएं दी हैं.

श्रीमती पापिया सेनगुप्ता - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 27 सितंबर ,1959)

श्रीमती सेनगुप्ता की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 01.01.2017 से अपनी अधिवर्षिता पूरी करने की तारीख अर्थात् 30.09.2019 तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए की गई है.

आपको विज्ञान में स्नातक के साथ-साथ सीएफए और सीएआईआईबी की अतिरिक्त योग्यता भी प्राप्त हैं. आपने 1983 में एसबीबीजे में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया और एसबीबीजे, एसबीआई और एसबीपी के विभिन्न कार्यालयों में जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है. बैंक ऑफ़ बडौदा में ज्वाइन करने से पहले, आपने स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला(एसबीपी) में अप्रैल 2016 तक मुख्य महाप्रबंधक (रिटेल बैंकिंग) और जून 2015 तक मुख्य महाप्रबंधक (दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह) का पदभार संभाला. आपने स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर और जयपुर(एसबीबीजे) के दिल्ली नेटवर्क में महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है.अपने कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न संगठनों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे आईटी सुरक्षा, एएलएम, एचआर, ट्रेजरी प्रबंधन आदि में कार्य किया है. आपने दो दशकों से अधिक समय तक शाखा परिचालन का कार्यभार संभाला है एवं आपको क्रेडिट तथा विदेशी मुद्रा परिचालन में भी व्यापक अनुभव है.

श्री शांति लाल जैन - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 01 जनवरी,1965)

श्री शांति लाल जैन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 20.09.2018 से अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए की गई है.

श्री शांति लाल जैन वाणिज्य में स्नातकोत्तर होने के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और सीएआईआईबी की व्यवसायिक योग्यता प्राप्त हैं. इलाहाबाद बैंक ज्वाइन करने से पूर्व, आपने लगभग 6 वर्ष विभिन्न उद्योगों में कार्य किया है. आपने इलाहाबाद बैंक में 1993 में मध्यम प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-II में ज्वाइन किया और महाप्रबंधक पद तक पहुचें. आपने

October 2015, he was the co-founder and CEO of VBHC Value Homes Pvt Ltd, a leader in housing for low and moderate income household from 2009 to 2015. He was also the co-founder and Non-Executive Promoter Director for Home First Finance Company (HFFC), a housing finance institution regulated by the NHB, focused on financing customers who are not able to access mortgage loans from the banking sector. Shri Jayakumar is a career banker having spent over 23 years in Citibank in India and Singapore starting in 1986. He has contributed to several innovations in retail banking in India. In addition, he was associated with the first asset securitisation in India in 1991 and the first multi-lingual biometric ATM for the financially excluded in 2006. He held diverse assignments at Citibank such as Treasurer - Consumer Bank, Business Development Head covering deposit and lending business, Managing Director for CitiFinancial Ltd, Managing Director and Head of Citibank Consumer Loan for Asia Pacific Countries (covering Indonesia, Philippines, Australia, Hong Kong and Korea), Country Head - Citibank Consumer Business and Head of Balance Sheet Management - Asia Pacific. He has also served as a Board Member in many of Citibank's subsidiaries in India.

Smt. Papia Sengupta - Executive Director

(DoB: 27th September, 1959)

Smt. Sengupta was appointed as Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.01.2017 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 30.09.2019 i.e. the date of her attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier

She is a Science Graduate, with additional qualification of CFA and CAIIB. She joined SBBJ in 1983 as Probationary Officer and has handled responsibilities in several offices of SBBJ, SBI and SBP. Prior to joining Bank of Baroda, she held the position of Chief General Manager (Retail Banking) since April 2016 and Chief General Manager (Stressed Assets Management Group) since June 2015 at State Bank of Patiala (SBP). She also served as General Manager of the Delhi network at State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ). During her tenure at the various organisations she had worked across various key areas such as IT Security, ALM, HR, Treasury Management etc. She also has handled branch operations for more than two decades and has experience in Credit and Forex operations.

Shri Shanti Lal Jain – Executive Director

(DoB: 1st January, 1965)

Shri Jain was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 20.09.2018 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Shanti Lal Jain is a Post Graduate in Commerce, with Professional Qualification of Chartered Accountant, Company Secretary and CAIIB. Prior to joining Allahabad Bank, he worked in various Industries for about 6 years. He joined Allahabad Bank in 1993 in Middle Management Grade/Scale-II and reached upto General Manager. He worked in Branches, Zonal Office, Field

शाखाओं, अंचल कार्यालय, फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय, स्टाफ महाविद्यालय और प्रधान कार्यालय में कार्य किया है. आपने इलाहाबाद बैंक में अंचल प्रबंधक, आगरा अंचल के रूप में भी कार्य किया है और साथ ही बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और महाप्रबंधक- आईटी का दायित्व भी संभाला है.

हमारे बैंक में ज्वाइन करने से पूर्व, पिछले एक वर्ष से आप मुंबई में फील्ड महाप्रबंधक (पश्चिम) के पद पर कार्यरत थे और इलाहाबाद बैंक के महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा परिचालन की जिम्मेदारी संभाले हुए थे.

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 24 जुलाई,1962)

श्री खीची की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 01.10.2018 को अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए की गई है.

श्री वी.एस.खीची ने एमबीए (वित्त एवं मार्केटिंग) किया है. साथ ही उन्होंने सीएआईआईबी और जीवन बीमा में एसोसियेट की व्यावसायिक योग्यता भी हासिल की है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में आने के पूर्व वे देना बैंक में क्षेत्रीय महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) के पद पर कार्यरत थे. देना बैंक में उन्होंने दिसम्बर 1985 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया. विभिन्न जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए वे महाप्रबंधक पद तक पदोन्नत हुए और मई 2015 में देना बैंक के फील्ड महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) का प्रभार ग्रहण किया.

प्रोबेशनरी अधिकारी से शुरूकर महाप्रबंधक के रूप में विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्हें बैंकिंग परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है. शाखा परिचालन के साथ-साथ नियंत्रक कार्यालय स्तर से आयोजना एवं नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उनका अहम योगदान रहा है.

उन्हें बैंक के रिटेल बैंकिंग, मार्केटिंग (नई पहल और उत्पाद विकास), मर्चेंट बैंकिंग, वसूली प्रबंधन, विदेशी कारोबार जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करने का गहन अनुभव है.

श्री खीची ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, गुजरात के संयोजक के रूप में राज्य सरकार के वरिष्ठ प्राधिकारियों, भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सभी बैंकों, बीमा कंपनियों एवं विभिन्न संगठनों के उच्चाधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल के साथ गुजरात में सरकार की वित्तीय समावेशन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान दिया है.

श्री देबाशीष पंडा -निदेशक (गैर-कार्यपालक)- केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि : 05 जनवरी,1962)

श्री देबाशीष पंडा भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत निदेशक के रूप में 05.04.2018 से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किए गए हैं.

आप भौतिक विज्ञान और विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं और पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल की उपाधि प्राप्त हैं. आपने यूएसए और फिलिपिंस में लोक प्रशासन में विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

श्री पंडा 1987 बैच के यूपी संवर्ग के आईएएस अधिकारी हैं और मूलत: ओडिशा राज्य से आते हैं. उन्होंने 23 मार्च 2018 को वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में कार्य ग्रहण किया. वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य ग्रहण करने से पहले वे दिल्ली में उत्तर प्रदेश के निवासी आयुक्त के साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का दोहरा प्रभार संभाल रहे थे. वे उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे जैसे कि देवरिया, टिहरी, उत्तरकाशी और गाजियाबाद जिलों के जिलाधिकारी और प्रधान सचिव (गृह एवं सामान्य प्रशासन). उन्होंने भारत सरकार में भी संयुक्त

General Manager Office, Staff College and Head Office. He also worked as Zonal Manager, Agra Zone in Allahabad Bank. He also worked as Chief Financial Officer, Chief Risk Officer and General Manager-IT of the Allahabad Bank.

Prior to joining our Bank, since last one year he held the position of Field General Manager (West) at Mumbai and responsible for Maharashtra, Gujarat and Goa Operations of Allahabad Bank.

Shri Vikramaditya Singh Khichi – Executive Director

(DoB: 24th July, 1962)

Shri Khichi was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.10.2018 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on 1st October, 2018, or until further orders, whichever is earlier.

Shri V. S. Khichi is an MBA (Finance and Marketing), with Professional Qualifications of CAIIB and Associate in Life Insurance. Prior to joining Bank of Baroda, he was working as Field General Manager (Gujarat Operations) in Dena Bank. He Joined Dena Bank as Probationary Officer in December' 1985, gradually climbed up the ladder and got promoted as Field General Manager (Gujarat Operations) in May'2015 in Dena Bank.

Inculcated blend of operational experience at field level and of planning/policy formulation at Controlling Office during the tenure of 33 years in Dena Bank by serving in varying capacities from being Probationary Officer to General Manager in various Branches & Departments.

Acquired enriching experience across the breadth of various key departments such as Retail Banking, Marketing (New Initiative & Product Development), Merchant Banking, Recovery Management, Overseas Business Center etc.

Groomed leadership quality while discharging duty as Convenor of State Level Bankers' Committee, Gujarat and collaborated efforts with senior State Govt. officials, top executives from RBI and various Banks, Insurances Co. & different organisations in executing numerous Financial Inclusion initiatives of the Govt. in Gujarat State.

Shri Debasish Panda - Director (Non-Executive) - Representing Central Government

(DoB: 5th January 1962)

Shri Debasish Panda was nominated as a Director w.e.f. 05.04.2018 by The Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

He is a Post Graduate in Physics, Development Management and obtained M.Phil degree in Environmental Science. He has undergone foreign training in Public Administration from USA & Philippines.

Shri Panda is an IAS officer of 1987 batch of UP Cadre and belongs to the State of Odisha. He joined the Department of Financial Service (DFS) on 23rd March, 2018. Before joining as Additional Secretary in the DFS, he was holding the dual charge of Resident Commissioner of UP in Delhi as well as Chief Executive Officer, Greater Noida Development Authority. He held several key posts in the Government of UP, viz. as District Magistrate of Deoria, Tehri, Uttarakashi & Ghaziabad Districts

सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) और अखिल भारतीय आयुविर्ज्ञान संस्थान में उप निदेशक (प्रशासन) के रूप में भी सेवा दी है.

श्री अजय कुमार - निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि : 20 मई 1969)

श्री अजय कुमार की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत नामित निदेशक के रूप में 13.01.2017 से अगेल आदेश तक के लिए की गई है.

आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और बैंकिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की है. वे भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य (सीएआईआईबी) भी हैं.

आपने भारतीय रिज़र्व बैंक में 1991 में सेवा ग्रहण की और आपके पास मुद्रा प्रबंधन, ग्रामीण ऋण एवं आयोजना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 27 वर्षों का व्यापक अनुभव है. आपने एचडीएफसी बैंक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के वरिष्ठ पर्यवेक्षण प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है. आप इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक तथा यूको बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के लिए प्रिंसिपल निरीक्षणकर्ता अधिकारी (पीआईओ) भी थे और आपने अपने नेतृत्व में यूको बैंक की व्यापक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा भी की थी. आपको भारत में विदेशी बैंकों के व्यवहार की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी. विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में, बैंकों हेतु जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति रुपरेखा को प्रगणित करने का कार्य भी आपके संचालन के अधीन हुआ है. पूर्व में ग्रामीण क्रेडिट और आयोजना में अपने कार्यकाल के दौरान आप चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामित निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं. वर्तमान में आप भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में मार्च 2019 से नई दिल्ली में कार्यरत हैं और नई दिल्ली में समग्र बैंकिंग ढांचे के विकास के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं.

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल - निदेशक (गैर कार्यपालक) - सनदी लेखाकार श्रेणी से

जन्मतिथि -(1 जून 1962)

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के तहत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में सनदी लेखाकार की श्रेणी के तहत 26.07.2016 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए के गई है.

आप इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) के सहयोगी सदस्य हैं एवं आपको वित्तीय बाजार और आर्थिक मामलों में व्यापक अनुभव है. आप पीएचडी चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स की प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं. आप भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की केंद्रीय परिषद (आईसीएसआई) के सरकारी नामिति और उत्तर पूर्वी इलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (नीपको) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं. आप भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय संरचना पर गठित कार्य-दल के भी सदस्य हैं. अपने पूर्व कार्यदायित्वों में आप एसोचेम की विभिन्न समितियों, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सार्वजनिक वित्तीय समिति और सेबी की द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति (एसएमएसी)के सदस्य थे. आपने विभिन्न लोक कल्याण परियोजनाएं आरंभ की हैं यथा, जलाधिकार, नागरिक मंच, श्री जी गौसदन एवं दुग्ध सहकारी आन्दोलन. आप समाचार-पत्रों, वित्तीय-पत्रिकाओं के लिये लिखते हैं एवं इन विषयों पर सम्मेलनों और संगोष्ठियों में व्याख्यान भी देते रहे हैं. आप देश के दो प्रीमियर अनुसंधान संगठन यथा, डॉ. मुखर्जी स्मृति न्यास एवं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन (आईपीएफ) के न्यासी और कोषाध्यक्ष हैं.

and Principal Secretary (Home & General Admn.). He also served the Government of India in the capacity of Joint Secretary (Health & FW) and as Deputy Director (Admn.) in AIIMS.

Shri Ajay Kumar - Director (Non-Executive) - Representing Reserve Bank of India

(DoB: 20th May, 1969)

Shri Ajay Kumar is nominated as a Director w.e.f. 13.01.2017 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

He has done his Masters in Economics and MS in Banking. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking (CAIIB).

Shri Ajay Kumar joined RBI in December 1991 and has had a wide experience of 27 years of working in various capacities in the areas of currency management, rural credit and planning, foreign exchange management and banking supervision. He has worked as the Senior Supervisory Manager for the HDFC Bank and the Kotak Mahindra Bank. He was also the Principal Inspecting Officer (PIO) for the annual supervisory process of the Allahabad Bank, the United Bank of India and the UCO Bank and also conducted the comprehensive Asset Quality Review of the latter under his stewardship. He was also assigned the responsibility of monitoring the conduct of foreign banks in India. In the area of foreign exchange management, he has been at the helm of formulating Risk Management Guidelines for banks and also Foreign Direct Investment Policy Framework. Earlier, he has also served as Nominee Director in four Regional Rural Banks during his stint in rural credit and planning. Currently, he is posted as the Regional Director, Reserve Bank of India at New Delhi since March 2019 and is fulfilling his responsibilities towards development of the overall banking infrastructure in New Delhi.

Shri Gopal Krishan Agarwal – Director (Non-Executive) – CA Category

(DoB: 1st June, 1962)

Shri Gopal Krishan Agarwal was nominated as Part-time Non-official Director w.e.f. 26.07.2016 by the Central Government u/s 9(3)(g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, under Chartered Accountant category for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) and has experience in financial markets and economic issues. He is a Member of the Managing Committee of PHD Chamber of Commerce. He is a Govt nominee of the Central Council of Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Independent Director on the Board of North Eastern Electric Power Co. (NEEPCO). He is also a member of the Task Force on Financial Architecture of MSME Sector set up by the Ministry of Finance, Government of India. In his previous roles he was member of various committees of ASSOCHAM, Public Finance Committee of the Institute of Chartered Accountant (ICAI) and Secondary Market Advisory Committee (SMAC) of SEBI. He has initiated various public welfare projects like Jaladhikar, Nagrik Manch, Shree Ji Gausadan and Milk Cooperative Movement among many others. He writes for newspaper, financial journals and has delivered lectures in seminars and conferences on these subjects. He is Trustee and Treasurer of Dr Mookherjee Smruti Nyas and India Policy Foundation (IPF), two premier research organizations in the country.

प्रोफेसर बिजू वर्की - निदेशक (गैर कार्यपालक)

(जन्मतिथि : 22 दिसंबर 1965)

प्रो. बिजू वर्की की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) एवं 9(3-ए) के तहत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में 25.04.2016 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गई है.

आपने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ ही एनआईबीएम, पुणे से प्रबंधन में उपाधि प्राप्ति की है. वर्तमान में आप आईआईएम अहमदाबाद में मानव संसाधन प्रबंधन में संकाय सदस्य हैं. इसके अतिरिक्त आप आईआईएमए की ई-पीजीपी टास्क फोर्स के प्रमुख रहे हैं जिसे आईआईएम में लंबी अवधि के लिए वर्चुअल शिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य किया जा रहा है.

आपका व्यवसायिक अनुभव उद्योग, सलाहकार तथा प्रमुख प्रबंधन स्कूलों का रहा है जिसके दौरान आपने आईआईएम लखनऊ और एमडीआई गुड़गांव में पढ़ाया भी है. आपने बहुपक्षीय संस्थानों जैसे आईएलओ, आईओएम, यूएनडीपी और संगठनों जैसे यूएनआईटीईएस और आईटीयूसी के साथ निकटता से कार्य किया है. आपकी शैक्षणिक रुचियों में सामरिक मा.सं., परिवर्तन प्रबंधन, नया लोक प्रबंधन, नेतृत्व विकास, फर्म हेतु मा.सं. वस्तुशिल्प, निष्पादन प्रबंधन और सुधार, लचीले कार्यस्थल, रोजगार संबंध, स्टार्ट-अप और पारिवारिक करोबार परिवर्तन शामिल है. आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन किया है तथा आपने गेरी डेज़लर के साथ सह-लेखक के रूप में 'मानव संसाधन प्रबंधन' पुस्तक भी लिखी है. एवार्ड विनिंग केस स्टडी सहित आपने 30 से अधिक केस स्टडी एवं तकनीकी नोट लिखे हैं. आप सेंटर पीटर्स स्कूल, पंचगणी के न्यासी मंडल और एमसीएमएटी, केरल के शासित समिति के सदस्य भी हैं. आपने नेशनल एचआरडी नेटवर्क- दिल्ली अध्याय (1998-1999) की कोर समिति के नामित सदस्य के रूप में कार्य किया है, इंडिया यंग एचआर सम्मेलन हेतु समिति, एनआईपीएम केरल के वार्षिक एचआर कांक्लेव हेतु तकनीकी समिति की चेयर (2015) आयोजित की है तथा भारतीय सामरिक प्रबंधन फोरम के संस्थापक शासित इकाई के सदस्य भी रहे हैं.

श्री भरत कुमार डी डांगर- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्म तिथि: 18 सितंबर, 1978)

श्री भरत कुमार डी. डांगर को बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24.12.2017 से 23.12.2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया है.

आपकी शैक्षिक योग्यताओं में विद्युत अभियांत्रिकी में डिस्टिंक्शन सहित स्नातक और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम और एप्लिकेशन में विशेषज्ञता के साथ अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री शामिल है. वर्तमान में आप एम.एस यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा के तकनीकी एवं अभियांत्रिकी संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं. आपको विभिन्न कार्पोरेट और एसएमई में एक्सपोज़र के साथ शैक्षणिक, परिचालन, प्रबंधन, लेखाशास्त्र और मानव संसाधन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है. आप वित्तपोषण, फसल बीमा, ऋण सुविधाओं आदि के साथ किसानों के विभिन्न मुद्दों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. आप सरकार के विभिन्न स्तरों पर किसानों एवं उद्योग जगत के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे हैं जिससे संबंधित क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं. आप सामाजिक कल्याण के विभिन्न मामलों के साथ काफी सक्रियता से जुड़े रहे हैं.

Prof. Biju Varkkey – Director (Non-Executive)

(DoB: 22nd December 1965)

Prof. Biju Varkkey was nominated as a Part Time Non-official director w.e.f. 25.04.2016 by the Central Government u/s 9(3)(h) and 9(3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

He obtained Master's degree in Human Resource Management from Mahatma Gandhi University, Kerala and Fellow title in Management from NIBM, Pune. Currently he is faculty member at IIM Ahmedabad with the Human Resource Management. Additionally he heads the e-PGP task force of IIMA, which is mandated to lounge long duration virtual learning programs from IIMA.

His professional experience spans across industry, consulting and leading management schools, having taught at IIM Lucknow and MDI Gurgaon. He works closely with multilateral organizations like ILO, IOM, UNDP and organizations like UNITES and ITUC. His areas of academic interest include Strategic HR, Change Management, New Public Management, Leadership Development, HR Architecture for firms, Performance Management & Improvement, Flexible Work places, Employment Relations, Startups and Family Business transformation. He has published in national and international journals and also co-edited books on HRM practices. He coauthored text book `Human Resource Management' along with Gary Dessler. He has authored more than 30 case studies and technical notes, including award winning case study. He is also a member of the board of trustees of St Peters School, Panchgani and member of governing council of MCMAT, Kerala. He has served as nominated member in the Core Committee of the National HRD Network – Delhi Chapter (1998-1999), organizing committee for India Young HR Conference, Chair of Technical Committee for Annual HR Conclave of NIPM Kerala (2015) and was member of the founding governing body of the Strategic Management Forum of India.

Shri Bharatkumar D. Dangar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 18th September, 1978)

Shri Bharatkumar D. Dangar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2017 to 23.12.2020.

His education accomplishments include Electrical Engineering with distinction and Masters in Engineering with specialization in Microprocessor systems and application. He currently serves as Assistant Professor in Faculty of Technology and Engineering of M.S. University, Baroda. He brings with him a rich experience in fields of Academics, Operations, Management, Accountancy and Human Resource with exposure to various Corporates and SMEs. He is well versed with various farmers' issues including financing, crop insurance, credit facilities etc. He has raised issues of farming community and Industry at various levels of Government which resulted into many improvements in respective fields. He is quite active in issues related to welfare of society at large.

श्रीमती सौंदरा कुमार- निदेशक (गैर-कार्यपालक)-
शेयरधारक निदेशक

(जन्म तिथि: 15 अगस्त, 1954)

श्रीमती सौंदरा कुमार का चयन, बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24.12.2017 से 23.12.2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए, शेयरधारक निदेशक के रूप में किया गया है.

आपने स्टेला मैरिस कॉलेज, चेन्नई से गणित में स्नातक किया है. आपने सीएआईआईबी भी किया है. उन्होंने 1975 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 2014 में अपनी सेवानृवित्त तक कार्यरत रही. इस अवधि के दौरान उन्होंने एसएमई, रिटेल और कृषि एवं ग्रामीण (वित्तीय समावेशन) शाखाओं के शाखा प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया. आप तिरुचिरापल्ली में बैंक के प्रशिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र में संकाय सदस्य के रूप में, चेन्नै सर्कल में क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर, वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टेसिया शाखा, कैलिफोर्निया यूएस, बाद में प्रेसिडेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) एवं बैंक के लॉस एंजल्स एजेंसी के सीईओ के रूप में कार्यरत रही हैं. आप अक्तूबर 2008 से बैंक के सहयोगी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की प्रबंध निदेशक भी रहीं जहां उन्होंने 2010 में इसका सफलता पूर्वक विलय मूल बैंक में करवाया. वर्ष 2014 में अपनी सेवानिवृति तक आप बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन के प्रभारी के रूप में उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहीं.

आपने 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए एसबीआई के होलसेल बैंकिंग क्रेडिट समिति की अध्यक्षता भी की है एवं कार्पोरेट सेंटर निवेश समिति एवं क्रेडिट नीति व प्रक्रिया समिति की भी स्थायी सदस्य रही हैं. आपने वित्तीय समावेशन हेतु कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को ऊपर उठाने हेतु उपाय सिफारिश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यकारी समूह के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है. आप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र के कोर समूह की भी सदस्य रही हैं. आपने एआरसीआईएल, सरसाई, सिडबी वेंचर कैपिटल आदि के निदेशक मंडल में एसबीआई के नामित निदेश के रूप में भी कार्य किया है.

श्री श्रीनिवासन श्रीधर -निदेशक (गैर कार्यपालक)-
शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि : 3 मई, 1960)

श्री श्रीनिवासन श्रीधर शेयरधारक निदेशक के रूप में, बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 12.12.2018 से 11.12.2021 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए निदेशक हैं. आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) किया है और एक सनदी लेखाकार हैं.

श्री श्रीधर 2013 से एक अग्रणी ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म से जुड़े हुए हैं. इस क्षेत्र में वे अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, निदेशक मंडल एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ प्रबंधन कार्यनीति, क्लाइंट कवरेज मॉडल, उत्पाद एवं वितरण कार्यनीति तथा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे विषयों पर कार्य करते हैं.

श्री श्रीधर का देश-विदेश में वित्तीय सेवा विशेषज्ञ के रूप में 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है. वे सिटीग्रुप से 28 वर्षों से जुड़े रहे और एशिया, अफ्रीका व यूरोप के 6 देशों में कार्य किया. उन्होंने सिटीग्रुप के 3 देशों के सीईओ, भारत के कॉर्पोरेट प्रमुख, अफ्रीका में ट्रांजेक्शन सेवाओं के प्रमुख तथा मध्य व पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में बैंकिंग सेवा समूहों के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया. श्री श्रीधर को बैंकिंग तथा कॉर्पोरेट बैंकिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट,

Smt. Soundara Kumar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 15th August, 1954)

Smt. Soundara Kumar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2017 to 23.12.2020.

She has done her graduation in Mathematics from Stella Maris College, Chennai. She is also CAIIB. She joined State Bank of India as a Probationary Officer in 1975 and continued till her retirement in 2014. During this period she held various assignments including heading branches, SME, Retail and Rural & Agriculture (Financial Inclusion). She was also a faculty member in the Bank's Training Centre, at Tiruchirapalli; Regional Manager, Chennai Circle; Senior Vice President, Artesia branch, California US; later as President State Bank of India (California) and CEO of the Los Angeles Agency of the Bank. She was Managing Director of the State Bank of Indore from October, 2008, where she successfully steered the merger of the Bank with the Parent Bank in 2010. She held the position of Dy. Managing Director, in charge of Stressed Assets Management, in SBI till her retirement in 2014.

She has also headed Wholesale Banking Credit Committee of SBI for over -3- years and was a permanent member of Corporate Centre Investment Committee and Credit Policies and Procedures Committee. She served as member of RBI Working Group to recommend measures for scaling up the Business Correspondent (BC) model for Financial Inclusion. She was also a member of Core Group of Corporate Debt Restructuring mechanism set up by RBI. She also served as a nominee director of SBI on the Boards of ARCIL, CERSAI, SIDBI Venture Capital etc.

Shri Srinivasan Sridhar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 3rd May, 1960)

Shri Srinivasan Sridhar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 12.12.2018 to 11.12.2021.

Mr. Sridhar is a B.Com (Hons.) from Delhi University and a Chartered Accountant.

Mr. Sridhar has been associated with a leading global management consulting firm since 2013. In this role he works with CEOs, Boards of Directors and other senior leaders of top Financial Services companies in the region on topics such as Management Strategy, Client Coverage Models, Product and Distribution Strategies, Cost Optimization etc.

Mr. Sridhar is a financial services expert with over 30 years of experience gained internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East and Africa. Mr. Sridhar brings deep banking

गवर्नेंस एवं विनियामक अनुपालन के क्षेत्र में कार्य करने का व्यापक अनुभव है.

श्री श्रीधर मुंबई में रहते हैं तथा वे बॉलीवुड, फुटबॉल एवं वाइल्ड लाइफ जैसे विषयों में रुचि रखते हैं. वे बाल कल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण, सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कार्यों के लिए कार्य करते हैं.

experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

Mr. Sridhar lives in Mumbai and is passionate about Bollywood, Football and Wildlife. The social causes that he cares about are child welfare, economic empowerment, education and health for the under-privileged.

अनुलग्न- 1ए
निदेशकों के अन्य विवरण
(यथा स्थिति 31.03.2019)

Annexure – 1A
OTHER DETAILS OF DIRECTORS:
(Position as on 31.03.2019)

निदेशक का नाम Name of Director	बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of shares of Bank	बैंक की उप समितियों में सदस्यता की संख्या No. of Membership in Sub - Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं में निदेशक के रूप में सेवाएं / संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	अन्य कंपनियों /इकाइयों के निदेशक मण्डल में शामिल अर्थात् बैंक को छोड़कर Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
डॉ. हसमुख अढ़िया Dr. Hasmukh Adhia	शून्य Nil	4	0	शून्य NIL
श्री पी एस जयकुमार Shri P. S. Jayakumar	81500	14	0	1. बॉब कैपिटल मार्केट्स लि. 2. बॉब फायनेंशियल सोल्यूशन्स लिमिटेड 3. मेसर्स इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. 4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लि. 1. BOB Capital Markets Limited 2. BOB Financial Solutions Limited 3. IndiaFirst Life Insurance Company Ltd. 4. Bank of Baroda (UK) Ltd.
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता Smt. Papia Sengupta	शून्य Nil	13	6	1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि. 3. दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लिमि. 4. बॉब कैप्स मार्केट लि. 5. इंडिया इंफ्राडेब्ट लि. 1. Bank of Baroda (Botswana) Limited 2. Bank of Baroda (Ghana) Limited 3. The New India Assurance Company Limited 4. BOB Caps Market Limited 5. India Infradebt Limited
श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	शून्य Nil	15	0	1.बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि. 2.बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लि. 1. Baroda Global Shared Services Limited 2. Barodasun Technologies Ltd
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	शून्य Nil	12	1	1.इंडिया फस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लि. 3. बॉब फायनेंशियल सॉल्यूशन्स लि. 1. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 2. Baroda Asset Management India Limited 3. BOB Financial Solutions Limited
श्री देबाशीष पांडा Shri Debasish Panda	शून्य Nil	5	0	शून्य NIL
श्री अजय कुमार Shri Ajay Kumar	शून्य Nil	4	0	शून्य NIL

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल Shri Gopal Krishan Agarwal	शून्य Nil	5	3	1. प्रोफेशनल डाटा सिस्टम प्रा. लि. 2. गंगोत्री ओवरसीज़ प्रा. लि. 3. जेनुयिन क्रिएसंस प्रा. लि. 4. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लि. 5. जलाधिकार फॉउन्डेशन 1. Professional Data System Private Limited 2. Gangotri Overseas Private Limited 3. Genuine Creations Private Limited 4. North Eastern Electric Power Corporation Limited 5. Jaladhikar Foundation
श्री बिजू वर्क्की Prof. Biju Varkkey	शून्य Nil	6	3	1. कॉनेक्ट सीएसआर इंपैक्टर्स प्रा. लि. 2. हसीस कंसल्टिंग लि. 3. एस्टर डीएम हेल्थकेयर 1. Konnect CSR Impactors Private Limited 2. Husys Consulting Limited 3. Aster DM Healthcare
श्री भरतकुमार डी. डांगर Shri Bharatkumar D. Dangar	500	6	0	1. इन्टरनेशनल एंड डोमेस्टिक आरबीट्रेशन सेंटर 1. International and Domestic Arbitration Centre
श्रीमती सौंदरा कुमार Smt. Soundara Kumar	200	7	8	1. राजपल्लयम मिल्स लिमि. 2. तामिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमि. 3. ओर्किड फार्मा लिमि. 4. शांति गियर्स 5. रामको सिस्टम्स लिमि. 6. सुंदरम ट्रस्टी कं. लिमि. 7. सुंदरम बीएनपी परिबास फंड सर्विसेज़ लिमि. 1. Rajapalayam Mills Limited 2. Tamilnadu Newsprint and Papers Limited 3. Orchid Pharma Limited 4. Shanthi Gears 5. Ramco Systems Limited 6. Sundaram Trustee Company Limited 7. Sundaram BNP Paribas Fund Services Limited
श्री श्रीनिवासन श्रीधर Shri Srinivasan Sridhar	500	5	20	1. ओरेकल फायनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लि. 2. इंडिया फैक्ट्रींग एवं फायनेंस सॉल्यूशन्स प्रा. लि. 3. स्मॉल बिजनेस फिनक्रेडिट इंडिया प्रा. लि. 4. इंडी होमफिन प्रा. लि. 5. एफआईएनसीए बैंक जॉर्जिया 6. विवृति कैपिटल प्रा. लि. 7. विवृति एसेट मैनेजमेंट प्रा. लि. 1. Oracle Financial Services Software Limited 2. India Factoring and Finance Solutions Private Limited 3. Small Business Fincredit India Private Limited 4. Indie Homefin Private Limited 5. FINCA Bank Georgia 6. Vivriti Capital Private Limited 7. Vivriti Asset Management Private Limited

घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र.

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 26 (3) के अनुसार ''बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता'' के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दि. : 22 मई 2019

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V – Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the "Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel" for the Financial Year Ended on 31st March, 2019 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

P. S. Jayakumar

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 22nd May 2019

फॉर्म संख्या एमआर- 3
सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 09 से सहमत होते हुए]

Form No. MR – 3
Secretarial Audit Report

For the financial year ended March 31, 2019
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

प्रति
सदस्य
बैंक ऑफ बड़ौदा

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **बैंक ऑफ बड़ौदा** (इसके बाद जिसे बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन हेतु 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवालय लेखापरीक्षा करवाई थी. सचिवालय लेखापरीक्षा इस तरह से की है कि कॉर्पोरेट आचरणों /सांविधिक अनुपालनों और उस पर हमारे विचारों के मूल्यांकन के लिए व्यवहार्य आधार उपलब्ध हो सके.

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी कागजातों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनधियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च 2019(लेखापरीक्षा अवधि) को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा बैंक के पास निम्नलिखित तरीके और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली भी है :

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त से संबंधित कागजातों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियमों (जहां तक लागू हो);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसमें उल्लिखित नियमों;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उस में उल्लिखित विनियमों और उप कानूनों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों से संबंधित उल्लिखित लागू विनियमों;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत प्रस्तावित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों :-

ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (शेयरों का तात्विक अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011.

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015

सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018

डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

ई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2008

एफ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम एवं क्लाइंटों से डील करने के संदर्भ में (जहां तक लागू हो)

जी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर सूचीयन) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं); और

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज विनियम,1998 का बायबैक; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं);

आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; तथा

(vi) हमने बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा बैंक के लिए लागू व्यवस्थाओं और विनियमों के तहत अन्य अनुपालन अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विश्वास किया है.

हमारा यह मानना है कि प्रबन्धन ने विशेष तौर से बैंक के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है.

1). बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम ')

2) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

To,
The Members
BANK OF BARODA

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of Baroda** (hereinafter called the Bank) for the year ended on March 31, 2019. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2019 (Audit Period) complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended March 31, 2019 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder *(to the extent applicable);*

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act,1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client *(to the extent applicable.)*

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of equity shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period); and

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities Regulations, 1998; (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; and

(vi) We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.

We are of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Bank:

1) The Banking Regulation Act, 1949 ('the Act')

3) बैककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

4) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक को नियंत्रित करने वाला विशेष प्रावधान हैं, चूंकि बैंक संसद के अधिनियम के अंर्तगत गठित एक कॉर्पोरेट संस्था है.

हमने लागू निम्नलिखित धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय सचिव संस्थान के द्वारा जारी सचिवीय मानक.

(ii) बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया सूचीयन करार.

समीक्षा अवधि के दौरान बैंक नें उपर्युक्त उल्लिखत अभिमतों के अधीन अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

(ए) हमने पाया है कि आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 (ए) (1) (सी) के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा पर स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रणों के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों की अवमानना के लिए रू 40 मिलियन (रूपए चालीस मिलयन) का जुर्माना लगाया गया है.

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 (ए) (1) (सी) के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा पर इसके एक उधारकर्ता के खाते की जांच करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अवमानना के लिए रू 10 मिलियन (रूपए दस मिलयन) का जुर्माना लगाया गया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

बैंक का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए बदलाव भारत सरकार की अधिसूचनाओं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.

वर्ष के दौरान बैंक के प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1) अधिसूचना सं. एफ.नं.4/1/2019-बीओ.आई के माध्यम से डॉ. हसमुख अढ़िया की नियुक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के अशंकालिक गैर-शासकीय निदेशक तथा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में 01 मार्च, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, की गई है.

2) बैंक के अध्यक्ष (गैर-कार्यपालक) व निदेशक के रूप में श्री रवि वेंकटेसन का कार्यकाल 14 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गया है.

3) दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की अधिसूचना सं एफ.नं.4/2/2015-बीओ.आई के माध्यम से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री पी एस जयकुमार का कार्यकाल अगले 1 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 12 अक्तूबर, 2019 तक बढ़ा दिया गया है.

4) बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अशोक कुमार गर्ग 1 जुलाई, 2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं.

5) बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री मयंक के मेहता 01 अक्तूबर, 2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं.

6) दिनांक 20 सितंबर, 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की अधिसूचना सं. एफ.नं. 4/5/2018-बीओ.आई के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के महाप्रबंधक श्री शांति लाल जैन को 20 सितम्बर, 2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप नियुक्त किया गया है.

7) दिनांक 26 सितंबर, 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की अधिसूचना सं. एफ.नं. 4/5/2018-बीओ.आई के माध्यम से देना बैंक के महाप्रबंधक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची को 01 अक्तूबर, 2018 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप नियुक्त किया गया है.

8) श्री लोक रंजन के स्थान पर श्री देबाशीष पांडा को 5 अप्रैल, 2018 से भारत सरकार के नामिति निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

9) दिनांक 12 दिसंबर 2018 से एक शेयरधारक निदेशक के रूप में सुश्री उषा ए नारायणन के कार्यकाल की समाप्ति.

10) दिनांक 10 दिसंबर, 2018 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, दिनांक 12 दिसंबर, 2018 को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में श्री श्रीनिवासन श्रीधर की नियुक्ति.

बोर्ड बैठकों को शिड्यूल करने हेतु सभी निदेशकों को यथोचित सूचना दी गई और सभी निदेशकों को एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया और बैठक से पहले और एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध है.

अधिकांश निर्णयों पर सहमति बनी, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप

2) The Reserve Bank of India Act, 1934

3) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

4) The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, being the special provisions governing the Bank, since the Bank is a body corporate constituted under the Act of Parliament.

We have also examined compliance with applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations.

(a) *We have observed that RBI under Section 47(A)(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act,1949, has imposed a penalty of Rs.40 million (Rupees forty million only) on Bank of Baroda for non-compliance of RBI directives for time bound implementation & strengthening of SWIFT related operational controls.*

(b) *Reserve Bank of India under section 47(A)(1)(c) read with section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 10 million (Rupees ten million only) on Bank of Baroda for non-compliance of Reserve Bank of India guidelines on scrutiny of one of its borrower account.*

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out vide Government of India notifications and in compliance with the provisions of the Act.

During the year following changes took place in the Management of the Bank:

1) Appointment - Dr. Hasmukh Adhia as part-time non-official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of Bank of Baroda vide notification no.F.No.4/1/2019-BO.I with effect from 1st March, 2019 for the tenure of three years or until further orders, whichever is earlier.

2) Completion of tenure of Shri Ravi Venkatesan as Chairman (Non-Executive) Director of the Bank with effect from 14th August, 2018.

3) Extension of term of office of Shri P S Jayakumar as Managing Director and CEO of Bank for a further period of 1 year i.e. till 12th October, 2019 vide Central Government Notification no. F. No. 4/2/2015-BO.I issued by Ministry of Finance dated 11th October, 2018.

4) Superannuation of Shri Ashok Kumar Garg as an Executive Director of the Bank with effect from 1st July, 2018.

5) Superannuation of Shri Mayank K. Mehta as an Executive Director of the Bank with effect from 01st October, 2018.

6) Appointment of Shri Shanti Lal Jain, General Manager, Allahabad Bank as an Executive Director of the Bank with effect from 20th September, 2018 vide Central Government Notification no. F.No.4/5/2018-BO.I issued by Ministry of Finance dated 20th September, 2018.

7) Appointment of Shri Vikramaditya Singh Khichi, General Manager, Dena Bank as an Executive Director of the bank with effect from 1st October, 2018 vide Central Government Notification no. F.No.4/5/2018-BO.I issued by Ministry of Finance dated 26th September, 2018.

8) Nomination of Shri Debasish Panda as GOI Nominee Director in place of Shri Lok Ranjan with effect from 5th April, 2018.

9) Completion of tenure of Ms. Usha A Narayanan as a Shareholder Director with effect from 12th December, 2018.

10) Appointment of Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank with effect from 12th December, 2018 pursuant to resolution passed in Extra Ordinary general Meeting held on 10th December, 2018

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

में रिकॉर्ड किया गया है.

हम इसके अलावा रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में इसके आकार और परिचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और को सुनिश्चित करते हैं.

हम इसके अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान, बैंक में ऐसी विशिष्ट घटनाएं या कार्य रहे हैं जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण से संबंधित हैं:

1) बैंक ने 27 मार्च 2018 को प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह को रू 2/- प्रत्येक के 341356534 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं और दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के प्रभाव से स्टॉक एक्सचेंजों से लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन प्राप्त किया है.

2) रू 500.00 करोड़ के कुल योग का कॉल ऑप्शन / रिडेम्पशन ऑफ़ टियर II बॉन्ड सीरीज़ X 12 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा.

3) दिनांक 28 सितंबर, 2018 को बड़ौदा पायनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (बीपीएएमसी) और बड़ौदा पायनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के 51% शेयरहोल्डिंग के अधिग्रहण का कार्य पूरा किया गया. यूनिक्रेडिट और एस.पी.ए. बीपीएएमसी और बड़ौदा पायनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाला अनुषंगी बने.

4) बैंक के निदेशक मंडल ने 29 नवंबर, 2018 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना (''बीओबी-ईएसपीएस'') के तहत अपने कर्मचारियों को 10,00,00,000 नए इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है. इसे 21 जनवरी, 2019 को आयोजित एक असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया है.

5) दिनांक 07 दिसंबर 2018 को 17 आबंटितों को रू 10,00,000 / - प्रत्येक (अनसिक्योर्ड, रिडीमेंबल) के अंकित मूल्य के 9715 8.42% बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंप्लेंट टियर II बांड - सीरीज़ XVIII का आबंटन किया गया और इसके लिए दिनांक 12 दिसंबर, 2018 तथा 14 दिसंबर, 2018 के प्रभाव से एनएसई तथा बीएसई पर लिस्टिंग का अनुमोदन प्राप्त किया गया.

6) बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 सितंबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 17 सितंबर, 2018 के पत्र के माध्यम से वैकल्पिक मेकेनिज्म पैनल द्वारा इसकी सहमति दी गई.

7) बैंक ऑफ़ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन की योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 2 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, और यह 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगी.

8) दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को 6 आबंटियों को रु10,00,000 / - प्रत्येक (अनसिक्योर्ड, रिडीमेंबल) के अंकित मूल्य के 2400 8.40% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट टियर II बांड - सीरीज XIX का आबंटन किया गया तथा इसके लिए दिनांक 27 दिसंबर, 2018 तथा दिनांक 28 दिसंबर, 2018 के प्रभाव से एनएसई तथा बीएसई पर लिस्टिंग का अनुमोदन प्राप्त किया गया.

9) आईपीडीआई बॉन्ड सीरीज I का कॉल ऑप्शन / रिडेम्पशन की कुल राशि रु 300.20 करोड़ है. यह दिनांक 30 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा.

10) दिनांक 10 जनवरी, 2019 को 5 आबंटियों को रु10,00,000 / - प्रत्येक (अनसिक्योर्ड, रिडीमेंबल) के अंकित मूल्य के 2850 8.60% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट टियर II बांड - सीरीज XX का आबंटन किया गया तथा इसके लिए क्रमशः दिनांक 14 जनवरी, 2019, दिनांक 15 जनवरी, 2019 के प्रभाव से एनएसई तथा बीएसई पर लिस्टिंग का अनुमोदन प्राप्त किया गया.

11) टियर II बॉन्ड सीरीज़ IX का कॉल ऑप्शन / रिडेम्पशन की कुल राशि रु1000.00 करोड़ है. यह दिनांक 05 मार्च, 2019 से प्रभावी होगा.

12) वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी दिनांक 27 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 30 के अनुसार इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन (विशेष प्रतिभूतियों/ बांड) के द्वारा रु 5,042 करोड़ के पूंजी लगाने संबंधी अपने निर्णय से अवगत कराया.

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
रागिनी चोकशी

(साझेदार)
सी.पी.नंबर 1436
एफ़सीएस नंबर 2390

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 13, 2019

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1) The Bank has allotted 341356534 Equity Shares of Rs. 2/- each to Promoter and Promoter Group on 27th March, 2018 and has obtained Listing and Trading Approval from Stock Exchanges with effect from 10th April, 2018.

2) Call option/Redemption of Tier II Bond Series X aggregating Rs. 500.00 Cr. With effect from 12th April, 2018.

3) Completion of Acquisition of 51% Shareholding of Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (BPAMC) and Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt. Ltd. on 28th September, 2018 from UniCredit S.P.A. BPAMC and Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt. Ltd. becomes the Wholly Owned Subsidiary of Bank.

4) Board of Directors of the Bank has approved issuance of 10,00,00,000 fresh Equity Shares to its employees under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS") in their Board meeting held on 29th November, 2018 and the same has been approved by shareholders in an Extra-Ordinary general meeting held on 21st January, 2019.

5) Allotment of 9715 8.42% - Bank of Baroda – Basel III Compliant Tier II Bonds – Series XVIII of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) to 17 allottees on 07th December, 2018 and has obtained Listing approval for the same on NSE & BSE with effect from 12th December, 2018 & 14th December, 2018.

6) Board of Directors of bank has granted In-principle approval for amalgamation of Vijaya bank and Dena Bank with Bank of Baroda in their meeting held on 29th September, 2018 and the same has been accorded by Alternative Mechanism panel vide their letter dated 17th September, 2018 issued by ministry of Finance.

7) Scheme of Amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda have been notified by ministry of finance vide their notification dated 2nd January, 2019 published in the official Gazette of India and the same shall come into force on 1st April, 2019.

8) Allotment of 2400 8.40% - Bank of Baroda – Basel III Compliant Tier II Bonds – Series XIX of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) to 6 allottees on 20th December, 2018 and has obtained Listing approval for the same on NSE with effect from 27th December, 2018 & BSE with effect from 28th December, 2018.

9) Call option/Redemption of IPDI Bond Series I aggregating Rs. 300.20 Cr. With effect from 30th January, 2019.

10) Allotment of 2850 8.60% - Bank of Baroda – Basel III Compliant Tier II Bonds – Series XX of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) to 5 allottees on 10th January, 2019 and has obtained Listing approval for the same on NSE & BSE with effect from 14th January, 2019 & 15th January, 2019 respectively.

11) Call option/Redemption of Tier II Bond Series IX aggregating Rs. 1000.00 Cr. With effect from 05th March, 2019.

12) Pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR)Regulations,2015 Ministry of Finance ,Government of India vide its notification dated 27th March, 2019 has conveyed its decision towards Capital Infusion of Rs.5,042 Crore by way of Preferential Allotment of Equity shares (Special Securities/Bonds)

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Ragini Chokshi

(Partner)
C.P.NO.1436
FCS NO. 2390

Place: Mumbai
Date: May 13, 2019

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक
Key Financial Indicators

क्र. सं. S. No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	6.62%	6.31%	6.27%	6.35%	7.26%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	4.59%	4.49%	4.26%	4.09%	4.54%
3	निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM)	2.31%	2.05%	2.19%	2.43%	2.72%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	2.03%	1.83%	2.01%	2.26%	2.71%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	0.68%	0.72%	1.00%	0.97%	0.88%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	1.18%	1.28%	1.38%	1.48%	1.64%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	43.63%	50.30%	45.86%	45.87%	45.56%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	1.53%	1.26%	1.63%	1.75%	1.96%
9	निवल लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	0.52%	-0.77%	0.21%	-0.35%	0.06%
10	निवल मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	9.21%	-17.64%	4.53%	-7.64%	1.18%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.48%	-0.80%	0.20%	-0.34%	0.06%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	0.49%	-0.78%	0.20%	-0.34%	0.06%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	8.11%	7.35%	7.27%	7.13%	7.65%
14	जमाराशियों की लागत Cost of Deposits	5.18%	5.05%	4.78%	4.50%	4.68%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	25.06%	0.00%	24.06%	0.00%	0.00%
16	ऋण-जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio	84.82%	78.29%	71.86%	76.92%	80.27%
17	ऋण + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) / जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) /Deposit Ratio	89.15%	81.37%	74.44%	79.83%	83.01%
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल II Capital Adequacy Ratio - BASEL II	13.33%	14.20%	-	-	-
	टीयर - I Tier - I	10.14%	11.21%	-	-	-
	टीयर - II Tier - II	3.20%	2.99%	-	-	-
19	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III Capital Adequacy Ratio - BASEL III	12.60%	13.17%	12.24%	12.13%	13.42%
	टीयर - I Tier - I	9.87%	10.79%	9.93%	10.46%	11.55%
	टीयर - II Tier - II	2.73%	2.38%	2.31%	1.67%	1.87%

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	49378	52021	52420	55662	55754
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)	5250	5390	5481	5526	5598
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड में) Business per employee (₹ in crore)	18.89	16.80	17.49	17.66	18.88
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (₹ करोड में) Average Business per employee (₹ in crore)	18.48	18.90	17.91	17.71	18.65
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाखों में) Gross Profit per employee (₹ in lakh)	20.08	16.95	20.94	21.57	24.19
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाखों में) Net Profit per employee (₹ in lakh)	6.88	-10.37	2.64	-4.37	0.78
7	प्रति शाखा व्यवसाय (₹ करोड में) Business per branch (₹ in crore)	199.17	177.70	179.70	184.36	197.84
8	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड में) Gross Profit per branch (₹ in crore)	1.89	1.64	2.00	2.17	2.41
9	प्रति शाखा निवल लाभ (₹ करोड में) Net Profit per branch (₹ in crore)	0.65	-1.00	0.25	-0.44	0.08
10	प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings per share (₹)	15.83*	-23.89	6.00	-10.53	1.64
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (₹) Book Value per share (₹)	166.83*	132.74*	132.46	120.28	138.42

स्रोत: विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (जहां उपयुक्त लगा, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत / पुनःवर्गीकृत किया गया है) @ ₹ 2/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर
Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)*@ after equalization of face value of₹ 2/- per share

परिभाषाएं /Definitions

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	:	कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत;	**Average Working Funds (AWF)**	:	Fortnightly/Daily average of total assets
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत;	**Average Deposits**	:	Fortnightly/Daily average of total deposits
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;	**Average Advances**	:	Fortnightly/Daily average of total advances
औसत व्यवसाय	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग;	**Average Business**	:	Total of Average Deposits & Average Advances
औसत निवेश	:	कुल निवेशों का पाक्षिक औसत;	**Average Investments**	:	Fortnightly/Daily average of total investments
ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)	:	कुल ब्याज आय का औसत विभाजित करें कार्यशील निधियों से;	**Interest Income/AWF**	:	Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;	**Interest Expenses/AWF**	:	Total interest expenses Divided by AWF
ब्याज विस्तार/एडब्लूएफ	:	(कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) विभाजित करें एडब्यूएफ से;	**Interest Spread/AWF**	:	(Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	**Non-Interest Income/ AWF**	:	Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालन व्यय	:	कुल खर्च घटाएं ब्याज खर्च	**Operating Expenses**	:	Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	**Operating expenses/ AWF**	:	Operating expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	:	परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;	**Cost Income Ratio**	:	Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	:	परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	**Gross (Operating) Profit/AWF**	:	Operating profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	**Net Profit/AWF**	:	Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत से (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि को छेडकर);	**Return on Net Worth**	:	Net Profit Divided by Net Worth (excluding revaluation reserves,FCTR & Deferred Tax Assets)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;	**Return on Assets**	:	Net Profit Divided by Total Assets
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें औसत आस्तियों से;	**Return on Average Assets**	:	Net Profit Divided by Average Assets
अग्रिमों पर प्रतिफल	:	अग्रिमों पर अर्जित ब्याज विभाजित करें औसत अग्रिम से;	**Yield on Advances**	:	Interest earned on Advances Divided by Average Advances
जमाराशियों की लागत	:	जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज विभाजित करें औसत जमाराशियों से;	**Cost of Deposits**	:	Interest paid on Deposits Divided by average deposits
लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)	:	लाभांश, कार्पोरेट लाभांश कर सहित; विभाजित करें शुद्ध लाभ से;	**Dividend Payout Ratio (including corporate Dividend Tax)**	:	Dividend including corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
ऋण जमा अनुपात	:	कुल अग्रिम विभाजित करें ग्राहकों की जमाराशियों से (अर्थात कुल जमाराशियां - घटायें अंतर बैंक जमा राशियां)	**Credit - Deposit Ratio**	:	Total advances Divided by Customer Deposits (i.e Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छेडकर) - जमाराशि अनुपात;	:	(कुल अग्रिम + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश - घटायें अनुषंगी इकाइयों में निवेश) विभाजित करें ग्राहकों की जमाओं से;	**Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio**	:	(Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries) Divided by Customer Deposits
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	:	समग्र जमाराशियां + कुल अग्रिम विभाजित करें, कर्मचारियों की कुल संख्या से	**Business Per Employee**	:	Core Deposits plus Net Advances Divided by Total No. of employees
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	:	औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम/विभाजित करें कर्मचारियों की कुल संख्या से	**Average Business Per employee**	:	Average Deposits plus average advances divided by Total No. of employees
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	सकल लाभ को विभाजित करें, कर्मचारियों की कुल संख्या से;	**Gross Profit Per Employee**	:	Gross Profit Divided by Total No. of employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ को विभाजित करें कर्मचारियों की कुल संख्या से;	**Net Profit Per Employee**	:	Net Profit Divided by total No. of employees
प्रति शाखा कारोबार	:	कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	**Business Per Branch**	:	Total Deposits plus total advances divided by No. of Branches
प्रति शाखा सकल लाभ	:	सकल लाभ को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	**Gross Profit Per Branch**	:	Gross Profit Divided by No. of Branches
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	**Net Profit Per Branch**	:	Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	:	शुद्ध लाभ को विभाजित करें अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से	**Earning Per Share**	:	Net Profit divided by number of outstanding shares adjusted for face value
प्रति शेयर बही मूल्य	:	शुद्ध मालियत {पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि + एफसीटीआर + डीटीए (वित्तीय वर्ष 15, 16, 17 एवं 18 के लिए) अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित}	**Book Value Per Share**	:	Net Worth [excluding revaluation reserves+FCTR + DTA (for FY'15,16, 17 & 18) divided by number of outstanding shares adjusted for face value.

*जहां भी दैनिक औसत का उल्लेख हुआ है, वे मार्च 2017, मार्च 2018 एवं मार्च 2019 से संबद्ध हैं.

*Wherever daily averages are mentioned, they relate to March 2017, March 2018 & March 2019

31 मार्च, 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा का संक्षिप्त तुलन-पत्र
Abridged Balance Sheet of Bank of Baroda as on March 31, 2019

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year 31st March 2019	पिछला वर्ष Previous Year 31st March 2018
पूंजी और देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**		
पूंजी	**Capital**		
इक्विटी	Equity	530,36,44	530,36,44
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	**Share Application Money Pending Allotment**	5042,00,00	-
प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष	**Reserve & Surplus**		
सांविधिक प्रारक्षित निधियां	Statutory Reserves	9423,13,75	9314,75,68
पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	Capital Reserves	6077,67,16	4509,55,62
शेयर प्रीमियम	Share Premium	16035,73,80	16035,73,80
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	Revenue & Other Reserves	13874,18,58	13004,35,65
जमाराशियां	**Deposits**		
मांग-जमाराशियां	Demand Deposits	46900,72,61	46061,86,65
बचत बैंक जमाराशियां	Saving Bank Deposits	176893,64,72	165716,70,38
मीयादी जमाराशियां	Term Deposits	414895,34,39	379536,25,21
उधार ली गयी राशियां	**Borrowings**		
भारत में उधार ली गयी राशियां	Borrowings in India		
ए) भारतीय रिजर्व बैंक से	a) from Reserve Bank of India	27500,00,00	26529,00,00
बी) अन्य बैंकों से	b) from other Banks	7321,70,32	7773,59,94
सी) अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	c) from other institutions and agencies	4452,85,75	3452,50,55
डी) ऋण लिखत	d) Debt Instruments	12418,00,00	12261,70,00
भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां	Borrowings outside India	15508,73,71	12555,16,70
अन्य देयताएं और प्रावधान	**Other Liabilities & Provisions**		
देय बिल	Bills Payable	1889,89,97	1994,91,51
अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	Inter-office Adjustments (net)	2561,49,48	568,29,77
उपचित ब्याज	Interest Accrued	3615,09,63	3342,73,31
मानक आस्तियों के पेटे प्रावधान	Provisions towards Standard Assets	3153,12,25	3159,22,06
अन्य	Others	12893,67,93	13653,03,89
कुल पूंजी और देयताएं	**TOTAL CAPITAL & LIABILITIES**	**780987,40,49**	**719999,77,16**

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year 31st March 2019	पिछला वर्ष Previous Year 31st March 2018
आस्तियां	**ASSETS**		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	**Cash & Balance with Reserve Bank of India**	**26661,72,83**	**22699,63,98**
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**Balance with Banks & Money at call & short notice**		
भारत में बैंकों के पास शेष रकम	Balance with banks in india	4518,09,48	5069,82,18
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Money at call & short notice in India	-	4900,00,00
भारत से बाहर शेष रकम	Balances outside india	58049,79,23	60227,91,73
निवेश	**Investments**		
भारत में	**In India**		
ए) सरकारी प्रतिभूतियां	a) Government Securities	158903,83,87	140778,47,34
बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	b) Other approved Securities	1,28,00	1,28,00
सी) शेयर	c) Shares	2265,74,03	1858,51,32
डी) डिबेंचर एवं बॉण्ड	d) Debentures & Bonds	6113,94,32	6619,04,65
ई) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम	e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	1424,52,82	1110,17,45
एफ) अन्य	f) Others	2037,47,93	3645,41,07
भारत से बाहर	Outside India	11551,27,21	9171,63,22
अग्रिम	**Advances**		
भारत में	**In India**		
ए) खरीदे गये एवं बट्टाकृत बिल	a) Bills purchased & discounted	3125,31,12	3498,72,33
बी) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	b) Cash Credit, overdraft & loans repayable on demand	174822,46,38	165472,29,21
सी) मीयादी ऋण	c) Term Loans	192237,20,18	155267,48,48
भारत से बहार	Outside India	98633,75,94	103193,33,11
अचल आस्तियां	Fixed Assets	6990,29,54	5367,39,22
अन्य आस्तियां	**Other Assets**		
उपचित ब्याज	Interest Accrued	6001,81,53	7921,51,66
अग्रिम / स्त्रोत पर कर भुगतान	Tax paid in advance / at source	5881,92,01	2007,24,56
आस्थगित कर देयता (निवल)	Deferred Tax Assets (net)	7408,37,98	6333,17,73
अन्य	Others	14358,56,09	14856,69,92
कुल आस्तियां	**TOTAL ASSETS**	**780987,40,49**	**719999,77,16**

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year 31st March 2019	पिछला वर्ष Previous Year 31st March 2018
आकस्मिक देयताएं	**Contingent Liabilities**		
बैंक से किए गए दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया	Claims against the bank not acknowledged as debts	2919,27,09	211,11,97
बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	Liability on account of outstanding Forward Exchange contracts	260637,25,52	170806,17,73
ग्राहकों के लिए दी गयी गारंटियां	Guarantees given on account of constituents	30702,32,65	39818,88,69
स्वीकृतियां,परांकन और अन्य दायित्व	Acceptances, endorsements & other obligations	22433,77,30	21378,12,86
आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें जिनके लिए बैंक उत्तरदायी है	Other items for which the Bank is contingently liable	63620,35,90	66012,35,06
संग्रहण हेतु बिल	**Bills for Collection**	**49059,93,06**	**45779,69,17**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ़ बड़ौदा का संक्षिप्त लाभ एवं हानि खाता
Abridged Profit & Loss Account of Bank of Baroda for the year ended March 31, 2019

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year 31st March 2019	पिछला वर्ष Previous Year 31st March 2018
आय	INCOME		
अर्जित ब्याज	**Interest Earned**		
अग्रिमों / बिलों पर	On advances/bills	34388,96,60	29069,82,12
निवेशों पर	On investments	12786,71,55	10420,15,69
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष तथा अंतर बैंक निधियां	On balances with RBI and inter Bank funds	1735,20,36	2414,78,95
अन्य	Others	1063,22,42	1743,77,42
अन्य आय	**Other Income**		
कमीशन, विनिमय और दलाली	Commission, exchange & Brokerage	1989,44,63	1784,53,59
निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ	Net profit on sale of investments	989,45,50	1877,61,85
भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	Net profit on sale of land building & other assets	15,35,54	69,59,40
विनिमय लेन-देन पर निवल लाभ	Net profit on Exchange transactions	693,15,01	909,21,76
विदेशों में/ भारत में अनुषंगियों/ कंपनियों और या विदेशी/ भारतीय संयुक्त उध्यमों से लाभांश आदि के रूप में प्राप्त आय	Income by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or JVs abroad/in India	154,08,40	133,38,34
विविध आय	Miscellaneous Income	2249,50,07	1882,80,33
कुल आय	**TOTAL INCOME**	**56065,10,08**	**50305,69,45**
व्यय	**EXPENDITURE**		
ब्याज व्यय	**Interest Expended**		
जमा-राशियों पर	On Deposits	27621,10,58	26007,94,39
भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधार-राशियों पर	On RBI/Inter Bank borrowings	2110,75,56	575,84,86
अन्य	Others	1558,43,90	1542,97,44
परिचालन व्यय	**Operating expenses**		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	Payment & Provision for employees	5039,13,18	4606,87,16
किराया कर एवं लाइटिंग	Rent taxes & lighting	1038,66,97	1011,08,39
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & stationery	80,76,51	76,64,59
विज्ञापन एवं प्रचार	Advertisement & publicity	103,94,99	117,24,93
बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Bank's property	910,37,91	863,07,79
निदेशकों को शुल्क, भत्ते एवं खर्च	Director's fees, allowances & expenses	1,59,66	1,22,55
शाखा लेखापरीक्षकों सहित लेखापरीक्षकों की फीस व खर्च	Auditors fees, expenses incl. branch auditors	60,68,07	56,40,86
विधिक प्रभार	Law charges	159,76,38	90,50,35
डाक तार, टेलीफ़ोन आदि	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	107,45,53	156,12,51
मरम्मत एवं रख-रखाव	Repairs & Maintenance	922,82,58	741,81,83
बीमा	Insurance	700,06,21	610,16,65
अन्य	Others	2162,69,82	1842,19,35
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	**Provisions & Contigencies**		
निवेशों के मूल्यह्रास पर प्रावधान	Provision for Depreciation on investments	158,62,32	768,19,72
अनजर्क आस्तियों के पेटे प्रावधान	Provision towards non performing assets	12192,39,70	14211,71,96
मानक आस्तियों के पेटे प्रावधान	Provision towards standard assets	(35,49,49)	(369,01,81)
अन्य (आयकर को छोडकर)	Others (excluding income taxes)	473,14,74	185,40,24
कुल व्यय और प्रावधान	**TOTAL EXPENSES AND PROVISIONS**	**553,66,95,12**	**530,96,43,76**
कर से पहले लाभ / हानि	**Profit/Loss before Tax**	**698,14,96**	**(2790,74,31)**
वर्तमान कर	Current Tax	1282,61,22	1664,24,35
आस्थगित कर	Deferred Tax	(1017,98,51)	(2023,17,44)

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year 31st March 2019	पिछला वर्ष Previous Year 31st March 2018
कर के पश्चात लाभ / हानि	**Profit / Loss after Tax**	433,52,25	(2431,81,22)
माइनॉरिटि इंटरेस्ट डेबिट करने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ / हानि	**Net Profit/loss for the year before deducting minority Interest**	**433,52,25**	(2431,81,22)
वर्ष के लिए समूह का समेकित निवल लाभ/ हानि	Net Profit/Loss for the year attributable to Group	**433,52,25**	(2431,81,22)
कुल	**Total**	**433,52,25**	**(2431,81,22)**
विनियोजन	**Appropriations**		
सांविधिक प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Statutory Reserves	**108,38,06**	-
अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to other Reserves	**325,14,19**	(2431,81,22)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा का संक्षिप्त नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Abridged Cash Flow Statement of Bank of Baroda

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year 31st March 2019	पिछला वर्ष Previous Year 31st March 2018
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	A. Cash Flow from operating Activities	**(4119,62,81)**	(61087,83,91)
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	B. Cash Flow from Investing Activities	**(3957,05,16)**	(563,34,82)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	C. Cash Flow from Financing Activities	**4408,91,62**	4078,65,37
नकदी / समतुल्य नकदी में निवल वृद्धि (ए+बी+सी)	Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	**(3667,76,35)**	(57572,53,36)
01 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य	**Cash & Cash equivalents as at April 01**	**92897,37,89**	**150469,91,25**
31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य	**Cash & Cash equivalents as at March 31**	**89229,61,54**	**92897,37,89**

निदेशक
DIRECTORS

डॉ. हसमुख अढ़िया
अध्यक्ष
Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

पापिया सेनगुप्ता
कार्यपालक निदेशक
Papia Sengupta
Executive Director

शांति लाल जैन
कार्यपालक निदेशक
Shanti Lal Jain
Executive Director

विक्रमादित्य सिंह खीची
कार्यपालक निदेशक
Vikramaditya Singh Khichi
Executive Director

जी रमेश
महाप्रबंधक एवं सीएफओ
कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान
G Ramesh
General Manager and CFO
Corp. A/cs & Taxation

पी एस जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.
P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

अजय कुमार
निदेशक
Ajay Kumar
Director

भरत कुमार डी डांगर
निदेशक
Bharatkumar D. Dangar
Director

श्रीनिवासन श्रीधर
निदेशक
Srinivasan Sridhar
Director

देबाशीष पांडा
निदेशक
Debasish Panda
Director

गोपाल कृष्ण अग्रवाल
निदेशक
Gopal Krishan Agarwal
Director

लेखापरीक्षक
AUDITORS

कृते **कल्याणीवाला एवं मिस्त्री एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104607डब्ल्यू/डब्ल्यू100166
For **Kalyaniwalla & Mistry LLP.**
Chartered Accountants
FRN:104607W / W100166

(**सीए. डैरियस फ्रेज़र**)
साझेदार
एम नं. 042454
(CA. Daraius Fraser)
Partner
M No. 042454

कृते **सिंघी एवं कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049ई
For **Singhi & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 302049E

(**सीए. राजीव सिंघी**)
साझेदार
एम नं. 053518
(CA. Rajiv Singhi)
Partner
M No. 053518

कृते **जी एम कपाड़िया एवं कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्ल्यू
For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

(**सीए. अतुल शाह**)
साझेदार
एम नं. 039569
(CA. Atul Shah)
Partner
M No. 039569

कृते **एस आर डिनोडिया एवं कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन/एन500005
For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(**सीए. संदीप डिनोडिया**)
साझेदार
एम नं. 083689
(CA. Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689

दिनांक: 22 मई 2019
स्थान : मुम्बई
Date: 22nd May 2019
Place: Mumbai

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
Significant Accounting Policies for the year ended March 31, 2019

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गये हैं. ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी)के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है. विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है.

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गयी अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/संशोधन वर्तमान एवं भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

3. निवेश

बैंक निपटान के आधार पर निवेशों के लिए लेखांकन की एक समान पद्धतियों का अनुसरण करता है. बैंक के निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जुलाई, 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसार किया जाता है.

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

बैंक के निवेश पोर्टफोलियों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें-

i. ''परिपक्वता तक धारित''(एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है.

ii. ''व्यापार हेतु धारित''(एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है. ऐसी प्रतिभूतियां, जिन्हें मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री हेतु रखा गया है, उन्हें एचएफटी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

iii. ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' '(एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं, अर्थात जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के लिए निवेशों को अनुसूची 8 (निवेश) में प्रकटीकृत के रूप में 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉण्ड और डिबेंचर (ई)अनुषंगियां और संयुक्त

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 Investments:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Circular DBR. No. BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i. "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii. "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii. "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d)

उद्यम एफ) अन्य

बी) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण के समय प्रदत्त लागत, निवेश संबंधी ब्रोकरेज और आंशिक अवधि के लिए ब्याज जैसी लागत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में डाली जाती है.

सी) वर्गों के बीच अंतरण

एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पुनःवर्गीकृत निवेश, यदि किया गया हो तो, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है. एएफएस/एचएफटी वर्ग से एचटीएम वर्ग में स्क्रिप्ट का अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर किया जाता है. एचटीएम से एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित प्रतिभूतियां हो तो डिस्काउंट पर एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को अधिग्रहण दर पर एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित किया जाता है और एचटीएम वर्ग में प्रीमियम पर धारित निवेशों को एमौरटाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी में अंतरित किया जाता है.

एएफएस से एचएफटी के बीच आपस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है. ऐसे निवेशों पर मूल्यह्रास भी, यदि हो तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अंतरित किया जाएगा.

इन वर्गों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, अंतरण की तारीख को लेखाकृत किया जाएगा और यदि अंतरण पर मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा.

3.2 मूल्यांकन

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो. इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक एमौरटाइज्ड किया गया है. एचटीएम वर्ग के निवेशों पर प्रीमियम के एमौरटाइजेशन व्यय को आरबीआई के दिनाकं 1 जुलाई 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.बी सी.6/21.04.141/2015-16 के अनुरूप ब्याज आय में से घटाया जाता है.

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बॉण्ड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं).

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अपेक्षाओं के लिए खरीदे गए पास थ्रू प्रमाणपत्र का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है.

bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book

संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों और सहयोगी कंपनियों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए "परिपक्वता तक धारित" संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे "ब्रिक्री के लिए उपलब्ध" में अंतरित कर दिया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है. यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 18 महिनों से अधिक समय से उपलब्ध न हो तो प्रत्येक वीसीएफ के लिए रु 1/- पर मूल्यांकन किया जाएगा.

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर मार्कड-टू-मार्केट (एमटीएम) होते हैं. अनुसूची 8 (निवेश) में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ग में निवल मूल्यह्रास, यदि हो तो, लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है. प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में निवल मूल्य वृद्धि, यदि हो तो, उसे पहले प्रावधान किए गए मूल्यह्रास की राशि को छोड़कर शेष को अनदेखा कर दिया जाता है. निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदला नहीं जाता.

पुनर्गठित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेशों का मूल्यांकन आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. इन निवेशों के मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान किया जाता है और इसका उपयोग उस श्रेणी में अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाता. बैंक द्वारा पुनर्गठन योजना के अंतर्गत अर्जित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है.

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे लिखतों के लिए प्रस्तावित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के लिखतों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय -समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना करेगा. 01 अप्रैल 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) और प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के

Value in accordance with RBI guidelines.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets

अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगी या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगी और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी रहेगा. प्रतिभूति रसीद में अन्य दूसरे निवेश का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार होगा.

रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) / इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के सूचीबद्ध लिखतों में निवेश अधिक मात्रा में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में समापन मूल्य पर होता है. यदि मूल्यांकन की तारीख से 15 दिनों के भीतर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर इनका क्रय-विक्रय नहीं होता है तो, उनका मूल्यांकन मूल्यांकन द्वारा निर्धारित नवीनतम एनएवी (जो 1 वर्ष से पुरानी न हो) के आधार पर किया जाता है.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जा रहा है.

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है. शॉर्ट पोजीशन, बिक्री पर प्राप्त राशि के रुप में परिलक्षित होती है और निवेश अनुसूची में समायोजित होती है. शॉर्ट पोजीशन को बाजार और हानि के लिए चिह्नित किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जबकि उससे लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है. शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुई लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

विशेष बांड जैसे कि तेल बांड, उर्वरक बांड, यूडीएवाय बांड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल के आधार पर किया जाता है.

"क्रय-विक्रय के लिए धारित" और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणियों में कोटेड निवेश के मूल्यांकन के लिए दरें, स्टॉक एक्सचेंजों पर बाजार दरों / उद्धरण, वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों की तर्ज पर ली जाती हैं.

जिन निवेशों के लिए दरें/कोट उपलब्ध न हों, उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दरें ली जाती हैं, जो निम्नानुसार हैं:

ए	सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर	-	ब्रेक अप मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि) अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार (12 महीनों से अधिक पुराना न हो) नहीं तो रु1/- प्रति कंपनी

value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

Investment in listed instruments of Real Estate Investment Trust (REIT) / Infrastructure Investment Trust (INVIT) is valued at closing price on a recognized stock exchange with the higher volumes. In case the instruments were not traded on any stock exchange within 15 days prior to date of valuation, valuation is done based on the latest NAV (not older than 1 year) submitted by the valuer.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short position is reflected as the amount received on sale and is netted in the Investment schedule. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.

सी	प्रमाणपत्रों (प्राथमिक क्षेत्रों को छोड़कर) के माध्यम से अधिमानित शेयर एवं पास	-	उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर लाभ के आधार पर
डी	पीएसयू बॉन्ड्स	-	उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर लाभ के आधार पर
ई	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-	प्रत्येक योजना के संबंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश निर्धारित किए जाते हैं और इसमें मूल्यह्रास/ प्रावधान किए जाते हैं. क्षति के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अलावा भी अतिरिक्त प्रावधान करता है. अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास/ प्रावधान, मूल्यवृद्धि के एवज़ में सेट ऑफ नहीं हैं. जब तक लाभ और हानि खाते में ब्याज प्राप्त नहीं हो जाता, अनर्जक निवेशों पर ब्याज नहीं माना जाता है.

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के या उन मेजबान देशों के दिशानिर्देशों, में से जो भी सख्त हो, उनका पालन किया जाता है. उन शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में मौजूद हैं जहां कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है.

3.3 निवेशों का निस्तारण

''परिपक्वता तक धारित'' के रुप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखा में लिया जाता है तथा ''परिपक्वता तक धारित'' वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत आरक्षित खाते में समायोजित की गयी है.

एएफएस/एचएफटी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ हानि खातें में प्रभारित किया जाता है.

3.4 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बतायी गयी एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17/एफएमओडी. एमएओजी.नं. /01.01.001/2016-17 दिनांक 15-09-2016 के अनुरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को शामिल करते हुए रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/ऋणदान के अंतर्गत माना जाता है जिसमें सहमत शर्तों पर रेपो) का करार किया जाता है. रेपो के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं

c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in “Held to Maturity” classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG.No. /01.01.001/2016-17 Dated 15-09-2016. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not

किया जाता है. लागत एवं राजस्व को ऋण ब्याज व्यय/आय को यथास्थिति लेखांकित किया जाता है.

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि

प्रतिफल में बढ़ोतरी के विरुद्ध संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 से आईएफ़आर बनाने की सूचना दी है.

आईएफ़आर में अंतरित राशि निम्नलिखित से कम होगी: (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ (ii)वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाया जाए, जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी एवं एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% तक नहीं रहती.

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रडेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप्स और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं. बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मैकिंग/ ट्रैडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन करता है.

3.7 मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

हेज / नॉन हेज (मार्क-टू-मार्केट) संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते है. हेजिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव अनुबंधों का मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता है जब तक उनकी अंडरलाइनिंग आस्तियों को मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता. जहां हेजिंग की अंडरलाइंग आस्तियों के मामले मार्क-टू-मार्केट के अधीन नहीं हैं, हेजिंग लिखत की गणना प्रोद्भूत के आधार पर की जानी है. हेजिंग के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव्स अनुबंध जहां की जाती है और जहां मार्क्ड-टू-मार्केट नहीं है उपचय - आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्क्ड-टू-मार्केट (एमटीएम) है तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो, लाभ- हानि खाते में दर्ज की जाती है. लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय दैनिक आधार पर दर्ज होता है. ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ती पर लाभ/ हानि समाप्ति तिथि पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज की जाती है.

मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है.

बैंक फेडाई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है. ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है.

included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities.

3.7 Valuation

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. In cases where the underlying of the hedge is not subject to mark to market, the hedging instrument is to be accounted for on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/ expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रूप में माना जाता है. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/ व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है.

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराए गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा.

तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोडकर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है. विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है.

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं.

4.3 सतत अभ्यास के रुप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है-

- प्रत्याभूत सब स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता के स्थान पर 20% का प्रावधान.
- एनपीए कर्जधारकों की निधि रहित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्ज़न फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया. प्रावधान ग्राहक की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है.
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण.
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रत्याभूत हैं (संपार्श्विक) तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर्स/ टिलर/ पावर टेलर जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.

4.4 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF) is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for dimunition in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है, वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किये जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी) पर की गयी हो (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को दो वर्षों की अवधि के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती हैं, अधिक्य प्रावधान राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित कर दी जाती हैं.

बैंकों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामले में, और यह बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी), (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान हटा कर) पर हो, तो हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो आधिक्य प्रावधान राशि प्रत्यावर्तित नहीं की जाएगी बल्कि अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि/ कमी को पूरा करने लिए उसका उपयोग किया जाएगा.

5. अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानों की एक पॉलिसी है. किए जाने वाले प्रावधानों की मात्रा का प्रति वर्ष मूल्यांकन किया जाता है. इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से केवल पॉलिसी में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां परंपरागत मूल्य (या पुनर्मूल्यांकित राशियों, जैसा भी मामला हो) में से संचित मूल्यह्रास और अक्षत हानियों, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया गया है. लागत में खरीद मूल्य तथा आस्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने हेतु की गई कोई आरोप्य लागत समाविष्ट है. जब ऐसी आस्ति का/ से भविष्य में लाभ/ कार्यशील दक्षता बढ़ती है, तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है. अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है.

6.2 अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

चालू बाजार मूल्यांकन दर्शाने हेतु अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर किया जाता है. अचल आस्तियों की श्रेणी में बैंक के स्वामित्व वाले और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, स्टाफ के आवासों आदि के रूप में उपयोग की गई सभी भूमि और बिल्डिंग को बैंक के अपने परिसरों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर कोई मूल्यवृद्धि, यदि हो, तो उसे पूंजी प्रारक्षित निधि के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation

से अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है.

6.3 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है.

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं / अनुषंगियों द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में दिए गए संदर्भ को छोड़कर) को उपचय आधार पर सामान्यतः लेखांकित किया गया है. विदेशी कार्यालयों के मामले में आय/ व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गयी है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है.

8.2 सरकारी कारोबार, गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है. अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं.

8.3 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है.

8.4 जहां स्वामित्व को जोखिमों एवं लाभ पट्टेदार अपने पास रखता है उस लीज को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रुप में वर्गीकृत किया जाता है. ऐसे लीज पर लीज भुगतानों को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार लीज शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है. .

8.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजनः

एनपीए के मामलों में, खातों पर समय-समय पर हुई वसूलियों को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिये (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित)-

- सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं बैंक द्वारा उठाए या किए गए व्ययों के प्रति
- बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के लिए

दावा-दायर/ डिक्री खातों में वसूली को विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित अदालत के निदेशों के अनुसार.
- अदालत के विनिर्दिष्ट निदेशों के अभाव में, गैर वाद-दायर खातों पर यथा लागू.

on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/ Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease tern in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts : Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives

कॉम्प्रोमाइज़/ एनसीएलटी संकल्प के माध्यम से समझौता द्वारा वसूली.

एनसीएलटी या कॉम्प्रोमाइज़ मंजूर खाते के माध्यम से संकल्प/ समझौते के मामले में, वसूली को कॉम्प्रोमाइज़ मंजूरी/ संकल्प समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए.

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

9.2 उपदान

बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है.

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनिमय, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रुप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है.

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 01.04.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है, उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ (हित)

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement

विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है.

10. मूल्यह्रास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (निम्न वर्णित अनुच्छेद 10.3 व 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा) निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है.

क्र. सं.	श्रेणी	मूल्यह्रास के प्रभावी दर	मूल्यह्रास प्रक्रिया
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.1%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट ईक्विपमेंट	18.1%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन		अवलिखित मूल्य
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से

are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		Written Down Value
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		Written Down Value
	– RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	– Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight

33.33% प्रति वर्ष की दर से प्रदान किया गया है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है.

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.

11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 (''आस्तियों का मूल्यह्रास'') के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

यदि आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की रखाव लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यह्रास हानि की पहचान वहाँ की जाती है जहां आस्तियों की रखाव लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है. वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है. उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है. इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है. मूल्यह्रास के बाद आस्तियों के शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है.

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव", संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एएस) 11 के अनुरुप किया गया है.

12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) पृथक परिचालनों के रुप में वर्गीकृत किया गया है. सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रुप में माना जाता है.

12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर एफईडीएआई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है.

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है.

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि

Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/ put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses

खाते में लेखांकित किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'एफईडीएआई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेटेड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है. इस प्रकार प्राप्त की गयी एमटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है. इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है.

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है.

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है.

and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रुप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो.

16. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में मान्यता देता है.

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य में हाथ में और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां
Schedule-18 Notes on Accounts

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

ए-1. पूंजी

A. Disclosure in terms of RBI requirements

A-1 Capital

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
			बासेल III BASEL III	
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	**10.38%**	9.23%
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Tier 1 Capital Ratio (%)	**11.55%**	10.46%
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	Tier 2 Capital Ratio (%)	**1.87%**	1.67%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**13.42%**	12.13%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India	**63.26%**	64.03%
vi)	अर्जित इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of Equity Capital Raised	**--**	5375
vii)	शेयर आवेदन पत्र राशि लम्बित आवंटन	Application Money Pending allotment	**5,042**	-
vii)	अर्जित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 1 capital raised, of which		
	स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)		
	स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	Perpetual Debt Instrument (PDI)	**--**	1350
viii)	अर्जित अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 2 capital raised, of which		
	ऋण पूंजी लिखत	Debt Capital Instrument		
	अधिमान्य शेयर पूंजी लिखत	Preference Share Capital Instruments	**1,956.50**	**शून्य /Nil**

भारत सरकार से प्राप्त आवेदन राशि का लंबित आवंटन रु. 5,042 करोड़ रुपये शेयर पूंजी की दिशा में भारत सरकार से प्राप्त राशि को दर्शाता है जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनके पत्रांक डीबीआर.सीओ.बीपी नंबर 9771 / 21.01.002 / 2018-19 दिनांक 17.05.2019 में दर्शाये अनुसार सी.ई .टी 1 कैपिटल के अंतर्गत विचार करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है.

बैंक ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से बैंक के प्रवर्तक भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति को 42,85,59,286 इक्विटी शेयर, प्रति शेयर रू 117.65 के निर्गम दर पर (अंकित मूल्य रू 2 एवं प्रीमियम रू 115.65) आवंटित किए जाने का अनुरोध किया है. मूल्य का निर्धारण सेबी के आईसीडीआर विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार रू 2 के फेयर मूल्य के लिए रू 117.65 प्रति इक्विटी शेयर (प्रति इक्विटी शेयर रू 115.65 सहित) किया गया है.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक की समामेलन योजना 2019 के अनुसार, एवं 2 जनवरी, 2019 को इन बैंकों के मध्य स्वैच्छिक अनुपात के आधार पर बैंक द्वारा पूर्ववर्ती विजया बैंक और देना बैंक के शेयरधारकों को 1 अप्रैल, 2019 को निम्न विवरण के अनुसार शेयरों का आवंटन किया गया है.

(ए)रु. 52,42,00,772 की पूर्णतया भुगतान योग्य शेयरों को रु. 2 / - प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर पूरी तरह से भुगतान करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा विजया बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को कुल रु. 104,84,01,544/- मूल्य के शेयर आवंटित किए जाएंगे.

(बी)रु. 24,84,51,166 की पूर्णतया भुगतान योग्य शेयरों को रु. 2/ - प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर भुगतान करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा देना बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को आवंटित किया जायगा जिनका कुल मूल्य रु. 49,69,02,332/- होगा.

उपरोक्त शेयरों के आवंटन के पश्चात प्रमोटर शेयरधारक के तौर पर भारत सरकार का शेयर मौजूदा 63.26% से बढ़कर 69.23% हो जाएगा.

Application Money Pending Allotment' Rs. 5,042 crore represents amount received from Government of India towards share capital to be issued for which RBI approval is obtained vide letter no. DBR.CO.BP No. 9771/21.01.002/2018-19 dated 17.05.2019 for considering the same under CET 1 Capital.

The Bank has sought approval from shareholders through postal ballot to allot 42,85,59,286 equity shares to the President of India acting on behalf of Government of India (GOI), the promoter of the bank, at an issue price of Rs. 117.65 per share (Face value Rs. 2 and premium Rs. 115.65). The price has been determined as per the provisions of Regulation 164 of the SEBI ICDR Regulation 2018 is Rs. 117.65 per equity share of fair value of Rs. 2 each (including premium of Rs. 115.65 per equity share).

In pursuant to the scheme of Amalgamation 2019 of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda, and based on the Swap Ratio agreed upon between the banks on January 2, 2019. The bank has allotted the following shares to the shareholders to the erstwhile Vijaya Bank and erstwhile Dena Bank on April 1, 2019 as following

a) 52,42,00,772 fully paid up equity shares of face value of Rs. 2/- each of Bank of Baroda aggregating Rs. 104,84,01,544/- be issued and allotted to equity shareholders of Vijaya Bank.

b) 24,84,51,166 fully paid up equity shares of face value of Rs. 2/- each of Bank of Baroda aggregating Rs. 49,69,02,332/- be issued and allotted to equity shareholders of Dena Bank.

After the allotment of the above shares the Share of the Government of India (the promoter shareholder) would increase from 63.26% to 69.23%.

ए-2. निवेश
A-2 Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(ए) भारत में	(a) In India	**1,72,412.16**	1,55,514.33
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	**11,848.07**	9,517.51
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(ए) भारत में	(a) In India	**1,665.35**	1,501.43
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	**296.80**	345.86
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(ए) भारत में	(a) In India	**1,70,746.81**	1,54,012.90
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	**11,551.27**	9,171.64
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance	**1,847.29**	1,088.13
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	(ii) Add: Provision made during the year	**294.90**	806.26
(iii) जोड़ें/(घटाएं):विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(iii) Add/(Less): Foreign Exchange Revaluation Adjustment	**3.00**	26.55
(iv) घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	(iv) Less: Write-back of excess provisions	**(183.04)**	(73.65)
(v) अंतिम शेष	(v) Closing balance	**1,962.15**	1,847.29

ए-2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संदर्भ में)
A-2.1 Repo Transactions: (in face value terms)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2019:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2019 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2019
रेपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	525.72	45,251.64	15,462.30	27,203.07
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	1,393.76	3,245.55	2,131.62	3,245.55
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	204.90	19,677.63	2,696.26	0.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2018:

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2018 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2018
रेपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	109.56	34,015.12	2,232.93	27,590.17
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	913.01	1,313.54	1,050.10	1,313.54
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	124.29	41,792.29	17,217.02	4,900.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil

ए-2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

A-2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) मार्च 31, 2019 को गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक निम्नानुसार है:

i) Issuer composition of Non SLR investments as on March 31, 2019 is given below:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. S. No.	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	PSUs	1,428.44	44.90	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii)	एफआई	FIs	5,979.67	4,969.59	162.68	शून्य	25.00
(iii)	बैंक	Banks	4,918.03	919.13	195.00	130.38	69.15
(iv)	निजी कार्पोरेट	Private Corporate	3,985.23	2,111.80	123.35	856.31	9.00
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम*	Subsidiaries/ Joint Ventures *	3,610.11	3610.11	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(vi)	अन्य#	Others #	16,250.31	12,292.40	Nil	108.49	69.15
(vii)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	1,962.15	शून्य / Nil	शून्य / Nil	236.03	22.95
	कुल	**Total**	**34,209.64**	**23,947.93**	**481.03**	**859.15**	**149.35**

* ₹ 2,185.58 करोड़ का विदेशी अनुषंगियों में निवेश में शामिल है.
* Includes investment in Overseas Subsidiary of ₹ 2,185.58 Crore.

ए) सरकारी बॉन्ड में रु. 14,591.39 करोड़ के निवेश में शामिल है.
a) includes Investments in Government bonds of Rs.14,591.39 crores

*31 मार्च, 2018 तक गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना नीचे दी गई है:

*Issuer Composition of non- SLR investments as on March 31, 2018 is given below:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. S. No.	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	PSUs	840.50	293.71	50.94	0.00	197.86

	(ii) एफआई	FIs	6964.22	2741.92	220.37	0.00	25.00
	(iii) बैंक	Banks	4626.00	419.98	170.00	123.41	65.18
	(iv) निजी कार्पोरेट	Private Corporate	3774.41	1875.94	170.95	839.61	11.40
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम*	Subsidiaries/ Joint Ventures *	2035.38	2035.38	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य#	Others #	11980.88	7564.78	0.00	65.18	65.18
(vii)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	1847.29	0.00	0.00	228.62	22.84
	कुल	**Total**	**28374.10**	**14931.71**	**612.26**	**799.58**	**341.78**

* ₹ 906.73 करोड़ का विदेशी अनुषंगियों में निवेश में शामिल है.
*Includes Investments in Overseas Subsidiaries of Rs.906.73 Crore.

सरकारी बॉन्ड में रु. 5969.31 करोड़ के निवेश में शामिल है.
includes Investments in GOI Non SLR oil bonds of Rs.5969.31 crores

ii) गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक

ii) Non performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष	Opening balance	1,947.75	879.50
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	452.22	1,081.71
वर्ष के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	750.76	13.46
अंतिम शेष	Closing balance	1,649.21	1,947.75
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	1,484.53	1,428.92

ए-2.3 वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में रखे गए निवेशों की बिक्री एवं अंतरण

A-2.3 Sales and transfer of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

वित्तीय वर्ष Financial Year	निवेश (एचटीएम) का प्रारंभिक शेष Opening Bal. of investment (HTM)	वर्ष के दौरान बिक्री/अंतरण Sale/ transfer during the year	जोड़ Addition	निवेश (एचटीएम) का अंतिम शेष Closing Bal. of Investment (HTM)	निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाज़ार मूल्य Market value of investment (HTM) category
2018-19	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2017-18	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-2.4 एसएलआर निवेश

A-2.4 SLR Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value	बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)*	Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	1,48,087.16	1,48,087.16**	1,34,809.16	1,34,809.16**
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	Approved sec-SLR	1.28	1.28	1.28	1.28

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं.
** एसएलआर की गणना के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है.

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE
** Appreciation in market value is ignored for SLR calculation

ए-2.5 एसजीएल फार्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण
A-2.5 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2018-19	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2017-18	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-2.6 डेरीवेटिव्स
ए-2.6.1 वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप
A-2.6 Derivatives
A-2.6.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i)	स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि	The notional principal of swap agreements	42,267.76	26,509.49
ii)	समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	377.49	197.88
iii)	स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपार्श्विक	Collateral required by the bank upon entering into swaps	शून्य / Nil	शून्य / Nil
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	Concentration of credit risk arising from the swaps	829.06	506.46
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	The fair value of the swap book	38.75	19.45

31 मार्च, 2019 तक वायदा एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2019 are given below:

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	4	175.00	INBMK	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	18	2,005.50	LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1	172.89	LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	6	484.08	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1	172.89	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	323	9,792.10	MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	162	5,625.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	324	10,108.15	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable

आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	52	2350.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	9	425.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	25	675.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	9	425.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग/ Hedging	4	700.40	MIBOR/LIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Pay Floating Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग/ Hedging	1	268.98	Receive USD 3 M LIBOR Pay EUR 3M EIEUR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Pay Floating Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग/ Hedging	1	121.15	Receive GBP 3 M LIBOR Pay EUR 3M EIEUR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Pay Floating Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	6	466.73	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	9	5,473.48	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग/ Hedging	3	2,826.41	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
			42,267.76		

31 मार्च, 2018 को वायदा दर समझौता और ब्याज दर स्वैप की प्रवृत्ति एवं शर्तें निम्न अनुसार हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2018 are given below:

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	114.50	EUR 6 M LIBOR	स्थायी प्राप्त अस्थायी देय Receive Fixed Pay Floating
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	4	175.00	INBMK	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	18	1,890.08	LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	3	207.69	LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	6	456.23	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	3	207.69	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	196	5,563.50	MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	70	2,175.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	192	5,633.15	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	19	900.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable

आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	10	450.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	10	450.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	1384.16	Receive GBP 1 M LIBOR Pay USD 1 M LIBOR	अस्थायी देय अस्थायी प्राप्त Pay Floating Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	397.69	Receive USD 3 M LIBOR Pay EUR 3 M EURIBOR	अस्थायी देय अस्थायी प्राप्त Pay Floating Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	103.22	Receive USD 6 M LIBOR Pay EUR 6 M EURIBOR	अस्थायी देय अस्थायी प्राप्त Pay Floating Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	8	604.66	USD 3 M LIBOR	स्थायी देय अस्थायी प्राप्त Pay Fixed Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	4	201.04	USD 6 M LIBOR	स्थायी देय अस्थायी प्राप्त Pay Fixed Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	9	5595.88	USD 6 M LIBOR	स्थायी प्राप्त अस्थायी देय Receive Fixed Pay Floating
			26,509.49		

ए-2.6.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

A-2.6.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखतवार) ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) बी. करेंसी फ्यूचर्स सी. ऑप्शन	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives undertaken during the year (instrument-wise) A. Interest Rate Future (IRF) B. Currency Futures C. Options	 12,180.64 62,044.60 18,079.92	 18,786.47 46,189.24 2,431.66
(ii)	यथा दिनांक एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की (लिखतवार) बकाया कल्पित मूल राशि ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) बी. करेंसी फ्यूचर्स सी. ऑप्शन	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding as on (instrument-wise) A. Interest Rate Future (IRF) B. Currency Futures C. Option	 0.00 0.00 1,590.39	 0.00 0.00 127.48
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि तथा जो ''अत्यधिक प्रभावी'' न हो (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL	शून्य NIL
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो ''अत्यधिक प्रभावी'' न हो (लिखतवार)	Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL	शून्य NIL

ए-2.6.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

A-2.6.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के तुलन-पत्र में न आनेवाले नीति में डेरीवेटिव्स लेन-देन के कार्यों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं. बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाज़ार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है. मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गयी हैं. इनकी बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षतावाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है.

लेन-देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टू-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रुपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

(i) Qualitative Disclosure

The Off Balance Sheet Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transaction. The bank uses financial derivative transactions for hedging, its on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जानेवाला रुपांतरण घटक

Conversion factor to be applied on notional principal amount

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract	विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	2.00%
एक वर्ष से पांच वर्ष	One year to five year	1.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	Over five years	3.00%	15.00%

हेज तथा गैर-हेज (ट्रेडिंग) लेन-देनों को अलग से दर्ज किया जाता है. जहां यह है मार्क -टू -मार्केट के अधीन नहीं है, हेजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (मार्क -टू -मार्केट) में लिया जाता है और परिणामस्वरुप लाभ एवं हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में लिया जाता है. लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है. ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित आय और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ /हानि समाप्ति की तारीख पर आय /व्यय के रुप में दर्ज किए जाते हैं.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. In cases where the underlying is not subject to mark to market the hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ii) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particular	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
			करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	ए) हेजिंग के लिए	a) For hedging	390.13	20,606.61	1,885.07	11,937.39
	बी) ट्रेडिंग के लिए	b) For trading	1,590.39	21,271.02	6,378.68	12,687.03
(ii)	मार्क्ड टू मार्केट स्थितियां	Marked to Market Positions				
	ए) आस्तियां (+)	a) Asset (+)	33.83	345.50	118.37	112.87
	बी) देयताएं (-)	b) Liability (-)	-21.76	-318.81	-58.26	-153.72
(iii)	ऋण जोखिम	Credit Exposure	79.07	767.74	252.72	351.94
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	a) on hedging derivatives	-0.08	130.61	18.39	-65.73
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	b) on trading derivatives	शून्य / Nil	0.61	शून्य / Nil	2.70
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम तथा न्यूनतम 100*पीवी01	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	ए) हेजिंग पर	a) on hedging	0&0	124.50&9.66	21.12&0	71.70&26.46
	बी) ट्रेडिंग पर	b) on trading	0&0	6.97&0.04	0&0	33.52&0.05
	सी) हेजिंग पर (विदेशी)	c) on hedging (Overseas)	0.04&-0.11	11.27&5.86	0.85&-0.83	8.64&-55.73
	डी) ट्रेडिंग पर (विदेशी)	d) on trading (Overseas)	0&0	0&0	0&0	0&0

ए-2.6.4 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

A.2.6.4 Credit Default Swaps (CDS)

मूल्यांकन प्रणाली- सीडीएस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23.05.2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओ के मूल्यांकन हेतु एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक संरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है. अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक एफआईएमएमडीए कर्व का ही उपयोग करता है, सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडल का उपयोग नहीं करता है. यद्यपि दि. 31 मार्च 2018 को हमारा कोई सीडीएस डील बकाया नही है.

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing our CDS positions, the Bank do not use any internal proprietary model for CDS valuation. However, the Bank do not have any CDS deal outstanding as of 31st March 2019

ए-2.7 आस्ति गुणवत्ता
ए-2.7.1 अनर्जक आस्तियां
ए. अनर्जक आस्तियों का संचलन

A-2.7 Asset Quality
A-2.7.1 Non Performing Assets
A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
	सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs (Opening Balance)	56,480.38	42,718.70
	वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)	Additions (Fresh NPAs) during the year	13,613.61	24,152.34
	उप जोड़ (ए)	Sub-total (A) .	70,093.99	66,871.04
	घटाएं :	Less:-		
	(i) अपग्रेडेशन	(i) Up-gradations	819.61	1,025.74
	(ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	7,939.78	4,416.73
	(iii) बट्टे खाते डाली गयी राशि (विनिमय अंतर को शामिल करके)	(iii) Write-offs (including exchange differences)	13,101.84	4,948.19
	उप-योग (बी)	Sub-total (B)	21,861.23	10,390.66
	सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	Gross NPAs (Closing Balance) (A-B)	48,232.76	56,480.38

बी. अनर्जक आस्तियां
B. Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.33	5.49
(ii)	एनपीए का संचलन (सकल)	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
	(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	56,480.38	42,718.70
	(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(b) Additions during the year	13,613.61	24,152.34
	(सी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	21,861.23	10,390.66
	(डी) अंतिम शेष	(d) Closing balance	48,232.76	56,480.38
(iii)	निवल एनपीए का संचलन	(iii) Movement of Net NPAs		
	(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	23,482.65	18,080.18
	(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(b) Additions during the year	2,303.00	9,887.33
	(सी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	10,176.15	4,484.86
	(डी) अंतिम शेष	(d) Closing balance	15,609.50	23,482.65
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	32,997.76	24,638.52
	(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(b) Provisions made during the year	11,310.61	14,265.01
	(सी) तकनीकी/विवेक सम्मत बट्टा खाता	(c) Technical / Prudential write offs	11,685.11	5,905.57
	(डी) बट्टा खाता राशि (उपरोक्त के अलावा)	(d) Write off (Other than above)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(ई) अंतिम शेष	(e) Closing balance	**32,623.26**	**32,997.76**
(v)	तकनीकी अपलिखितों का संचलन	(v) Movement of Technical Write offs		
	तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित की गयी राशियों का प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical / Prudential written-off account	15,128.29	11,790.89
	जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टा खाता राशि	Add : Technical / Prudential write-of during the year	11,103.95	4,282.43
	उप योग (ए)	Sub Total (A)	26,232.24	16,073.32
	घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टा खाता राशियों की वसूली (बी)	Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	1,244.56	945.03
	अन्तिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	24,987.68	15,128.29

सी. क्षेत्रवार एनपीए C. Sector-wise NPAs

क्रमांक S. No.	क्षेत्र Sector		क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	Agriculture & allied activities	10.06%	12.67%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Industry (Micro & small, Medium and Large)	17.85%	23.92%
3	सेवाएं	Services	8.56%	12.12%
4	वैयक्तिक ऋण	Personal Loans	4.3%	1.56%

डी. विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व D. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कुल आस्तियां	Total Assets	1,70,893.99	1,66,712.61
कुल एन पी ए	Total NPAs	7,845.14	8,291.05
कुल राजस्व	Total Revenue	6,273.38	4,970.65

ई. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 में दर्शाये गए निर्देशानुसार, आकस्मित और या अथवा एन.पी.ए के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के दौरान संदर्भित अवधि का कुल एनपीए वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक होने पर बैंकों द्वारा आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानो से संबन्धित विवेकपूर्ण मानदंडों से अलग होने पर इसे दर्शाये जाने की आवश्यकता होती है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रिपोर्ट किए गए विचलन के संबंध में किसी तथ्य को जाहिर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह ऊपर दर्शाये गए सभी प्रमाणों से अलग नहीं हो सकता है.

E. As per RBI circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. Accordingly, no disclosure is made in respect of divergence reported for the financial year 2017-18, as the same is not beyond the above mentioned thresholds

A-2.7.2 क्षेत्रवार अग्रिम A-2.7.2 Sector-wise advances

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. S. No	क्षेत्र Sector	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019			31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector
ए. A	प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector						
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	54,744.43	5,409.08	9.88	43,937.68	4,892.37	11.13
2	प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उधार हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	21,556.71	2,397.20	11.12	31,258.40	3,682.70	11.78
3	सेवाएं Services	33,778.85	3,036.66	8.99	23,369.71	2,666.44	11.41
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	25,964.34	638.07	2.47	20,938.22	689.74	3.29
	उपजोड़ (ए) Sub – Total (A)	**1,36,044.33**	**11,481.01**	**8.44**	**1,19,504.01**	**11,931.25**	**9.98**
बी B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,573.71	278.93	17.72	4,712.58	1,289.66	27.37
2	उद्योग Industry	1,38,782.65	21,637.21	15.59	1,06,401.92	25,703.79	24.16
3	सेवाएं Services	1,44,154.97	10,869.75	7.54	1,87,073.74	17,248.32	9.22
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	8,1150.5	3,965.86	4.89	43,052.12	307.37	0.71
	उप-योग (बी) Sub – Total (B)	3,65,661.83	36,751.75	10.05	3,41,240.36	445,49.14	13.06
	कुल (ए+बी) Total (A+B)	**5,01,706.16**	**48,232.76**	**9.61**	**4,60,744.37**	**56,480.39**	**12.26**

ए-2.7.3. प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गयी वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.7.3. Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	खातों की संख्या	No. of accounts	शून्य /Nil	शून्य /Nil
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	शून्य /Nil	शून्य /Nil
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	शून्य /Nil	शून्य /Nil
(iv)	प्रारंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	शून्य /Nil	शून्य /Nil
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ / (हानि)	Aggregate gain/(loss) over net book value	शून्य /Nil	शून्य /Nil

ए-2.7.4. प्रतिभूति रसीदों मे निवेशों का ब्यौरा

31 मार्च, 2019 को सुरक्षा प्राप्तियों के रूप में आयोजित निवेशों की अवधि में वृद्धि विवरण इस प्रकार है:

A – 2.7.4 Details of Investment in Security Receipts

Details of ageing of investments held as Security Receipts as on March 31, 2019 are as follows:

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

क्र. सं.	विवरण	Particulars	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 से 8 वर्षों के मध्य जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक के बाद जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i)	अंतर्निहित के रुप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एस आर का बही मूल्य (श्रेणी 1 एसआर	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying (Category I SR)	159.22	463.73	50.23
(ii)	(i) के पेटे प्रावधान	Provision held against (i)	15.95	272.27	50.23
(iii)	अंतर्निहित के रुप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीयों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying (Category II SR)	-	-	-
(iv)	(ii) के पेटे प्रावधान	Provision held against (ii)	-	-	-
(v)	**कुल (i) + (ii)**	**Total (i) + (ii)**	**159.22**	**463.73**	**50.23**

31 मार्च, 2018 को सुरक्षा प्राप्तियों के रूप में आयोजित निवेशों की अवधि में वृद्धि विवरण इस प्रकार है:

Details of ageing of investments held as Security Receipts as on March 31, 2018 are as follows:

क्र. सं.	विवरण	Particulars	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 से 8 वर्षों के मध्य जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक के बाद जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i)	अंतर्निहित के रुप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एस आर का बही मूल्य (श्रेणी 1 एसआर)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying (Category I SR)	646.15	-	52.07

(ii)	(i) के पेटे प्रावधान	Provision held against (i)	273.20	-	52.07
(iii)	अंतर्निहित के रुप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीयों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying (Category II SR)	-	-	-
(iv)	(ii) के पेटे प्रावधान	Provision held against (ii)	-	-	-
(v)	**कुल (i) + (ii)**	**Total (i) + (ii)**	**372.95**	**-**	**-**

प्रतिभूति रसीदों मे निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

Details of Book Value of Investments in Security Receipts

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	673.18	698.22
अंतर्निहित के रुप में अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions/ non banking financial companies as underlying	-	-
कुल /	**Total**	**673.18**	**698.22**

ए.2.7.5. पुनर्गठित अग्रिमों का प्रकटीकरण /A-2.7.5. Disclosure of restructured advances

दिनांक 31.03.2019 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2018-19) /Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2019 (F.Y. 2018-19)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring **आस्ति वर्गीकरण** Assets Classification		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam					एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	विवरण Details		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल 2018 तक पुनर्गठित खाते Restructred Accounts as on April 01, 2018	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	11.00	-	12.00	3.00	26.00	400.00	28.00	1,768.00	1,523.00	3,719.00	3,538.00	267.00	15,350.00	3,025.00	22,180.00	3,949.00	295.00	17,130.00	4,551.00	25,925.00
		बकाया राशि Amount outstanding	191.40	-	1,780.84	588.49	2,560.73	96.59	25.51	779.50	276.98	1,178.58	5,209.23	3,834.00	12,039.17	950.69	22,033.09	5,497.22	3,859.51	14,599.51	1,816.16	25,772.40
		उस पर प्रावधान Provision thereon	48.97	-	9.36	-	58.33	8.10	0.29	5.21	-	13.60	252.04	7.80	55.86	-	315.70	309.11	8.09	70.43	-	387.63
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-	-	-	-	-	5,781.00	89.00	-	-	5,870.00	395.00	4.00	-	-	399.00	6,176.00	93.00	-	-	6,269.00
		बकाया राशि Amount outstanding	5.76	-	19.19	-	24.95	199.14	3.97	0.69	11.52	215.32	2,094.98	0.67	63.21	13.52	2,172.38	2,299.88	4.64	83.09	25.04	2,412.65
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	8.07	0.20	-	-	8.27	2.41	0.02	0.01	-	2.44	10.48	0.22	0.01	-	10.71
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2018-19	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-	-	-	-	-	63.00	-7.00	-38.00	-18.00	-	298.00	-26.00	-237.00	-35.00	-	361.00	-33.00	-275.00	-53.00	-
		बकाया राशि Amount outstanding	-	-	-	-	-	17.61	-3.84	-3.12	-10.65	-	163.68	-1.18	-161.48	-1.02	0.00	181.29	-5.02	-164.60	-11.67	0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ए.2.7.5. पुनर्गठित अग्रिमों का प्रकटीकरण/A-2.7.5. Disclosure of restructured advances

दिनांक 31.03.2019 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2018-19) / Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2019 (F.Y. 2018-19)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring **आस्ति वर्गीकरण** Assets Classification		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam					एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	विवरण Details		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
4	पुनर्गठित मानक खाते जिसने अत्यधिक प्रावधानों को स्थगित कर दिया है और / या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है. Restructred standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-	-	-	-	-	87.00	-	-	-	87.00	601.00	-	-	-	601.00	688.00	-	-	-	688.00
		बकाया राशि Amount outstanding	538.05	-	-	-	538.05	-18.02	-	-	-	-18.02	-1,866.87	-	-	-	-1,866.87	-1,346.84	-	-	-	-1,346.84
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ए.2.7.5. पुनर्गठित अग्रिमों का प्रकटीकरण /A-2.7.5. Disclosure of restructured advances

दिनांक 31.03.2019 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2018-19) /Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2019 (F.Y. 2018-19)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring **आस्ति वर्गीकरण** Assets Classification		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam					एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	विवरण Details		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradation of restructured accounts during the FY 2018-19	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-2.00	-	2.00	-	-	-68.00	2.00	57.00	9.00	-	-720.00	3.00	700.00	17.00	-	-790.00	5.00	759.00	26.00	-
		बकाया राशि Amount outstanding	-190.30	-	190.30	-	-	-11.61	0.12	-80.98	92.47	-0.00	-27.29	-33.19	-195.43	255.91	-0.00	-229.20	-33.07	-86.11	348.38	-0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.73	-	-	-0.73	-	-0.73	-	-	-0.73
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2018-19	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-4.00	-	-6.00	-3.00	-13.00	-230.00	-20.00	-577.00	-388.00	-1,215.00	-1,652.00	-238.00	-3,369.00	-1,409.00	-6,668.00	-1,886.00	-258.00	-3,952.00	-1,800.00	-7,896.00
		बकाया राशि Amount outstanding	-456.84	-	-770.09	-588.49	-1,815.42	-94.20	-21.67	-424.38	-172.50	-712.75	-1,754.82	-3,791.29	-4,048.87	-246.26	-9,841.24	-2,305.86	-3,812.96	-5,243.34	-1,007.25	-12,369.41
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-11.26	-	-9.36	-	-20.62	-1.73	-0.29	-3.91	-	-5.93	-46.31	-7.04	-51.43	-	-104.78	-59.30	-7.33	-64.70	-	-131.33
7	31 मार्च 2019 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2019	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	5.00	-	8.00	-	13.00	6,033.00	92.00	1,210.00	1,126.00	8,461.00	2,460.00	10.00	12,444.00	1,598.00	16,512.00	8,498.00	102.00	13,662.00	2,724.00	24,986.00
		बकाया राशि Amount outstanding	88.07	-	1,220.24	-	1,308.31	189.51	4.09	271.71	197.82	663.13	3,818.91	9.01	7,696.60	972.84	12,497.36	4,096.49	13.10	9,188.55	1,170.66	14,468.80
		उस पर प्रावधान Provision thereon	37.71	-	-	-	37.71	14.44	0.20	1.30	-	15.94	208.14	0.05	4.45	-	212.64	260.29	0.25	5.75	-	266.29

ए- 2.7.5. दिनांक 31.03.2019 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) / A-2.7.5. Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2018 (F.Y. 2017-18)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam					एसएमई ऋण पुनर्निधारण के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	विवरण Details		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल 2017 तक पुनर्गठित खाते Restructred Accounts as on April 01, 2017	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	18.00	3.00	18.00	2.00	41.00	829.00	136.00	4103.00	180.00	5248.00	10970.00	863.00	17724.00	3103.00	32660.00	11817.00	1002.00	21845.00	3285.00	37949.00
		बकाया राशि Amount outstanding	2025.19	261.33	1612.39	263.90	4162.81	186.57	24.84	1251.53	298.48	1761.42	8550.09	1387.23	8983.96	829.64	19750.92	10761.85	1673.40	11847.88	1392.02	25675.15
		उस पर प्रावधान Provision thereon	91.93	12.35	49.83	0.00	154.11	21.25	2.00	17.65	0.00	40.90	303.85	3.47	53.51	0.00	360.83	417.03	17.82	120.99	0.00	555.84
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	5.00	18.00	14.00	5.00	0.00	6.00	25.00	21.00	8.00	3.00	11.00	43.00
		बकाया राशि Amount outstanding	675.31	0.00	35.64	0.00	710.95	32.94	2.91	25.66	1.74	63.25	7885.16	56.27	936.13	10.93	8888.49	8593.41	59.18	997.43	12.67	9662.69
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.69	0.00	0.79	0.04	0.03	0.00	0.00	0.07	0.12	0.05	0.69	0.00	0.86
3	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2016-17	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	-44.00	-98.00	-7.00	0.00	743.00	-225.00	-431.00	-87.00	0.00	892.00	-269.00	-529.00	-94.00	0.00
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	-6.24	-18.76	-0.27	0.00	26.53	-11.12	-13.97	-1.44	0.00	51.80	-17.36	-32.73	-1.71	0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	-0.32	-0.35	0.00	0.00	1.31	-0.54	-0.77	0.00	0.00	1.98	-0.86	-1.12	0.00	0.00

ए- 2.7.5. दिनांक 31.03.2019 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) / A-2.7.5. Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2018 (F.Y. 2017-18)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam					एसएमई ऋण पुनर्निधारण के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	विवरण Details		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
4	पुनर्गठित मानक खाते जिसने अत्यधिक प्रावधानों को स्थगित कर दिया है और / या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है. Restructred standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बकाया राशि Amount outstanding	-594.53	0.00	0.00	0.00	-594.53	-29.43	0.00	0.00	0.00	-29.43	-704.27	0.00	0.00	0.00	-704.27	-1328.23	0.00	0.00	0.00	-1328.23
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ए- 2.7.5. दिनांक 31.03.2019 तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) / A-2.7.5. Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2018 (F.Y. 2017-18)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S. No.	पुनर्गठन का प्रकार/ Type of Restructuring आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam					एसएमई ऋण पुनर्निधारण के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	विवरण Details		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradation of restructured accounts during the FY 2017-18	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-6.00	-3.00	6.00	1.00	-2.00	-158.00	19.00	108.00	31.00	0.00	-1919.00	233.00	1543.00	145.00	2.00	-2083.00	249.00	1657.00	177.00	0.00
		बकाया राशि Amount outstanding	-1239.26	-247.68	989.77	324.59	-172.58	-62.24	24.94	28.42	8.88	0.00	-6498.34	3772.59	2781.17	117.16	172.58	-7799.84	3549.85	3799.36	450.63	0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	-0.68	0.17	0.51	0.00	0.00	-8.14	3.84	4.30	0.00	0.00	-16.78	4.01	12.77	0.00	0.00
6	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2017-18	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-1.00	0.00	-12.00	0.00	-13.00	-427.00	-86.00	-2348.00	1314.00	-1547.00	-6270.00	-609.00	-3486.00	-142.00	-10507.00	-6698.00	-695.00	-5846.00	1172.00	-12067.00
		बकाया राशि Amount outstanding	-675.31	-13.65	-856.96	0.00	-1545.92	-56.52	-20.94	-507.35	-31.85	-616.66	-4049.94	-1370.97	-648.11	-5.60	-6074.62	-4781.77	-1405.56	-2012.42	-37.45	-8237.20
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-35.00	-12.35	-48.43	0.00	-95.78	-13.22	-1.58	-13.29	0.00	-28.09	-45.02	1.00	-1.18	0.00	-45.20	-93.24	-12.93	-62.90	0.00	-169.07
7	31 मार्च 2018 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2018	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	11.00	0.00	12.00	3.00	26.00	400.00	28.00	1768.00	1523.00	3719.00	3538.00	267.00	15350.00	3025.00	22180.00	3949.00	295.00	17130.00	4551.00	25925.00
		बकाया राशि Amount outstanding	191.40	0.00	1780.84	588.49	2560.73	96.59	25.51	779.50	276.98	1178.58	5209.23	3834.00	12039.18	950.69	22033.10	5497.22	3859.51	14599.52	1816.16	25772.40
		उस पर प्रावधान Provision thereon	48.97	0.00	9.36	0.00	58.33	8.10	0.29	5.21	0.00	13.60	252.04	7.80	55.86	0.00	315.70	309.11	8.09	70.43	0.00	387.63

ए 2-7.6. खरीदी गयी/ बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

ए. खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

A-2.7.6. Details of non-performing financial assets purchased/sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

विवरण			Particulars			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1.	(ए)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	शून्य /Nil	शून्य /Nil
	(बी)	समग्र बकाया		(b)	Aggregate outstanding	शून्य /Nil	शून्य /Nil
2.	(ए)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य /Nil	शून्य /Nil
	(बी)	समग्र बकाया		(b)	Aggregate outstanding	शून्य /Nil	शून्य /Nilss

बी. बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1.	बेचे गए खातों की संख्या	1.	No. of accounts sold	07	03
2.	समग्र बकाया	2.	Aggregate outstanding	2,217.27	840.29
3.	समग्र प्राप्त प्रतिफल	3.	Aggregate consideration received	1,709.38	599.83

सी. प्रतिभूतिकरण कंपनियों को बेचे गये अनर्जक खाते

C. Non Performing Accounts sold to Securitization Companies

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

विवरण Particulars	एनपीए के कारण बैंक द्वारा बिक्री की गयी अन्तर्निहित आस्तियां Backed by NPA sold by the Bank as underlying		एनपीए के कारण अन्य बैंकों/वित्तीय/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री की गयी अन्तर्निहित आस्तियां Backed by NPAs sold by Other banks/ financial / non-banking Financial companies underlying		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रतिभूति रसीदो में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

ए-2.7.7. मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.7.7. Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	3,153.12	3,159.22

ए-2.7.8. जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का संकेन्द्रण

A-2.7.8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(ए)	जमाओं का संकेन्द्रण	(a)	Concentration of Deposits		
	बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं		Total Deposits of twenty largest depositors	46,374.46	28,688.80

	बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत		Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	7.26%	4.85%
(बी)	अग्रिमों का संकेन्द्रण	(b)	Concentration of Advances		
	बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण		Total Advances to twenty largest borrowers	42,477.19	65,525.02
	बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत		Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	8.42%	15.33%
(सी)	एक्सपोज़र का संकेन्द्रण	(c)	Concentration of Exposures		
	बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र		Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	1,04,259.53	91,825.31
	बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत		Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	14.12%	13.58%
(डी)	एनपीए का संकेन्द्रण	(d)	Concentration of NPAs		
	चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर		Total Exposure to top four NPA accounts	6,402.35	7,038.87
(ई)	प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	(e)	Provision Coverage Ratio (PCR)	78.68%	67.21%

ए-2.7.9. इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर

A-2.7.9. Intra Group Exposures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
		निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Tota	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Tota
इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर की कुल राशि	Total Amount of Intra Group Exposures	268.00	3,610.11	3,878.21	399.55	2,035.38	2,434.93
20 सर्वाधिक इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर वाले खाते	Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	268.00	3,610.11	3,878.21	399.55	2,035.38	2,434.93
ऋण कर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये बैंक के कुल एक्स्पोजर में इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर का प्रतिशत	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.06	1.98	0.60	0.09	1.25	0.41
इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण तथा उसपर की गयी विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	-	-	-	-	-	-

ए-2.8 व्यावसायिक अनुपात

A-2.8 Business Ratios

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रुप में ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	7.26%	6.35%
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रुप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds	0.88%	0.97%
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रुप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	1.96%	1.75%
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	Return on Assets (%)	0.06	(0.34)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (कोर जमा तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में)	Business (Core Deposits plus advances) per employee (₹ in Crores)	18.88	17.66
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	Profit per employee (₹ in Crores)	0.08	(0.04)

ए-2.9 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरुप

A-2.9 Asset Liability Management Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

		1 दिन 1 Day	2 से 7 दिनों 2 to 7 Days	8 से 14 दिनों 8 to 14 Days	15 से 30 दिनों 15-30 Days	31 दिनों से-2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक - 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह Over 3 M - up to 6M	6 माह से अधिक - 12 माह Over 6 M - up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष Over 1 Yr - up to 3 years	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष Over 3 years - Upto 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा-राशियां	Deposits	7,995.10 (7,408.95)	20,117.41 (17,306.03)	11,969.02 (18,765.00)	17,813.19 (18,341.03)	30,103.28 (27,064.60)	34,978.54 (40,762.23)	64,330.91 (48,975.25)	98,994.46 (87,846.65)	1,83,272.25 (1,67,849.43)	33,701.91 (35,496.01)	1,35,413.65 (1,21,499.64)	6,38,689.72 (5,91,314.82)
अग्रिम	Advances	18,523.36 (6,715.02)	10,111.87 (12,561.30)	7,608.12 (7,706.19)	26,607.86 (19,563.24)	12,593.76 (14,490.87)	16,387.51 (22,382.02)	20,905.57 (27,308.52)	25,938.28 (19,498.89)	1,94,884.47 (1,38,937.55)	50,899.77 (51,540.10)	84,358.17 (1,06,728.13)	4,68,818.74 (4,27,431.83)
निवेश	Investments	153.72 -	1,581.82 (1,238.57)	236.22 (251.32)	1,405.67 (783.46)	983.90 (808.93)	3,696.54 (475.47)	5,225.05 (5,693.87)	7,432.81 (7,888.89)	32,851.10 (22,989.78)	26,469.65 (22,070.78)	1,02,261.59 (1,00,983.46)	1,82,298.08 (1,63,184.53)
उधार	Borrowings	1,573.24 (840.51)	14,428.61 (18,630.70)	15,700.00 (6,500.01)	0.00 (6,055.37)	2,472.51 (273.74)	538.04 (715.39)	10,488.65 (2,427.29)	8,376.75 (1,904.97)	7,361.20 (13,815.20)	6,262.31 (7,203.68)	0.00 (4205.11)	67,201.30 (62,571.97)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	43,276.72 (25,911.23)	7,471.07 (7,650.63)	6,041.67 (5,356.64)	12,468.40 (14,650.92)	13,146.82 (23,655.75)	14,596.61 (26,411.10)	19,231.42 (25,103.14)	13,874.88 (15,941.35)	22,665.46 (19,923.77)	20,210.13 (9,115.45)	9,438.90 (6,279.78)	1,82,422.07 (1,79,999.76)
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	9,189.86 (7,209.26)	24,612.43 (19,293.16)	3,696.62 (10,158.32)	10,485.28 (15,833.65)	24,889.29 (15,850.86)	13,865.04 (22,963.83)	32,449.24 (20,655.22)	34,881.80 (27,317.51)	29,425.19 (38,089.12)	9,827.41 (9,551.50)	1,287.37 (1,042.20)	1,94,609.53 (1,87,964.63)

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की संख्याएं हैं.
  Figures in bracket denote previous year numbers
- आस्तियों एवं देयताओं का विभाजन '' समूह आस्ति देयता प्रबंधन एवं समूह जोखिम नीति 2018'' के अनुसार किया गया है.
  The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2018" of the Bank
- शुद्ध निवेशों की गणना करते समय प्रावधानों का विभाजन सकल निवेशों के अनुपात में किया गया है.
- The distribution of provisions, while arriving at the net investments, has been done in proportion to the gross investments
- शुद्ध अग्रिमों की गणना करते समय प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है.
  The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.

ए-2.10 एक्सपोजर

ए-2.10.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

A-2.10 Exposure

A-2.10.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक -	(i) Residential Mortgages –		
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज,	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	49,702.22	44,288.27
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण	Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	(21,032.86)	(18,616.53)
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट -	(ii) Commercial Real Estate –		
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हो सकती हैं.	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	12,974.13	7,139.82

(iii)	बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एम बी एस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर	(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
	ए आवासीय		a. Residential	0.00	0.00
	बी वाणिज्यिक रियल एस्टेट		b. Commercial Real Estate	201.57	0.00
बी.	अप्रत्यक्ष एक्सोपजर	b.	Indirect Exposure		
निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर		Fund based and non-fund based exposures			
(i)	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)	(i)	National Housing Bank (NHB)	3,000.00	2.89
(ii)	आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	(ii)	Housing Finance Companies (HFCs)	28,766.31	8,189.56
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर		**Total Exposure to Real Estate Sector**		**94,644.23**	**59,620.54**

ए-2.10.2 पूंजी बाजार एक्सपोजर

A-2.10.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉरपस कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश.	(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,964.55	1106.57
(ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज़ में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बॉण्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम.	(ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	4.08	7.72
(iii)	किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है.	(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	2.64	0.00
(iv)	किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयरों, परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है.	(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	1166.81	1,450.15
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां.	(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1.53	2.36
(vi)	कार्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रोमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम.	(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शून्य /Nil	शून्य /Nil
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण.	(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.23	349.85
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएं.	(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00

(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना.	(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.22	0.00
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत दोनों) का समग्र जोखिम.	(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	603.63	690.50
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर		**Total Exposure to Capital Market**		**3,743.69**	**3,607.15**

पूंजी बाज़ार में ₹ 3,743.69 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 12,728.11 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात दिनांक मार्च 31, 2018 को बैंक की ₹ 31,820.28 करोड़ की निवल मालियत का 40% है).
The exposure to Capital Market of Rs 3,743.69 Crores is within the limit of Rs 12,728.11 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of Rs 31,820.28 Crores as on March 31, 2018).

पूंजी बाज़ार में ₹ 2,568.18 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 6,364.05 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात दिनांक मार्च 31, 2018 को बैंक की ₹ 31,820.28 करोड़ की निवल मालियत का 20%) है.
The direct exposure to Capital Market of Rs. 2,568.18 Crores is within the limit of Rs. 6,364.05 Crore (i.e. 20% of the Bank's net worth of Rs. 31,820.28 Crores as on March 31, 2018)

ए-2.10.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोज़र

A-2.10.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	31 मार्च 2019 को एक्सपोज़र (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2019	31 मार्च 2019 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2019	31 मार्च 2018 को एक्सपोज़र (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2018	31 मार्च 2018 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2018
महत्वहीन	Insignificant	66846.59	47.92	60,720.85	40.07
न्यून	Low	34,492.03	25.01	46,353.43	29.74
मध्य	Moderate	4,360.05	-	3,227.02	-
उच्च	High	3,719.07	-	2,135.74	-
अधिक उच्च	Very High	19.49	-	8.25	-
सीमित	Restricted	1.66	-	0.21	-
ऋण से इतर	Off-credit	0.05	-	1.67	-
अ-मूल्यांकित	Not Rated	0.00	-	229.97	-
कुल	**Total**	**1,09,438.94**	**72.93**	**1,12,677.14**	**69.81**

ए-2.10.4 बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)

A-2.10.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल कर्जदार एक्सपोज़र सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31, 2019
2018-19	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil
2017-18	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil

वर्ष Year	समूह का नाम Name of Group	समूह कर्जदार एक्सपोज़र सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31, 2018
2018-19	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil
2017-18	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil

ए-2.10.5 गैर-जमानती अग्रिम राशि

A-2.10.5 Amount of Unsecured advances

(भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या 23/21.04.018/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के संदर्भ में) / (In terms of per RBI Circular No. DBR.BP.BC No.23/21.04.018/2015-16 dated 01st July 2015)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं. Sr No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
(i)	अमूर्त परिसंपत्ति जैसे कि अधिकार पर प्रभार, लाइसेंस , प्राधिकार इत्यादि के रुप में रखी गई संपार्श्विक प्रतिभूति इत्यादि से समर्थित अप्रत्याभूत ऋण / Unsecured Loan backed by intangible assets, such as charge over the rights, licenses, authority etc. taken as collateral security.	3,392.95	1,648.24
(ii)	उक्त (i) को छोड़कर असुरक्षित ऋण / Unsecured Loans other than (i)	59,767.30	76,243.15

ए-2.11 विविध / A-2.11 Miscellaneous

ए-2.11.1 वर्ष के दौरान कराधान हेतु किए गए प्रावधान की राशि / A-2.11.1 Amount of Provisions for Taxation during the year

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
संपत्ति कर एवं आस्थगित कर सहित करों हेतु प्रावधान	Provision for Tax including Wealth tax & deferred tax	264.63	(-) 299.98
घटाएं - पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल	Less : reversal of Tax Provisions relating to previous years	0.00	58.95
कर के लिए निवल प्रावधान	Net provision for Tax	264.63	(-)358.93

ए-2.11.2 भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण / A-2.11.2 Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019		31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड	Penalties Imposed by RBI	125	5.25*	93	7.12
विदेशी क्षेत्रों /अनुषंगियों पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड	Penalties Imposed on Overseas territories/subsidiaries by their respective regulators	1	0.001	2	5.87

* स्विफ्ट संबंधी परिचालनगत नियंत्रणों के क्रियान्वयन में विलंब के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई दंड रु. 4 करोड़ का दंड शामिल है.

**includes Rs. 4 crore penalty imposed by RBI on account of delay in implementation of SWIFT related operational controls.*

ए-2.11.3 प्रायोजित तुलनपत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है) / A-2.11.3 Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

विवरण	Particulars	प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
		घरेलू / Domestic	विदेशी / Overseas
31 मार्च, 2019	As on March 31, 2019	शून्य / Nil	शून्य / Nil
31 मार्च, 2018	As on March 31, 2018	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-2.11.4 प्रतिभूतिकरण / A-2.11.4 Securitization

क्र. सं. S.No.	विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1.	प्रतिभूतिकरण संव्यवहार के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	No. of SPVs sponsored by the bank for Securitization transaction	NIL	Nil
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकरण आस्तियों की कुल राशि	Total amount of Securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank	NIL	Nil
3.	तुलनपत्र की तिथि को न्यूनतम धारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि	Total amount of exposures retained by the bank to comply with minimum retention requirement (MRR) as on the date of Balance Sheet	NIL	Nil
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	a) Off-balance sheet exposures First Loss Others	NIL	Nil
	बी) तुलनपत्र का एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	b) On balance sheet exposures First Loss Others	NIL	Nil
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण अंतरण से एक्सपोजर की राशि	Amount of Exposures to securitization transactions other than MRR	NIL	Nil
	ए) तुलनपत्रेतर जोखिम	a) Off-balance sheet exposures		

क्र. सं. S.No.	विवरण		Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
	i) अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/अन्य	i)	Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others	NIL	Nil
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	ii)	Exposures to third party securitizations First Loss Others	NIL	Nil
बी)	तुलनपत्र का एक्सपोजर	b)	On–balance sheet exposures	NIL	Nil
	i) अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/अन्य	i)	Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others	NIL	Nil
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	ii)	Exposures to third party securitizations First Loss Others	NIL	Nil

ए-2.12 दबावग्रस्त आस्तियों संबंधी प्रकटीकरण

A-2.12 Disclosure on Stressed Assets

ए-2.12.1 मौजूदा ऋणों के लचीले गठन का प्रकटीकरण

A-2.12.1 Disclosure of flexible structuring of Existing loans

वर्ष Year	लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर वेटेड औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीले गठन लागू करने से पहले Before applying flexible structuring	लचीले गठन लागू करने के बाद After applying flexible structuring
वित्तीय वर्ष/ FY:2018-19	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil
वित्तीय वर्ष / FY:2017-18	4	1,423.93	266.29	-	-

इस योजना को भारतीय रिज़र्व बैंक के दि. 12.02-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी बीसी.101/21.04.048/2017-18 द्वारा वापस लिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.12.2 यथा 31.03.2019 को कार्यनीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना पर प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि में है).

A-2.12.2 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2019

वर्ष Year	ऐसे खातों की संख्या, जहाँ एसडीआर सक्रिय किया गया है. No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जहाँ ऋण का इक्विटी में रुपांतरण लंबित है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जहाँ ऋण का इक्विटी में रुपांतरण हो गया है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
		मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष/ FY:2018-19	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil
वित्तीय वर्ष / FY:2017-18	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil

इस योजना को भारतीय रिज़र्व बैंक के दि. 12.02-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी बीसी.101/21.04.048/2017-18 द्वारा वापस लिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.12.3 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टेंड स्टिल अवधि के अंतर्गत है).

A-2.12.3 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores)*

अंचल Zones	ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है. No. of account s where banks have decided to Effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जहाँ ऋण का इक्विटी में रुपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना लंबित है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		जहाँ ऋण का इक्विटी में रुपांतरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		जहाँ नए शेयर जारी कर या प्रवर्तक की इक्विटी के विक्रय द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
		मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष/ FY:2018-19	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil
वित्तीय वर्ष / FY:2017-18	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil

इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 12.02-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी बीसी.101/21.04.048/2017-18 द्वारा वापस लिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP. BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.12.4 अनुपालन के अंतर्गत परियोजना के स्वामित्व का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड - स्टील अवधि के अंतर्गत है).

A-2.12.4 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores)*

	ऐसे परियोजना ऋण खातों की संख्या, जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है. No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
		मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as standard	मानक पुनर्गठित के रुप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष/ FY:2018-19	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil
वित्तीय वर्ष / FY:2017-18	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil	शून्य /Nil

आरबीआई के दिनांक 12-2-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं. बीपी.बीसी. 101/21.04.048/ 2017-18 के अनुसार उस योजना को वापस ले लिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP. BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.13 दिनांक 31.03.2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के संधारणीय गठन की योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)

A-2.13 Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A) as on 31.03.2019

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

जहां एस4ए लागू किया गया है ऐसे खातों की संख्या Number of accounts where S4A has been applied	बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रुप में वर्गीकृत Classified as Standard	1,223.90	698.03	525.87	116.00
एनपीए के रुप में वर्गीकृत Classified as NPA	1,177.61	937.70	239.91	-
कुल TOTAL	**2401.51**	**1,635.73**	**765.78**	**116.00**

आरबीआई के दिनांक 12-2-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं. बीपी.बीसी. 101/21.04.048/ 2017-18 के अनुसार उस योजना को वापस ले लिया गया है.

आरबीआई ने पत्र क्रमांक आरबीआई / 2017-18 / 131: डीबीआर सं. बीपी. बीसी.101 / 21.04.048 / 2017-18 दि.12 फरवरी 2018 के माध्यम से दवाबग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया है तथा दवाबग्रस्त आस्तियों के निपटान हेतु मौजूदा फ्रेमवर्क जैसे कि दवाबग्रस्त आस्तियों को नवीनीकृत करना, कार्पोरेट ऋण नवीनीकरण योजना, मौजूदा दीर्घावधि परियोजना ऋण को लचीला स्ट्रक्चरिंग, कार्यनीतिक ऋण स्ट्रक्चरिंग योजना (एसडीआर), एसडीआर के अलग स्वामित्व में बदलाव और तत्काल प्रभाव से दवाबग्रस्त आस्तियों का दीर्घकालिक स्ट्रक्चरिंग (एस4ए) आदि मौजूदा दिशानिर्देशों / निर्देशों को वापस ले लिया है. इसी प्रकार से संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) जो दवाबग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए एक संस्थागत यांत्रिकी के रुप में कार्य करता था,उसे भी स्थगित कर दिया गया. संशोधित फ्रेमवर्क के अंतर्गत उन खातों के लिए जिनमें लाभ लेने के लिए इन योजनाओं में से किसी को आरंभ किया गया था लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया था और तदनुसार इन खातों को आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण पर मौजूदा आरबीआई विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 02.04.2019 के निर्णय के माध्यम से 12 फरवरी के परिपत्र को 'पूर्णतया अधिकाराती करार दिया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No .BP. BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

RBI vide letter RBI/2017-18/131: DBR. No.BP. BC.101/21.04.048/2017-18 dated February 12, 2018 issued a revised framework on Resolution of Stressed Assets and withdrew the existing guidelines/instructions on resolution of stress assets such as framework for revitalizing Distressed Assets, Corporate Debt Restructuring Scheme, Flexible Structuring of Existing Long Term Project Loans, Strategic Debt Restructuring Scheme (SDR), Change in Ownership outside SDR, and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), etc. with immediate effect. Accordingly, the Joint Lenders Forum (JLF) as an institutional mechanism for resolution of stressed accounts also stands discontinued. Under the revised framework, the stand-still benefits for accounts where any of these schemes had been invoked but not yet implemented were revoked and accordingly these accounts have been classified as per the extant RBI prudential norms on Income Recognition and Asset Classification. Further Supreme Court vide its judgement dated 02.04.2019 has held the February 12th Circular "Ültra vires as a whole". RBI has subsequently not issued any revised instructions / modifications in the matter till date.

ए-3. प्रावधान व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण

ए-3.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है:

A-3 Break up of Provisions and Contingencies

A-3.1 Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (निवल प्रलेखित तथा बट्टे खाते डाले गए सहित)	Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	158.62	768.20
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (निवल प्रलेखित)	Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	12,313.42	14,379.94
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	-35.49	-369.02
कर हेतु प्रावधान आस्थगित करों, और संपदा कर सहित (प्रावधानों के प्रत्यावर्तन का निवल)	Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	264.63	-358.93
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	**Other Provision and Contingencies**		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	-121.02	-168.23
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	3.12	-22.34
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्ध दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं).	Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	470.02	207.75
कुल	**Total**	**13,053.30**	**14,437.36**

ए-3.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

A-3.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए.	अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष	a.	Opening balance in the floating provisions account	425.35	425.35
बी.	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	b.	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
सी.	लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c.	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
डी.	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d.	Closing balance in the floating provisions account	425.35	425.35

ए-3.3 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर प्रावधान

A-3.3. Provision on Unhedged Foreign Currency Exposure–

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए.	प्रारंभिक शेष प्रावधान खाता	a.	Opening balance provisions account	44.01	72.95
बी.	लेखा वर्ष में किये गये प्रावधान की राशि	b.	The quantum of provisions made in the accounting year	30.75	--
सी.	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गयी राशि	c.	Amount Reverse during the accounting year	--	-28.94
डी.	प्रावधान खाते का अंतिम शेष	d.	Closing balance in the provisions account	81.80	44.01

दिनांक 31.03.2019 तक बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर के सापेक्ष में बैंक का अग्रिम एक्स्पोजर ऋणकर्ता का 80 बीपीएस प्रावधान ₹ 1774.79 करोड़ था. ₹ 47.93 करोड़ के अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के सापेक्ष में एक्स्पोजर पर ₹ 440.74 करोड आरडब्ल्यूए किया गया.

As on 31.03.2019, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was Rs.1774.79 Crores. The additional RWA on this exposure is Rs. 440.74 crores against this additional minimum capital requirement is Rs.47.93 crores.

ए-3.4 आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्राडाउन)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरक्षित निधियों में कोई गिरावट

A-3.4 Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2018-19, there is no draw

प्रारक्षित निधियों में गिरावट (31 मार्च, 2018 : रु. शून्य)

down from the reserves (March 31, 2018: Rs Nil).

ए- 4. शिकायतों का प्रकटीकरण

A-4 Disclosure of complaints

I. ग्राहक शिकायतें

I. Customer Complaints

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए.	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	a.	No. of complaints pending at the beginning of the year	13540	302
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	b.	No. of complaints received during the year	12,14,864*	10,56,041*
सी.	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	c.	No. of complaints redressed during the year	12,00,989	10,42,803
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	d.	No. of complaints pending at the end of the year	27,415**	13,540**

* कुल प्राप्त शिकायतों में से 154416 शिकायतों का समाधान (गत वर्ष 90498) उसी दिन (डी) तथा उसके अगले दिन (डी+1) कर दिया गया.

** कुल प्राप्त शिकायतों में से 25855 शिकायतें (गत वर्ष 13476) 30 दिनों से कम समय से लंबित हैं.

* Out of total complaints received, 154416 complaints (Previous year 90498) resolved on the same day (D) and on the next day (D+1).

** Out of these, 25855 nos. of complaints (Previous year 13476 nos.) are pending for less than 30 days.

II. एटीएम संबंधी शिकायतें

II. ATM Complaints

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए.	वर्ष के शुरू में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	a.	No. of ATMs complaints pending at the beginning of the year	5,464	2067
बी.	वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	b.	No. of ATMS complaints received during the year	5,24,603	3,26,458
सी.	वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी निस्तारित शिकायतों की संख्या	c.	No. of ATMs complaints redressed during the year	5,22,285	3,23,061
डी	वर्ष के अंत में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	d.	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	7,782	5,464

III. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय

III. Awards passed by the Banking Ombudsman

विवरण		Particulars		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ए.	वर्ष के शुरु में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	a.	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	शून्य	2
बी.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या	b.	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	2	3
सी.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	c.	No. of Awards implemented during the year	2	5
डी.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	d.	No. of unimplemented Awards at the end of the year	शून्य /Nil	शून्य /Nil

ए-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

A-5. Status of Letters of Comfort

(I) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपने विदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों के परिचालन को समर्थित करने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया.

I Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year

During the current financial year, the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/domestic regulators to support the operations of its overseas subsidiaries/ Joint ventures.

(II) 31.03.2019 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों तथा संचयी वित्तीय जिम्मेदारियों का विवरण निम्नानुसार है.

(i) अपने जमाकर्ताओं व अन्य ऋणदाताओं को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली अनुषंगी- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. के संपूर्ण कर्ज को गारंटीकृत करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड को 2008-09 के दौरान चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया. यथा 31 मार्च, 2019 को अनुषंगी की जमा-राशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक के जमा के एवज में ऋण का निवल) ₹ 306.38 करोड़ हैं तथा बाह्य देयता ₹ 6.27 करोड हैं (यथा, ₹ 312.65 करोड़ की कुल देयता). यथा 31 मार्च 2019 को अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 225.71 करोड़ है. इस संबंध में बैंक पर निवल आकस्मिक देयता ₹ 86.94 करोड़ हैं.

(ii) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ़ नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31.03.2019 को आईआईबीएमबी की कुल जमा राशि ₹ 226.66 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 2.45 करोड़ (अर्थात कुल ₹ 229.10 करोड़ की कुल देयताएं) हैं. दिनांक 31.03.2019 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 549.33 करोड़ है. चूंकि आईआईबीएम के वित्तीय वर्ष का अंत 31 दिसंबर को होता है, 31 मार्च, 2019 के आंकडे अलेखापरीक्षित विवरण से लिए गए हैं.

II Cumulative position of LOC's outstanding as on 31.03.2019

The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:

a) LOC issued during 2008-09 to Reserve Bank of New Zealand guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary – Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors. As on 31st March 2019 the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are Rs. 306.38 crores and outside liabilities are Rs. 6.27 crore (i.e. total liabilities of Rs. 312.65 Crores). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2019 is Rs. 225.71 Crores. The net contingent liability on the Bank is Rs. 86.94 Crores in this regard.

b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank – 'India International Bank (Malaysia) Bhd (IIBMB). As on 31st March 2019 the deposits of IIBMB are Rs. 226.66 crore and other liabilities are Rs. 2.45 Crores (i.e. Total liabilities of Rs. 229.10 crore). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2019 is Rs. 549.33 crore. As the financial year end of IIBMB is 31st December, figure of 31st March 2019 have been taken from unaudited statements.

ए-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

A-6 Income earned for marketing third party products

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

आय की प्रकृति	Nature of Income	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	59.63	59.66
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना	Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana	7.82	6.31
गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling non life insurance policies	42.62	33.91
म्यूच्यूअल फंड प्रोजेक्टों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund products	15.47	15.98
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	Equity broking product	0.36	0.33

ए-7 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-7 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	Opening balance of amount transferred to DEAF	429.31	403.77
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	Add: Amount transferred to DEAF during the year	186.61	36.05
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि	Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.51	10.51
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing Balance of amounts transferred to DEAF	615.41	429.31

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण - मार्च 2019
Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure - March 2019
बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Name of the Bank : Bank of Baroda

	चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure		मार्च, 2019 को समाप्त चतुर्थ तिमाही के लिए दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2019		दिसंबर, 2018 को समाप्त तृतीय तिमाही के लिए दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2018		सितंबर, 2018 को समाप्त द्वितीय तिमाही के लिए दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2018		जून, 2018 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिए दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2018		मार्च, 2018 को समाप्त चतुर्थ तिमाही के लिए दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2018	
			कुल गैर-भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर-भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर-भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर-भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर-भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां	**High Quality Liquid Assets**										
1	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		12,87,811.75		11,79,196.97		12,16,339.66		11,28,916.84		10,59,406.08
	नकदी बाह्यप्रवाह	**Cash Outflows**										
2	रिटेल जमा एवं छोटे व्यावसायिक ग्राहकों की जमाराशियां,जिनमें से	Retail deposit and deposits from small business customers, of which:	39,58,924.63	3,57,683.00	40,21,379.00	3,62,606.92	40,34,089.23	3,63,992.38	44,38,966.48	3,97,368.17	40,20,304.68	3,60,800.94
	स्थिर जमाराशियां	Stable Deposits	7,64,189.32	38,209.47	7,90,619.53	39,530.98	7,88,330.95	39,416.55	9,30,569.64	46,528.48	8,24,590.47	41,229.52
	घटाएं: स्थिर जमाराशियां	Less Stable Deposits	31,94,735.31	3,19,473.53	32,30,759.48	3,23,075.95	32,45,758.28	3,24,575.83	35,08,396.85	3,50,839.68	31,95,714.21	3,19,571.42
3	असुरक्षित थोक निधियन, जिसमें से:	Unsecured wholesale funding, of which:	13,44,996.70	7,55,789.75	11,86,785.73	7,02,566.21	10,62,732.67	6,35,538.31	10,77,860.13	6,36,472.17	11,32,528.68	6,52,843.21
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियों की)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालनगत जमाराशियां (सभी काउंटर पार्टियों की)	Non-operational deposits (all counterparties)	13,44,996.70	7,55,789.75	11,86,785.73	7,02,566.21	10,62,732.67	6,35,538.31	10,77,860.13	6,36,472.17	11,32,528.68	6,52,843.21
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	प्रत्याभूत थोक वित्तीयन	Secured wholesale Funding	2,90,916.12	0.00	3,28,696.44	0.00	1,94,056.57	417.91	1,57,289.96	0.00	1,31,716.69	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	Additional requirements, of which	5,06,864.25	2,32,276.99	4,71,771.78	2,31,608.13	4,75,104.37	2,27,714.01	5,09,761.10	2,18,302.46	4,86,710.03	2,30,785.12
(i)	डेरीवेटिव एक्स्पोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्कताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	3,370.26	3,370.26	4,518.46	4,518.46	2,917.99	2,917.99	2,980.44	2,980.44	14,432.60	14,432.60
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियों की हानि संबंधित बाह्य प्रवाह	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं	Credit and liquidity facilities	5,03,493.99	2,28,906.73	4,67,253.32	2,27,089.67	4,72,186.38	2,24,796.02	5,06,780.66	2,15,322.02	4,72,277.43	2,16,352.53
6	अन्य संविदागत निधियन संबंधी बाध्यताएं	Other contractual funding obligations	12,327.46	12,327.46	14,864.91	14,864.91	14,845.67	14,845.67	25,673.40	25,673.40	11,505.78	11,505.78
7	अन्य आकस्मिक निधियन संबंधी बाध्यताएं	Other contingent funding obligations	5,23,542.39	15,706.27	5,27,898.05	15,836.94	5,39,964.67	16,198.94	5,54,177.23	16,625.32	5,20,550.44	15,644.05
8	**कुल नकदी बाह्य प्रवाह**	**TOTAL CASH OUTFLOWS**	**66,37,571.55**	**13,73,783.47**	**65,51,395.91**	**13,27,483.11**	**63,20,793.17**	**12,58,707.22**	**67,63,728.29**	**12,94,441.51**	**63,03,316.31**	**12,71,579.11**
9	**प्रत्याभूत उधार देना (जैसे, रीवर्स रेपो)**	Secured lending (e.g. reverse repos)	36,629.76	384.58	21,195.36	632.48	38,658.99	2,824.87	35,451.26	178.82	16,165.17	173.57
10	पूर्णत: अर्जक एक्सपोजर्स से अंतर्प्रवाह	Inflows from fully performing exposures	3,46,502.26	2,82,162.79	3,48,108.56	2,94,812.17	3,77,380.47	3,26,220.00	4,44,403.22	3,97,299.43	3,14,304.64	2,73,959.85
11	अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	Other cash inflows	70,115.51	57,327.58	54,543.85	50,044.07	55,863.75	51,579.78	67,874.49	61,229.55	55,182.27	54,934.05
12	**कुल नकदी अंतर्प्रवाह**	**TOTAL CASH INFLOWS**	**4,53,247.53**	**3,39,874.95**	**4,23,847.77**	**3,45,488.73**	**4,71,903.21**	**3,80,624.66**	**5,47,728.97**	**4,58,707.80**	**3,85,652.08**	**3,29,067.47**
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value			
13	कुल एचक्यूएलए	TOTAL HQLA		12,87,811.75		11,79,196.97		12,16,339.66		11,28,916.84		10,59,406.08
14	कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		10,33,908.52		9,81,994.38		8,78,082.56		8,35,733.71		9,42,511.64
15	चलनिधि कवरेज अनुपात	LIQUIDITY COVERAGE RATIO		124.56%		120.08%		138.52%		135.08%		112.40%

*पूंजी पर्याप्तता तथा चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकसम्मत दिशानिर्देशों के संबंध में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2015-16 दिनांक 31 मार्च 2015 के साथ पठित बासेल- III पूंजी विनियमन पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.सं. बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015 के अनुसार बासेल- III फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को लिवरेज-अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित यथालागू पिलर-3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है. ये प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है.

RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 on Basel III Capital Regulations read together with RBI circular no DBR.NO.BP.BC. 80/21.06.201/2015-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standards Amendments requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel- III framework. These disclosures have not been subjected to audit by the auditors.

ए. 8.2.गुणात्मक प्रकटीकरण

01 जनवरी 2015 से बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है.

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि उसे अत्यधिक तरलता संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नकदी परिवर्तित किया जा सके. एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दि. 1 जनवरी 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रतः बैंक स्तर पर लागू है अर्थात शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दि. 1 जनवरी 2016 से समेकित आधार पर अर्थात घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे.

एलसीआर के दो घटक हैं:

(i) दबावग्रस्त स्थितियो में उच्च-गुणवत्ता तरल अस्तियों (एचक्यूएलए)के स्टॉक का मूल्य - न्यूमरेटर (अंश-गणक)

(ii) कुल निवल नकद बर्हिप्रवाहः लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद बर्हिप्रवाह' में से 'कुल अनुमानित नकद अंतर्प्रवाह को घटाकर 'कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह' परिभाषित होता है- डिनॉमिनेटर (विभाजक)

एलसीआर = उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों का स्टॉक/ अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह >= 100%

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, एलसीआर चरणबद्ध रुप में लागू किया जाएगा जो 01 जनवरी 2015 से न्यूनतम 60% से आरंभ होकर 01 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100% तक होगा.

A-8.2 Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR and monitoring tools are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1st January 2015 at whole bank level only i.e. on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions- the numerator.

(ii) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period) the denominator.

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

According to RBI, the LCR will be introduced in a phased manner starting with a minimum requirement of 60% from January 1, 2015 and reaching minimum 100% on January 1, 2019

	जनवरी 01, 2015 January 1 2015	जनवरी 01, 2016 January 1 2016	जनवरी 01, 2017 January 1 2017	जनवरी 01, 2018 January 1 2018	जनवरी 01, 2019 January 1 2019
न्यूनतम एलसीआर Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है. दिनांक 1 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरुहोने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है. बैंक ने मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भी एलसीआर प्रकटीकरण किया है. जिसमें तिमाही 1, तिमाई 2, तिमाही 3 और तिमाई 4 के लिए दैनिक औसत शामिल हैं.

एचक्यूएलए की संरचना

मार्च 2019, को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियाँ एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात 52.28% है उसके बाद तरलता कवरेज अनुपात का लाभ उठाने हेतु सुविधा, जो कि एचक्यूएलए का 22.88% है. स्तर-2 की आस्तियां जोकि स्तर-1 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न है, वह 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सामने कुल एचक्यूएलए का 0.88% है.

*As per the RBI guidelines dated 31st March 2014 the Bank has made LCR disclosure on solo basis from the financial year ending March 2016. In terms of extant guideline, disclosure on consolidated basis was applicable to the Indian banking system from 1st January 2016. As starting from January 2017, banks has to disclose LCR on daily average basis, hence bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level for the quarter ended March 2017. Bank has also disclosed LCR for the financial year ending March 2018, which consisted of daily averages for Q1, Q2, Q3 and Q4.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2019, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e 52.28% followed by excess SLR securities which constitute 22.88%. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute nominally 0.88% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	High Quality Liquid Assets (₹HQLAs)	एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA
लेवल 1 आस्तियां	Level 1 Assets	
हाथ में नकदी	Cash in hand	3.16%
आधिक्य सीआरआर शेष	Excess CRR balance	9.15%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियां	Government Securities in excess of minimum SLR requirement	22.88%
एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	8.05%
बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क –वेट वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क.सं. 1 तक्त अंतर्गत देशवार विवरण)	Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	3.60%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता हेतु सुविधा (वर्तमान में एमएफएस के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 9 प्रतिशत सीमा तक)	Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio(presently to the extent of 9 per cent of NDTL as allowed for MSF)	52.28%
कुल समायोजित लेवल 1, आस्तियां	Total Adjusted Level 1 Assets	99.12%
कुल लेवल 2ए आस्तियां	Total Adjusted Level 2A Assets	0.87%
कुल लेवल 2बी आस्तियां	Total Adjusted Level 2B Assets	0.01%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी -15% सीमा के समायोजित - 40% सीमा के लिए समायोजित.	Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B – Adjustment for 15% cap – Adjustment for 40% cap	100.00%

एलसीआर के प्रमुख वाहक

समूह ने 31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान रु. 1,287,811.74 मिलियन एचक्यूएलए (मार्जिन के बाद) को बनाए रखा था. इसके अंतर्गत 100% एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता के आधार औसत वांछित राशि रु. 1,033,908.52 मिलियन थी. एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर के आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियों, मार्जिनल स्टैण्डिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की सुविधा प्राप्त करने पर आधारित है. इसके अलावा, एचक्यूएलए के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास एक्सेस सीआरआर तथा विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर-2 के एचक्यूएलए में मुख्यतः एए- और उससे ऊपर के रेटेड कार्पोरट बॉन्ड और वाणिज्यिक प्रपत्र शामिल हैं.

अंतः अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन

90% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष में जनवरी 2019, फरवरी 2019 तथा मार्च 2019 में एलसीआर क्रमशः 121.96%, 121.24% तथा 120.69 % था.

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि-एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. 31 मार्च, 2019 को महत्त्वपूर्ण काउंटर पार्टियों की जमाराशियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम से अर्थात् वैश्विक देयताओं का 2.53% रही.

एक महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि-एक सिंगल लिखत/उत्पाद या वैसे ही लिखतों/उत्पादों का समूह, जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. निधिगत लिखत/उत्पादों का

Main drivers of LCR:

The Group, during the three months ended March 31, 2019, had maintained average HQLA (after haircut) of Rs.1, 287,811.74 million. As against the average requirement of Rs. 1,033,908.52 million at a minimum LCR requirement of 100%. HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity coverage ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI and other overseas central banks, securities issued by foreign sovereigns are important factors of HQLA. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

Intra-period changes as well as changes over time:

LCR on consolidated basis were 121.96%, 121.24% and 120.69% as at the months ended January 2019, February 2019 and March 2019 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of funding sources

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. The significant counterparty Deposit as of 31st March 2019 was from "Employees State Insurance Corporation" i.e. 2.53% of Global Liabilities.

A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of

उदाहरण-हॉलसेल जमा-राशियां जमा-राशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि के आवधिक बॉन्ड इत्यादि. 31 मार्च, 2019 को महत्त्वपूर्ण लिखत/उत्पाद, होलसेल जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 7.55% दीर्घावधि बॉन्ड अर्थात् वैश्विक देयताओं का 1.59% और जमाराशियों के प्रमाणपत्र अर्थात् वैश्विक देयताओं का 1.46% रही.

एकल आधार पर बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं में हमारी कुल जमा राशि का 7.26% है.

डेरीवेटीव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल:

यथा 31 मार्च 2019 को बैंक का डेरिवेटीव एक्सपोजर निम्न अनुसार हैं:

funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Significant instrument/product as of 31st March 2019 were Wholesale Deposits i.e. 7.55% of Global Liabilities, Long Term Bonds i.e. 1.59% of Global Liabilities and Certificate of Deposits i.e. 1.46% of Global Liabilities.

Top 20 depositors of the bank on solo basis constitute 7.26% of our total deposits.

Derivative exposures and potential collateral calls:

The bank's derivative exposure as on 31st March 2019 is as under:

क्रम सं S.No.	विवरण	Description	(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)
1	डेरीवेटीव एक्सपोज़र की काल्पनिक राशि	Notional amount of Derivative exposure	307,435.72
2	चालू एक्सपोज़र पद्धति के अनुसार एक्सपोज़र	Exposure as per Current Exposure method	10,139.76
3	अगले 30 दिनों के लिए डेरीवेटीव एक्सपोज़र	Expected outflow for Derivative exposure for next 30 days	(245.54)

एलसीआर में मुद्रा-मिसमैच:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, जहां केवल एक ही मुद्रा के लिए एलसीआर मानक का अनुपालन आवश्यक है, वहीं संभाव्य मुद्रा- मिसमैच पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक मुद्रा की निगरानी आवश्यक है. तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रूप्ए में एलसीआर सुनिश्चित कर रहा है और उसकी तुलना नियामक आवश्कयताओं के साथ की जाती है. किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं (महत्वपूर्ण मुद्रा उसे कहते हैं जहां उस मुद्रा में दर्शायी गई कुल देयताएं, बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक होती है) के संबंध में बैंक 'बीएलआर एलसीआरट के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने हेतु एलसीआर तैयार करता है तथा उसकी निगरानी करता है. बैंक को प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा के लिए नियामक सीमाओं के अनुरूप एलसीआर सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है. मार्च 2019 माह समापन पर महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्राओं के लिए एलसीआर निम्नानुसार है:

Currency mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement, but on other significant currencies (A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities) bank is preparing LCR on monthly basis for the submission to RBI under

"BLR-4 – LCR" and to monitor the same. Bank is not required to maintain LCR as per regulatory limits on each significant currency.

The LCR for the significant foreign currencies as at the month ended March 2019 is as under:

क्र. सं. /S.No.	मुद्रा / Currency	एलसीआर का स्तर / LCR level (%)
1.	यूएसडी / USD	294.56
2.	जीबीपी / GBP	24.88
3.	ईयूआर / EUR	329.17

चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद.

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है. निदेशक मंडल अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल' कहा जाता है, सौंप देता है. यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है.

हमारे बैंक में ए.एल.एम. पॉलिसी ग्रुप है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए बृहद दिशा निर्देश देता है. विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां क्षेत्रीय एएलएम पॉलिसी एवं समूह एएलएम पॉलिसी, दोनों के अनुरुप अपनी परिचालन चल निधि या अल्पावधि चल निधि लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबन्ध कर लेती है. बैंक की चलनिधि एवं / विदेशी व्यापार के ब्याज जोखिम प्रबंधन की मॉनिटरिंग बैंक के जोखिम प्रबन्धन विभाग के ग्लोबल मिड ऑफिस द्वारा की जाती है.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage their operational liquidity or liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy. The monitoring of liquidity and interest rate risk management of the overseas operations of the bank is being done by the Bank's Global Mid-Office (ALM Cell) of Risk Management Department.

ए.एल.एम. समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशा निर्देश, जब तक कि विशेष रुप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते है. बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं अर्थात अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चल निधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबन्ध करती है. वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते है. चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं. वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों-इनमें से जो ज्यादा कड़े है, उनके अनुसार कार्य करती है.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank i.e.- subsidiaries, joint ventures and associates manage their operational liquidity on an ongoing basis at their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent.

ए-9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीद और बिक्री की है-

A-9 Priority Sector Lending Certificate (PSLC)

The banks has purchased & sold the following PSLCs during the year:-

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	श्रेणी /Category		खरीद/ Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी कृषि	PSLC Agriculture	-	3,800
2.	पीएसएलसी सामान्य	PSLC General	-	5,000
3.	पीएसएलसी छोटे व सीमांत किसान	PSLC Small and Marginal Farmers	1,800	800
	कुल /Total		**1,800**	**9,600**

ए-10 अग्रिमों के रिस्ट्रक्चरिंग-सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एक बारगी रिस्ट्रक्चरिंग) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीआर.सं. बीपी.बीसी 18/21.04.0482/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019 के अनुसरण में प्रकटीकरण उपर्युक्त निर्देशों के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान रिस्ट्रक्चर किए गए एमएसएमई खाते निम्नानुसार हैं-

रिस्ट्रक्चर किए गए खातों की संख्या	राशि (रु. करोड़ में)
5,640	190.75

A-10 Disclosure in term of RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 on 'Restructuring of Advances – Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), MSME accounts restructured under above instructions during the year ended 31st March, 2019 as under: -

No. of Accounts Restructured	Amount (Rs. in Crore)
5,640	190.75

बी. इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

बी 1 एएस-5 अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि हेतु मद तथा लेखांकन नीति (एएस-5)में परिवर्तन (एकाउंटिंग स्टैंडर्ड-5)

वर्ष 2018-19 के लिए लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं

B-1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

No change in accounting policy for the year 2018-19.

बी -2 कर्मचारी लाभ (एकाउंटिंग स्टैंडर्ड-15)

B-2 Employee Benefits (Accounting Standard -15)

बी- 2.1 बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस- 15) को अपनाया है.

B-2.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI

बी-2.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवाओं के बाद त्यागपत्र देते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिग के लिए एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, परिलक्षित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है. निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है .

B-2.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता निर्धारण जो योजना कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees

बी-2.3 पेंशन

बी-2.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनिमय, 1995 के अधीन उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनिमय, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है.

B-2.3 Pension

B-2.3.1.Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund

बी-2.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का दुबारा विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संयुक्त और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं. जो कि बैंक ने संयुक्त नोट/समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू की है. यह योजना दिनांक 01.01.2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय-समय पर यथासंशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से ही नियंत्रित होती है. अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं. दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवाओं में प्रवेश करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में कुल परिलब्धियों से मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जा रहा है.

B-2.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010, similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f. 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made.

बी-2.4 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए अपने कर्मचारियों, जो 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व सेवा में आए हैं, के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रुप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यास द्वारा किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

B-2.4 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India

बी-2.5 छुट्टी नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश का अधिकतम 240 दिनों के अधीन नकदीकरण का पात्र है.

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टियों के 50% तक का अधिकतम 120 दिनों के अधीन नकदीकरण का पात्र है.

B-2.5 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

बी-2.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि एक अधिकारी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / मृत्यु के मामले में अतिरिक्त

B-2.6 Additional Retirement Benefit (ARB)

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on his Retirement/ Voluntary retirement/

सेवानिवृत्ति लाभ के रुप में 6 माह का वेतन पाने का पात्र होगा, बशर्ते उसने बैंक में 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और वह बॉब अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता हो.

उसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते उसने बैंक में 30 वर्षों की सेवाएँ पूरी की हो.

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे किए हों.

1 जुलाई, 1979 के पूर्व बैंक की सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारी अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ योजना हेतु पात्र हैं.

Death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed twenty-five years of service in the Bank and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

The employees, who joined bank before 01st July, 1979 is eligible for the benefit of additional retirement scheme

बी-2.7 प्रकटीकरण

I. परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी एवं पेंशन)

(ए) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का वर्तमान मूल्य

B-2.7 Disclosures

I. Defined Benefit Plans (Gratuity and Pension)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का प्रारंभिक शेष	Opening Defined Benefit Obligation	13,357.19	12,811.00	1,678.33	1,349.92
जोड़ें- ब्याज लागत	Add- Interest Cost	985.86	951.37	116.43	94.24
जोड़ें- पिछली सेवा लागत	Add – Past Service Cost	0	0	0	388.30
जोड़ें- मौजूदा सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1,094.76	1,168.24	104.15	105.45
जोड़ें- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	1,107.69	943.00	332.39	255.00
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/लाभ (-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	-654.29	-630.44	29.97	-4.49
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष	**Closing Defined Benefit Obligation**	**13,675.83**	**13,357.19**	**1,596.49**	**1,678.33**

बी-योजनागत आस्तियों के समुचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष	Opening Fair Value of plan assets	13,101.69	12,637.67	1,185.58	1,239.77
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	Add- Expected Return on Plan Assets	1,008.83	1,011.01	91.29	99.18
जोड़ें: अंशदान	Add- Contributions	338.40	271.40	201.52	110.06
घटायें: प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	1,107.69	943.00	332.39	255.00
जोड़ें: बीमांकिक लाभ / (-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	1,21.66	124.61	41.30	-8.43
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	**Closing Fair Value of Plan Assets**	**13,462.89**	**13,101.69**	**1,187.30**	**1,185.58**

सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
परिभाषित लाभ देयताओं का अंतिम शेष	i) Closing Defined Benefit Obligation	13,675.83	13,357.19	1,596.49	1,678.33
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	ii) Closing Fair Value of Plan Assets	13,462.89	13,101.69	1,187.30	1,185.58
अंतर	iii) Difference	212.94	255.50	409.19	492.75
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	iv) Unrecognized transitional liability	0	0	0	291.23
तुलनपत्र में मान्य देयता	**v) Liability Recognized in the BS**	**212.94**	**255.50**	**409.19**	**201.52**

डी) लाभ-हानि खाते में मान्य राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
चालू सेवा लागत	i) Current Service Cost	1,094.76	1,168.24	104.15	105.45
पूर्व सेवा लागत	ii) Past Service Cost	0	-	0	388.30
ब्याज लागत	iii) Interest Cost	985.86	951.37	116.43	94.24
योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	iv) Expected Return on Plan Assets	1,008.83	1,011.01	91.29	99.18
निवल बीमांकिक हानि/लाभ (-)	v) Net Actuarial Loss/gain(-)	-775.95	-755.04	-11.23	3.94
वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता का निर्धारण	vi) Transitional liability recognized in the year	0	0	0	291.23
लाभ व हानि खाते में निर्धारित खर्च	**Expenses Recognized in P&L**	**295.84**	**353.56**	**117.96**	**201.52**

ई) निवेश पेटर्न : (% में)

e) Investment Pattern: (In %)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	3.11	3.23	20.24	20.67
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	4.59	0.50	21.79	24.00
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	6.41	7.16	9.74	10.83
कार्पोरेट (निजी)	Corporate (Private)	5.43	2.76	-	-
बीमा	Insurance	79.10	85.44	48.23	44.50
अन्य	Others	1.36	0.91	-	-
कुल	**Total**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

प्रबंधन के पास उपलब्ध डेटा अनुसार.

As per the data available with management.

एफ) मूल बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रुप में व्यक्त)

f) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
डिस्काउंट दर	Discount rate	7.70%	7.71%	7.70%	7.71%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
ह्रास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर	Expected Rate of Return on plan Assets	7.70%	8.00%	7.70%	8.00%

मॉर्टेलिटी दर : आईएएलएम (2006-2008)

Mortality Rate: IALM (2006-2008)

जी) पेंशन हेतु पांच वर्ष का प्रकटीकरण

योजना में अधिशेष/ कमी

g) Five year's disclosure for Pension

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

Surplus/Deficit in the plan

तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2015 को As on March 31, 2015	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2016	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2017	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
वर्ष की समाप्ति पर देयता	Liability at the end of the year	8,949.66	11,947.17	12,811.00	13,357.19	13,675.83
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair value of Plan Assets at the end of the year	8,707.91	9,031.10	12,637.67	13,101.69	13,462.89
अंतर	Difference	-241.75	-2,916.07	-173.33	-255.50	-212.94
अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognized in the Balance Sheet**	**-241.75**	**-2,916.07**	**-173.33**	**-255.50**	**-212.94**

एच) ग्रेच्युटी हेतु पांच वर्ष का प्रकटीकरण

योजना में अधिशेष/ कमी

h) Five year's disclosure for Gratuity

Surplus/Deficit in the plan

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2015 को As on March 31, 2015	31 मार्च, 2016 को As on March 31, 2016	31 मार्च, 2017 को As on March 31, 2017	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
वर्ष की समाप्ति पर देयता	Liability at the end of the year	1,491.36	1,346.55	1,349.83	1,678.33	1,596.49
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,450.60	1,325.99	1,239.77	1,185.58	1,187.30
अंतर	Difference	-40.76	-20.56	-110.06	-492.75	-409.19
अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	0.00	291.23	0.00
तुलन-पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognized in the Balance Sheet**	**-40.75**	**-20.56**	**-110.06**	**-201.52**	**-409.19**

बी-2.7 प्रकटीकरण

II. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व): संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांक द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित तालिका संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और एआरबी की स्थिति निर्धारित करती है: -

ए) देयता के प्रारंभिक और अन्तिम शेष का रिकन्सिलिएशन

B-2.7 Disclosures

II. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
		As on March 31, 2019	As on March 31, 2018	As on March 31, 2019	As on March 31, 2018
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का प्रारंभिक	Opening Defined Benefit Obligation	878.52	906.96	331.05	346.81
जोडें - ब्याज लागत	Add- Interest Cost	62.17	64.89	23.42	23.92
जोडें - चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	48.02	47.57	9.85	10.56
घटाएं- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	142.10	130.61	53.78	55.68
जोड़े- दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/ हानि(-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	79.23	-10.29	-17.75	5.44
परिभाषित लाभ दायित्व का अंतिम	**Closing Defined Benefit Obligation**	**925.84**	**878.52**	**292.79**	**331.05**

बी) लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
		As on March 31, 2019	As on March 31, 2018	As on March 31, 2019	As on March 31, 2018
चालू सेवा लागत	i) Current Service Cost	48.02	47.57	9.85	10.56
विगत सेवा लागत	ii) Past Service Cost	0		0	
ब्याज लागत	iii) Interest Cost	62.17	64.89	23.42	23.92
निवल बीमांकिक हानि/लाभ(-)	iv) Net Actuarial Loss/gain(-)	79.23	-10.29	-17.75	5.44
लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च	**Expenses Recognized in P&L**	**189.42**	**102.17**	**15.52**	**39.92**

सी) तुलन-पत्र में मान्य प्रारंभिक और अन्तिम देयता / (आस्तियों) का रिकन्सिलिएशन

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
		As on March 31, 2019	As on March 31, 2018	As on March 31, 2019	As on March 31, 2018
i) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का प्रारंभिक	i) Opening Defined Benefit Obligation	878.52	906.96	331.05	346.81
ii) उपरोक्तानुसार खर्च	ii) Expenses as above	189.42	102.17	15.52	39.92
iii) प्रदत्त लाभ	iii) Benefit paid	142.10	130.61	53.78	55.68
iv) तुलन-पत्र में मान्य कुल देयता	iv) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	925.84	878.52	292.79	331.05

d) मूल बीमाकंक धारणा [भारित औसत के रुप में व्यक्त]

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
		As on March 31, 2019	As on March 31, 2018	As on March 31, 2019	As on March 31, 2018
डिस्काउंट दर	Discount rate	7.70%	7.71%	7.70%	7.71%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
ह्रास दर	**Attrition Rate**	**2.00%**	**2.00%**	**2.00%**	**2.00%**

मॉर्टेलिटी दर : आईएएलएम (2006-2008)

बीमांकिक मूल्यांकन में निहित भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है. इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित विगत अनुभव/ तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. उक्त अनुमानों और मान्यताओं पर लेखापरीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है.

Mortality Rate: IALM (2006-2008)

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

बी-3 10.1 सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखा मानक - 17)

1. सेगमेंट निर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय सेगमेंट): बैंक के निम्नलिखित प्रमुख सेगमेंट हैं: -

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी सेगमेंट में समग्र निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा संविदा तथा डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल है. ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रुप से ट्रेडिंग परिचालनों से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है.

ii. कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग

कार्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में रु 5.00 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं.

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में रु 5.00 करोड़ से कम के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं.

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

II. गौण (भौगोलिक सेगमेंट)

i) घरेलू परिचालन - भारत में कार्यरत शाखाएं / कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफसोर बैंकिंग इकाइयां

B-3 10.1 Segment Reporting (Accounting Standard – 17)

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of Rs. 5.00 Crores and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than Rs. 5.00 Crores.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. राजस्व सेगमेंट बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है.

IV. आय, व्यय, आस्ति एवं देयताओं का आवंटन

ब्याज आय को होलसेल बैंकिंग परिचालनों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर आवंटित किया जाता है. प्राप्त कुल ब्याज में से होलसेल बैंकिंग के ब्याज को घटाकर उसे रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है. सीधे व्यय नहीं किए गए खर्च को होलसेल बैंकिंग/ रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर आवंटित किया जाता है. ट्रेजरी परिचालनों के खर्च ट्रेजरी परिचालनों से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं.

बैंक की कुछ सामान्य आस्ति और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अनावंटित माना गया है.

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations. Expenses not directly attributable are allocated on the basis Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated

सेगमेंट संबंधी जानकारी:

भाग - ए : कारोबार सेगमेंट

Segment Information

Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

कारोबार सेगमेंट	Business segment	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व	Revenue	17,001.92	16,777.99	20,697.77	18,706.92	18,161.90	14,360.20	203.50	460.58	56,065.10	50,305.69
परिणाम	Result	2,491.35	2,641.56	-5,576.69	-4,490.85	6,836.28	1,440.45	146.35	335.94	3,897.30	-72.90
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									3,199.15	2,717.84
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									698.15	-2,790.74
आयकर	Income taxes									264.63	-358.93
विशिष्ट लाभ/हानि	Extra-Ordinary Profit/ Loss									-	--
निवल लाभ	Net Profit									433.52	-2,431.81
अन्य सूचना	Other Information									-	--
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	2,23,894.46	2,68,099.12	3,54,966.45	3,11,342.07	1,89,984.09	1,30,111.77	0	0	7,68,845.00	7,09,552.96
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									12,142.40	10,446.81
कुल आस्तियां	Total Assets									7,80,987.40	7,19,999.77
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	2,09,278.56	2,51,940.64	3,31,794.13	2,92,577.32	1,77,581.87	1,22,269.86	0	0.00	7,18,654.57	6,66,787.82
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									11,349.74	9817.18
कुल देयताएं	Total Liabilities									7,30,004.31	6,76,605.00
नियोजित पूंजी	Capital employed	14,615.90	16,158.48	23,172.32	18,764.75	12,402.22	7,841.91	0.00	0.00	50,190.44	42,765.14
अनाबंटित	Unallocated									792.66	629.63
कुल पूंजी	Total Capital									50,983.10	43,394.77

भाग - बी : भौगोलिक खंड :

Part B – Geographic Segments

(₹ करोड़ में / ₹ *in Crores*)

सेगमेंट	Segments	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व	Revenue	49,803.80	45,342.56	6261.30	4,963.13	56,065.10	50,305.69
आस्तियां	Assets	6,69,681.72	5,53,287.16	1,11,305.69	1,66,712.61	7,80,987.40	7,19,999.77

बी-4 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध:

1. संबंधित पार्टियों का नाम एवं उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी

1. नैनीताल बैंक लिमिटेड

ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केनिया) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) आईएनसी
4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद व टोबेगो) लि.
7. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.
8. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.
9. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.

iii) घरेलू गैर- बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
2. बॉब फाइनेंसिएल सोल्यूशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब कार्डस् लि.)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
5. बड़ौदा एसेट मेनेजमेंट इंडिया लिमिटेड
6. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

iv) विदेशी गैर- बैंकिंग अनुषंगी

1. बॉब (यूके) लिमिटेड

v) विदेशी गैर- बैंकिंग स्टेप-डाउन अनुषंगी

1. बड़ौदा कैपिटल मार्केट (यूगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)

(बी) सहयोगी इकाइयां

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

(बी) अन्य

1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

(सी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. लि.
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
3. इंडिया इंफ्राडेब्ट लि.

(डी) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

B-4 Related Party Disclosures (Accounting Standard -18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

I. Name of Related Parties & their relationship

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1. Bank of Baroda (Kenya) Limited
2. Bank of Baroda (Uganda) Limited
3. Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4. Bank of Baroda (UK) Limited.
5. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6. Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.
7. Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
8. Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
9. Bank of Baroda (Botswana) Limited

iii) Domestic Non- Banking Subsidiaries

1. BOB Capital Markets Limited
2. BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB Cards Ltd)
3. Baroda Global Shared Services Ltd
4. Baroda Sun Technologies Ltd.
5. Baroda Asset Management India Limited
6. Baroda Trustee India Private Limited

iv) Foreign Non- Banking Subsidiary

1. BOB (UK) Ltd.

v) Foreign Non- Banking Step-down Subsidiary

1. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)

b) Associates

i) Regional Rural Banks

1. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

c) Joint Ventures

1. India First Life Insurance Company Limited
2. India International Bank (Malaysia) Bhd.
3. India Infra debt Limited

d) Key Management Personnel

क्र. सं. S. NO	नाम NAME	पदनाम DESIGNATION	पारिश्रमिक Remuneration	
			For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
1	श्री पी. एस. जयकुमार Shri P. S. Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	33,45,175	31,51,937

2	श्री मयंक मेहता Shri Mayank Mehta	कार्यपालक निदेशक Executive Director (up to 30.09.2018)	55,24,659	30,20,936
3.	श्री अशोक कुमार गर्ग Shri Ashok Kumar Garg	कार्यपालक निदेशक Executive Director (up to 30.06.2018)	46,38,773	28,24,124
4.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता Smt. Papia Sengupta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	29,77,837	27,81,170
5.	श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	कार्यपालक निदेशक Executive Director (up to 20.09.2018)	15,15,397	-
6.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 01.10.2018)	14,23,096	-

* सेवा निवृत्ति लाभ सहित

लेखों पर टिप्पणियों के आरबीआई के परिपत्र के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक, बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक होते हैं.

लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार ऐसी संबंधित पार्टियों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो राज्य-नियंत्रित उद्यम हैं. साथ ही, लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी भी शामिल हैं .

B-5 परिचालन लीज (लेखांकन मानक -19)

परिचालन लीज पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

परिचालन लीजों में मुख्य रुप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जो बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय हैं.

i) रद्द न किये जाने योग्य परिचालन लीज पर लिए गए परिसरों पर भविष्य के किराये के भुगतान के विवरणों को निर्धारित की गई अवधि के लिए निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

**includes retirement benefits*

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

B-5 Operating Lease (Accounting Standard -19)

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

दायित्व	Obligations	As on March 31, 2019	As on March 31, 2018
एक वर्ष से कम पुरानी नहीं	Not later than one year	61.33	35.96
एक वर्ष से ज्यादा परंतु पांच वर्ष से कम पुरानी नहीं	Later than one year and not later than five years	132.92	122.56
पांच वर्ष से ज्यादा पुरानी	Later than five years	129.31	165.04

ii) परिचालन लीजों के लिए लाभ एवं हानि खाते में मान्य लीज भुगतान की राशि रु 516.86 करोड़ (31 मार्च, 2018: रु 498.62 करोड़) है.

बैंक के पास आकस्मिक किराए से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है.

नवीकरण/ खरीद विकल्प और वृद्धि खंड की शर्तें सामान्य रूप से समान समझौतों में लागू हैं. समझौतों में कोई अनुचित प्रतिबंध या अत्यावश्यक शर्तें नहीं हैं.

B-6 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर इक्विटी में बुनियादी व डाल्यूटेड आय रिपोर्ट करता है. वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर "मूल आय" की गणना की गई है.

ii) Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is Rs. 516.86 Crores (March 31, 2018: Rs. 498.62 Crores)

The Bank does not have any provisions relating to contingent rent.

The terms of renewal/purchase options and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

B-6 Earning per Share (Accounting Standard -20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण	Particulars	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या	Number of share at the beginning of the year	2,64,55,16,132	2,30,41,59,598
वर्ष के दौरान जारी शेयर	Shares Issued during the Year	0	34,13,56,534
वर्ष की समाप्ति पर शेयरों की संख्या	Number of share at the end of year	2,64,55,16,132	2,64,55,16,132
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयोग किए गए भारित औसत शेयर	Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	2,64,55,16,132	2,30,88,35,715
वर्ष की समाप्ति पर इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या*	Potential no. of equity shares as at end of year*	42,85,59,286	-
प्रति शेयर डाल्यूटेड आय की गणना करने के लिए प्रयोग किए गए शेयरों की संख्या	Number of share used in computing the diluted earnings per shares	3,07,40,75,418	-
कर के बाद निवल लाभ (राशि करोड़ में)	Net profit after tax (Rs in Crores)	433.52	(2431.81)
प्रति शेयर मूल आय (रू में)	Basic earnings per share (In Rs.)	1.64	(10.53)
प्रति शेयर डाल्यूटेड आय (रू में)	Diluted earning per share (In Rs.)	1.41	(10.53)
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रू में)	Nominal value per share (In Rs.)	2.00	2.00

* ऐसे शेयरों की अधिकतम संख्या को दर्शाता है जो शेयर एप्लीकेशन प्राप्त राशि के सापेक्ष भारत सरकार को जारी किए जा सकते हैं (अनुसूची 18 के तहत ए-1 पूंजी का संदर्भ लें). वर्ष के लिए टीयर I पूंजी की गणना के उद्देश्य से प्राप्त एप्लीकेशन राशि पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.सीओ.बीपी नं. 9771/21.01.002/2018-19 दिनांक 17.05.2019 के आधार पर लेखा मानक 20 प्रति शेयर आय के अनुसार इन शेयरों को संभावित इक्विटी माना गया है.

* Represents maximum number of shares that can be issued to the Government of India against Share application money received (Refer note no A-1 Capital under Schedule 18). These shares have been considered as a Potential Equity in terms of Accounting Standard 20 "Earning per Share" based on the letter bearing No DBR.CO.BP No. 9771/21.01.002/2018-19 dated 17.05.2019 from Reserve Bank of India to consider the Application Money received for the purpose of calculation of Tier I Capital for the year.

बी -7 आय पर करों का लेखांकन (लेखांकन मानक -22)

ए) वर्तमान कर:

वर्ष के दौरान वर्तमान कर के कारण बैंक ने लाभ और हानि खाते में रु 1,282.61 करोड़ (31 मार्च, 2018: रू 1,664.24 करोड़) नामे किए हैं. भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशों में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है.

बी) आस्थगित कर:

वर्ष के दौरान आस्थगित कर के कारण लाभ और हानि खाते में रु 1,017.98 (31 मार्च, 2018: रु 2,023.17 करोड़) जमा किया गया है. बैंक का शुद्ध डीटीए रु 7,408.36 करोड़ (31 मार्च, 2018: शुद्ध डीटीए रू 6,333.06 करोड़) है, जिसमें अन्य आस्तियों के अंतर्गत शामिल रु 2.80 करोड़ (31 मार्च, 2018: रू 2,989.77 करोड़ रुपये) का डीटीएल शामिल है. डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

B-7 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard -22)

a) Current Tax:

During the year the Bank has debited to Profit & Loss Account Rs. 1,282.61 Crores (March 31, 2018: Rs. 1,664.24 Crores) on account of current tax. The Current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid in foreign jurisdictions.

b) Deferred Tax:

During the year, Rs.1,017.98 has been credited to Profit and Loss Account (March 31, 2018 : Rs. 2,023.17 Crores) on account of deferred tax. The Bank has a net DTA of 7,408.36 Crores (March 31, 2018: net DTA of Rs 6,333.06 Crores), which comprises of DTL of Rs. 2.80 Crores (March 31, 2018: Rs 2,989.77 Crores) included under 'Other Assets'. The major components of DTA and DTL is given below:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	As on March 31, 2019	As on March 31, 2018
ए. घरेलू	**A. Domestic**		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)	**Deferred Tax Assets (DTA)**		
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	127.58	--

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गयी)	Foreign Currency Translation Reserve(Unrealized)	138.15	--
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	323.53	307.03
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	9,081.76	8,097.03
आयकर अधिनियम, (आईटी) की धारा 40(ए) (आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	--	3.77
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गयी)	Foreign Currency Translation Reserve (realized)	--	69.08
कुल (डीटीए)	**Total DTA**	**9,671.02**	**8,476.91**
आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल)	Deferred Tax Liabilities (DTL)		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यह्रास एवं मूल्यह्रास के बीच का अंतर.	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	55.57
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौती.	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2,000.82	1,937.20
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on HTM Securities	--	97.07
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गयी)	Foreign Currency Translation Reserve(Unrealized)	--	55.35
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest Accrued but not due	1,128.72	937.21
कुल (डीटीएल)	**Total DTL**	**3,129.54**	**3,082.40**
निवल आस्थगित कर आस्तियां (ए)	**Net Deferred Tax Assets (A)**	**6,541.48**	**5,394.51**
बी. वैश्विक (घरेलू एवं विदेशी परिचालन)	**B. GLOBAL (Domestic & Overseas operations)**		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)	**Deferred Tax Assets (DTA)**		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यह्रास एवं मूल्यह्रास के बीच का अंतर.	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	127.35	--
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	330.99	307.03
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	9,940.98	9,035.58
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	138.15	69.08
अन्य	Others	0.43	0.00
कुल (डीटीए)	**Total DTA**	**10,537.90**	**9,415.46**
आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल)	**Deferred Tax Liabilities (DTL)**		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यह्रास एवं मूल्यह्रास के बीच का अंतर.	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	55.57
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौती.	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2,000.82	1,937.20
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on HTM Securities	--	97.07
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गयी)	Foreign Currency Translation Reserve (Unrealized)	--	55.35
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest Accrued but not due	1,128.72	937.21
आयकर अधिनियम, (आईटी) की धारा 40(ए) (आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	--	3.77
कुल (डीटीएल)	**Total DTL**	**3,129.54**	**3,082.40**
निवल आस्थगित कर देयताएं(बी)	**Net Deferred Tax Assets (B)**	**7,408.36**	**6,333.06**

B-8 परिचालन बंद करना (लेखांकन मानक -24)

अपने परिचालनों में से ऐसे किसी भी परिचालन को बंद करने की बैंक की कोई योजना नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप देयता कम होती है और आस्तियों की वसूली होती है और ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसके द्वारा उसके परिचालन को पूरी तरह से बंद किया जाए.

बी-9. संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण (लेखा मानक -27)

एएस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों , देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

B-8 Discontinuing operations (Accounting Standard- 24)

The Bank has no plan to discontinuing operations of any of its operations, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

B-9 Disclosure of Interest in Joint Ventures (Accounting Standard -27)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

नाम Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निवेश का स्वरूप Nature of Investments	स्वामित्व का % / % of owner ship	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. India First Life Insurance Company Ltd	भारत / India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	44 %	44 %
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd	मलेशिया /Malaysia	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40 %	40 %
इंडिया इंफ्राडेब्ट लि. India Infradebt Ltd.	भारत /India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.99 %	36.86 %

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	**Particulars**	**As on March 31, 2019**	**As on March 31, 2018**
देयताएं	**Liabilities**		
पूंजी एवं प्रारक्षित निधि	Capital & reserve	1,208.87	819.84
जमाएं	Deposits	92.83	76.15
ऋण	Borrowings	3,471.58	2,663.4
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & provisions	6,678.66	5,550.71
कुल	**Total**	**11,451.94**	**9,110.10**
आस्ति	**Asset**		
नकदी तथा आरबीआई के पास जमाशेष	Cash and Balances with RBI	1.17	0.77
बैंक के पास जमाशेष तथा मांगे जाने तथा अल्प सूचना पर देय राशि	Balances with banks and Money at call and short notice	436.59	420.57
निवेश	Investments	8,382.78	6,963.76
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	2,262.43	1,411.29
स्थायी आस्तियां	Fixed Assets	14.17	10.17
अन्य आस्तियां	Other Assets	354.80	303.54
कुल	**Total**	**11,451.94**	**9,110.10**
अन्य आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	35.44	87.89
आय	**Income**		
अर्जित आय	Income Earned	898.45	653.65
अन्य आय	Other Income	1,416.86	1,011.16
कुल	**Total**	**2,315.31**	**1,664.81**
व्यय	**Expenditure**		
ब्याज व्यय	Interest expended	274.51	184.88
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	863.37	676.78
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं व्यय	Provisions & contingencies	1,055.73	730.19
कुल	**Total**	**2,193.61**	**1,591.85**
लाभ	**Profit**	**121.70**	**72.96**

B-10 आस्तियों का अनर्जक बनना (लेखांकन मानक -28)

बैंक के प्रबंधन के विचार से वर्ष के दौरान आस्तियों के अनर्जक बनने के संबंध में कोई संकेत नहीं मिले हैं जिन पर लेखा मानक -28 - ''आस्तियों का इंपेयरमेंट लागू होता हो.

बी-11.प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एएस-29)

बी-11.1 बैंक की पॉलिसी के अनुसार ऐसे ऋणों हेतु जिन्हें दावो के रुप में

B-10 Impairment of Assets (Accounting Standard-28)

In the opinion of the Bank's management, there is no indication of impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

B-11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Accounting Standard-29)

B-11.1 As per the policy of the Bank, provision for the

स्वीकार नहीं किया है, उनके लिए प्रावधान किया गया है.

claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

दावों के लिए प्रावधानों का संचलन

Movement of provisions for Claims

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण विधिक मामले/आकस्मिकताएं	Particulars Legal Cases/Contingencies	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
प्रारंभिक शेष	Opening balance	41.85	40.19
वर्ष के दौरान प्रावधान/समायोजन	Provided / Adjustment during the year	-8.13	1.66
31 मार्च 2019 को शेष	Balance as on 31st March 2019	33.72	41.85
आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय	Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement/ crystallization	

ए करों हेतु प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है. ''अन्य आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी / स्रोत पर कर की कटौती राशि ₹ 5,881.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,007.25 करोड़) है, जिसमें विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गयी / विभाग द्वारा समायोजित राशि ₹ 2615.40 करोड़ (31मार्च 2018 वर्ष ₹1704.89 करोड़) शामिल है. आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है.

बी तुलनपत्र के शेडयूल 12 की क्र.सं.(I) से (VI) में उद्दृत ऐसी देयताएं क्रमशः मांगी गयी राशि, संविदा देयता शर्तें सम्बद्ध पार्टियों की मांग अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा पर निर्भर करती हैं. ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

सी फरवरी 2019 में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पीएफ अधिनियम) के तहत विशेष भत्तों पर विचार किया जाना चाहिए. बैंक को विधिवत रुप से सूचना दी जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैंक पर लागू नहीं होता क्योंकि स्वयं के निधि को बनाया रखता हैं.

डी वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती हैं.

सी अतिरिक्त प्रकटीकरण

सी-1 बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षो में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2019 तक कर लिया गया है. इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है.

सी-2. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के

a) Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels. Tax paid in advance/tax deducted at source appearing under "other Assets" amounting to Rs 5,881.92 Crores (March 31, 2018: Rs 2,007.25 Crores) is inclusive of Rs 2,615.40 Crores (March 31, 2018: Rs 1,704.80 Crores) which represents amount adjusted by the department / paid by the bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and/or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the assessing officer are not sustainable.

b) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

c) In February 2019, the Honorable Supreme Court of India in its judgment clarified that certain special allowances should be considered to measure obligations under Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (the PF Act). The Bank has been legally advised that the said ruling by Supreme Court is not applicable to the Bank since the bank is maintaining its own fund.

d) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

C. Additional Disclosures

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2019, the reconciliation of which is in progress.

C-2 Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising

फलस्वरुप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है.

C-3 निवेश

सी-3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने ''बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में निवेश के एक भाग को ''परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में अंतरित कर दिया है. ₹ 3.58 करोड़ (मार्च 31, 2018 ₹ 5.27 करोड़) के परिणामी मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित कर दिया गया है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.113 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 15 जून, 2018 द्वारा बैंकों को एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में किए गए निवेशों पर मार्क टू मार्केट (एमटीएम) से नुकसानों के लिए 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही से चार तिमाहियों तक प्रावधान करने का विकल्प दिया गया है, बैंक ने इस छूट का लाभ उठाया है. 30 सितंबर, 2018 को समाप्त छमाही में रु. 248.48 करोड़ की राशि को आगे बढ़ाया गया है. दिसंबर 2018 और मार्च 2019 की तिमाही के दौरान बैंक के समग्र पोर्टफोलियो में 31 दिसंबर, 2018 और 31 मार्च, 2019 को सकारात्मक एमटीएम है. इसलिए किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है. तदनुसार, उपरोक्त परिपत्र तिमाही के लिए बैंक पर लागू नहीं होगा.

सी-3.2 एफसीएनआर (बी) आरबीआई के साथ स्वैप

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नयी एफसीएनआर (बी) जमाराशियां जो किसी भी अनुमत मुद्रा में संग्रहित की गयी हो उन्हें तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि के लिए यूएस डॉलर-रुपए में रियायती दरों पर बदलने की शुरुआत की है. इस विंडो के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी अनुमत मुद्रा में एकत्र की गयी एफसीएनआर (बी) जमा राशियों के लिए बैंकों को स्वैप की रियायत दर का प्रस्ताव किया हैं.

बैंक ने संग्रहित यूएस डॉलर 1710 मिलियन भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ संगामी अवधि के लिए स्वैप किया. चूंकि आरबीआई के साथ स्वैप वर्तमान 3.5% प्रतिशत तत्समय प्रवर्तमान दर 8% पर किया गया. इसके परिणाम स्वरुप प्रथम वर्ष और परिपक्वता तारीख पर लाभ प्रतिकूल हो सकता है. इस निहित प्रतिकूलता से बचाव एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार हमने स्वैप प्वाइंटस के अमोरटाइजेशन की पद्धति को स्वैप की पूरी अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया है.

on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

C-3 Investments

C-3.1 In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from HTM category to AFS category. The resultant depreciation of Rs. 3.58 Crores (March31, 2018: Rs. 5.27 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

RBI circular DBR.No.BP.BC.113/21.04.048/2017-18 dated June 15, 2018 had granted banks an option to spread provisioning for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT categories equally up to four quarters, commencing with the quarter ended June 30, 2018, the Bank has availed the relaxation permitted. An amount of Rs.248.48 crore, was carried forward as at the half year ended September 30, 2018. During the December 2018 and March 2019 quarters the overall portfolio of the bank has a positive MTM as at December 31, 2018 and March 31, 2019, hence no further provision is required. Accordingly, the above circular will not apply to the bank for the quarter.

C-3.2 FCNR (B) Swap with RBI

RBI introduced US Dollar-Rupee concessional swap window for fresh FCNR (B), funds mobilized in any permitted currency for a minimum tenor of three years and above. In this window RBI offered a concessional rate of Swaps to banks only for fresh FCNR (B) deposits mobilized in any of the permitted currencies.

The bank mobilized USD 1710 Million and consequently bank executed concessional rate swaps with RBI for the corresponding tenor. The swaps executed with RBI were done at 3.5% as against the prevailing rate of around 8% and consequently would have distorted profits/loss in the starting year as well as in maturity year. To avoid this inherent distortion, and as prescribed by RBI, we have adopted the method of amortization of swap points to even out expenses throughout the tenor of swaps.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	108.30	100.86
जोड़ें: अवधि के दौरान अमोर्टाईज्ड	Add: Amortized during the year	14.88	27.84
घटाएं: परिपक्वता पर वापस	Less: Reversed on maturity	123.18	-20.40
कुल	**Total**	शून्य / Nil	**108.30**

सी-3.3 'परिपक्वता पर धारित श्रेणी में ₹ 251.61 करोड़ निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किया गया है तथा अपर्याप्त लाभ के कारण शून्य राशि पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अंतरित की गयी.

C-3.3 Profit on sale of investment held under "Held to Maturity" category amounting to Rs 431.51 crores has been credited to Profit & Loss Account and Rs. 210.36 crore has been apportioned to Capital Reserve Account.

सी-4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है.

सी-5. परिसर

सी-5.1 बैंक की कुल ₹ 23.86 करोड़ (मार्च 31, 2018 ₹ 23.86 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.

सी-5.2 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन ₹ 92.13 करोड़ (मार्च 31, 2018 ₹ 178.10 करोड़) की संपत्तियां शामिल हैं.

सी-6 बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रुप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रुप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी.

बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरुप एक गोइंग कंसर्न/बिक्री के रुप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रुप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया.

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मैसर्स बॉब फिसकल सर्विसेस लि. के समामेलन को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और बॉम्बे उच्च न्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया. यह मामला अभी भी न्यायालय में लंबित हैं.

सी-7. आल इंडिया यूनियन ऑफ वर्कमैन के साथ सदस्य बैंक के रूप में भारतीय बैंक संघ द्वारा किया गया 11वाँ द्विपक्षीय समझौता दिनांक 31 अक्तूबर 2017 को समाप्त हो गया. वेतनमान संसोधन समझौतों के लंबित निष्पादनों के अनुसार, 1 नवंबर 2017 से लागू होगा जिसके लिए वर्ष के दौरान ₹ 100.00 करोड़ (मार्च 31, 2018 पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया है.

सी-8 बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक (आयएनडी-एएस) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) ने डीबीआर.बीपी.बीसी. नं.76/21.07.0001/ 2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 द्वारा रोडमैप निर्धारित किया है एवं बैंकों को इस संबंध में हुई प्रगति सहित आईएनडी-एएस कार्यान्वयन हेतु रणनीति का प्रकटन करने की आवश्यकता है. तदनुसार बैंक ने आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन में सहायता हेतु एक कंस्लटेंट नियुक्त किया हैं. बैंक ने हुई प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु एक स्टीयरिंग समिति बनाई है तथा लेखापरीक्षा समिति को समय- समय पर इसकी सूचना की जाती है. कथित परिपत्र द्वारा निर्धारित आवश्यकतानुसार बैंक ने 30 जून, 2017 को समाप्त अवधि हेतु भा.रि.बैं. को प्रारूप आईएनडी-एएस वित्तीय विवरणी प्रस्तुत कर दी है. 05-04-2018 को भा.रि.बैं. द्वारा जारी 'विकास व नियामक नीतियों की विवरणी अनुसार आईएनडी-एएस का कार्यान्वयन एक वर्ष से आस्थगित कर दिया गया है. (यथा पूर्व में 01-04-18 से 01-04-2019.

C-4 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There has been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

C-5 Premises

C-5.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to Rs 23.86 Crores (March 31, 2018: Rs 23.86 Crores).

C-5.2 Premises include assets under construction amounting to Rs. 92.13 Crores (March 31, 2018: Rs.178.10 Crores).

C-6 BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court. The matter is still pending before the judiciary.

C-7 The 11th Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October 2017. In accordance with the pending execution of agreement for wage revision, to be effective from 1st November 2017, a provision of Rs.524.86 Crores (March 31, 2018: Rs. 100 crore) has been made during the year.

C-8 The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BP.BC. No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks need to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. In terms of the requirement stipulated vide said circular, the Bank has submitted quarterly proforma Ind-AS financial statements to the RBI up to 31st December, 2018. Further, as per RBI circular DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019, the implementation of Ind AS on banks has deferred till further notice.

सी -9 बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन

ए) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, 02 जनवरी, 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा (इसके बाद अंतरक बैंक के रूप में संदर्भित) के साथ विजया बैंक और देना बैंक (इसके बाद सामूहिक रूप से अंतरिती बैंक के रूप में संदर्भित) के समामेलन की योजना को अधिसूचित किया है. यह योजना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी.

इस योजना के प्रारंभ होने पर, अंतरिती बैंकों के उपक्रमों को अंतरण बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अंतरिती बैंकों के उपक्रमों, उनके अंतर्गत सभी कारोबार, आस्तियां (मूर्त और अमूर्त, चल और अचल सहित), देयताएं, रिजर्व और अधिशेष और अन्य सभी अधिकार और हित, जो अंतरिती बैंकों की ऐसी संपत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं, जो इन उपक्रमों के संबंध में हैं, जैसा कि योजना के प्रारंभ से ठीक पहले थी, भारत के भीतर या बाहर अंतरिती बैंकों के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थी, समझी जाएगी.

बी) संबंधित लेखा परीक्षा समितियों, संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित बैंकों को जारी की गई निष्पक्षता संबंधी राय की सिफारिश को ध्यान में रखने के बाद, संबंधित बैंकों के बोर्ड ने शेयर विनिमय अनुपात (सभी मामलों में समरूप रैंकिंग और समान अधिकार, अंतरिती बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के रूप में, लाभांश के संबंध में, यदि कोई हो, जो कि इस योजना के शुरूहोने के बाद अंतरक बैंक द्वारा घोषित किया जा सकता है) को निम्नानुसार मंजूरी दी है:

i) विजया बैंक के प्रत्येक रू10 के 1000 इक्विटी शेयरों पर बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रत्येक रु 2 के 402 इक्विटी शेयर.

ii) देना बैंक के प्रत्येक रू10 के 1000 इक्विटी शेयरों पर बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रत्येक रु 2 के 110 इक्विटी शेयर.

इक्विटी शेयरों के अंश की पात्रता के संबंध में, नकद भुगतान पर विचार किया जाएगा. समामेलन के संबंध में आवश्यक लेखांकन समायोजन प्रभावी तारीख पर किए जाएंगे.

C-10 वर्ष के दौरान रू 20.58 करोड़ की राशि बिना किसी देरी के निवेशक जागरूकता और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को ट्रासफर की गई है.

सी-11 बासेल III पूंजी विनिमयनों पर भा.रि.बैं. परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.एन.बी.पी.बी.सी. 1 / 21.06.201 / 2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के साथ पठित पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश और चलनिधि मानक संशोधन पर भा.रि.बैं. परिपत्र सं. 80 / 21.06.201 /

C-9 Amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda

a) In exercise of power conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980), after consultation with the Reserve Bank of India, The Government of India has notified the scheme of amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank (hereinafter collectively referred to as Transferor Banks) with Bank of Baroda (hereinafter referred to as Transferee Bank) on 02nd January, 2019,. This scheme shall come into force on the 01st April, 2019.

On the commencement of this scheme, the undertakings of the Transferor Banks shall be transferred to and shall vest in the Transferee Bank. Undertakings of the transferor banks shall be deemed to include all business, assets (including tangible and intangible, movable and immovable), liabilities, Reserve & Surplus and all other rights and interests arising out of such property of the transferor Banks in relation to the undertakings as were immediately before the commencement of scheme, in the ownership, possession, power or control of the Transferor Banks within or Outside India.

b) After taking into consideration the recommendation of the respective Audit Committees, Joint Valuation Report and the fairness opinion issued to the respective banks, the Board of the respective banks has approved the Share Exchange Ratio (ranking pari passu in all respects and shall have the same rights attached to them as the then existing equity shares of the Transferee Bank, including, in respect of dividends, if any, that may be declared by the Transferee Bank, on or after the commencement of this scheme) as under:-

i) 402 equity shares of Rs. 2 each of Bank of Baroda of every 1000 equity shares of Rs. 10 each of Vijaya Bank.

ii) 110 equity shares of Rs. 2 each of Bank of Baroda of every 1000 equity shares of Rs. 10 each of Dena Bank.

In respect of entitlements to fraction of equity shares, the consideration shall be paid in cash. Necessary accounting adjustments in regard of amalgamation will be made on the effective date.

C-10 During the year unclaimed dividend amount transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) without any delay is Rs 20.58 Crores.

C-11 RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 on Basel III. : Capital Regulations read together with RBI circular no DBR. NO.BP.BC. 80/21.06.201/2015-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital Adequacy

2014-15 दि. 31 मार्च, 2015 के अनुसार बैंको को बासेल III फ्रेमवर्क के तहत लिवरेज अनुपात व चलनिधि कवरेज अनुपात सहित लागू पिलर 3 प्रकटीकरण करने की आश्यकता हैं. ये विवरण हमारी वेबसाइट "www.bankofbaroda.com" पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इन प्रकटीकरणों को लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं किया गया है.

सी-12 पिछले वर्ष के आंकडों को पुन: एकत्रित किया गया जहाँ वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होना आवश्यक है.

and Liquidity Standards Amendments requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel- III framework. These details are being made available on our website "www.bankofbaroda.com". These disclosures have not been subjected to audit by the auditors.

C-12 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

संक्षिप्त वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report on abridged Financial Statements

सेवा में

बैंक ऑफ बड़ौदा के सदस्यगण

बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

संक्षिप्त वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

संलग्न संक्षिप्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें (ए) दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त स्टैंडअलोन तुलन-पत्र (बी) संक्षिप्त स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता (सी) संक्षिप्त स्टैंडअलोन नकद प्रवाह विवरणी, एवं संबंधित टिप्पणियों का सारांश शामिल है, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ("बैंक") के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी से लिए गए हैं. हमने अपनी दिनांक 22 मई, 2019 की रिपोर्ट में उन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी पर अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय दी है.

बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के आवश्यक सभी प्रकटीकरण तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा सिद्धांत संक्षिप्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं है. अतः बैंक के संक्षिप्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को पढ़ लेने मात्र से बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को पढ़ने की आवश्यकता पूरी नहीं होती.

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2012 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्तीय विवरण के सारांश की तैयारी करने के लिए बैंक का प्रबंधन ज़िम्मेदार है, जो विनियामक दिशानिर्देशों, भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा नीतियों के अनुरूप तैयार किए गए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है.

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी प्रक्रियाओं पर आधारित संक्षिप्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक (एसए) 810 ''सारांश वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट संबंधी सहबद्धता'' के अनुरूप की गयी है.

राय

हमारी राय में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2012 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए संक्षिप्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण से लिए गए हैं तथा उन स्टैंडअलोन विवरण का सही सारांश है.

To

The Members of Bank of Baroda

Independent Auditors Report on the Standalone Financial Statements of Bank of Baroda

Report on the Abridged Financial Statements

The accompanying abridged Standalone Financial Statements, which comprise (a) abridged Standalone Balance Sheet as at March 31, 2019 (b) abridged Standalone Profit and Loss Account and (c) abridged Standalone Cash Flow Statement for the year then ended, and related notes derived from the audited standalone financial statements of Bank of Baroda ("the bank") for the year ended March 31, 2019. We expressed an unmodified audit opinion on those standalone financial statements in our report dated May 22, 2019.

The Abridged Financial Statements do not contain all the disclosures required by the Accounting Standards, issued by Institute of Chartered Accounts of India and accounting principles generally accepted in India, applied in the preparation of audited financial statements of the Bank. Reading the abridged Standalone Financial Statements, therefore, is not a substitute for reading the audited standalone financial statements of the Bank.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The management is responsible for the preparation of summary of financial statements in accordance with the guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India vide their letter dated 1st August, 2012, which are based on the audited financial statements for the year ended 31st March, 2019 prepared in accordance with regulatory guidelines, accounting standards and accounting policies generally accepted in India.

Auditors Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the abridged financial statements based on our procedures which are conducted in accordance with Standard of Auditing (SA) 810 "Engagements to report on summary financial statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Opinion

In our opinion, the abridged Standalone Financial Statements prepared in accordance with the guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India vide their letter dated 1st August, 2012, are derived from the audited financial statements of the Bank for the year ended 31st March, 2019 and are a fair summary of those Standalone Financial Statements.

अन्य मामले

इन स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और 1 विशिष्ट एकीकृत ट्रेजरी शाखा, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 3045 घरेलू शाखाओं तथा लेखापरीक्षित 34 विदेशी शाखाओं की विवरणी शामिल हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा किया गया है. तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते में 2487 घरेलू शाखाओं और 4 विदेशी शाखाओं से विवरण भी शामिल है, जो लेखापरीक्षित नहीं है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिम का 7.87 प्रतिशत, जमाओं का 16.32 प्रतिशत, ब्याज आय का 5.13 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 15.27 प्रतिशत शामिल हैं.

Other Matter

Incorporated in these standalone financial statements are the returns of 20 branches and 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 3045 domestic branches audited by statutory branch auditors and 34 foreign branches audited, The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2487 domestic branches and 4 foreign branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.87 percent of advances, 16.32 percent of deposits, 5.13 percent of interest income and 15.27 percent of interest expenses.

AUDITORS
लेखापरीक्षक

कृते **कल्याणीवाला एवं मिस्त्री एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104607डब्ल्यू/डब्ल्यू100166
For **Kalyaniwalla & Mistry LLP.**
Chartered Accountants
FRN:104607W / W100166

(**डैरियस फ्रेज़र**)
साझेदार
एम नं. 042454
(Daraius Fraser)
Partner
M No. 042454

कृते **सिंघी एवं कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 302049ई
For **Singhi & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 302049E

(**राजीव सिंघी**)
साझेदार
एम नं. 053518
(Rajiv Singhi)
Partner
M No. 053518

कृते **जी एम कपाड़िया एवं कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्ल्यू
For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

(**अतुल शाह**)
साझेदार
एम नं. 039569
(Atul Shah)
Partner
M No. 039569

कृते **एस आर डिनोडिया एवं कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन/एन500005
For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(**संदीप डिनोडिया**)
साझेदार
एम नं. 083689
(Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689

दिनांक: 22 मई, 2019
स्थान : मुम्बई
Date: 22nd May 2019
Place: Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंड अलोन वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल है.

We hereby declare that Auditor Report on Standalone Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2019 contain unmodified opinion.

जी रमेश

जी रमेश
प्रमुख
(कॉर्पोरेट लेखा और कराधान) एवं सीएफओ

G Ramesh

G Ramesh
Head
(Corp. A/Cs & Taxation) and CFO

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

P. S. Jayakumar

P S Jayakumar
Managing Director
& CEO

सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही /संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण), विनियम, 2015 की धारा 17(8) के साथ पठित धारा 33 की अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

ए. हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही /संपूर्ण वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.

जी रमेश

जी रमेश
प्रमुख (कॉर्पोरेट लेखा और कराधान) एवं सीएफओ

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 22.05.2019
स्थान : मुंबई

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2019

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements for the quarter / full year ended 31st March, 2019 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Rawesh

G Ramesh
Head (Corporate Accounts & Taxation) and CFO

P. S. Jayakuma

P S JAYAKUMAR
Managing Director & CEO

Date :22.05.2019
Place : Mumbai

31 मार्च, 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा का संक्षिप्त समेकित तुलन-पत्र
Abridged Consolidated Balance Sheet of Bank of Baroda as on March 31, 2019

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31/03/2019	31/03/2018
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	**Capital**		
इक्विटि	Equity	530,36,44	530,36,44
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	**Share Application Money Pending Allotment**	5042,00,00	-
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	**Reserve & Surplus**		
सांविधिक प्रारक्षित निधियां	Statutory Reserves	9801,41,91	9671,61,47
पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	Capital Reserves	6193,96,83	4626,42,82
शेयर प्रीमियम	Share Premium	16132,55,46	16092,93,80
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	Revenue & Other Reserves	17295,81,36	15644,88,76
माइनॉरिटि ब्याज	Minority Interest	341,36,48	272,52,41
जमाराशियां	**Deposits**		
मांग-जमाराशियां	Demand Deposits	48230,10,25	47252,66,07
बचत बैंक जमाराशियां	Saving Bank Deposits	182120,07,01	169167,74,08
मीयादी जमाराशियां	Term Deposits	435238,51,28	391030,96,33
उधार ली गयी राशियां	Borrowings		
भारत में उधार ली गयी राशियां	**Borrowings in India**		
ए) भारतीय रिजर्व बैंक से	a) from Reserve Bank of India	27500,00,00	26529,00,00
बी) अन्य बंकों से	b) from other Banks	7119,11,31	7688,04,77
सी) अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	c) from other institutions and agencies	7930,18,45	6097,21,27
डी) ऋण लिखत	d) Debt Instruments	12418,00,00	12261,70,00
भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां	**Borrowings outside India**	13900,23,41	12283,85,66
अन्य देयताएं और प्रावधान	**Other Liabilities & Provisions**		
देय बिल	Bills Payable	1926,69,02	2042,82,73
अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	Inter-office Adjustments (net)	1083,12,54	568,34,45
उपचित ब्याज	Interest Accrued	3848,10,45	3447,34,35
मानक आस्तियों के पेटे में प्रावधान	Provisions towards Standard Assets	3221,00,81	3194,64,27
आस्थगित कर देयता (निवल)	Deferred Tax Liability (net)	2,43,67	8,96,52
अन्य	Others	19796,87,77	19392,85,66
कुल पूंजी और देयताएं	**TOTAL CAPITAL & LIABILITIES**	**819671,94,46**	**747804,91,86**

31 मार्च, 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा का संक्षिप्त समेकित तुलन-पत्र
Abridged Consolidated Balance Sheet of Bank of Baroda as on March 31, 2019

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31/03/2019	31/03/2018
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	**Cash & Balance with Reserve Bank of India**	28225,34,60	24034,98,85
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**Balance with Banks & Money at call & short notice**		
भारत में बैंकों के पास शेष रकम	Balance with banks in india	6921,39,66	7521,90,75
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Money at call & short notice in India	123,16,77	5110,00,00
भारत से बाहर शेष रकम	Balances outside india	62614,92,94	60755,85,02
निवेश	Investments		
भारत में	**In India**		
ए) सरकारी प्रतिभूतियां	a) Government Securities	161675,54,35	143541,44,18
बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	b) Other approved Securities	3549,60,00	2862,08,54
सी) शेयर	c) Shares	3371,57,87	2688,78,67
डी) डिबेंचर एवं बॉण्ड	d) Debentures & Bonds	8537,58,67	8715,47,29
ई) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उध्यम	e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	917,19,20	869,86,72
एफ) अन्य	f) Others	2116,92,62	3731,77,98
भारत से बाहर	**Outside India**	15547,81,33	12727,79,43
अग्रिम	Advances		
भारत में	**In India**		
ए) खरीदे गये एवं बट्टाकृत बिल	a) Bills purchased & discounted	3127,29,92	3236,69,58
बी) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	b) Cash Credit, overdraft & loans repayable on demand	177286,57,26	177523,93,07
सी) मीयादी ऋण	c) Term Loans	195710,83,84	196152,44,29
भारत से बहार	**Outside India**	108090,10,05	108864,82,79
अचल आस्तियां	**Fixed Assets**	7143,70,76	5532,28,12
अन्य आस्तियां	**Other Assets**		
उपचित ब्याज	Interest Accrued	6256,60,90	8134,52,78
अग्रिम कर भुगतान/ स्त्रोत पर	Tax paid in advance / at source	5993,52,00	2131,19,28
आस्थगित कर देयता (निवल)	Deferred Tax Assets (net)	7446,55,17	6352,26,28
दावों के प्रतिफल में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
अन्य	Others	14791,75,80	15153,42,00
समेकन पर गुडविल	**Goodwill on Consolidation**	223,90,76	-
कुल आस्तियां	TOTAL ASSETS	**819671,94,46**	**795641,55,62**

31 मार्च, 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा का संक्षिप्त समेकित तुलन-पत्र
Abridged Consolidated Balance Sheet of Bank of Baroda as on March 31, 2019

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31/03/2019	31/03/2018
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities		
बैंक से किए गए दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया	Claims against the bank not acknowledged as debts	2926,65,87	219,41,39
बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	Liability on account of outstanding Forward Exchange contracts	260944,53,20	170835,49,12
ग्राहकों के लिए दी गयी गारंटियां	Guarantees given on account of constituents	31253,79,23	40293,81,77
स्वीकृतियां,परांकन और अन्य बाध्यताएं	Acceptances, endorsements & other obligations	22759,69,18	21617,39,69
आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें जिनके लिए बैंक उत्तरदायी है	Other items for which the Bank is contingently liable	63658,81,84	66057,26,34
संग्रहण हेतु बिल	**Bills for Collection**	**49212,85,81**	**45859,43,99**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा का संक्षिप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता
Abridged Consolidated Profit & Loss Account of Bank of Baroda for the year ended March 31, 2019

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31/03/2019	31/03/2018
आय	INCOME		
अर्जित ब्याज	**Interest Earned**		
अग्रिमों / बिलों पर	On advances/bills	35623,20,03	30106,42,69
निवेशों पर	On investments	14175,23,12	11566,64,21
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष तथा अंतर बैंक निधियां	On balances with RBI and inter Bank funds	2013,21,92	2620,21,90
अन्य	Others	1094,59,84	1763,12,73
अन्य आय	**Other Income**		
कमीशन, विनिमय और दलाली	Commission, exchange & Brokerage	2139,68,73	1926,74,55
निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ	Net profit on sale of investments	997,73,41	1893,76,04
भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	Net profit on sale of land building & other assets	15,43,31	89,66,69
विनिमय लेन-देन पर निवल लाभ	Net profit on Exchange transactions	723,89,22	933,78,09
विविध आय	Miscellaneous Income	4010,30,37	3148,25,88
कुल आय	**TOTAL INCOME**	**60793,29,96**	**54048,62,78**
व्यय	EXPENDITURE		
ब्याज व्यय	**Interest Expended**		
जमा-राशियों पर	On Deposits	28572,30,61	26865,70,55
भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधार-राशियों पर	On RBI/Inter Bank borrowings	2104,48,55	571,40,83
अन्य	Others	1828,92,56	1723,37,06
परिचालन व्यय	**Operating expenses**		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	Payment & Provision for employees	5434,11,83	4901,58,00
किराया कर एवं लाइटिंग	Rent taxes & lighting	1098,63,56	1064,95,03
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & stationery	86,66,55	81,03,84
विज्ञापन एवं प्रचार	Advertisement & publicity	138,70,79	131,81,62
बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Bank's property	948,25,01	900,69,00
निदेशकों को शुल्क, भत्ते एवं खर्च	Director's fees, allowances & expenses	4,41,87	3,68,31
शाखा लेखापरीक्षकों सहित लेखापरीक्षकों की फीस व खर्च	Auditors fees, expenses incl. branch auditors	66,17,96	60,17,59
विधिक प्रभार	Law charges	168,61,92	98,47,54
डाक तार, टेलीफ़ोन आदि	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	119,71,81	164,98,10
मरम्मत एवं रख-रखाव	Repairs & Maintenance	938,31,23	755,55,05
बीमा	Insurance	716,68,33	628,68,01
अन्य	Others	3048,65,85	2534,96,12
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	**Provisions & Contigencies**		
निवेशों के मूल्यह्रास पर प्रावधान	Provision for Depreciation on investments	165,13,96	768,41,93
अनजर्क आस्तियों के पेटे प्रावधान	Provision towards non performing assets	12322,98,35	14335,38,64
मानक आस्तियों के पेटे प्रावधान	Provision towards standard assets	(64,07)	(360,59,36)
अन्य (आयकार को छोडकर)	Others (excluding income taxes)	1506,54,48	924,02,91
कुल व्यय और प्रावधान	TOTAL EXPENSES AND PROVISIONS	**59268,71,15**	**56154,30,77**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा का संक्षिप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता
Abridged Consolidated Profit & Loss Account of Bank of Baroda for the year ended March 31, 2019

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31/03/2019	31/03/2018
कर से पहले लाभ / हानि	**Profit/Loss before Tax**	**1524,58,81**	**(2105,67,99)**
वर्तमान कर	Current Tax	1455,49,91	1829,55,70
आस्थगित कर	Deferred Tax	(1017,98,51)	(2023,17,44)
कर के पश्चात लाभ / हानि	**Profit / Loss after Tax**	**1087,07,41**	**(1912,06,25)**
सहयोगी संस्थाओं में ब्याज आय / (हानि) का हिस्सा	Share of Earning/(Loss) in associates	79,19,27	76,24,13
माइनॉरिटि इंटरेस्ट डेबिट करने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ / हानि	**Consolidated Net Profit/loss for the year before deducting minority Interest**	**1166,26,68**	**(1835,82,12)**
घटाएं - माइनॉरिटि इंटरेस्ट	Less - Minority Interest	66,16,56	51,28,62
वर्ष के लिए समूह का समेकित निवल लाभ/ हानि	**Consolidated Net Profit/Loss for the year attributable to Group**	**1100,10,12**	**(1887,10,74)**
आगे लाया गया लाभ / हानि	**Profit / Loss brought forward**	942,26,18	747,99,31
कुल	**TOTAL**	**2042,36,30**	**(1139,11,43)**
विनियोजन	**Appropriations**		
सांविधिक प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Statutory Reserves	142,15,70	32,06,07
अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to other Reserves	790,80,37	(2113,43,68)
तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष	Balance carried forward to Balance Sheet	1109,40,23	942,26,18

बैंक ऑफ बड़ौदा का संक्षिप्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Abridged Consolidated Cash Flow Statement of Bank of Baroda

₹ in '000

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31/03/2019	31/03/2018
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	A. Cash Flow from operating Activities	(1449,06,57)	(59691,70,22)
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	B. Cash Flow from Investing Activities	(2537,37,36)	(413,62,93)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	C. Cash Flow from Financing Activities	4448,53,28	3413,07,81
नकदी / समतुल्य नकदी में निवल वृद्धि (ए+बी+सी)	Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	462,09,35	(56692,25,34)
01 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash & Cash equivalents as at April 01	97422,74,62	154114,99,96
31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash & Cash equivalents as at March 31	97884,83,97	97422,74,62

निदेशक / DIRECTORS

डॉ. हसमुख अढ़िया
अध्यक्ष
Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

पी एस जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.
P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

देबाशीष पांडा
निदेशक
Debasish Panda
Director

पापिया सेनगुप्ता
कार्यपालक निदेशक
Papia Sengupta
Executive Director

अजय कुमार
निदेशक
Ajay Kumar
Director

गोपाल कृष्ण अग्रवाल
निदेशक
Gopal Krishan Agarwal
Director

शांति लाल जैन
कार्यपालक निदेशक
Shanti Lal Jain
Executive Director

भरत कुमार डी डांगर
निदेशक
Bharatkumar D. Dangar
Director

विक्रमादित्य सिंह खीची
कार्यपालक निदेशक
Vikramaditya Singh Khichi
Executive Director

श्रीनिवासन श्रीधर
निदेशक
Srinivasan Sridhar
Director

जी रमेश
महाप्रबंधक एवं सीएफओ
कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान
G Ramesh
General Manager and CFO
Corp. A/cs & Taxation

लेखापरीक्षक / AUDITORS

कृते **कल्याणीवाला व मिस्त्री एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104607डब्ल्यू/डब्ल्यू100166
For **Kalyaniwalla & Mistry LLP.**
Chartered Accountants
FRN:104607W / W100166

(**सीए. डैरियस फ्रेज़र**)
साझेदार
एम नं. 042454
(CA. Daraius Fraser)
Partner
M No. 042454

कृते **सिंघी व कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049ई
For **Singhi & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 302049E

(**सीए. राजीव सिंघी**)
साझेदार
एम नं. 053518
(CA. Rajiv Singhi)
Partner
M No. 053518

कृते **जी एम कपाड़िया व कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्ल्यू
For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

(**सीए. अतुल शाह**)
साझेदार
एम नं. 039569
(CA. Atul Shah)
Partner
M No. 039569

कृते **एस आर डिनोडिया व कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन/एन500005
For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(**सीए. संदीप डिनोडिया**)
साझेदार
एम नं. 083689
(CA. Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689

दिनांक: 22 मई 2019
स्थान : मुम्बई
Date: 22nd May 2019
Place: Mumbai

अनुसूची 18 : 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

SCHEDULE 18 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

1. समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने का आधार

1.1 तैयार करने का आधार:

बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी इकाइयों के समेकित वित्तीय विवरण-पत्र (सीएफएस) परम्परागत लागत के आधार पर बनाए गए हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में संबद्ध देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं विधाओं के अनुरूप हैं, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

1.2 अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने में वित्तीय विवरण-पत्र की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं.

2. समेकन प्रक्रिया:

2.1 समूह के समेकित वित्तीय विवरण-पत्र (जिसमें 18 अनुषंगियों, 4 सहयोगी इकाइयों तथा 3 संयुक्त उद्यमों का समावेश है) निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

ए) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल) के लेखापरीक्षित खाते

बी) अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ शब्दशः एकत्रीकरण तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस-21) (समेकित वित्तीय विवरणी) पत्रक के अनुसार सभी इन्ट्रा ग्रुप शेषों/संव्यवहारों और वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए.

सी) सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण-पत्रों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 के अनुरूप (समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्था में निवेश हेतु लेखांकन) इक्विटी प्रणाली के तहत किया गया है.

डी) संयुक्त उद्यमों में ब्याज को, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-27 (संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिर्पोटिंग) में निर्धारित ''समानुपातिक समेकन प्रणाली'' पर समेकित किया गया है.

2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी इकाइयों के वित्तीय विवरण-पत्रों को, जहां कहीं आवश्यक तथा व्यावहारिक हो, मूल संस्था की लेखा-नीतियों के अनुरुप समायोजित किया गया है.

2.3 बैंक की एक अनुषंगी कंपनी नैनीताल बैंक की लेखांकन नीति, एनपीए के प्रावधान, एनपीए खातों में वसूली संबंधी आय के लेखांकन आदि

1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1.1 BASIS OF PREPARATION:

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries, joint ventures and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE:

2.1 CFS of the group (comprising of -18- Subsidiaries, -4- Associates and -3- Joint Ventures) have been prepared on the basis of :

a. Audited accounts of Bank of Baroda (Parent).

b. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

c. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.

d. Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint ventures and Associates are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

2.3 Nainital Bank, one of the Subsidiary of the Bank is having difference accounting policy from the parent company on certain parameters related to provision

से संबंधित कुछ मानदंड़ों के संबंध में मूल कंपनी से भिन्न है. समेकित वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि इसके प्रबंधन को देखते हुए इसके प्रभाव की गणना करना व्यावहारिक नहीं है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता.

2.4 समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की निवल इक्विटी/लाभ में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित हैं.

2.5 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को साख / आरक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना गया है.

3. निवेश

3.1 निवेश:

बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख के आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है. बैंक के निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन आरबीआई के परिपत्र डीबीआर. नं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार किया गया है.

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

मूल संस्था तथा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश पोर्टफोलियो क़ो भारतीय रिजर्व बैंक क दिशा - निर्देशानुसार वगीकत किया गया हैं

i) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं.

ii) ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है. ऐसी प्रतिभूतियां जो खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बिक्री हेतू रखी गई हैं उन्हें एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

iii) ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त ''ए'' तथा ''बी'' में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

तुलन-पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 (''निवेश'') में छः समूहों (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉंड एवं डिबेंचर (ई) अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम और (एफ) अन्य के अंतर्गत यथा प्रकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

बी. अधिग्रहण लागत

निवेशों से संबंधित ब्रोकरेज आदि की लागत, जिसका अर्जन के समय भुगतान किया गया है और ब्रोकन अवधि का ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

सी) श्रेणियों के बीच अंतरण

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों का पुनःवर्गीकरण, यदि कोई किया गया है तो, वह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

on NPA, accounting of income related to recovery in NPA accounts etc. No adjustment has been made in the consolidated financial statements as calculating the impact is not practicable, in view of the management, the impact of the same is not material

2.4 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.5 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.

3. INVESTMENTS:

3.1 Investments:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Circular DBR. No. BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b. Acquisition Cost

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the

किया गया है. एएफएस/ एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण निम्नतर बही मूल्य या बाजार मूल्य पर किया गया है. एचटीएम से एएफएस/ एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, एचटीएम के अंतर्गत बट्टे पर पर रखे गए निवेशों को एएफएस/ एचएफटी श्रेणी में अर्जन मूल्य पर अंतरित किया गया है और एचटीएम श्रेणी में प्रीमियम पर रखे निवेशों को एएफएस/ एचएफटी में परिशोधित लागत पर अंतरित किया गया है.

एएफ़एस से एचएफ़टी में या एचएफ़टी से एएफ़एस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है. इस तरह के निवेशों पर लागू किसी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसे भी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित किया जाता है.

इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है.

3.2 मूल्यांकन

''परिपक्वता तक धारित'' के रुप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं हैं. जिसमें प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधीकरण संबंधी खर्च को आरबीआई के परिपत्र डीआरबी. नं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार के अनुसार ब्याज आय से घटाया गया है.

''परिपक्वता तक धारित'' के रुप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड्स शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है.)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों, ट्रेज़री बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेशों को रखाव लागत आधार पर मूल्यांकन किया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं हेतु खरीदे गए सर्टिफिकेटों के माध्यम से पास आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर मूल्यांकित किए गए हैं.

संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

23.08.2006 के पश्चात् मूल संस्था द्वारा जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) की ईकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित के तहत, श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है. संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एएफएस तथा मार्क्ड-टू-मार्केट में अंतरित किया जाएगा. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये वित्तीय विवरणियों के अनुसार वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी का प्रयोग कर मूल्यांकित किए गए हैं. यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ.

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक आधार पर मार्क्ड-टू-मार्किट (एमटीएम) हैं. अनुसूची 8 ('निवेश') में उल्लिखित वर्गीकरण

lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit

के अंतर्गत श्रेणी में यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो, उसे लाभ-हानि खाते में अंकित किया गया है. निवल विनियोजन, प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी में यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाता है. अलग-अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के कारण नहीं बदलता है.

पुनर्संरचित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेश का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है. इन निवेशों के मूल्यों में किसी तरह की कमी को उपलब्ध कराया जाएगा और इसे इसी श्रेणी के तहत अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुक़ाबले निर्धारित नहीं किया जाएगा. पुनर्संरचित योजना के तहत बैंक द्वारा अधिग्रहित और धारित इक्विटि शेयर पर मूल्यह्रास रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे लिखतों के लिए प्रस्तावित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के लिखतों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्यों की गणना करेगा. 01 अप्रैल 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश, जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेचे गए दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, के मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) और प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगा या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगा और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी रहेगा. प्रतिभूति रसीद में अन्य सभी निवेशों का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार किया जाता है.

रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) / इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के सूचीबद्ध लिखतों में निवेश अधिक मात्रा में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में समापन मूल्य पर होता है. यदि मूल्यांकन की तारीख से 15 दिनों के भीतर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर इनका क्रय-विक्रय नहीं होता है तो, उनका मूल्यांकन मूल्यांकक द्वारा निर्धारित नवीनतम एनएवी (जो 1 वर्ष से पुरानी न हो) के आधार पर किया जाता है.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जा रहा है.

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है. शॉर्ट पोजीशन, बिक्री पर प्राप्त राशि के रूप में परिलक्षित होती है और निवेश अनुसूची में समायोजित होती है. शॉर्ट पोजीशन को बाजार और हानि के लिए चिह्नित किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जबकि उससे लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है. शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुई लाभ/हानि का लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है.

विशेष बांड जैसे कि तेल बांड, उर्वरक बांड, यूडीएवाय बांड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल के आधार पर किया जाता है.

and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

Investment in listed instruments of Real Estate Investment Trust (REIT) / Infrastructure Investment Trust (INVIT) is valued at closing price on a recognized stock exchange with the higher volumes. In case the instruments were not traded on any stock exchange within 15 days prior to date of valuation, valuation is done based on the latest NAV (not older than 1 year) submitted by the valuer.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short position is reflected as the amount received on sale and is netted in the Investment schedule. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

''व्यापार के लिए धारित'' तथा ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणी के उद्धृत निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरों हेतु फायनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (ईबीआईएस) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है.

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

ए	सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता आधारित आय पर
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	-	नवीनतम तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी
सी	अधिमानी शेयर और सर्टिफिकेटों के माध्यम से पारित (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोडकर)	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
डी	पीएसयू बॉन्ड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
ई	म्युचुअल फंड की यूनिटें	-	फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/निवल आस्ति मूल्य / एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश की पहचान और उसके ऊपर अवमूल्यन /प्रावधान किया जाता है. मूल्यह्रास के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर बैंक रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई सीमा से ऊपर और अधिक अतिरिक्त प्रावधान सृजित करते हैं. इस तरह के अनर्जक निवेश पर मूल्यह्रास प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुक़ाबले निर्धारित नहीं किया जा सकता. अनर्जक निवेश पर ब्याज को लाभ -हानि खातों में तब तक दर्ज नहीं किया जाता जबतक उनकी वास्तविक प्राप्ति नहीं हो जाती है.

विदेशी शाखाओं में निवेश के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश में से जिसके दिशानिर्देश अधिक कड़े हों, वे लागू होंगे. जिन देशों में जहां ऐसे कोई मार्गनिर्देश निर्दिष्ट न हो, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देश लागू होंगे.

3.3 निवेशों का निस्तारण

''परिपक्वता तक धारित'' के रुप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है एवं ''परिपक्वता तक धारित'' वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है.

एएफएस/एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

3.4 रेपो / रिवर्स रेपो हेतु लेखांकन

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

A	Government / Approved securities	-	on Yield to Maturity basis.
B	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
C	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
D	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
E	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/ provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting

अपनाया है [परिपत्र सं. भा.रि.बैं. / 2016-17 / एफएमओडी. एमएओजी. नं. /01.01.001/2016-17 दि. 15-09-2016 द्वारा भा.रि.बैं. के पास चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित]. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुन:खरीद करने के समझौते के पास संपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है. रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है, तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है. लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गयी है.

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी..102/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 से आईएफआर सृजित करने के लिए सूचित किया है.

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आइएफआर की राशि सतत आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है.

3.6 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर शामिल हैं. बैंक मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग और तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयताओं की बचाव व्यवस्था के लिए डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन करता है.

3.7 मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (ट्रेडिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किए जाते हैं. व्यवस्था बचाव के रूप में नामित डेरिवेटिव संविदाएं तब तक बाजार भाव पर नहीं दर्शायी जाती हैं जब तक कि इनका अंतर्निहित बाजार भाव पर दर्शाया गया है. व्यवस्था बचाव के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव संविदाएं एवं जहां अंतर्निहित बाजार भाव पर नहीं दर्शाया जाता है, उपचय आधार पर रिकॉर्ड होगें. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स को बाजार चिन्हित किया गया है तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया है. लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय निपटान तारीख को लिया गया है. ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर हुए लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किया गया है.

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के उचित मूल्य की गणना उस राशि के आधार पर की गयी है जो कि तुलनपत्र की तारीख को स्वैप समझौतों से संबंधित लेन-देन की समाप्ति पर प्राप्य या देय होगा. इससे संबंधित हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं

बैंक एफईडीएआई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांतों

Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated 15-09-2016. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3 .6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities.

3.7 Valuation

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. In cases where the underlying of the hedge is not subject to mark to market, the hedging instrument is to be accounted for on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

का पालन करता है. ऑप्शन ट्रांजेक्शनों पर प्रीमियम, ट्रांजेक्शन की अवधि समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में अंकित किया गया है.

ऑप्शन संविदाओं के निरस्तीकरण पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि ऑप्शन पर प्राप्त लाभ/ हानि के रूप में अंकित की गई है. विदेशी विनिमय वायदा संविदाओं के निरस्तीकरण/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों और स्वैप को निरस्तीकरण/ समाप्ति की तारीख को आय/ व्यय के रूप में अंकित किया गया है.

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक संविदा के दैनिक निपटान मूल्य के आधार पर किया गया है.

विदेशी मुद्रा वाले डेरिवेटीव संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रिपोर्ट किया गया है.

4. अग्रिम:

4.1 भारत में मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और इन पर हुई हानि के संबंध में पैरा 4.3 में उल्लिखित अनुसार के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं. विदेशी शाखाओं तथा अनुषंगियों द्वारा किए गए अग्रिम के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के अथवा मेजबान देश के स्थानीय कानूनों, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुरूप किया गया है.

4.2 अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, उचन्त ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त दावों के लिए किए गए प्रावधान की निवल राशि है.

4.3 सतत अभ्यास के रूप में बैंक ने निम्न पर अतिरिक्त प्रावधान किया है :

- 15% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष सुरक्षित अवमानक अग्रिम पर 20% का प्रावधान.
- 50% क्रेडिट संपरिवर्तन घटक (सीसीएफ) लागू करके द्वारा एनपीए उधारकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान किये गये हैं. यह प्रावधान उधारकर्ता के निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्ग पर आधारित है.
- 6 माह से पुराने और संपार्श्विक-मुक्त मौजूदा एनपीए खातों यथा, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण और संपत्तियों के बंधक के सापेक्ष ऋण, के संबंध में बैंक ने 100% प्रावधान किया है.

  संपत्तियों के बंधक के सापेक्ष ऋण, जो कि 2 वर्षों से अधिक के लिये एनपीए है एवं सुरक्षित (संपार्श्विक) है, के संबंध में बैंक ने 100% प्रावधान किया है.
- बैंक ने 6 माह से पुराने मौजूदा एनपीए खातों यथा, ट्रैक्टर/टिलर/पॉवर टिलर हेतु ऋण के संबंध में भी 100% प्रावधान किया है.

4.4 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए प्रावधान किया गया है.

4.5 आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के प्रयोजन से, बॉब कार्ड, जो बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, "गैर बैंकिंग वित्तीय

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF) is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES:

4.1 Advances in India of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India except as stated in Para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense; amount received and held in suit-filed Sundry Deposit and Claims Received.

4.3 As a constant practice, Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Parent has made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan.
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Parent has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in present value terms as per RBI guidelines.

4.5 For the purpose of Assets Classification and provisioning, BOB Card, the wholly owned subsidiary

(जमा राशि स्वीकार/धारण न करने वाली) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2007" के विस्तृत दिशा-निर्देशों के तहत नियंत्रित है.

4.6 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है. वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशानिर्देश ये हैं कि यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य घटाएं किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को उसी वर्ष कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाए. यदि बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है.

बैंकों को बेची गई वित्तीय आस्तियों तथा निवल वही मूल्य (अर्थात बही मूल्य - किए गए प्रावधान) से कम मूल्य पर बिक्री के मामले में कमी को उसी वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाएगा. यदि बिक्री मूल्य एनबीबी से अधिक है तो अतिरक्ति प्रावधानों को रिवर्स नहीं किया जाएगा. बल्कि अन्य अनर्जक आस्तियों की बिक्री के कारण कमी / हानि को पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा.

5. अस्थायी प्रावधान :

अग्रिमों, निवेश एवं सामान्य उद्देश्यों के निर्माण एवं उपयोग के लिए बैंक की पृथक अस्थायी प्रावधान बनाने की नीति है. किए जाने वाले अस्थाई प्रावधान परिमाण का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीतियों में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक व्यय के लिए अस्थायी प्रावधान का उपयोग किया जाता है.

6. अचल आस्तियां:

6.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर दर्शायी गयी हैं. पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत आरक्षित निधि में जमा किया गया है.

6.2 ''परिसर'' में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है.

7. आरक्षित निधियां एवं अधिशेष:

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक आरक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

8. राजस्व का निर्धारण:

1 आय (पैराग्राफ 8.2 में उल्लिखित मद से भिन्न) / व्यय का निर्धारण सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है. विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया गया है.

2 शुल्क के माध्यम से प्राप्त आय, सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, गारंटी, साखपत्र पर कमीशन, विनिमय, दलाली तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है.

of BOB, is governed under the broad guidelines of "Non Banking Financial (Non-Deposit, Accepting/ holding) Companies Prudential norms (Reserve Bank) Directions, 2007".

4.6 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Parent has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS:

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve.

6.2 Premises include Land and Building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches / subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION:

1. Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

2. Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business), and Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

3 अनर्जक अस्तियों / निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गयी है.

4 ऐसे पट्टे जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टादाता के पास रहता है उसे एएस 19 (पट्टा देना) के अनुसार परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस तरह के पट्टे के भुगतान का रिकॉर्ड एएस 19 के अनुसार पट्टा मानदंड के ऊपर लाभ-हानि खाते में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है

8.5 ए) एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन :

ए) एनपीए के संबंध में, समय-समय पर खातों में प्रभावी वसूली (जन धन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) निम्न तरीके से विनियोजित होनी चाहिये :

बी) बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय

सी) बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज पर

डी) मूल धन के भुगतान पर

बी) वाद दायर /डिक्री खातों में वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया जाना चाहिए:

ए) संबधित न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार

बी) न्यायालय से कोई विशेष आदेश प्राप्त नहीं होने के मामले में गैर वाद दायर खातों में लागू अनुसार

सी) समझौता /एनसीएलटी समाधान के माध्यम से वसूल की गई राशि:

एनसीएलटी के माध्यम से समझौता /निपटान या समझौता स्वीकृत खातों के मामले में वसूली की राशि का विनियोजन समझौता स्वीकृति / समाधान निपटान के अनुसार किया जाएगा.

9. जीवन बीमा कम्पनी:

प्रीमियम आय:

देय होने पर प्रीमियम (सेवा कर का निवल और जीएसटी) को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. सहवर्ती व्यवसाय के लिए जब सहयोगी इकाइयां सृजित की जाती हैं, प्रीमियम को गणना में लिया जाता है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा जाता है.

व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में लिया जाता है जब ऐसी पॉलिसियां पुनः चालू की जाती हैं.

पुनर्बीमा होने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है.

1 लिंक्ड निधियों से आय:

लिंक्ड निधियों, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पालिसी प्रशासनिक प्रभार, मार्टेलिटी प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार इत्यादि शामिल हैं, से प्राप्त आय को जारी की गयी पॉलिसी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार लिंक्ड निधियों से वसूल किया जाता है.

2 पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा की लागत को बीमाकर्ता के साथ की गयी शर्त अथवा सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय

3. In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/ Investments, such income is accounted for only on realization in terms of the RBI guidelines.

4. Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease tern in accordance with AS 19.

8.5 . A) Appropriation of recoveries in NPA accounts :

a) Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

b) towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank

c) towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank

d) towards payment of the principal money

B) Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

a) As per the directives of the concerned Court.

b) In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

C) Recovery by settlement through compromise/ NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/resolution settlement.

9 Life Insurance company:

Premium Income:

Premium (net of service tax and GST) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

1. Income from linked funds:

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

2. Reinsurance Premium:

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with

हिसाब में लिया जाता है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, को पुनर्बीमा से प्राप्त प्रीमियम पर समायोजित किया जाता है.

3 प्रदत्त लाभ (दावों सहित):

प्रदत्त लाभों में पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कोई हो, शामिल हैं.

मृत्यु, अनुवृद्धि (राइडर) तथा अभ्यर्पण दावों को सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है.

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना में लिया जाता है.

लिंक्ड पॉलिसियों के तहत आहरणों तथा अभ्यर्पणों को संबंधित योजनाओं में तब हिसाब में लिया जाता है, जब अनुषंगी इकाइयां निरस्त हो जाती हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूली को संबंधित दावों की उसी अवधि में हिसाब में लिया जाता है.

4 अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत ऐसी लागत हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक तथा बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबद्ध होती हैं और उस अवधि में व्यय की जाती हैं, जिसमें ये उपगत होती हैं.

5 जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता:

कंपनी की बीमांकिक देयताओं की गणना बीमा अधिनियम 1938, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आस्तियां, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं के सॉलवेंसी मार्जिन) विनिमयन, 2000, भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देश नोट तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक पद्धतियों के अनुसार की जाती है.

6 निवेश:

बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) विनिमयन, 2000, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनिमयन, 2001 तथा समय-समय पर आईआरडीए द्वारा जारी किए गए अन्य परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

10. कर्मचारी लाभ:

10.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है जिसके तहत बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है

10.2 ग्रेच्यूटी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्यूटी निधि नियमों एवं विनिमयों तथा ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेच्यूटी देयता एक सांविधिक दायित्व है जोकि ग्रेच्यूटी भुगतान से कही अधिक है. इसके संबंध वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते है. बैंक द्वारा ग्रेच्यूटी के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्यूटी निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है.

the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

3. Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.

Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

4. Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

5. Liability for life policies:

Actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of insurance Act.1938, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000, Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally established actuarial practices.

6. Investments:

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the insurance regulatory and Development Authority (investment) (Amendment) Regulations, 2001 and various other circulars / notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

10 EMPLOYEES BENEFITS:

10.1 PROVIDENT FUND

Parent's Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Parent pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Parent is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

10.2 GRATUITY

Parent's Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and payment of gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Parent and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

10.3 पेंशन

10.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनिमय 1995 के अंर्तगत पेंशन देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वित्तीय वर्ष की समाप्ति में संचित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं. यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है.

10.3.2 नयी पेंशन योजना, जो कि बैंक में 1.4.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदायी योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व केवल निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

10.4 क्षतिपूरित अनुपस्थिति

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति जैसे कि अर्जित अवकाश (पीएल) तथा लिए न गए बीमारी अवकाश का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

10.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी), और सेवानिवृति पर अतिरिक्त सेवानिवृति लाभ इत्यादि को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में कर्मचारियों से संबंधित लाभों को, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, संबद्ध देश में लागू कानून के आधार पर मूल्यांकित तथा लेखाकृत किया जाता है.

11. मूल्यह्रास:

भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (नीचे दिए गए पैरा सी एवं डी में संदर्भित को छोड़) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रासित बही मूल्य पद्धति के आधार पर, पुनर्मूल्यांकित आस्ति को छोड़ - जिसके संबंध में इन पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर ज्यादा मूल्यह्रास किया जाता है, प्रदान किया गया है.

ए) भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (नीचे दिए गए पैरा सी में संदर्भित को छोड़) स्थानीय कानून अथवा संबद्ध देश में प्रचलित परंपराओं के अनुसार प्रदान किया जाता है.

बी) कम्प्यूटरों तथा साफ्टवेयर जो भारत और भारत से बाहर कंम्प्यूटर हार्डवेयर का अनिवार्य अंग हैं, उन पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है. कंप्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, उसे लाभ एवं हानि खाते से सीधे प्रभारित कर दिया गया है.

सी) एटीएम पर मूल्यह्रास 20% प्रतिवर्ष की दर से सरल पद्धति (स्ट्रेट लाइन) से प्रदान किया जाता है.

डी) परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग शुरु करने की तारीख से आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया गया है.

ई) पट्टाकृत भूमि एवं पट्टाकृत परिसर संबंधी सुधारों की लागत का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है.

12. आस्तियों की क्षति:

अचल आस्तियों की क्षति, (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) यदि कोई हो, का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में

10.3 PENSION

10.3.1 Parent's Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Parent up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

10.3.2 Parent's New Pension Scheme which is applicable to employees who joined Parent on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

10.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed Sick Leave of Parent's employees are provided for based on actuarial valuation.

10.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement of Parent's employees are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

11. DEPRECIATION:

Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph c & d] is provided on the written down value method in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

a) Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para c below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

b) Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

c) Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

d) Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

e) Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

12. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with

जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है और लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है.

13. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

13.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव) के अनुरूप किया गया है.

13.2 लेखा मानक एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को (ए) एकीकृत परिचालन एवं (बी) असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को असमाकलित परिचालन एवं विदेशी मुद्रा के घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है.

13.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में रूपांतरण:

(ए) संव्यवहारो को प्राथमिक तौर पर एफईडीएआई द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है.

(बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पाट दरों पर रुपांतरित किया गया है.

(सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इनका तदनुसार लाभ एवं हानि खाते में लेखांकन किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

(डी) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए धारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा संविदाओं को क्रमशः एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलैटेड दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है. एमटीएम के वर्तमान मूल्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्राप्त एमटीएम मूल्य का डिस्काऊंट किया गया है. इस एमटीएम का प्रयोग पीवी आधारित स्पॉट एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन के लिए किया गया है. परिणामस्वरुप, अग्र मूल्यांकन लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है.

13.4 असमाकलित परिचालनों के संबंध में रूपांतरण:

(ए) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई अंतिम स्पॉट दरों पर रुपांतरित किया गया है.

(बी) तुलनपत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलैटेड दरों पर रुपांतरित किया गया है.

(सी) आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर रुपांतरित किया गया है.

(डी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की गयी है तथा इसे निवल निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते ''विदेशी मुद्रा रुपांतरण आरक्षित निधि'' में रखा गया है.

the AS 28 (Impairment of Assets) issued by ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

13. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

13.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI.

13.2 As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Parent are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries of Parents are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

13.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

13.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

a. Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b. Foreign Exchange Spot and Forward contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

c. Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

13.5 वायदा विनिमय संविदा

लेखा मानक एएस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन-पत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर बाजार भाव पर दर्शाया जाता है. एतद्द्वारा प्राप्त एमटीएम मूल्य को बट्टाकृत किया जाता है ताकि एमटीएम का वर्तमान मूल्य संगणित किया जा सके. इस एमटीएम को पीवी आधार पर स्पॉट और वायदा संव्यवहारों को पुनर्मूल्यांकित करने हेतु प्रयुक्त किया गया है. इसके परिणामस्वरुप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है.

14. आय पर कर:

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा करयोग्य आय के बीच अन्तर से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर को, आय एवं व्यय की उन मदों के संबंध में जो किसी एक समय बिंदु पर निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, विवेकपूर्ण नीति के अध्यधीन हिसाब में लिया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की गणना अधिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में समय अंतरालों के रिवर्स करने की संभावना होती है. कर की दरों में परिवर्तन का आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर हुए प्रभाव को उस अवधि की आय विवरण-पत्र, जिसमें ऐसे परिवर्तन को लागू किया गया है, के आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

15. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है. बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को अवधि के लिए बकाया भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर ली गई है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित इक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डायल्यूटेड ईक्विटी शेयरों की संख्या में गणना की गई है.

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके.

जब तक आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना अप्रत्यक्ष न हो तब तक आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण-पत्र में नहीं माना गया है. क्योंकि यह ऐसी आय के निर्धारण के फलस्वरूप हो सकता है, जिसकी वसूली नहीं हो सकती है.

13.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI & provisions of AS-11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

14 TAXES ON INCOME:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

15 EARNINGS PER SHARE:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

16 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by ICAI, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर नोट

Schedule - 19 - Notes on the Consolidated Financial Statements (CFS) for the year ended 31st March 2019

समेकित वित्तीय विवरण, 'समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन' पर 'समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन' मानक 21, 'सहयोगियों में निवेश' के लिए लेखांकन' मानक 23 और 'संयुक्त उद्यम में ब्याज के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक 27 के अनुरूप तैयार किए गए हैं.

The CFS are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on Accounting for "Investment in Associates" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Venture".

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल) और निम्नलिखित अनुषंगियों/ सहयोगियो/संयुक्त उद्यमों के परिणाम शामिल हैं:

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the results of the Bank of Baroda (Parent) and the following Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures:

1.1	अनुषंगियों के नाम	Name of Subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on 31.03.19	31.03.18
	देशीय अनुषंगियां	Domestic Subsidiaries			
	ए) बैंकिंग	a) Banking:			
	i) द नैनीताल बैंक लि.	i) The Nainital Bank Ltd.	भारत / India	98.57	98.57
	बी) गैर-बैंकिंग	b) Non Banking:			
	i) बॉब कैपिटल मार्केट लि.	i) BOB Capital Markets Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
	ii) बॉब फाइनैंशिल सॉल्युशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब कार्ड्स लि.)	ii) BOB Financial Solutions Ltd (Formerly known as BOB Cards Ltd.)	भारत / India	100.00	100.00
	iii) बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	iii) Baroda Global Shared Services Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
	iv) बड़ौदा सन टैक्नोलजीज लिमिटेड	iv) Baroda Sun Technologies Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
	v) बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड	v) Baroda Asset Management India Limited	भारत / India	100.00	49.00
	vi) बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	vi) Baroda Trustee India Private Limited	भारत / India	100.00	49.00
	विदेशी अनुषंगियां:	Overseas Subsidiaries:			
	ए) बैंकिंग	a) Banking:			
	i) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.	i) Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	बोत्सवाना / Botswana	100.00	100.00
	ii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.	ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	केन्या / Kenya	86.70	86.70
	iii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि.	iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	यूगांडा / Uganda	80.00	80.00
	iv) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) आईएनसी	iv) Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गयाना / Guyana	100.00	100.00
	v) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.	v) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	तंजानिया / Tanzania	100.00	100.00
	vi) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लिमिटेड	vi) Bank of Baroda (Trinidad &Tobago) Ltd.	त्रिनिदाद एवं टोबेगो Trinidad & Tobago	100.00	100.00
	vii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.	vii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.	घाना / Ghana	100.00	100.00

	viii)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैन्ड) लि.	viii)	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.	न्यूजीलैन्ड / New Zealand	100.00	100.00
	(ix)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू के) लि.	(ix)	Bank of Baroda (UK) Ltd.	यूनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00	100.00
बी)	गैर-बैंकिंग		b)	Non-Banking			
	i)	बॉब (यू के) लि.	i)	BOB (UK) Ltd.	यूनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00	100.00
	ii)	बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)	ii)	Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)	युगांडा / Uganda	100.00	100.00

1.2 सहयोगी :

समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं :

1.2 Associates:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

सहयोगियों के नाम		Name of Associates		देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on	
					31.03.19	31.03.18
(ए)	इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	a)	Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया / Zambia	20	20
i)	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	i)	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	भारत / India	35	35
ii)	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक)	ii)	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत / India	35	35
iii)	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	iii)	Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत / India	35	35

1.3 संयुक्त उद्यम:

1.3 Joint Ventures:

संयुक्त उद्यम नाम / Name of Joint Ventures:	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा Percentage of Ownership as on	
		31.03.19	31.03.18
ए) a) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. India First Life Insurance Company Ltd.	भारत / India	44	44
बी) b) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया / Malaysia	40	40
सी) c) इंडिया इंफ्राडेब्ट लि. India Infradebt Ltd.	भारत / India	40.99	36.86

2. में निवेश के विवरण

2. Particulars of the Investment in Associates:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

क्र. सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
(ए)	सहयोगियों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	208.39	261.82
(बी)	उपर्युक्त (ए) में शामिल अधिग्रहण पर सुनाम	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	--	--

क्र. सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
(सी)	उपरोक्त (ए) में अधिग्रहण पर प्रारक्षित पूंजी	c.	Capital reserve on acquisition included in (a) above	-	25.27
(डी)	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि एवं विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के कारण परिवर्धन	d.	Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve	2.20	2.48
(ई)	अधिग्रहण उपरान्त साख / आरक्षित पूंजी के लाभ (निवल) का अंश	e.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve	807.36	729.46
(एफ)	31 मार्च को निवेश (ए-बी-सी + डी + ई)	f.	Investment as at 31st March (a-b-c+d+e)	1,017.95	968.49
(जी)	भारत में निवेश	g.	Investment in India	917.19	869.87
(एच)	भारत के बाहर निवेश	h.	Investment outside India	100.76	98.62
(आई)	कुल (जी + एच)	i.	Total (g + h)	1,017.95	968.49

3. अनुषंगियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरण:

3.1 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उसी रिर्पोटिंग तारीख तक तैयार किया गया है जो मूल कंपनी (बैंक ऑफ़ बड़ौदा) के लिए तैयार की गई तारीख हैं अर्थात् 31 मार्च 2019, केवल निम्नलिखित को छोड़कर- बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड, (इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड सहित), बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी) और इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड, जिनके विवरण यथा 31 दिसंबर, 2018 तक तैयार किये गए है. जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेनदेन या अन्य घटनाएँ नहीं हैं जिसके लिए उसमें समायोजन की आवश्यकता हो.

3.2 समूह के चालू वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में दि नैनीताल बैंक लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद और टोबैगो लिमिटेड), बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, बीओबी (यूके) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाद (जेवी) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं जिनके परिणाम कोई मायने नहीं रखते.

3.3 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित घरेलू सहायक कंपनियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं:

i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.
ii. बीओबी फाइनेंसियल सॉल्यूशन्स लि. (पूर्ववर्ती बॉब काडर्स् लिमिटेड)
iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.
iv. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लि.
v. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लि.
vi. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लि.

3.4 वर्ष के दौरान , 28 सितंबर, 2018 को बैंक नें बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा पायनियर एसेट

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2019 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2018. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2019 to 31st March, 2019 requiring adjustment therein.

3.2 The Consolidated financial statements for the current financial year of the Group include unaudited financial statements of The Nainital Bank Ltd, India First Life Insurance Company Ltd, Bank of Baroda (New Zealand) Ltd, Bank of Baroda (Trinidad &Tobago Ltd), Bank of Baroda (UK) Ltd., BOB (UK) Ltd and India International Bank Malaysia Berhad (JV), the results of which are not material.

3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2019 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:

i. BOB Capital Markets Ltd.
ii. BOB Financial Solutions Limited (Formerly known as BOB Cards Ltd.)
iii. Baroda Global Shared Services Ltd.
iv. Baroda Sun Technologies Ltd.
v. Baroda Asset Management India Ltd
vi. Baroda Trustee India Private Ltd

3.4 During the year, on Septmber 28, 2018, the bank has acquired additional 51% share in Baroda

मैनेजमेंट (पूर्व में बड़ौदा पायनियर असेट मैनेजमेंट कं. लि.) बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा पॉयनियर ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) में 51 % अतिरिक्त शेयर का अधिग्रहण किया है. तदनुसार 31 मार्च, 2019 को यह कंपनियां बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियां है (पहले संबद्ध कंपनियों में 49% की स्वामित्व के साथ ये सहयोगी कंपनियां थी).

3.5 सहायक और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध सीमा तक ब्यौरे दिए गए हैं. प्रबंधन की दृष्टि से इन ब्यौरों का उपलब्ध न होना, बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को प्रभावित नहीं करेगा.

4. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां

पूंजीगत प्रारक्षित निधियों में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ (सांविधिक प्रारक्षित निधि के लिए कर और अंतरण का निवल) और भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत निर्यात विकास परियोजनाओं/ लघु/मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए सदस्यता राशि शामिल है.

5. करों के लिए प्रावधान

अपील अधिकारियों के निर्णय और सलाहकारों की सलाह पर विधिवत विचार करने के बाद करों के लिए प्रावधान किया गया है.

6. प्रारक्षित निधियों में से ड्रा डाउन.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश प्रारक्षिति खाते से रु 88.88 करोड़ का ड्रा डाउन है (यथा 31 मार्च, 2018- शून्य).

7 अस्थिर प्रावधानीकरण

Asset Management India Ltd (Formerly Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd) and Baroda Trustee India Private Ltd (Formerly Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt. Ltd) Accordingly these compaines are wholly owned subsidiaries of the Bank as at March 31, 2019 (Previously these were the Associate companies with holding of 49% in respective company)

3.5 The disclosures in respect of subsidiaries and joint ventures are given to the extent details available with the management. In view of the management non availability of such details would not materially impact disclosure under the consolidated financial statements of the bank

4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries and others.

5. Provision for Taxes

Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

6. Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2018-19, there is draw down of Rs. 88.88 crore from the Investment Reserve Account (March 31, 2018: Rs Nil).

7. Floating Provision –

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण		Particulars		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **For the year ended March 31, 2019**	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **For the year ended March 31, 2018**
ए.	फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि	a.	Opening balance in the floating provisions account	478.27	478.27
बी.	लेखा वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रावधानों की मात्रा	b.	The quantum of floating provisions made in the accounting year	6.80	Nil
सी.	लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c.	Amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
डी.	फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि	d.	Closing balance in the floating provisions account	485.07	478.27

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग / काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफ़र' विषयक परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.79 / 21.04.048 / 2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के जरिए बैंकों को उनके द्वारा यथा 31 दिसंबर 2014 को धारित फ्लोटिंग प्रावधान सीसीपीबी का 50 प्रतिशत तक का उपयोग, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने की अनुमति दी है. वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान के लिए ऐसी राशि का उपयोग नहीं किया है.

RBI vide Circular No. DBR.No.BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dated March 30, 2015 on 'Utilization of Floating Provisions/ Counter Cyclical Provisioning Buffer' has allowed the banks, to utilize up to 50 per cent of Floating Provisions CCPB held by them as on December 31, 2014, for making specific provisions for Non-Performing Assets (NPAs) as per the policy approved by the Bank's Board of Directors. During the year, Bank has not utilized such amount for making specific provision for NPAs

8. प्रावधान और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे

समेकित लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

8. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in consolidated Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बट्टे खाते डाले गए/ अशोध्य ऋण के लिए किए गए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	12,444.01	14,503.62
पुनर्संरचित मानक और उप-मानक खातों में छोड दिए गए ब्याज के लिए प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	-121.02	-168.23
देशी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रावधान	Provision for Country Risk Management	3.12	-22.34
करों के लिए प्रावधान (स्थगित कर समेत)	Provision for taxes (including deferred taxes)	437.51	-193.62
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Provision for depreciation on investment	165.14	768.42
मानक आस्ति के लिए प्रावधान	Provision for standard assets	-0.64	-360.59
अन्य	Others	1,503.42	946.36
कुल	**Total**	14,431.54	15,473.62

9. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप प्रकटीकरण.

9.1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, लेखांकन नीतियों (लेखांकन मानक -5) में उसके पूर्व अवधि की मदें और परिवर्तन
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं है.

9.2 कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक-15)

I. परिभाषित लाभ योजना (निधिगत बाध्यता - पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी)

ए) परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

9. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

9.1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard-5)
No change in accounting policy during the financial year 2018-19.

9.2 Employee Benefits (Accounting Standard-15)

I. Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता	Opening Defined Benefit Obligation	13,604.50	13,032.55	21.37	21.89	1,726.97	1,390.17
जोडें : ब्याज लागत	Add: Interest Cost	1,005.03	967.99	1.66	1.64	120.20	97.25
जोडें : विगत सेवा लागत	Add : Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.19
जोडें : चालू सेवा लागत	Add: Current Service Cost	1,099.46	1,173.04	1.00	0.97	106.39	108.15
घटाएं : प्रदत्त लाभ	Less: Benefits Paid	1,107.69	963.65	3.77	2.29	341.54	258.86
जोड़ें: बाध्यता पर एक्चूरियल लाभ/हानि	Add: Actuarial loss/ gain(-) on obligation	-646.77	-605.43	-0.54	-0.84	29.48	-7.93
अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता	Closing Defined Benefit Obligation	13,954.53	13,604.50	19.72	21.37	1,641.50	1,726.97

बी) उचित मूल्य की योजना आस्ति में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	Opening Fair Value of Plan Assets	13,255.34	12,780.05	24.14	21.81	1,233.63	1,282.40
जोडें - योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	Add- Expected Return on Plan Assets	1,018.83	1,022.03	1.55	1.72	94.55	102.72

जोडें - योगदान	Add- Contributions	352.90	292.30	0.10	2.90	205.94	115.79
घटाएं- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	1,140.70	963.65	3.77	2.29	341.53	258.86
जोड़ें- बाध्यता पर एक्चूरियल लाभ/ हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	122.73	124.61	-0.16	0.00	41.36	-8.42
अंतिम योजना आस्तियों का उचित मूल्य	Closing Fair Value of Plan Assets	13,609.10	13,255.34	21.86	24.14	1,233.94	1,233.63

सी) तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
a) अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता	a) Closing Defined Benefit Obligation	13,954.53	13,604.50	19.72	21.37	1,641.51	1,726.98
b) योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	b) Closing Fair Value of Plan Assets	13,609.10	13,255.34	21.86	24.14	1,233.94	1,233.63
c) अंतर	c) Difference	345.43	349.16	-2.14	-2.77	407.58	493.35
d) गैरमान्य प्राप्त अंतरण देयता	d) Unrecognized transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.23
e) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	e) Liability Recognized in the BS	345.43	349.16	-2.14	-2.77	407.58	202.12

डी) लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
a) चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	1,099.46	1,173.04	1.00	0.97	106.40	108.14
a) विगत सेवा लागत	a) Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.19
c) ब्याज लागत	c) Interest Cost	1,005.03	967.99	1.66	1.64	120.20	97.25
d) आयोजित आस्तियों पर अपेक्षित आय	d) Expected Return on Plan Assets	1,020.81	1,022.03	1.97	1.72	95.26	102.57
e) एक्चूरियल हानि/लाभ(-)	e) Net Actuarial Loss/gain(-)	-766.45	-730.05	-0.12	-0.84	-11.19	0.35
f) वर्ष में मान्यताप्राप्त अंतरण देयता	f) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.23
लाभ हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय	Expenses Recognized in P&L	317.23	388.95	0.57	0.05	120.15	210.13

ई) प्रिंसिपल एक्चुएरियल एजंप्सन

e) Principal Actuarial Assumptions

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
बट्टा दर	Discount rate	7.60% - 7.70%	7.71% -7.75%	7.60%	7.75%	7.35% - 7.79%	0% -7.75%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.00% -6.00%	5.00% -6.00%	5.00%	5.00%	5.00% -10.00%	5.00% -6.00%
एट्रीशन दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00% - 15.00%	2.00% - 15.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय दर	Expected Rate of Return on plan Assets	7.50% - 7.70%	8.00%- 8.75%	7.00%	8.21%	7.50% - 7.70%	8.00%- 8.35%

II. परिभाषित लाभ योजनाएं (गैर निधिगत बाध्यता): संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (साधिकारी छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा एक्चूरियल वैल्यूएशन के अनुसार संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (साधिकारी छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी) की स्थिति को दर्शाती है: -

ए) देयता की आरंभिक व समाप्ति पर समायोजन

II. Defined Benefit Plans (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता	Opening Defined Benefit Obligation	880.92	908.82	2.02	1.54	331.05	346.81
जोडें - ब्याज लागत	Add- Interest Cost	62.17	64.89	0.17	0.12	23.42	23.92
जोडें - चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	50.48	48.50	0.42	0.27	9.85	10.56
जोडें - विगत सेवा लागत	Add- Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
घटाएं - प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	142.41	131.00	0.10	0.23	53.78	55.68
जोडें - एक्चूरियल हानि/लाभ(-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	79.23	-10.29	0.02	0.16	-17.75	5.44
अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता	Closing Defined Benefit Obligation	930.39	880.92	2.53	2.02	292.79	331.05

बी) लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
ए) चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	50.48	48.50	0.42	0.27	9.85	10.56
बी) विगत सेवा लागत	b) Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
सी) ब्याज लागत	c) Interest Cost	62.17	64.89	0.17	0.12	23.42	23.92
डी) निवल एक्चूरियल हानि/लाभ(-)	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	79.23	-10.29	0.02	0.16	-17.75	5.44
लाभ हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय	Expenses Recognized in P&L	191.88	103.10	0.61	0.72	15.52	39.92

सी) तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त देयता/ (आस्ति) की आरंभिक व समाप्ति पर समायोजन

c) Reconciliation of opening and closing liability/ (assets) recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
ए) आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता	a) Opening Defined Benefit Obligation	880.92	908.82	2.02	1.54	331.05	346.81
बी) उपरोक्त पर व्यय	b) Expenses as above	191.88	103.10	0.61	0.72	15.52	39.92
सी) प्रदत्त लाभ	c) Benefit paid	142.41	131.00	0.10	0.23	53.78	55.68
डी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	d) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	930.39	880.92	2.53	2.02	292.79	331.05

डी) प्रिंसिपल एक्चुएरियल एजंप्सन

d) Principal Actuarial Assumptions

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
बट्टा दर	Discount rate	7.20%-7.5%	7.71%-7.80%	7.20%	7.80%	7.70%	7.71%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%-9.00%	6.00%-9.00%	6.00%	7.00%	6.00%	6.00%
एट्रीशन दर	Attrition Rate	2.00%-15.00%	2.00%-15.00%	14.00%	12.00%	2.00%	2.00%

एक्चूरियल वैल्यूएशन में भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा जाता है. ये अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और निकट अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. लेखापरीक्षकों ने इन्हीं आंकलन और अनुमानों को आधार बनाया है.

The estimates of future salary growth factored in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

9.3 खंड रिपोर्टिंग (एएस - 17)

1. खंड की पहचान

I. प्राथमिक (व्यापार खंड): निम्नलिखित खंड बैंक के प्राथमिक खंड हैं

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी खंड में निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा व व्युत्पन्न करार में लेनदेन कारोबार शामिल है. ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रुप से लेनदेन परिचालनों से प्राप्त शुल्क, लाभ या हानि होती है और निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त ब्याज आय शामिल है.

ii. कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग

कॉरपोरेट / होलसेल बैंकिंग खंड में रु 5.00 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के ऋण के उधारकर्ताओं की गतिविधियाँ शामिल हैं.

iii. खुदरा बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग खंड में रु 5.00 करोड़ से कम मूल्य के ऋण के उधारकर्ताओं की गतिविधियाँ शामिल हैं.

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

प्राथमिक खंड के अंर्तगत उपरोक्त (i) से (iii) से इतर खंड शामिल हैं.

II. गौण (भौगोलिक खंड)

i) घरेलू परिचालन - शाखाएं / कार्यालय जिनका परिचालन भारत में होता है

9.3 Segment Reporting (AS – 17)

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of Rs. 5.00 crore and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than Rs. 5.00 crore.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) विदेशी परिचालन - शाखाएं / कार्यालय जिनका परिचालन भारत के बाहर और जिन विदेशी बैंकिंग इकाइयों का परिचालन भारत में होता है.

III. खंड राजस्व, बाहरी ग्राहकों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है.

IV. आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आवंटन

ब्याज आय को होलसेल बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर आवंटित किया जाता है. होलसेल बैंकिंग से प्राप्त ब्याज को कुल ब्याज में से घटाकर रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है. होलसेल बैंकिंग/ रिटेल बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर सीधे संबद्ध नहीं होने वाले व्यय का आवंटन किया जाता है. खजाना परिचालन पर व्यय, खजाना परिचालन से प्राप्त विवरण पर आधारित है.

बैंक में कतिपय आस्तियां और देयताएं होती हैं, जिन्हें किसी भी खंड से जोड़ा नहीं जा सकता है और उन्हें किसी में आबंटित भी नहीं किया जा सकता.

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations. Expenses not directly attributable are allocated on the basis Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

खंड संबंधी सूचना
भाग ए - व्यवसाय खंड

Segment Information
Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

व्यवसाय खंड	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
		FY: 2018-19	FY: 2017-18	FY: 2018-19	FY: 2017-18	FY: 2018-19	FY: 2017-18	FY: 2018-19	FY: 2017-18	FY: 2018-19	FY: 2017-18
राजस्व	Revenue	18,068.04	17,674.57	21,347.35	19,268.90	1,8901.97	15,072.43	2,475.94	20,32.73	60,793.30	54,048.63
परिणाम	Result	2,481.88	29,73.81	-5,313.60	-4,312.81	6,980.90	1,591.76	284.59	438.17	4,793.77	690.93
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									3,256.15	2,771.65
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									1,537.62	-2,080.72
आयकर	Income taxes									437.51	-193.62
विशिष्ट लाभ / हानि	Extra-ordinary Profit/loss									-	-
निवल लाभ	Net Profit									1,100.10	-1,887.10
अन्य सूचना	Other Information:										
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	2,43,216.70	2,78,779.59	3,63,662.75	3,17,156.04	1,96,365.87	1,34,709.23	4251.51	6,679.44	8,07,496.83	7,37,324.30
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									12,175.11	10,480.62
कुल आस्तियां	Total Assets									8,19,671.94	7,47,804.92
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	2,26,898.01	2,61,419.83	3,39,262.70	2,97,406.56	1,83,190.64	1,26,320.81	3,966.25	6,263.50	7,53,317.60	6,91,410.70
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									11,358.22	9,827.99
कुल देयताएं	Total Liabilities									7,64,675.82	7,01,238.69
नियोजित पूंजी	Capital Employed	16,318.69	17,359.76	24,400.06	19,749.48	13,175.22	8,388.42	285.26	415.94	54,179.23	45,913.60
अनाबंटित	Unallocated									816.89	652.63
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital Employed									54,996.12	46,566.23

भाग बी - भौगोलिक खंड

Part B – Geographic Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	देशीय परिचालन Domestic Operations		अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल Total	
		FY: 2018-19	FY: 2017-18	FY: 2018-19	FY: 2017-18	FY: 2018-19	FY: 2017-18
राजस्व	Revenue	53,003.41	47,797.77	7,789.89	6,250.86	60,793.30	54,048.63
आस्तियां	Assets	6,85,302.03	5,69,080.76	1,34,369.91	1,78,724.16	8,19,671.94	7,47,804.92

9.4 संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण (लेखांकन मानक-18)

I. संबद्ध पक्षों के नाम व उनके संबंध

समूह के संबंधित पक्ष:

ए) सहयोगी

i) **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

ii) **अन्य**

1. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड

बी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
3. इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड

सी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

9.4 Related Party Disclosures (Accounting Standard-18)

I. Name of Related Parties & their relationship

Related Parties to the Group:

a) Associates

i) Regional Rural Banks

1. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

b) Joint Ventures

1. India First Life Insurance Company Limited
2. India International Bank (Malaysia) Bhd.
3. India Infra debt Limited

c) Key Management Personnel

(राशी ₹ में / **Amount in ₹**)

क्र. सं S. No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक Remuneration (₹)	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री पी एस जयकुमार Shri P S Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. MD & CEO	33,45,175	31,51,937
2.	श्री मयंक मेहता* Shri Mayank Mehta*	कार्यपालक निदेशक Executive Director (up to 30.09.2018)	55,24,659	30,20,936
3.	श्री अशोक कुमार गर्ग* Shri Ashok Kumar Garg*	कार्यपालक निदेशक Executive Director (up to 30.06.2018)	46,38,773	28,24,124
4.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता Smt. Papia Sengupta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	29,77,837	27,81,170
5.	श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	कार्यपालक निदेशक (31.12.2016 तक) Executive Director (w.e.f. 20.09.2018)	15,15,397	-
6	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 01.10.2018)	14,23,096	-

* सेवानिवृत्ति लाभ शामिल

लेखों के टिप्पणियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं.

**includes retirement benefits*

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार "राज्य-नियंत्रित उद्यम" हैं. साथ ही लेखांकन मानक (एएस)18 के अनुच्छेद

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State-controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further,

5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों समेत बैंकर-ग्राहक के बीच लेनदेनों के स्वरुप का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

9.5 प्रभावी पट्टा (एएस-19)

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

प्रभावी पट्टों में मूल रुप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है.

i. निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

9.5. Operating Lease (AS-19)

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

i). The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

बाध्यताएं	Obligations	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
एक वर्ष से अधिक नहीं	Not later than one year	63.42	37.88
एक वर्ष से अधिक व 5 वर्षों से अधिक नहीं	Later than one year and not later than five years	134.95	123.08
5 वर्षों से अधिक	Later than five years	129.31	165.12

ii) प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि रु 522.43 करोड़ (31 मार्च, 2018: 503.82 करोड़ रुपये)

बैंक के पास आकस्मिक किराए से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है.

नवीकरण / खरीद विकल्प और किराया वृद्धि इस प्रकार के करारों में प्रचलित शर्तों के अनुरुप होते हैं। इन करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुष्कर शर्तें नहीं होती हैं.

ii) Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is Rs. 522.43 Crores (March 31, 2018: Rs 503.82 Crores).

The Bank does not have any provisions relating to contigent rent.

The terms of renewal/purchase options and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

9.6 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर आय" के अनुरुप प्रति शेयर इक्विटी में बुनियादी और न्यून आय दर्ज करता है. वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके "मूल आय" प्रति शेयर की गणना की जाती है.

9.6 Earnings per Share (Accounting Standard-20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - “Earnings per Share”. “Basic earnings” per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	Number of share at the beginning of the year	2,64,55,16,132	2,30,41,59,598
वर्ष के दौरान जारी शेयर	Shares Issued during the Year	-	34,13,56,534
वर्षांत पर शेयरों की संख्या	Number of share at the end of year	2,64,55,16,132	2,64,55,16,132
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर	Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	2,64,55,16,132	230,88,35,715
वर्षांत पर इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या	Potential no. of equity shares as at end of year*	42,85,59,286	-
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय के की गणना करने के लिए शेयरों की संख्या	Number of share used in computing the diluted earnings per shares	3,07,40,75,418	-
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	Net profit after tax (Rs in Crores)	1,100.10	-1,887.10

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
मूल अर्जन प्रति शेयर (रु में)	Basic earnings per share (In Rs.)	4.16	(10.53)
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (रु में)	Diluted earning per share (In Rs.)	3.58	(10.53)
अंकित मूल्य प्रति शेयर (रु में)	Nominal value per share (In Rs.)	2.00	2.00

* शेयर आवेदन प्राप्त धन के पेटे भारत सरकार को जारी किए जा सकने वाले शेयरों की अधिकतम संख्या है (अनुसूची 18 के अंतर्गत नोट सं. ए -1 पूंजी का संदर्भ लें). संभावित वर्ष के लिए टीयर I पूंजी की गणना के उद्देश्य से प्राप्त आवेदन राशि पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व के पत्र संख्या डीबीआर.सीओ. बीपी.एनओ. 9771/ 21.01. 002/ 2018-19 दिनांक: 17.05.2019 के आधार पर इन शेयरों को लेखांकन मानक 20 ''प्रति शेयर अर्जन'' के अनुसार संभावित इक्विटी माना गया है.

* Represents maximum number of shares that can be issued to the Government of India against Share application money received (Refer note no A-1 Capital under Schedule 18). These shares have been considered as a Potential Equity in terms of Accounting Standard 20 "Earning per Share" based on the letter bearing No DBR.CO.BP No. 9771/21.01.002/2018-19 dated 17.05.2019 from Reserve Bank of India to consider the Application Money received for the purpose of calculation of Tier I Capital for the year.

9.7 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक-22)

9.7 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard-22)

ए. आस्थगित कर आस्तियां

a. Deferred Tax Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	146.82	6.37
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	Nil	Nil
अन्य	Others	4.86	3.61
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	9,954.97	9,033.81
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on HTM Securities	Nil	Nil
आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	0.02	3.77
छुट्टी नकदीकरण एवं वेतन संशोधन हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment & Wage Revision	333.20	311.45
विदेशी मुद्रा संव्यवहार आरक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	138.15	69.08
निवेश की खरीद पर अपरिशोधित बट्टा	Unamortized discount on purchase of Investment	Nil	Nil
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest accrued but not due	Nil	Nil
कर्मचारी लाभ	Employee Benefit	4.23	Nil
कुल आस्थगित कर देयता	**Total Deferred tax Asset**	**10,582.25**	**9,428.09**

बी. आस्थगित कर देयताएं

b. Deferred Tax Liabilities

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	0.22	59.82
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	2,009.42	1,945.08
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on HTM Securities	Nil	97.07
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest Accrued but not due	1,128.72	937.21
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	Nil	Nil
आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	Nil	Nil
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment	Nil	Nil
विदेशी मुद्रा संव्यवहार आरक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	Nil	55.35
निवेश की खरीद पर अपरिशोधित बट्टा/	Unamortized discount on purchase of Investment	Nil	Nil
अन्य	Others	Nil	0.38
कुल आस्थगित कर देयता	**Total Deferred tax Liability**	**3,138.36**	**3,094.91**
निवल आस्थगित कर आस्तियां	**Net Deferred tax Asset**	**7,443.89**	**6,333.18**

9.8 परिचालन को बंद करना (एएस-24)

समूह को अपने किसी भी परिचालन को बंद करने की कोई योजना नहीं है, जिससे देयताओं को पूरा कर दिया गया है और आस्तियों को भुनाया गया है तथा समग्र रूप से किसी परिचालन को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे ऐसा कोई प्रभाव पड़े.

9.9 आस्तियों की हानि (एएस -28)

बैंक के प्रबंधन की राय में, उस वर्ष के दौरान आस्तियों को हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की हानि" लागू होता है.

9.10 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति (एएस -29):

प्रावधानों की आवाजाही (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

9.8 Discontinuing operations (AS-24)

The group has no plan to discontinuing operations of any of its operations, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

9.9 Impairment of Assets (AS-28)

In the opinion of the Bank's management, there is no indication of impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

9.10 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

विवरण	Particulars	कानूनी मामले/आकस्मिकताए Legal Cases / Contingencies	
		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को शेष राशि	Balance as on 1st April 2018	42.13	40.47
वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत/समायोजित	Provided/ Adjustment during the year	-8.13	1.63
दिनांक 31 मार्च, 2019 को शेष राशि	Balance as at 31st March 2019	34.00	42.13
बाहर जाने वाली/अनियमितताओं का समय	Timing of Outflow / uncertainties	निपटान/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / crystallization	

ए) अपील अधिकारियों के निर्णय और सलाहकारों के सलाह के बाद कर का प्रावधान किया गया है. "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर कर कटौती रु 5,993.52 करोड़ (31 मार्च, 2018: 2,131.19 करोड़ रुपये) की गरइ जिसमें रु 2,615.40 करोड़ (31 मार्च, 2018: रु 1,704.80 करोड़) शामिल है और साथ ही बैंक

a) Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels. Tax paid in advance/tax deducted at source appearing under "other Assets" amounting to Rs 5,993.52 Crores (March 31, 2018: Rs 2,131.19 Crores) is inclusive of Rs 2,615.40 Crores (March 31, 2018: Rs 1,704.80

द्वारा विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए विवादित कर मांगों के संबंध में विभाग को भुगतान करने पर विभाग द्वारा समायोजित राशि शामिल है. बैंक के विचार में इन मांगों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है, क्योंकि, विधिवत रूप से सलाहकार की राय और / या न्यायिक घोषणाओं के अनुसार मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं होगी.

बी) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता राशि / न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान के परिणामों, साथ ही जो करार के बाध्यताओं, संबद्ध पक्षों द्वारा किए गए मांग से संबंधित राशि पर निर्भर है. ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

सी) फरवरी 2019 में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पीएफ अधिनियम) के अंतर्गत बाध्यताओं को शामिल करने के लिए कतिपय विशेष भत्तों को गिना जाए. बैंक को कानूनी परामर्श करने पर सलाह दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय बैंक पर लागू नहीं होता है क्योंकि बैंक अपनी स्वयं की निधि बनाए हुए है.

डी) उपभोक्ता न्यायालयों में बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के खिलाफ दावे दायर किए गए लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए रु 0.88 करोड़ (31 मार्च, 2018 में रु1.02 करोड़)

ई) बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के खिलाफ आयकर की मांग रु 6.03 करोड़ (31 मार्च, 2018 में रु 6.02 करोड़)

एफ) मैसर्स एसटीसीआई - स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (संयुक्त मर्चेंट बैंकर) ने वर्ष 2010 में बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के साथ-साथ जारीकर्ता कंपनी (एसवीपीसीएल लिमिटेड) के विरुद्ध रु15.23 करोड़ की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए एक मामला दायर किया था. एसवीपीसीएल लिमिटेड का उपरोक्त विवादित मामला माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित है. प्रबंधन की राय में यह निराधार मुकदमेबाजी है और कंपनी पर कोई देनदारी नहीं होगी और उनके अनुमान में न्यायालय का निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा.

जी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है.

Crores) which represents amount adjusted by the department / paid by the bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and/or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the assessing officer are not sustainable.

b) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

c) In February 2019, the Honorable Supreme Court of India in its judgment clarified that certain special allowances should be considered to measure obligations under Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (The PF Act). The Bank has been legally advised that the said ruling by Supreme Court is not applicable to the Bank since the bank is maintaining its own fund.

d) Claims filed against BOB Financial Solutions Limited in consumer courts but not acknowledged as debt s Rs. 0.88 Crore (March 31, 2018: Rs. 1.02 Crore).

e) Income Tax demand against BOB Financial Solutions Limited is Rs. 6.03 Crore (March 31, 2018: Rs. 6.02 Crore)

f) M/s STCI — Standard Chartered Capital Markets Limited (joint merchant banker) filed a case against BOB Capital Markets Limited in the year 2010 as well as the issuer company (SVPCL Limited) for indemnifying the damage of Rs.15.23 Crore claimed by SVPCL Limited. The above disputed matter is pending before the Hon'ble High Court, Mumbai. In the opinion of the management this is a frivolous litigation and there would not be any liability on the company and the case, in all probability, would be decided in the company's favour.

g) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

10. नियामकों द्वारा लगाया गया जुर्माना

10. Penalty Imposed by Regulators

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	
		No of Cases	Amount (in Cr)	No of Cases	Amount (in Cr)
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	Penalties Imposed by RBI	125	5.25*	93	7.12
विदेशी प्रदेशों/अनुषंगियों पर उनके संबंधित नियामक द्वारा लगाए जुर्माना	Penalties Imposed on Overseas territories/ subsidiaries by their respective regulators	3	0.49	4	5.88

** इसमें स्विफ्ट संबंधित परिचालनात्मक विलंब के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया रु 4 करोड़ का जुर्माना शामिल है.*

** includes Rs. 4 crore penalty imposed by RBI on account of delay in implementation of SWIFT related operational controls.*

11. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

मूल कंपनी व अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सूचना में प्रकटीकरण जिनका सीएफएस के सटीक और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उन मदों की सूचना जो कोई मायने नहीं रखती उन्हें सीएफएस के प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है.

11.1 समूह की संस्थाओं के बीच आपस में अंतर- बैंक/ कंपनी की शेष राशियों का समायोजन अविरत नेमी रुप से किया जाता है. इस प्रकार के समायोजन का चालू वर्ष के लाभ व हानि खाते पर कोई प्रभाव पड़ने की अपेक्षा नहीं है.

11.2 कामगारों के अखिल भारतीय यूनियनों के साथ सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा किया गया 11 वाँ द्विपदीप समझौता 31 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो गया. वेतन संशोधन के लंबित समझौते जोकि 1 नवंबर 2017 से लागू होगा, उसके लिए वर्ष के दौरान रु 531.95 करोड़ (पिछले वर्ष रु 100.63 करोड़) का प्रावधान किया गया है. यह द्विपक्षीय करार समूह में बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक के लिए लागू होगा.

11.3 भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना F.No.1 / 1/2017-BOA दिनांकित 2 जनवरी, 2019 के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के समामेलन की योजना का अनुमोदन किया. यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी की गई थी. दिनांक 2 जनवरी, 2019 को बैंक के निदेशक मंडल और विजया बैंक और देना बैंक के निदेशक मंडल ने अपनी-अपनी बैठकों में विजया बैंक और देना बैंक के साथ समामेलन का अनुमोदन किया. संबंधित बैंकों के निदेशक मंडलों ने स्वैप अनुपात के लिए अनुमोदन दिया. संबंधित बैंक के निदेशक मंडलों ने विजया बैंक के प्रति रू 10/- के 1000 इक्विटी शेयर के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रति शेयर रू 2 के 402 इक्विटी शेयर और देना बैंक के रू 10/- के 1000 इक्विटी शेयर के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रति शेयर रू 2/- के 110 इक्विटी शेयर के स्वैप अनुपात को अनुमोदित किया है. यह समामेलन नियुक्त तारीख 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हो गया है और इसका यथा 31 मार्च 2019 के वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

11.4 वर्तमान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है. इसके अनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सांविधिक सूचनाओं के प्रकटीकरण से समेकित वित्तीय विवरणों की सटीकता और निष्पक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. साथ ही, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों की व्याख्या के आलोक में जिन मदों की सूचना कोई मायने नहीं रखती, उनका प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है.

11.5 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार फिर से समूहों में वर्गीकृत किया गया है.

11. Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

11.1 Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. No material effect is expected on the profit and loss account of the current year of such reconciliation.

11.2 The 11th Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October 2017. In accordance with the pending execution of agreement for wage revision, to be effective from 1st November 2017, a provision of Rs.531.95 crores (previous year Rs. 100.63 crore) has been made during the year. The Bipartite Settlement is applicable on Bank of Baroda and Nainital Bank in the group.

11.3 The Government of India through a gazette notification F.No.1/1/2017-BOA dated January 2, 2019 approved the scheme of amalgamation between Bank of Baroda, Dena Bank and Vijaya Bank. This notification was issued in consultation with Reserve Bank of India. On January 2, 2019 the Board of Directors of the Bank and the Board of Directors of Vijaya Bank and Dena Bank at their respective meetings, approved amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank with the Bank. The Boards of respective banks have also approved the swap ratio of 402 equity shares of Face Value Rs 2 each of Bank of Baroda for every 1,000 equity shares of Face Value Rs 10/- each of Vijaya Bank and the swap ratio of 110 equity shares of Face Value Rs 2 each of Bank of Baroda for every 1,000 shares of Face Value Rs 10 each of Dena Bank. The amalgamation has come into effect from April 1, 2019, the appointed date, accordingly, this amalgamation does not have any impact on the financial results of the Bank as at March 31, 2019.

11.4 In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

11.5 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

बैंक ऑफ बड़ौदा के समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITORS' REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BANK OF BARODA

सेवा में,
बैंक ऑफ बड़ौदा के सदस्यगण
संक्षिप्त वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

संलग्न संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें (ए) दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु संक्षिप्त तुलन-पत्र (बी) संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता तथा (सी) संक्षिप्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, तथा संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं, जिन्हें 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ़ बड़ौदा ("बैंक") के समेकित वित्तीय विवरणों से लिया गया है. हमने दिनांक 22 मई, 2019 की अपनी रिपोर्ट में उन समेकित वित्तीय विवरण पत्रों पर एक अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय दी है.

बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय लागू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के सभी आवश्यक प्रकटीकरण तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा सिद्धांत संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं हैं. अतः बैंक के संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणों को पढ़ लेने मात्र से बैंक के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों को पढ़ने की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती.

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2012 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण के सारांश को तैयार करने के लिए बैंक का प्रबंधन ज़िम्मेदार है, जो विनियामक दिशा-निर्देशों, भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा नीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किए गए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी प्रक्रियाओं पर आधारित संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक (एसए) 810 ''वित्तीय विवरण सारांश पर रिपोर्ट संबंधी सहबद्धता'' के अनुरूप की गयी है.

राय

हमारी राय में संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणों को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2012 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है एवं बैंक के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी से ली गई है तथा उन समेकित वित्तीय विवरणी का सही सारांश है.

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

ए. विदेशी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों जिनकी हमने लेखापरीक्षा नहीं की है, उनमें 31 मार्च, 2019 को कुल आस्तियां रु141,376,533 हजार का उल्लेख है तथा वर्ष के अंत में रु139,46,862 हजार का कुल राजस्व और रु10,982,377 हजार का नकदी प्रवाह है. 31 मार्च, 2019 को वर्ष की समाप्ति के लिए समूह का रु 24,142 हजार के निवल लाभ का भी समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, जिसे 1(एक) विदेशी सहयोगी के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की

To

The Members of Bank of Baroda
Report on the Abridged Financial Statements

The accompanying abridged Consolidated Financial Statements, which comprise the Consolidated (a) Abridged Balance sheet as at March 31, 2019 (b) abridged Consolidated Profit and Loss Account and (c) abridged Consolidated Cash Flow Statement for the year ended, and related notes are derived from the Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda ("the Bank") for the year ended March 31, 2019. We expressed an unmodified audit opinion on those Consolidated Financial Statements in our report dated May 22, 2019.

The abridged Consolidated Financial Statements do not contain all the disclosures required by the Accounting Standards, issued by Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") and accounting principles generally accepted in India, applied in the preparation of the audited financial statements of the Bank. Reading the abridged Consolidated Financial Statements, therefore, is not a substitute for reading the audited consolidated financial statements of the Bank.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The management is responsible for the preparation of summary of Consolidated Financial Statements in accordance with the guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India vide their letter dated August 1, 2012, which are based on the audited financial statements for the year ended March 31, 2019 prepared in accordance with regulatory guidelines, accounting standards and accounting policies generally accepted in India.

Auditors Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the abridged Consolidated Financial Statements based on our procedures which are conducted in accordance with Standard of Auditing (SA) 810 "Engagements to report on summary financial statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Opinion

In our opinion, the abridged Consolidated Financial Statements prepared in accordance with the guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India vide their letter dated August 1, 2012, are derived from the audited financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2019 and are a fair summary of those Consolidated Financial Statements.

Other Matters

Incorporated in the abridged Consolidated Financial Statements are:

a. Financial statements of 6 overseas subsidiaries which have not been audited by us, whose financial statements reflect total assets of Rs. 141,376,533 thousands as at March 31, 2019 and total revenue of Rs. 139,46,862 thousands and net cash flows amounting to Rs. 10,982,377 thousands for the year then ended. The Consolidated Financial Statement also includes the group's share of net profit of Rs. 24,142 thousands for the year ended March 31, 2019 as considered in the Consolidated Financial Statements in respect of 1 overseas associate, whose financial statements have been

गई है. 5 (पांच) विदेशी अनुषंगियां एवं 1 (एक) संयुक्त नियंत्रित इकाई जिनके वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2018 को तैयार किए गए हैं और जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, प्रबंधन ने यह प्रमाणित किया है कि 01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है. इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है और हमारे विचार से उक्त अनुषंगियों के बारे में जहां तक समाविष्ट राशियों का संबंध है ये मूलतः उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं.

बी. 6-घरेलू अनुषंगियों एवं 1 (एक) घरेलू संयुक्त नियंत्रित इकाई के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 तक रु48,387,448 हजार की कुल वित्तीय विवरण को प्रतिबिम्बित करते हैं जिसका समाप्त वर्ष हेतु कुल राजस्व रु6,377,782 हजार एवं नकदी प्रवाह के रुप में रु(26,646) हजार है. इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उन अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है तथा उनके समेकित वित्तीय परिणामों के बारे में हमारी राय के अनुसार इन घरेलू अनुषंगियों एवं संयुक्त नियंत्रित इकाइयों व सहयोगियों से संबन्धित राशियां और प्रकटीकरण सिर्फ अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

सी. समेकित वित्तीय विवरणों में 4 विदेशी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण, 1 संयुक्त रुप से नियंत्रित विदेशी इकाई, 1 घरेलू सहायक अनुषंगी और 1 संयुक्त रुप से नियंत्रित घरेलू इकाई के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष तक रु 270,140,790 हजार की कुल आस्तियां, रु 27,684,618 हजार का कुल राजस्व और रु (18,984,195) हजार का निवल नकदी प्रवाह दर्शाते हैं. इस समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तीनों सहयोगियों के संबंध में ग्रुप के निवल लाभ का हिस्सा रु 765,957 हजार भी शामिल है. ये वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित नहीं हैं और हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं तथा जहां तक इन अनुषंगियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों, सहयोगियों के संबंध में राशियों और प्रकटीकरण की बात है, इस संबंध में हमारी राय पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षित नहीं किए गए वित्तीय विवरणों पर ही आधारित है. हमारी राय तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण ग्रुप के संबंध में वस्तुनिष्ठ नहीं है.

audited by another auditor. The financial statements of 5 overseas subsidiaries and 1 jointly Controlled entity have been drawn up upto December 31, 2018 and included in the Consolidated Financials Statement, the Management has certified that no significant changes have taken place during the period from January 01, 2019 to March 31, 2019. These financial statements have been audited by other auditors and our opinion, in so far it relates to the amounts included in respect of those subsidiaries is based solely on the reports of those auditors.

b. financial statements of 6 domestic subsidiaries and 1 domestic joint controlled entities, whose financial statements reflect total assets of Rs. 48,387,448 thousands at March 31, 2019 and total revenue of Rs. 6,377,782 thousands and net cash flows amounting to Rs. (26,646) thousands for the year then ended. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these domestic subsidiaries and joint controlled entities and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

c. financial statements of 4 overseas subsidiaries, 1 Jointly Controlled overseas entity, 1 domestic subsidiary and and 1 Jointly Controlled domestic entity whose financial statements reflect total assets of Rs. 270,140,790 thousands as at March 31, 2019 and total revenue of Rs. 27,684,618 thousands and net cash flows amounting to Rs. (18,984,195) thousands for the year then ended. The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of net profit of Rs. 765,957 thousands for the year ended March 31, 2019 in respect of 3 associates. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, Jointly Controlled Entities and Associates is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanation given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

AUDITORS
लेखापरीक्षक

कृते **कल्याणीवाला एवं मिस्त्री एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104607डब्ल्यू/डब्ल्यू100166
For **Kalyaniwalla & Mistry LLP.**
Chartered Accountants
FRN:104607W / W100166

(**डैरियस फ्रेज़र**)
साझेदार
एम नं. 042454
(Daraius Fraser)
Partner
M No. 042454

कृते **सिंघी एवं कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049ई
For **Singhi & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 302049E

(**राजीव सिंघी**)
साझेदार
एम नं. 053518
(Rajiv Singhi)
Partner
M No. 053518

कृते **जी एम कपाड़िया एवं कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्ल्यू
For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

(**अतुल शाह**)
साझेदार
एम नं. 039569
(Atul Shah)
Partner
M No. 039569

कृते **एस आर डिनोडिया एवं कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन/एन500005
For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(**संदीप डिनोडिया**)
साझेदार
एम नं. 083689
(Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689

दिनांक: 22 मई, 2019
स्थान : मुम्बई
Date: 22nd May 2019
Place: Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल है.

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2019 contain unmodified opinion.

जी रमेश

जी रमेश
प्रमुख
(कॉर्पोरेट लेखा और कराधान) एवं सीएफओ

G Ramesh

G Ramesh
Head
(Corp. A/Cs & Taxation) and CFO

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

P. S. Jayakumar

P S Jayakumar
Managing Director
& CEO

दिनांक: 22 मई 2019
Date: 22nd May 2019

सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2018-19 हेतु सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण - समेकित

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण), विनियम, 2015 की धारा 17(8) के साथ पठित धारा 33 की अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

ए. हमने वर्ष 2018-19 (समेकित) हेतु वित्तीय विवरणी और नकद-प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणियों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.

जी रमेश

जी रमेश
प्रमुख (कॉर्पोरेट लेखा और कराधान) एवं सीएफओ

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 22.05.2019
स्थान : मुंबई

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda,
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the year 2018-19 - Consolidated

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2018-19 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Ramesh

G Ramesh
Head (Corporate Accounts & Taxation) and CFO

P. S. Jayakuma

P S JAYAKUMAR
Managing Director & CEO

Date : 22.05.2019
Place : Mumbai

लाभांश संवितरण नीति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक में शेयर-पूंजी में उनके निवेश पर दो तरीकों से प्रतिफल अर्जित करते हैं:

1. शेयर की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरुप पूंजीगत मूल्यवृद्धि, एवं
2. आवधिक लाभांश के रुप में नकद प्रतिफल.

बैंक मानता है कि शेयरधारकों को अपनी चलनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है. साथ ही, लाभांश का भुगतान बैंक की भावी संभावनाओं के संकेत के रुप में देखा जाता है. बैंक के ये प्रयास रहते हैं कि अतिरिक्त नकद राशि को अपने शेयरधारकों में संवितरित की जाए.

सामान्यतया, बैंक लाभकर्ता वर्षों में लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं. कितनी राशि लाभांश के रुप में संवितरित की जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित सहित कई तथ्यों को ध्यान में लेते हुए किया जाता है:

ए) बैंक का वर्तमान एवं भविष्य का कार्यनिष्पादन.

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी-पर्याप्तता संबंधी आवश्यकता

सी) बैंक की निवेश एवं विस्तार की योजना, और

डी) उसके प्रमुख शेयरधारक-भारत सरकार-एवं संस्थागत तथा खुदरा शेयरधारकों की अपेक्षाएं.

चूंकि बैंक वैश्विक आधार पर परिचालन कर रहा है, उसके लाभांश संबंधी निर्णय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों और नियामक-आवश्यकताओं पर आधारित होता है.

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं तथा उसके निवेश के वित्तपोषण की आवश्यकताओं एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है. प्रतिधारित अर्जन अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में कुशन उपलब्ध कराता है. बैंक निवेश की मांग के साथ उचित नकद प्रतिफल हेतु शेयरधारकों की आवश्यकता के संतुलन का प्रयास करता है.

आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

- बैंक के पास निम्नलिखित होने चाहिए :
  - ए) पूरे किए गए दो वर्षों के लिए तथा जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए कम से कम 9% का पूंजी से जोखिम वेटेड आस्ति अनुपात (सीआरएआर) तथा
  - बी) शुद्ध एनपीए (गैर-निष्पादक आस्तियों) का 7% से कम.
  - सी) यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% स्तर पर है, तो उसके शुद्ध एनपीए 5% से कम होने चाहिए.
- लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभ से ही भुगतान किया जा सकता है.
- लाभांश पे-आऊट अनुपात (अर्थात् कर के बाद लाभ से लाभांश का अनुपात) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लाभांश भुगतान अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा हेतु मापदंड का मैट्रिक्स अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है.

भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) 20% की प्रदत्त पूंजी या 20% कर-पश्चात का लाभ-इनमें से जो भी अधिक हो, कम से कम उतना भुगतान करेंगे. यदि कोई बैंक न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है तो उसे भारत सरकार से विशिष्ट अनुमति मांगनी चाहिए.

Dividend Distribution Policy

Bank of Baroda's shareholders earn a return on their investment in the Bank's share capital in two ways:

(1) Capital appreciation resulting from increase in the share price, and

(2) Cash return in the form of a periodic dividend.

The Bank recognizes that its shareholders need periodic dividend to meet their liquidity needs. Also, payment of dividend is seen as a signal of the Bank's future prospects. The Bank endeavors to distribute surplus cash to its shareholders.

Normally, the Bank expects to pay dividend in profitable years. The decision on how much to distribute as dividend takes into consideration a number of factors including:

(a) The Bank's current and prospective financial performance,

(b) Capital adequacy requirements specified by Reserve Bank of India (RBI)

(c) The Bank's investment and expansion plans, and

(d) The expectations of its principal shareholder – the Government of India – and the institutional and retail investors.

Since the Bank has operations worldwide, its dividend decision is based on an assessment of domestic and international economic and financial conditions and regulatory requirements.

Retained earnings are utilized to meet the Bank's capital requirements and finance its investment and expansion activities. Retained earnings also provide a cushion to tide over unexpected events. The Bank strives to balance the demands for investment with the shareholders' need for a fair cash return.

The RBI has laid down the following eligibility conditions, among others, for payment of dividend by all banks:

- A bank should have:
  - (a) capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of at least 9% for two completed years and the year for which it proposes to declare dividend and
  - (b) Net NPA (non-performing assets) of less than 7%.
  - (c) In case a bank does not meet the above CRAR norm but has CRAR of at least 9% for the year for which it proposes to declare dividend, its Net NPA should be less than 5%.
- Dividend can be paid only out of current year's profits.
- The dividend payout ratio (i.e. the ratio of dividend to profit after tax) cannot exceed 40 per cent. The Matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio as per RBI guidelines is enclosed in Annexure - A

The Government of India has stipulated that Public Sector Banks (PSBs) shall pay a minimum of 20% of paid-up capital or 20% of post-tax profits, whichever is higher. In case a bank is unable to pay the minimum dividend, it should seek specific permission of the Government of India.

अनुलग्नक - ए

लाभांश भुगतान अनुपात की अधिकतम अनुपात सीमा हेतु मापदंड का मैट्रिक्स

(भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2004-05/451; डीबीओडी. एनओ.बीपी.बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04 मई, 2005 के अनुसार)

Annexure – A

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio

(As per RBI Circular No. RBI/2004-05/451; DBOD.NO.BP.BC. 88 / 21.02.067 / 2004- 05 dated May 04, 2005)

श्रेणी / Category	सीआरएआर / CRAR	नवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio			
		शून्य / Zero	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम / More than zero but less than 3%	3% से लेकर 5% से कम तक / From 3% to less than 5%	5% से लेकर 7% से कम तक / From 5% to less than 7 %
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा / Range of Dividend Payout Ratio			
ए A	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या अधिक 11% or more for each of the last 3 years	40 तक Up to 40	35 तक Up to 35	25 तक Up to 25	15 तक Up to 15
बी B	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या अधिक 10% or more for each of the last 3 years	35 तक Up to 35	30 तक Up to 30	20 तक Up to 20	10 तक Up to 10
सी C	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या अधिक 9% or more for each of the last 3 years	30 तक Up to 30	25 तक Up to 25	15 तक Up to 15	5 तक Up to 5
डी D	वर्तमान वर्ष में 9% या अधिक 9% or more in the Current year	10 तक Up to 10		5 तक Up to 5	शून्य Nil

नोटिस / NOTICE

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Barodra

प्रधान कार्यालय : बड़ौदा भवन, अलकापुरी, वडोदरा 390 007 **Head Office:** Baroda Bhavan, Alkapuri, Vadodara - 390 007.
कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
(**Website / वेबसाईट:** www.bankofbaroda.com)

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक **गुरुवार, 27 जून, 2019 को प्रात: 10.00 बजे दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चौकडी के पास, वडोदरा – 390 019**में संपन्न होगी:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2019 के तुलनपत्र, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे,लेखों में समाहित अवधि के कार्य निष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 2:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की इक्विटी पूंजी योजना के अनुमोदन हेतु **"विशेष संकल्प" पारित करना**.

मद संख्या 3:

बॉब-ईएसपीएस के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों को 15 करोड नए इक्विटी शेयर जारी करने संबंधी अनुमोदन हेतु **"विशेष संकल्प" पारित करना**.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2019

(पी. एस. जयकुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नोट : कृपया नोट करें कि अनुदेशों सहित संपूर्ण नोटिस तथा प्रॉक्सी फार्म सभी शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराएं हैं, उन्हें अलग से भेजा गया है.

प्रभावी व तत्काल सेवाओं के लिये शेयरधारकों से अपील

1. **कृपया अपने भौतिक शेयर को डीमैट करें**
2. **कृपया लाभांश इलैक्ट्रॉनिक / सीधे अपने बैंक खाते में जमा करने के लिये अपना मैनडेट रजिस्टर करें**
3. **कृपया ई- मेल के माध्यम से सन्देश पाने के लिये अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर करें**

अभौतिकीकरण (डीमैटेरियलाइजेशन) के लाभ

1. शेयर सर्टिफिकेट के खोने का कोई डर नहीं
2. शेयर स्थानांतरण शुल्क अथवा स्टॅम्प शुल्क खर्च नहीं
3. सरल / परेशानी रहित स्थानांतरण/ संचरण
4. नामांकन सम्भव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा
6. अस्बा (एएसबीए) / आईपीओ आवेदन सम्भव

इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश भुगतान के लिए मैनडेट पंजीकृत कराने के लाभ

1. लाभांश भुगतान की तारीख को ही लाभांश प्रत्यक्ष जमा होना
2. लाभांश वारंट में देरी/ अप्राप्ति / पुनर्वैधता की कोई समस्या नहीं

ई- मेल आईडी पंजीकृत कराने के लाभ

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. कार्पोरेट सूचनाएं तत्काल प्राप्त करना जिसमें एजीएम व ईजीएम/ वार्षिक रिपोर्ट / छमाही सूचना इत्यादि की तत्काल प्राप्ति भी शामिल है

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Thursday, 27th June 2019 at 10.00 a.m. at Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara -390019**, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2019, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 2:

To pass "Special Resolution."- to approve Equity Capital Plan of Bank for FY2019-20.

Item Number 3:

To pass "Special Resolution."- to approve Issuance upto 15 Crore fresh Equity Shares to Employees of the Bank under BOB-ESPS.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

P. S. Jayakumar

Place : Mumbai
Date: 22nd May 2019

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

NOTE: Please note that full Notice with instructions and Proxy form has been separately dispatched to all the shareholders, who have not registered their email id.

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. **Please Demat your Physical Shares**
2. **Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c**
3. **Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail**

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA/IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Half Yearly communication, etc

हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना

डिमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमैट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रुप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

अपनी सहमति हेतु इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मेसर्स कावी फिनटेक प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गाचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,
सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.
फोन नं. 040-6716 2222
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat accounts are requested to: register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrars at their address given hereunder :

M/S Karvy Fintech Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032,
Phone No. 040 – 6716 2222
E-mail : einward.ris@karvy.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक
मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गाचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,
सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

प्रिय महोदय,

मैं / हम _____बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित पहल) उपायों के एक प्रयास के रुप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के _____शेयर भौतिक रुप में हैं.

फोलियो नम्बर : _____
ई मेल आईडी : _____

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूं / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूं / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई-मेल हमें सही रुप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ़ बड़ौदा, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायीं नहीं ठहरायेंगे.

_____
प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:
M/S Karvy Fintech Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Dear Sir,

I/ We _____ holding _____ shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive all communication from Bank of Baroda through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: _____
Email ID: _____

I/ We also undertake that the communication received through my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any of its employees, Registrars or its employees, responsible in case the communication is not properly received at my/ our email ID due to any technical/ other failures.

_____
Signature of First Holder

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश

(इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. पता :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में रखने के लिए) :

   डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए)

4. बैंक खाते का विवरण :

   क. बैंक का नाम :

   ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :

   ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :

   घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक ☐ चालू ☐ नकद उधार ☐
   (बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता)

   ड. आईएफएससी कोड :

   च. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
   बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं.

5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी / कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें.

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूं कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान :

दिनांक :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

टिप्पणी :

1. **यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं :** कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.
2. **यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं :** कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स कार्वी फिनटेक प्रा. लि., कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गोची बॉवली, फाइनान्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, सेरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद-500 032 अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, सातवा तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051 के पते पर भेज दें.

BANK OF BARODA

Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares
(Through Electronic Mode)

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :

2. Address :

3. Shareholder's Folio number (for holding in physical form) :

   D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form)

4. Particulars of Bank Account :

   A. Bank Name :

   B. Branch Name & City Pin Code :

   C. Account No. (as appearing on the cheque book) :

   D. Account Type (please Tick) : (SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c) : SB ☐ Current ☐ Cash Credit ☐

   E. IFSC Code :

   F. 9 Digit Code No. of the Bank Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place: Signature of the First Holder

Date:

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd, Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

NOTES

NOTES

NOTES

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA | देना DENA

POWER OF 3

AB SAATH HAIN TEEN, BEHTAR SE BEHTAREEN.

An amalgamation of 3 banks and the foundation of a better bank – **Indian at heart and global in scale.**

Wider Network of Branches & ATMs

Complete Suite of Products

Best in Class Processes

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट
ABRIDGED ANNUAL REPORT 2018-19

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड,
अल्कापुरी, बड़ौदा – 390007
फ़ोन: (0265) 2316010

कॉर्पोरेट केंद्र
बड़ौदा कॉर्पोरेट केंद्र, प्लॉट नंबर. सी–26, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
फ़ोन: (022) 6698 5000–04 (पीबीएक्स)

HEAD OFFICE
Baroda Bhavan, R C Dutt Road,
Alkapuri, Baroda - 390007
Ph : (0265) 2316010

CORPORATE CENTRE
Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Ph : (022) 6698 5000-04 (PBX)

Getting closer to our customers by serving them better, resolving their queries and keeping them updated.

Interacting, engaging and connecting with our audience and building a following with our potential customers.

Empowering our customers by promoting products & services through online videos

Aiming to become a part of our customer's everyday life and help them create beautiful stories.

Developing meaningful connections because, strong bonds go a long way.